वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

सत्यमेव जयते

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

इसमें **क्या** है !

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

प्रस्तावना 01

वर्षभर - एक नजर में 04

सागरमाला कार्यक्रम 17

पत्तन 29

पोत परिवहन 48

संगठन 63

अंतर्देशीय जल परिवहन 111

परिवहन अनुसंधान स्कंध एवं विकास स्कंध 143

अंतरराष्ट्रीय सहयोग 145

प्रशासन और वित्त 152

राजभाषा हिंदी का प्रयोग 158

अनुबंध सूची 161

प्रस्तावना

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 30 अगस्त, 2024 को महाराष्ट्र के पालघर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

1.1 पोत परिवहन मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। इसके बाद, 9 नवंबर, 2020 को मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएसडब्ल्यू) कर दिया गया।

1.2 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के अंतर्गत पत्तन और नौवहन क्षेत्र आते हैं, जिनमें महापत्तन, पोतनिर्माण और पोत मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल हैं। मंत्रालय को इन क्षेत्रों पर नीतियां और कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.3 समुद्री क्षेत्र के समक्ष आने वाले विविध मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए व्यापक नीति पैकेज आवश्यक है। विदेशी व्यापार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बर्थ और कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के संबंध में पत्तनों की क्षमता में सुधार आवश्यक है।

1.4 ऐतिहासिक रूप से, समुद्री क्षेत्र में, विशेष रूप से पत्तनों में, निवेश राज्य द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें मुख्य कारण बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत, लंबी गेस्टेशन अवधि, अनिश्चित लाभ और अवसंरचना के साथ जुड़े हुई कई बाहरी तत्व है। हालाँकि, बढ़ती हुई संसाधन आवश्यकताओं और प्रबंधकीय दक्षता और उपभोक्ता की संवेदनशीलता के सरोकारों से हाल के दिनों में अवसंरचना में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया है। पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

कार्य

1.5 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के लिए आबंटित विषयों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

संगठनात्मक संरचना

1.6 श्री सर्बानंद सोणोवाल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। श्री शांतनु ठाकुर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (पीएस एंड डब्ल्यू) राज्य मंत्री हैं।

1.7 सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) को अपर सचिव (पोत परिवहन), वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, संयुक्त सचिव (समन्वय, संसद और डीजीएलएल), संयुक्त सचिव (प्रशासन I, पत्तन, एसएम और पीपीपी), संयुक्त सचिव (प्रशासन II और पीएचआरडी), सलाहकार (सांख्यिकी), विकास सलाहकार (पत्तन), निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव और अन्य सचिवालय / तकनीकी अधिकारियों के स्तर के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

1.8 वित्त विंग का नेतृत्व अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार करते हैं, जो वित्तीय निहितार्थ वाली सभी नीतियों और अन्य प्रस्तावों के निर्माण और प्रसंस्करण में सहायता करते हैं।

1.9 लेखा स्कंध का नेतृत्व प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक करते हैं, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ लेखांकन, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखापरीक्षा और रोकड़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

1.10 सलाहकार (सांख्यिकी) मंत्रालय से संबंधित विभिन्न परिवहन साधनों पर नीति नियोजन, परिवहन समन्वय, आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मंत्रालय के विभिन्न विंगों को आवश्यक डाटा सहायता प्रदान करते हैं।

1.11 पीएसडब्ल्यू मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सोसायटी/संघ आदि कार्य कर रहे हैं:-

अधीनस्थ कार्यालय:

- नौवहन महानिदेशालय, मुंबई।
- अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, पोर्ट ब्लेयर।
- दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा।

स्वायत्त निकाय:

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राधिकरण
- पारादीप पत्तन प्राधिकरण
- विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण
- चेन्नै पत्तन प्राधिकरण
- वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण
- कोचिन पत्तन प्राधिकरण
- नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण
- मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
- मुंबई पत्तन प्राधिकरण
- जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण
- दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
- महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
- नाविक भविष्य निधि संगठन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

- भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुंबई।
- शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई
- इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, कोलकाता (एससीआई की सहायक कंपनी)
- एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड, गुजरात (एससीआई की सहायक कंपनी)
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि।
- हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता
- उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मालपे
- सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली
- इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई।

एसपीवी एवं अन्य:

- कामराजर पोर्ट लिमिटेड (चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)
- इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल), मुंबई
- ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टणम
- सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै

सोसायटी/ संघ :

- भारतीय पत्तन संघ, नई दिल्ली
- नाविक कल्याण निधि सोसायटी, मुंबई।

उत्कृष्टता केंद्र

- नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वॉटरवेज एंड कोस्ट्स, आईआईटी मद्रास
- समुद्री और पोतनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र, विशाखापट्टणम
- सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर
- सेंटर फॉर मैरीटाइम इकॉनोमी एंड कनेक्टिविटी, आरआईएस, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय हरित पत्तन एवं पोत परिवहन उत्कृष्टता केन्द्र, टीईआरआई, नई दिल्ली

1.12 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्षभर-एक नजर में

2.1 भारत की लगभग करीब 11098 किमी लम्बी तटरेखा है जो मुख्यभूमि के पश्चिमी और पूर्वी छोरों सहित द्वीपों के किनारे में भी फैली हई है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।

2.2 भारत के समुद्री क्षेत्र में पत्तन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली शामिल हैं। भारत में, केन्द्र सरकार के स्वामित्व के 12 महापत्तन और लगभग 217 गैर-महापत्तन एवं मध्यवर्ती पत्तन के अलावा अन्य पत्तन हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री क्षेत्र की मत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रुप में तथा मूल्य द्वारा 68% व्यापार समुद्री परिवहन से संचालित होता हैं। अतएव, उभरते हुए परिदृश्य के संदर्भ में पोत परिवहन तथा समुद्री संसाधन, पोत डिजाइन और निर्माण, पत्तन और बंदरगाह, मानव संसाधन विकास संबंधी मामले, वित्त, आनुषंगी और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। पोत परिवहन निर्विवाद रूप से विश्व के सबसे कुशल परिवहन साधनों में से एक बना हुआ है और हमें इस उद्योग के भीतर पहचान प्रदान करने, पुरस्कृत करने और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी संभव हो, करने की आवश्यकता है।

2024-25 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) परिव्यय

2.3 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का बजट अनुमान 2377.49 करोड़ रुपए था। हालांकि, संशोधित अनुमान (आरई) के स्तर पर इसे बढ़ाकर 2858.54 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2858.54 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान आवंटन की तुलना में, 31 दिसंबर, 2024 तक वास्तविक व्यय 1669.75 करोड़ रुपए था। 2024-25 के लिए जीबीएस और आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) परिव्यय का सार नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	ब.अ. 2024-25		सं.अ. 2024-25		31 दिसंबर 2024 तक वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)	
	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस (2024-25)	*आईईबीआर (2024-25)
पत्तन और दीपस्तंभ	881.01	4650.07	943.21	7929.26	643.35	5046.30
पोत परिवहन	325.48	568.00	346.19	579.28	153.82	500.50
आईडब्ल्यूएआई	1091.50	0.00	1195.11	0.00	820.61	0.00
अन्य	79.50	0.00	374.03	0.00	51.97	0.00
कुल	2377.49	5218.07	2858.54	8508.54	1669.75	5546.80

2025-26 के लिए परिव्यय

2.4 2025-2026 के लिए कुल जीबीएस और आईईबीआर परिव्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	2025-26 (ब.अ.) (निवल आधार पर करोड़ रुपए में)	
	जीबीएस	आईईबीआर
पत्तन और दीपस्तंभ	1322.71	6624.18
पोत परिवहन	300.62	499.28
आईडब्ल्यूएआई	1767.31	0.00
अन्य	79.94	0.00
कुल	3470.58	7123.46

परियोजनाएं

2.5 **सागरमाला:** सागरमाला कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2035 तक कार्यान्वयन के लिए ~5.79 लाख करोड़ रु. के निवेश की 839 परियोजनाओं हैं। 839 परियोजनाओं में से ~1.41 लाख करोड़ रु. की 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ~1.63 लाख करोड़ रु. की 214 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। उपरोक्त के अलावा, ~2.73 लाख करोड़ रु. की 353 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, महापत्तन प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजनाओं की नियमित निगरानी और परियोजना प्रस्तावकों, विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों से एक एमआईएस टूल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है।

2.6 **ग्रेट निकोबार द्वीप पर मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास:** गैलाथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) परियोजना, जिसकी कुल अनुमानित लागत 44,000 करोड़ रुपए है, एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक प्रयास है। इस परियोजना के चरण-I के लिए 19,472 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसमें से 14,289 करोड़ रुपए सरकार द्वारा अनुदान और इक्विटी योगदान के संयोजन के माध्यम से निवेश किए जाएंगे। सितंबर 2024 में इस पत्तन को आधिकारिक तौर पर एक महापत्तन के रूप में नामित किया गया था। 16 एमटीईयू की कुल क्षमता के साथ, मुख्य पत्तन अवसंरचना का विकास, सरकारी अनुदान और पाँच प्रमुख पत्तनों से इक्विटी के संयोजन के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। टर्मिनल संचालन का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से प्रबंधन किया जाएगा, जो पत्तन विकास के वर्तमान स्वामित्व मॉडल का पालन करेगा।

2.7 **तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल:** तूतीकोरिन में नया अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल, जिसका उद्घाटन सितंबर 2024 में किया गया, 430 करोड़ रु. से अधिक का महत्वपूर्ण निवेश दर्शाता है। प्रति वर्ष 6 लाख टीईयू को संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया यह टर्मिनल 10,000 टीईयू तक के कंटेनर जलयानों को समायोजित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें 14 मीटर से अधिक का गहरा ड्राफ्ट स्तर और 337 मीटर का बर्थ है।

तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल

2.8 **तूतीकोरिन में बाहरी बंदरगाह विकास:** फरवरी 2024 में, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने तूतीकोरिन में महत्वाकांक्षी बाहरी बंदरगाह विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य दो अत्याधुनिक टर्मिनलों का निर्माण करके पत्तन की क्षमता को 4 मिलियन टीईयू तक बढ़ाना है, जिसकी प्रत्येक की लंबाई 1,000 मीटर है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ, इस विकास में शुरू में 16 मीटर की डुबाव स्तर गहराई होगी, जिसे समय के साथ 18 मीटर तक बढ़ाया जाएगा।

2.9 **वधावन में हर मौसम में उपयुक्त ग्रीनफील्ड महापत्तन का विकास:** केंद्र सरकार ने जून 2024 में "महाराष्ट्र राज्य के वधावन में हर मौसम में उपयोगी ग्रीनफील्ड महापत्तन के विकास" के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी। वधावन पत्तन का विकास वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 76,220 करोड़ रुपए है, जिसमें मुख्य अवसंरचना के विकास के लिए 38,976 करोड़ रुपए (पीपीपी मोड के माध्यम से पुनरूद्धार और ड्रेजिंग गतिविधियों के लिए 17,709 करोड़ रुपए सहित) और पीपीपी मोड के माध्यम से टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक अवसंरचना के विकास के लिए 37,244 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।

2.10 **एम.वी. दिल्ली का एससीआई बेड़े में अधिष्ठापन:** एससीआई ने 18 अक्तूबर, 2024 को न्हावा शेवा में भारत-यूरोप सेवा 9,000 टीईयू क्षमता वाले कंटेनर पोत, एमवीएससीआई दिल्ली में शामिल किया। एमवी एससीआई दिल्ली को शामिल करने का कार्यक्रम श्री आर लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, श्री उन्मेश शरद वाघ, अध्यक्ष, जेएनपीए और डीपी वर्ल्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थित में 18 अक्तूबर, 2024 को हुआ। भारत की एक्जिम समुदाय की बढ़ती और उभरती आवश्यकता के अनुरूप यह एससीआई के कंटेनर बेड़े की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि है। जिससे इसकी क्षमता 1994 में 1800 टीईयू से बढ़कर 2024 में 9000 टीईयू जलयान हो गई है।

2.11 **राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास:** दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार 26 रा.ज. पूर्णत: चालू जबकि 10 और रा.ज. के लिए विकास कार्यकलाप चल रहे हैं। प्रमुख 05 चालू जलमार्गों में रा.ज.-1 (गंगा), रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र), रा.ज.-3 (पश्चिमी तटीय नहर), रा.ज.-4 (कृष्णा नदी) और रा.ज.-5 (ओडिशा) शामिल हैं। अप्रैल-दिसंबर, 2024 के बीच मुख्य विकास परियोजनाओं में शामिल हैं:-

- रा.ज.-4 (कृष्णा नदी): फेयरवे का रखरखाव कार्य पूरा कर लिया गया है, 04 फ्लोटिंग जेट्टी चालू हो गई हैं और आंध्र प्रदेश में 3 स्थायी टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है।
- रा.ज.-5 (ओडिशा): हाइड्रोग्रेफिक सर्वेक्षण इंजीनिरिंग अध्ययन पूरे हो गए हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की गई, और सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकास कार्य शुरू किया गया है।

2.12 **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी):** जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का फोकस रा.ज.-1 (हल्दिया-वाराणसी, 1390 कि.मी.) की क्षमता बढ़ाने पर है और इसका कार्यान्वयन विश्व बैंक से वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया जा रहा है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए परियोजना लागत में संशोधन करके इसे 5369.18 करोड़ रुपए से 5061.15 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिसंबर, 2024 तक वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टीमोडल टर्मिनलों (एमएमटी), कालूघाट, बिहार में इंटरमोडल टर्मिनल, और फरक्का में नौचालन लॉक के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा करने के साथ उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है, जिससे जलयान के पारगमन का समय कम हो गया है। इसके अतिरिक्त, ड्रेजिंग प्रबंधन योजना निष्पादित की गई जिसके लिए 11 फेयरवे रखरखाव खंडों में से 09 के लिए संविदा दी थी।

2.13 **जलमार्ग विकास परियोजना-II (अर्थ गंगा):** जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा) के तहत रा.ज.-1 पर आर्थिक गतिविधियों का सामुदायिक जेट्टी, फेयरवे सुधारों, और व्यापार सुगमता उपायों के माध्यम से संवर्धन किया जा रहा है। अप्रैल-दिसंबर, 2024 के बीच परियोजना लागत में संशोधन करके इसे 607.70 करोड़ रुपए कर दिया गया है, उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई जिनमें विभिन्न राज्यों में

कुल प्रस्तावित 60 सामुदायिक जेट्टियों (उत्तर प्रदेश – 15, बिहार-21, झारखंड-2, पश्चिम बंगाल-22) में से 49 सामुदायिक जेट्टियों का कार्य पूरा करना और फरक्का नौचालन लॉक के आधुनिकीकरण कार्य शामिल है। नौचालन दक्षता में सहायता करने के लिए फेयरवे रखरखाव और नौचालन के लिए और अधिक सहायता भी दी गई है।

2.14 **पूर्वोत्तर में रा.ज. के विकास के लिए परियोजनाएं:** सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) अवसंरचना के विकास के लिए नए सिरे से प्रयास किया गया है, जिसमें कुल 1,010 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा आरंभ में स्वीकृत 461 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (रा.ज.-2) के व्यापक विकास की राशि को बढ़ाकर 474 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एसएफसी द्वारा आरंभ में स्वीकृत 145 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (रा.ज.-16) और आईबीपी मार्गों के व्यापक विकास की राशि को बढ़ाकर 148 करोड़ रुपए कर दिया गया है। असम सरकार के माध्यम से 180 करोड़ रुपए की लागत से पांडु पोर्ट टर्मिनल से रा.रा.-27 तक एलिवेटेड एप्रोच रोड के विकास और 208 करोड़ रुपए की लागत से पांडु, गुवाहाटी में पोत मरम्मत सुविधा के विकास के लिए नए डीआईबी ज्ञापनों को भी मंजूरी दी गई है।

2.15 **सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं:** चालू वित्त वर्ष में 1764 करोड़ रुपए मूल्य की 07 परियोजनाएं अनुमोदित की गई और 867 करोड़ रुपए की 04 परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया।

2.15.2 2030 तक महापत्तनों में 85% कार्गो का संचालन पीपीपी और निजी प्रचालकों द्वारा किए जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 और 2028-29 के बीच कार्यान्वयन के लिए 63 हजार करोड़ रुपए की 46 पीपीपी परियोजनाओं की पहचान की गई है। जिसका उद्देश्य क्षमता और दक्षता में सुधार करना है।

2.16 **पत्तन से औद्योगीकरण/पोत विनिर्माण और मरम्मत क्लस्टर:** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 राज्यों में 28, 602 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास का अनुमोदन किया है। इसके अलावा, पूर्व में मंजूर की गई 08 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है या वे आबंटन के लिए तैयार है। इस समय महापत्तन अपने-अपने राज्यों में इन 20 नोड/सिटी की उपयुक्तता का आकलन कर रहे हैं और पत्तन से औद्योगीकरण या पोत विनिर्माण तथा मरम्मत क्लस्टरों की उनकी क्षमता का पता लगा रहे है। इन मूल्यांकनों के आधार पर, विकास परियोजना शुरू की जाएगी।

2.17 महापत्तनों द्वारा सॉल्ट लैंड का उपयोग: महापत्तनों के परामर्श से लगभग 25 हजार एकड़ सॉल्ट लैंड की पहचान की गई है। इन कम लागत वाले सुगमय भू-खंडों से विभिन्न पत्तन संबद्ध गतिविधियों के उल्लेखनीय अवसर मिलते हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अवसंरचना और प्रचालन क्षमता बढ़ाने के लिए इन भू-खंडों का कार्यनीतिपरक उपयोग करने की योजना है जिससे पत्तन क्षेत्र में सतत विकास और नवाचार प्रेरित होगा।

प्रचालन संबंधी मुख्य उपलब्धियां

2.18 **भारतीय पत्तनों पर कार्गो यातायात:** 2023-24 के दौरान भारत में महापत्तनों और गैर-महापत्तनों ने लगभग 1540.34 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 2022-23 के दौरान 1432.84 एमएमटी कुल कार्गो करोबार किया। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यातायात में 7.5% की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर, 2024 के दौरान 12 महापत्तनों ने 621.760 एमएमटी यातायात का संचालन किया जो पिछली वर्ष की इसी अवधि के दौरान 605.505 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 2.68% की वृद्धि दर्शाता है। डीपीए और पीपीए ने क्रमश: 108.72 एमएमटी और 109.52 एमएमटी यातायात का संचालन किया जिससे कार्गो संचालन में दक्षता का नया रिकॉर्ड बना और यह वर्ष दर वर्ष क्रमश:10.5% और 3.8% वृद्धि दर दर्शाता है।

2.19 **महापत्तनों में उत्पाद-वार कार्गो यातायात:** पीओएल, लौह अयस्क, कोयला, एफएंडएफआरएम, जैसे उत्पादों और कंटेनरों में निरंतर वृद्धि हो रही है। कार्गो की संरचना नीचे दी गई है:-

वर्ष	पीओएल	लौह अयस्क	एफ एंड एफआरएम	कोयला	कंटेनर (मिलयन टीईयू में)	अन्य कार्गो	कुल
2017-18	224.82	41.17	15.05	141.23	133.73 (9.14)	123.37	679.37
2018-19	233.70	38.81	15.41	163.67	145.52 (9.88)	101.99	699.10
2019-20	234.86	55.68	16.15	149.04	146.86 (8.79)	102.34	704.93
2020-21	206.77	64.28	17.67	126.75	143.77 (9.61)	113.44	672.68
2021-22	221.27	51.71	15.93	146.80	166.90 (11.22)	117.44	720.05
2022-23	234.17	46.51	16.68	188.24	170.29 (11.45)	128.42	784.31
2023-24	245.99	61.05	17.67	191.98	181.57 (12.31)	121.03	819.29
2024-25*	184.57	36.44	13.83	138.11	142.91 (10.01)	105.90	621.76

स्रोत: भारतीय पत्तन क्षेत्र और पत्तन डेटा प्रबंधन पोर्टल पर अद्यतन।
पीओएल में पीओएल क्रूड, उत्पाद और एलपीजी/एलएनजी शामिल हैं
लौह अयस्क में फाइन और पेलेट शामिल हैं
एफएंडएफआरएम (शुष्क) में उर्वरक, उर्वरक कच्चा माल (शुष्क और तरल) शामिल हैं
कोयले में थर्मल, कोकिंग और अन्य कोयला शामिल हैं
(*) अप्रैल-दिसंबर, 2024 तक

2.20 **अंतर्देशीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही:** सरकार की पहलों से राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, 2022-23 और 2023-24 के बीच कार्गो यातायात 126.15 एमएमटी से बढ़कर 133.03 एमएमटी हो गया है (5.45%)। अप्रैल-दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए कुल यातायात 107.56 एमएमटी पहुंच गया जो 2023 में 100.51 एमएमटी की तुलना में 7% की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीपीआर) पर यातायात 2022-23 में 5.20 एमएमटी से घटकर 2023-24 में 4.68 एमएमटी रहे गया जिसका मुख्य कारण निर्यात पर प्रतिबंध होना है। इससे निपटने के लिए जल वाहक योजना (दिसंबर, 2024) शुरू की गई जिससे व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए रा.ज.-1, रा.ज.-2 और रा.ज.-16 (आईपीपी रूट के माध्यम से) पर निश्चित समय पर चलने वाली कार्गो सेवाएं शुरू हुई। साथ ही, फरवरी-दिसंबर, 2024 से ड्रेजिंग की संचयी मात्रा 15.32 लाख संचयी थी जबकि पिछले वर्ष यह मात्रा 7.88 लाख संचयी थी।

2.21 **दीपस्तंभों में पर्यटकों का आगमन:** डीजीएलएल ने पर्यटन के संवर्धन हेतु 75 दीपस्तंभ विकसित किए और इन्हें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 2023-24 में दीपस्तंभों पर पर्यटकों का आगमन रिकॉर्ड स्तर पर 16.19 लाख और वित्त वर्ष 2024-25 (जनवरी, 2025 तक) में यह आगमन पहले ही 15.0 लाख तक पहुंच गया है।

2.22 **एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड:** एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड' को 12 अगस्त 2024 को निगमित किया गया और इसे गिफ्ट सिटी गांधीनगर में पंजीकृत किया गया। एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड ने फारस की खाड़ी से भारत में कच्चे तेल के परिवहन के लिए एक तेल टैंकर पोत को किराए पर लेकर अपने व्यवसाय का संचालन शुरू किया। एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड की योजना गिफ्ट आईएफएससी के पोत पट्टे ढांचे के अनुसार जलयानों को किराए पर लेने, उनका स्वामित्व रखने और अन्य अनुमत नौवहन गतिविधियों को शुरू करने की है। वर्तमान में, एससीआई और एससीआई भारत लिमिटेड के बीच सेवा समझौते के तहत एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

2.23 **केजी बेसिन कच्चे तेल के परिवहन में एससीआई की भूमिका:** फरवरी 2024 में, ओएनजीसी ने पूर्वी अपतटीय केजी बेसिन से, विशेष रूप से केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया। पहला शिपमेंट, जिसे ऑफटेक टैंकर एमटी स्वर्ण सिंधु पर ले जाया गया, को माननीय प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर द्वारा फरवरी 2024 में नव मंगलूर में एमआरपीएल की रिफ़ाइनरी में डिलीवरी के लिए रवाना किया गया। केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 45,000 बैरल कच्चे तेल तक पहुँचने का अनुमान है, जो एलआर-1 टैंकर पार्सल उपयुक्त 55,000 मीट्रिक टन प्रति माह शिपमेंट होगा। केजी-पोत डीडब्ल्यूएन द्वारा अपने लक्षित उत्पादन स्तर को प्राप्त कर लेने पर एससीआई को केजी बेसिन में अतिरिक्त पोत तैनात करने की आवश्यकता होगी। तेल

विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने भी अपनी संबंधित रिफ़ाइनरियों के लिए केजी-डीएन 98/2 शिपमेंट बढ़ाने की योजना का संकेत दिया है। फरवरी 2024 और दिसंबर 2024 के बीच, एससीआई ने भारतीय तट के साथ विभिन्न स्थानों पर केजी-डीएन 98/2 कच्चे तेल के परिवहन के लिए एलआर-I टैंकरों को तैनात करके माल ढुलाई राजस्व में लगभग 60 करोड़ रुपये कमाए।

माननीय प्रधानमंत्री ने प्रथम क्रूड ऑयल टैंकर 'स्वर्ण सिन्धु' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

2.24 **एससीआई के अफ्रामैक्स टैंकर ने वडिनार में पहली बार कच्चे तेल की निकासी की सुविधा प्रदान की:** एससीआई अफ्रामैक्स ऑयल टैंकर, एम.टी. देशभक्त, रिसीवर के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वडिनार में कमीशन किए गए नए एन1 एसपीएम में कच्चे तेल की निकासी करने वाला पहला टैंकर पोत है। इस अवसर पर, आईओसीएल, यूएससीएल और लीटन के अधिकारियों ने जलयान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के कार्यक्रम में भाग लिया। एससीआई भारत के पत्तन अवसंरचना में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

संस्थागत सुधार / नई नीतियां / अधिनियम / दिशानिर्देश / नियम

2.25 **वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2024 और तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 को प्रतिस्थापित करेंगे:** तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 जो घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नौवहन के केवल वाणिज्यिक और व्यापारिक पहलुओं से संबंधित है और वणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2024 जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्वों के कार्यान्वयन और समुद्री क्षेत्र के तकनीकी पहलुओं से संबंधित है, क्रमशः 2 दिसंबर 2024 और 10 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए हैं।

2.26 भारतीय वहन-पत्र अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए **वहन-पत्र विधेयक, 2024** का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें कानून को समझने में आसानी के लिए इसके सार/उद्देश्य में कोई बदलाव किए बिना इसके प्रावधानों को सरल बनाया गया है। उक्त विधेयक को 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया।

2.27 **आईडब्ल्यूएआई नियम:** दो नियम, भारतीय पोत (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024, और भारतीय पोत (केंद्रीय डेटाबेस और संबद्ध मामले) नियम, 2024, क्रमशः 18 मई 2024 और 29 अक्तूबर 2024 को अधिसूचित किए गए। इसके अतिरिक्त, सलाहकार समिति की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर नौ नियमों (सर्वेक्षण और प्रमाणन; पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे; चालक दल और यात्री आवास; सुरक्षित नौचालन, संचार और संकेत; जीवन रक्षक उपकरण; अग्निशमन उपकरण; प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण; परिकल्पना, संनिर्माण और संचालन) में संशोधन को अंतिम रूप दिया गया है। पांच नियम (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे; चालक दल और यात्री आवास; जीवन रक्षक उपकरण; अग्निशमन उपकरण; प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) को अंतिम रूप देने से पहले 1 नवंबर 2024 और 10 अक्तूबर 2024 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया गया हो।

क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ

2.28 **क्रूज़ भारत मिशन** 30 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों को शामिल करके क्रूज़ क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करना है।

2.29 **भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी):** इसे सितंबर 2024 में भारत सरकार के आदेश से माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोणोवाल के संरक्षण में समुद्री क्षेत्र में नवाचार, नीति निर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया।

2.30 **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (आईआईएमडीआरसी):** समुद्री विवादों के लिए कुशल समाधान तंत्र प्रदान करने तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई है।

2.31 **'जलवाहक' योजना:** 15 दिसंबर 2024 को माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा रा.ज.-1 (गंगा नदी), रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और रा.ज.-16 (आईबीपी मार्ग, बराक नदी के माध्यम से) के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो की आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए 'जलवाहक' योजना शुरू की गई थी। जलवाहक योजना के तहत, रा.ज.-1 पर कोलकाता से पटना, कोलकाता से वाराणसी और आईबीपीआर के माध्यम से रा.ज.-2 पर कोलकाता से पांडु के बीच आने-जाने की निर्धारित अनुसूचित सेवाएं दिसंबर 2024 में शुरू की गईं। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने इस योजना के तहत जीआर जेट्टी-2, कोलकाता से टग त्रिसूल (सीमेंट की बोरियां ले जाने वाला) के साथ डीबी अजय और डीबी दिखू जलयानों को पांडु, एमवी आई (जिप्सम ले जाने वाला) को पटना और एमवी होमी भाभा (कोयला ले जाने वाला) को वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध इस योजना से तीन वर्षों की अवधि (अर्थात 2024-25, 2025-26 और 2026-27) में जलमार्गों पर 6.51 लाख टन कार्गो के वृद्धिशील मोडल बदलाव को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित समीक्षा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, आईडब्ल्यूएआई और अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग (आईसीएसएल) में उच्चतम स्तरों पर की जा रही है, ताकि लंबी दूरी के कार्गो आवागमन के लिए आईडब्ल्यूटी को पसंदीदा मोड बनाकर देश के माल परिवहन नेटवर्क में एक नया अध्याय शुरू किया जा सके।

जलवाहक योजना के तहत एमवी होमी भाभा को रा.ज.-1 पर वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर किया गया

कार्गो संबंधी योजना का शुभारंभ एवं अनुसूचित सेवा की शुरुआत – जल वाहक योजना

2.32 संशोधित एनसीवी डेक कैडेट योजना, जो विशेष रूप से जीपी रेटिंग उम्मीदवारों के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसा कि 2024 के एमएस नोटिस संख्या 15 में उल्लिखित है। इस पहल का उद्देश्य जीपी रेटिंग को प्रमाणित नौचालन वॉचकीपिंग अधिकारी बनने में सक्षम बनाकर तटीय नौवहन में करियर की उन्नति के लिए एक सुव्यवस्थित माध्यम तैयार करना है।

हरित पहलें

2.33 **'हरित सागर' ग्रीन पत्तन दिशानिर्देश:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योगों ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए महापत्तनों पर कार्बन तीव्रता को कम करने और पर्यावरण अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए "हरित सागर" ग्रीन पत्तन दिशानिर्देश शुरू किए। "हरित सागर" दिशानिर्देश महापत्तनों के लिए सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ पत्तनों के लिए लचीले अवसंरचना के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करते हैं और हितधारकों और बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्तम व्यवहार को संप्रेषित करने के साधन के रूप में पर्यावरण रिपोर्टिंग को बढ़ावा देते हैं।

2.34 **ग्रीन हाइड्रोजन हब:** भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और निर्यात के लिए दीनदयाल, पारादीप और वीओसी पत्तनों का विकास किया जा रहा है। पारादीप विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया को हैंडल करने के लिए एक जेट्टी का निर्माण कर रहा है। डीपीए ने जुलाई 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और निर्यात सुविधाओं के विकास के लिए 3,400 एकड़ भूमि आवंटित की है। इसके अलावा, वीओसीपीए ईंधन कोशिकाओं के साथ उत्पादन, भंडारण और बिजली उत्पादन के लिए एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित कर रहा है। वीओसीपीए ने पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए 500 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए भंडारण, ईंधन भरने और बंकरिंग सुविधाओं के लिए कार्यान्वयन के तहत एक पायलट परियोजना भी है। पीपीए ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया को संभालने के लिए एक जेट्टी के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसमें मध्यवर्ती भंडारण सुविधाओं के लिए लगभग 40 एकड़ बैकअप क्षेत्र है।

2.35 **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन:** कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन वितरित किए गए और ये जनवरी 2024 में अयोध्या और वाराणसी में कमीशन किए गए। दोनों स्थानों पर तट पर चार्जिंग सुविधाएं स्थापित की गईं और कमीशन की गईं। इन जलयानों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यूपी सरकार को सौंप दिया गया है और उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है।

2.36 **हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन पोत:** हाल ही में सीएसएल ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुसंधान एवं विकास निधि के तहत एक पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले कैटामारन पोत को डिजाइन और विकसित

किया है। इस जलयान का उद्घाटन 29 फरवरी 2024 को वीओसीपीए में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जुलाई 2024 में यह वाराणसी पहुंचा। केपीआईटी, पुणे और आईआरएस के सहयोग से, सीएसएल ने अंतर्देशीय जलयानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल इंजन विकसित किए, जिनका उपयोग इस परियोजना में किया गया। अब यह पोत वाराणसी में है, जहां आईडब्ल्यूएआई, सीएसएल और आईआरएस द्वारा संयुक्त प्रदर्शन परीक्षण किए जा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

2.37 **वैकल्पिक ईंधन पर चलने के लिए एससीआई पोतों की रेट्रोफिटिंग:** भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, एससीआई 2027 तक कम से कम दो जलयानों को ग्रीन हाइड्रोजन या अन्य ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पन्न यौगिक ईंधन पर चलाने के लिए रेट्रोफिट करने पर काम कर रहा है। इस संबंध में, इसके बेड़े से 2 जलयानों की पहचान ग्रीन मेथनॉल पर चलने के लिए रेट्रोफिट करने के लिए की गई है। रेट्रोफिटिंग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है और रेट्रोफिट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प की पहचान की गई है। परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के निर्देशों के अनुसार, एससीआई एक जलयान के रेट्रोफिट कार्य को जीआरएसई शिपयार्ड और एक जलयान को सीएसएल को सौंपने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में शिपयार्ड को आवश्यक आरएफपी दस्तावेज पहले ही जारी किए जा चुके हैं और चर्चा चल रही है।

डिजिटलीकरण

2.38 **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल-मरीन (एनएलपी-मरीन):** पीसीएस 1x के सागरसेतु - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल-मरीन (एनएलपी-एम) में बूटस्ट्रैप करने की प्रक्रिया 27 मार्च 2023 को शुरू की गई थी जो सभी समुद्री हितधारकों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। एनएलपी मरीन + पीसीएस 1x प्लेटफॉर्म की परिकल्पना विभिन्न हितधारकों जैसे पत्तन, टर्मिनल शिपिंग लाइन्स/एजेंट, सीएफएस और सीमा शुल्क दलाल, आयातक/निर्यातक आदि के साथ सभी इंटरैक्शन के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में की गई है। सागरसेतु भारत के सभी महापत्तनों के साथ-साथ 50 से अधिक गैर- महापत्तनों और 28 निजी टर्मिनलों के साथ एकीकृत है, और पत्तन क्षेत्र दिन-प्रतिदिन के पोत और कार्गो परिचालन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सागरसेतु एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य सभी केन्द्रीय अंतक्रियाओं के लिए एक केन्द्रीय हब बनाना है।

2.39 **उद्यम व्यवसाय प्रणाली:** कार्यकुशलता में सुधार लाने और एक आधुनिक पत्तन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, पांच मुख्य पत्तन (मुंबई और चेन्नै सहित) लगभग 327 करोड़ रुपये की लागत से एक उद्यम व्यवसाय प्रणाली (ईबीएस) लागू कर रहे हैं। इस प्रणाली में पत्तन संचालन की कार्यकुशलता में सुधार लाने, पारदर्शिता बढ़ाने, कागजी कार्रवाई को कम करने और पत्तनों पर प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में छलांग लगाने के लिए एक केंद्रीय अवसंरचना पर ईआरपी कार्यान्वयन (एसएपी-एस4/एचएएनए) और पत्तन परिचालन प्रणाली कार्यान्वयन शामिल होगा। इस प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को

शामिल किया गया है, जबकि इसे प्रत्येक पत्तन की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित किया जा रहा है। प्रणाली का लक्ष्य प्रक्रियाओं की संख्या 2400+ (लगभग) से घटाकर सिर्फ 160+ (लगभग) करना है। यह भारतीय पत्तनों के लिए अधिक कुशल और डिजिटल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।

2.40 **केंद्रीय डेटाबेस एप्लीकेशन:** एक केंद्रीय डेटाबेस एप्लीकेशन को एंड-टू-एंड सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। 5 दिसंबर 2024 को, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने पोर्टल का प्रदर्शन करने के लिए आईएचसी में एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों, समुद्री बोर्डों और हितधारकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इंडिया हैबिटेट सेंटर में 5 दिसंबर, 2024 को सेंट्रल डाटाबेस कार्यशाला

मानव संसाधन पहलें

2.41 डीडीयूजीकेवाई कन्वर्जेंस योजना के तहत कौशल विकास गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सागरमाला दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के दूसरे चरण के तहत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान 5,626 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से लगभग 3,842 उम्मीदवारों को लॉजिस्टिक्स, शिप ब्रेकिंग, पर्यटन और आतिथ्य उद्योगों में नियुक्त और स्थापित किया गया है। सभी महापत्तनों पर बहु-कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) स्थापित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन से जुड़े एमएसडीसी चालू हैं। इसके अलावा, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 1,54,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

2.42 **जेंडर समावेशन:** तूतीकोरिन के अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल ने अपने कार्यबल में 40% महिलाओं को रोजगार दिया, जिससे यह भारत का पहला जेंडर-समावेशी टर्मिनल बन गया।

2.43 **छात्रों के लिए कैरियर परामर्श:** एससीआई/एमटीआई पवई ने ओडिशा के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में युवा छात्रों के लिए कैरियर परामर्श सत्रों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें मर्चेंट नेवी में व्यापक अवसरों को साझा किया गया और यह भारतीय नाविकों की वैश्विक आपूर्ति में भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी को 12% से बढ़ाकर 20% करने के राष्ट्र के लक्ष्य की दिशा में एक कदम था।

समझौता ज्ञापन / सहयोग

2.44 **गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के साथ आईडब्ल्यूएआई:** आईडब्ल्यूएआई ने 19 अप्रैल 2024 को कुक्षी से सरदार सरोवर बांध तक क्रूज परिचालन शुरू करने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया।

2.45 **केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और एसएमपीए:** सीडब्ल्यूसी, कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय और एसएमपीए ने कंटेनर रेक सेवाओं पर सहयोग करने, एसएमपीके और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), कोलकाता दोनों में दक्षता और क्षमता बढ़ाने के लिए 21 दिसंबर 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2.46 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) के साथ आईपीए: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) और भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) ने 24 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम

2.47 समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की 20वीं बैठक 12-13 सितंबर 2024 को गोवा में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, पीपीआई पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस), पत्तनों, समुद्री बोर्डों और तटीय राज्यों और केंद्र के सहयोग से भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों के लिए भारत सरकार द्वारा सहयोग के अन्य पहलुओं पर चर्चा शुरू की गई।

2.47.1 बैठक में गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोणोवाल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु के माननीय मंत्रियों, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के सचिव, देश भर के सभी महापत्तनों, गैर-महापत्तनों के अध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीएसएल, एचएसएल, एससीआई), विभिन्न समुद्री बोर्डों के सीईओ, नौ तटीय राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान कई समुद्री मुद्दों पर चर्चा की गई, नौचालन सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्लूएस) प्लेटफॉर्म पर पत्तन कमेटी (एनएसपीसी) पोर्टल पर नौचालन सुरक्षा लॉन्च की गई।

12-13 सितंबर 2024 से गोवा में आयोजित एमएसडीसी की 20वीं बैठक

2.48 भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024: पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन (आईएमएचसी 2024), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, 11-12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में "वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझने की दिशा में" विषय पर आयोजित किया गया।

भारत के प्रथम समुद्री विरासत सम्मेलन में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया

2.49 द्वितीय अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की बैठक 9-10 जनवरी 2025 को काजीरंगा, असम में हुई और माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोणोवाल की अध्यक्षता में 2023-24 में उनके योगदान के लिए शीर्ष कार्गो मूवर्स को सम्मानित किया गया। इसके अलावा, कुक्षी-सरदार सरोवर मार्ग पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में असम के माननीय मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) और अन्य राज्य मंत्री, सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। बैठक में कुल 19 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देखा गया। द्वितीय अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) के दौरान शुरू की गई योजनाएं/नीतियां/पहल इस प्रकार हैं:

कांजीरंगा, असम में द्वितीय आईडब्ल्यूडीसी की बैठक

- राष्ट्रीय नदी यातायात और नौचालन प्रणाली
- बिहार में 4 स्थानों पर त्वरित पोंटून खोलने की प्रणाली (क्यूपीओएम)
- छत्तीसगढ़ में रा.ज.-4 पर भद्रकाली में नदी क्रूज पर्यटन सुविधाएँ
- दिल्ली में क्रूज पर्यटन के लिए यमुना नदी (रा.ज.-110) पर 2 जेट्टी
- रा.ज.-1, रा.ज.-2 और रा.ज.-16 के लिए 8 एम्फीबियन ड्रेजर की खरीद
- रा.ज.-1, रा.ज.-2 और रा.ज.-16 के लिए सहायक इकाइयों के साथ 4 में कटर सेक्शन ड्रेजर की खरीद
- जलयानों/चालक दल के पंजीकरण/सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय डेटाबेस पोर्टल का शुभारंभ - 'डिजिटल इंडिया'
- असम, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा के लिए घोषणाएं।

2.50 **सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग':** ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 18-19 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में "सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग" का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। इस पहल से वैश्विक नीति निर्माताओं, समुद्री विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और विद्वानों को टिकाऊ और अभिनव समुद्री प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया। दो दिवसीय फोरम में समुद्री संपर्क, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और वैश्विक समुद्री शासन पर सत्र शामिल थे। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के नेतृत्व में युवाओं के साथ एक अलग सत्र भी आयोजित किया गया।

सांगरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग

पुरी, ओडिशा में द्वितीय दीपस्तंभ महोत्सव

2.51 **दीपस्तंभ महोत्सव:** डीजीएलएल ने दीपस्तंभ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 19-20 अक्तूबर 2024 तक पुरी में दीपस्तंभ महोत्सव के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक

आयोजन किया। इस महोत्सव में ओडिशा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री और माननीय पर्यटन राज्य मंत्री ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

2.52 **चाबहार पत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी):** चाबहार में साहिद बेहेश्टी पत्तन का विकास अफगानिस्तान और उससे आगे के देशों के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है। यह पत्तन मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के माध्यम से यूरेशिया से जोड़ता है, जो 7,200 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जिससे भारत, ईरान, रूस, यूरोप और मध्य एशिया के बीच माल परिवहन के समय और लागत में उल्लेखनीय कमी आती है।

2.52.1 14 मई 2024 को, भारत सरकार के एक एसपीवी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पत्तन और समुद्री संगठन (पीएमओ) ने शहिद बेहेश्टी पत्तन के संचालन के लिए 10 वर्षीय दीर्घकालिक द्विपक्षीय मुख्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पत्तन के विस्तार और विकास का समर्थन करने के लिए, भारत ने 120 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान और 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण लाइन देने की प्रतिबद्धता जताई है। आईपीजीएल की एक सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ज़ोन (आईपीजीसीएफजेड) वर्तमान में शहीद बेहेश्टी टर्मिनल का प्रबंधन करती है।

2.52.2 चाबहार पत्तन ने 2023-2024 के दौरान 60,000 टीईयू कंटेनर कार्गो और 1.9 मिलियन मीट्रिक टन बल्क/जनरल कार्गो को संभाला है, जो जलयान यातायात में 43% की वृद्धि और कंटेनर यातायात में 34% की वृद्धि को दर्शाता है।

2.53 **सित्तवे पत्तन, म्यांमार:** भारत सरकार ने कलादान नदी पर स्थित सित्तवे पत्तन के संचालन को आईपीजीएल द्वारा अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अप्रैल 2024 से इसका संचालन आईपीजीएल द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। इससे सित्तवे पत्तन, ईरान के चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्टी पत्तन के बाद आईपीजीएल द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय पत्तन बन गया है।

2.53.1 सित्तवे पत्तन कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपत्तन परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी भारतीय पत्तन कोलकाता को म्यांमार के सित्तवे पत्तन से समुद्र के रास्ते जोड़ना है, और आगे सित्तवे पत्तन को कलादान नदी जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार के पलेतवा से जोड़ना है और सड़क घटक के माध्यम से पलेतवा को मिजोरम के ज़ोरिनपुई से जोड़ना है। यह संपर्क न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे की लागत और दूरी को भी महत्वपूर्ण रूप से कम करेगा। यह चिकन नेक के रूप में जाने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को भी कम करेगा, जो भूटान और बांग्लादेश के बीच फैला हुआ है।

2.54 **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय, डेनमार्क के साथ समुद्री मुद्दों पर का समझौता ज्ञापन:** एमओपीएसएंडडब्ल्यू, भारत सरकार और उद्योग, व्यापार और वित्तीय कार्य मंत्रालय और किंगडम ऑफ डेनमार्क के उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को तीन साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। 17 सितंबर 2024 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री, भारत सरकार और माननीय उद्योग, व्यापार और वित्तीय कार्य के मंत्री, किंगडम ऑफ डेनमार्क द्वारा समझौता ज्ञापन की अवधि के विस्तार पर हस्ताक्षर किए गए।

मान्यता

2.55 **कंटेनर पत्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023:** भारत के पत्तन विकास कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, भारत के 9 पत्तनों ने नवीनतम संस्करण सीपीपीआई 2023 में वैश्विक शीर्ष 100 में जगह बनाई। शीर्ष 100 में रैंक हासिल करने वाले महापत्तन विशाखापट्टणम पत्तन (19), कामराजर पत्तन (47), कोचीन पत्तन (63), चेन्नै पत्तन (80) और जवाहरलाल नेहरू पत्तन (96) हैं। विशाखापट्टणम पत्तन ने विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित कंटेनर पत्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 (सीपीपीआई 2023) में 19वां स्थान हासिल किया। सीपीपीआई, कंटेनर जलयानों को प्राप्त करने और उनके संचालन में पत्तनों की प्रचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूल्यांकन करता है। वीपीए 2022 में 122वें स्थान से 19वें स्थान पर ऊपर आया है।

सागरमाला कार्यक्रम

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोणोवाल की अध्यक्षता में 12-13 सितंबर, 2024 को बेनाउलिम, गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की बैठक

प्रस्तावना- सागरमाला कार्यक्रम

3.1 भारत में समुद्री क्षेत्र देश के व्यापार का आधार रहा है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभाव्य नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सामरिक अवस्थिति का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है। सागरमाला की अवधारणा को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 मार्च 2015 को मंजूरी दी गई थी।

3.2 सागरमाला का विज़न न्यूनतम अवसंरचना निवेश के साथ घरेलू और एक्जिम कार्गो दोनों के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। सागरमाला के तहत किए गए अध्ययनों ने समग्र लॉजिस्टिक लागत को कम करने के अवसरों की पहचान की है, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता में सुधार हुआ है और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है।

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का सारांश

3.3 सागरमाला कार्यक्रम के तहत 2035 तक कार्यान्वयन के लिए ~5.79 लाख करोड़ रुपए के निवेश की 839 परियोजनाएं हैं, जिनमें से, ~1.41 लाख करोड़ रुपए की 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ~1.62 लाख करोड़ रुपए की 214 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। उपरोक्त के अलावा, ~2.75 लाख करोड़ रुपए की 353 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और महापत्तनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एमआईएस टूल से परियोजनाओं की नियमित निगरानी और परियोजना प्रस्तावकों, विभिन्न मुख्य मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बातचीत की जा रही है। इन परियोजनाओं को पाँच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है – पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता, पत्तन-आधारित औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास और तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन। तटीय जिलों के समग्र विकास के अधीन लगभग 58,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की कुल 567 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

क्रम सं.	परियोजना स्तंभ	कुल		पूर्ण		विकासाधीन		कार्यान्वयनाधीन	
		# परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)	# परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)	# परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)	# परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	तटीय सामुदायिक विकास	81	11,573	23	1,997	26	3,701	32	5,875
2	तटीय शिपिंग और आईडब्ल्यूटी	231	14,601	45	2,971	119	6,783	67	4,846
3	पत्तन संपर्कता	279	2,06,373	92	58,031	131	80,366	56	67,976
4	पत्तन आधारित औद्योगीकरण	14	55,737	9	45,865	2	625	3	9,247
5	पत्तन आधुनिकीकरण	234	2,91,279	103	32,635	75	1,83,900	56	74,744
	कुल	**839**	**5,79,562**	**272**	**1,41,499**	**353**	**2,75,374**	**214**	**1,62,688**

3.4 पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत और समय में कमी लाने तथा व्यवसाय करने में आसानी (ईज-ऑफ-डूईंग) को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और डिजिटल परिवर्तन सेकई उपाय किए हैं। यह मंत्रालय, सुविचारित अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन, समय और लागत में कमी करने के लिए सिफारिशों के पैकेज के कार्यान्वयन, मानव हस्तक्षेप को कम करने और अंततः खत्म करने हेतु प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं का दृढ़ता से समाधान कर पत्तन संचालन की दक्षता में वृद्धि करके,पत्तनों की क्षमता के विस्तार की योजना बना रहा है।

3.5 सागरमाला योजना के बजट शीर्ष के अंतर्गत ~9,420 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 119 परियोजनाओं को ~3,600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी दी गई है। सागरमाला के अंतर्गत स्वीकृत कुल 119 परियोजनाओं में से ~4,290 करोड़ रुपए की लागत वाली 68 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ~5,120 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 50 परियोजनाएं सौंपी जा चुकी हैं तथा क्रियान्वित की जा रही हैं। शेष परियोजनाएं विकासाधीन हैं। इन परियोजनाओं में शहरी जल परिवहन, मत्स्यन हार्बर तथा तटीय समुदाय के कौशल विकास के साथ समुद्री क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे भारतीय पत्तनों पर क्षमता वृद्धि, संपर्कता अवसंरचना में सुधार, रो- रो, तथा पर्यटन जेट्टी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैं।

3.6 वर्ष 2024-2025 में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गईं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को बहुत अधिक लाभ मिला। "आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में जुव्वलादिन्ने में फिशिंग हार्बर के विकास" से 6,100 से अधिक मछुआरे परिवार लाभान्वित होते है, जिससे 34 प्रत्यक्ष और 120 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं। "रत्नागिरी जिले में अंबावने शिगवान में यात्री जेट्टी का निर्माण" किए जाने से रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के बीच संपर्क बढ़ता है, जिससे यात्रा की दूरी 60 किमी तक कम हो जाती है और यात्रा के समय में 2 घंटे की बचत होती है। इसने 100 रोजगार सृजित किए हैं। "पीरपाऊ, एमबीपीटी में तीसरे रासायनिक बर्थ का निर्माण" करने से क्षमता में 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की वृद्धि होती है और 100 प्रत्यक्ष और 500 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं। "मुंबई पत्तन पर समुद्री तेल टर्मिनल पर एससीएडीए और पीएलसी स्वचालन प्रणाली" से सुरक्षित प्रचालन और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित होता है, जिससे 5 प्रत्यक्ष और 20 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं। "कोचीन पत्तन पर प्रोपलीन और अन्य कार्गो को संभालने के लिए रो- रो सुविधाओं का विकास" किए जाने से कार्गो हैंडलिंग क्षमता में प्रति वर्ष 0.60 मिलियन टन (एमटीपीए) की वृद्धि होती है। अंत में, "केडीएस के एनएस डॉक पर बैकयार्ड के विकास सहित नंबर 7, एनएसडी ओल्ड बर्थ के पुनर्वास के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण" से स्टैकिंग

क्षमता को बढ़ाकर और अधिक कंटेनर कार्गो को हैंडल करते हुए कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) अत्यधिक लाभान्वित हुआ है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 1.40 मिलियन टीईयू की क्षमता बढ़ जाती है, जो प्रति वर्ष 75,000 टीईयू के पिछले हैंडलिंग थ्रूपुट की तुलना में बर्थ की उत्पादकता को बहुत बढ़ा देती है।

मुंबई पत्तन पर समुद्री तेल टर्मिनल पर एससीएडीए और पीएलसी स्वचालन प्रणाली

एसपीएसआर नेल्लोर जिले के जुव्वालादिन्ने में फिशिंग हार्बर

पत्तन आधुनिकीकरण

3.7 सागरमाला के तहत भारतीय पत्तनों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देते हुए, 2035 तक कार्यान्वयन के लिए ~2.91 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की कुल 234 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 32,634 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 103 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 74,744 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 56 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। इसके अलावा, 1,83,899 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 75 परियोजनाएं विकासाधीन हैं। आधुनिकीकरण पिलर के तहत इन परियोजनाओं को आगे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है - नए पत्तन, पत्तन आधुनिकीकरण - महापत्तन, पत्तन आधुनिकीकरण - गैर-महापत्तन।

मुरगांव पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज टर्मिनल एवं संबद्ध सुविधाएं

इंदिरा डॉक, मुंबई में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल

3.8 भारत में महापत्तनों पर~68,280 करोड़ रुपएके मूल्य वाली 166 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत विस्तृत मास्टर प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर पहचान की गई है। 166 परियोजनाओं में से~27,130 करोड़ रुपएके मूल्य वाली 98 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा,~22,100 करोड़ रुपएके मूल्य वाली 30 परियोजनाएं सौंपी गई हैं और क्रियान्वित की जा रही हैं। लगभग 21,000 करोड़ रुपएके मूल्य वाली शेष 38 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में 7 एनएसडी पुराने बर्थ का पुनर्वास

3.9 सागरमाला कार्यक्रम के तहत गैर-महापत्तनों पर कार्यान्वयन के लिए लगभग ~2.22 लाख करोड़ रुपएके मूल्य वाली 68 परियोजनाओं की पहचान की गई है। अब तक लगभग 5,500 करोड़ रुपएके मूल्य वाली 5 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि ~54,600 करोड़ रुपएके मूल्य वाली 26 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ~1.62 लाख करोड़ रुपए की शेष 37 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। मंत्रालय, गैर-महापत्तनों पर कई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी दे रहा है, ताकि प्रचालन के दौरान उनकी क्षमता और दक्षता बढ़ाई जा सके। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा एंकरेज पत्तन कीअवसंरचना में सुधार की परियोजना पूरी हो गई है।

मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पीर पाऊ में तीसरा रासायनिक बर्थ

पत्तन संपर्कता

3.10 सागरमाला कार्यक्रम ने पत्तन संपर्कता के समर्पित स्तंभ के तहत रेल, सड़क, पाइपलाइन, एमएमएलपी के माध्यम से पत्तनों और घरेलू उत्पादन और उपभोग केंद्रों के बीच संपर्क की पहचान की है, जिसमें कुल ~ 2.06 लाख करोड़ रुपए की मूल्य वाली 279 परियोजनाएं शामिल हैं, जो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जा रही हैं। इनमें से 58,031 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 92 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 67,975 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 56 परियोजनाएं सौंपी गई हैं और क्रियान्वित की जा रही हैं। 80,366 करोड़ रुपए के मूल्य वाली शेष 131 परियोजनाएं विकासाधीन हैं। इन परियोजनाओं में नई अवसंरचना अंतराल परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें एमओपीएसडब्ल्यू, एमओआर, एमआरटीएच और राज्य समुद्री बोर्डों के परामर्श से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार व्यापक पत्तन संपर्क योजना (सीपीसीपी) के एक हिस्से के रूप में पहचानी गई है। सीपीसीपी ने कुल 100+ सड़क और रेल संपर्कता अवसंरचना अंतरालों की पहचान की है।

4-लेन पत्तन संपर्कता के शेष हिस्से का निर्माण, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

3.11 सागरमाला के अंतर्गत 114 रेल संपर्क परियोजनाएं हैं, जिन्हें भारतीय रेलवे, महापत्तनों और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से ~43,000 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 58 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 2,900 किलोमीटर लाइन जोड़ी गई है रेल और लगभग 25,000 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 18 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा ~33,000 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 38 परियोजनाएं विकासाधीन हैं। इन परियोजनाओं से पत्तन रेल और सड़क संपर्कता को एकीकृत करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप एक्जिम व्यवसाय के लिए लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।

3.12 सागरमाला के तहत 152 पत्तन-सड़क संपर्कता परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें एमओआरटीएच/ एनएचएआई, महापत्तनों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें से लगभग 9,601 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 26 परियोजनाएं लगभग 515 किलोमीटर के सड़क मार्ग को जोड़ते हुए पूरी हो चुकी हैं और लगभग 48,080 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 35 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा लगभग 47,879 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 91 परियोजनाएं विकासाधीन हैं।

3.13 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्तनों की औद्योगिक नोड्स की संपर्कता पर रिपोर्ट' तैयार की गई है, जिसमें पत्तनों की तुलना में एनआईसीडीआईटी के तहत विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोरों के अंतर्गत सभी मौजूदा और आगामी नोड्स के साथ पत्तनों की संपर्कता का आकलन और अंत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में 62 नए सड़क और रेल अवसंरचना अंतरालों की पहचान की गई है। रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में आगे की कार्रवाई के अनुरोध के साथ अक्टूबर 2023 में इस रिपोर्ट को एमओआर और एमओआरटीएच के साथ साझा किया गया था।

पत्तन आधारित औद्योगीकरण

3.14 पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण में पत्तनों पर उद्योगों की स्थापना करके लॉजिस्टिक लागत को कम करने पर फोकस किया गया है। सागरमाला के तहत कार्यान्वयन के लिए 55,737 करोड़ रुपए की कुल 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 45,865 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 9,250 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को आगे 3 श्रेणियों - औद्योगिक क्लस्टर, स्मार्ट औद्योगिक पत्तन शहर (एसआईपीसी) / विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में विभाजित किया गया है।

तटीय सामुदायिक विकास

3.15 तटीय समुदाय को सागरमाला कार्यक्रम के प्रमुख हितधारकों में से एक माना जाता है और इसलिए, उनकी सामाजिक-आर्थिक हित सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना जाता है। 11,572 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वयन के लिए 81 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 2,000 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 23 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 9,575 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 58 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।3.16 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू- जीकेवाई) सागरमाला सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास के लिए सहयोग कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इस सहयोगकार्यक्रम के अंतर्गत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संपूर्ण वित्तपोषण सहायता प्रदान

समुद्री एवं पोतनिर्माण का उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस)

की जा रही हैऔर प्रबंधन एमओआरडी द्वारा किया जाता है। इस सहयोग के अंतर्गत 7,600 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपी) में मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एमएसडीसी) पहले से ही चालू है। इस केंद्र में 2,800 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। समुद्री एवं पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है जिसमेंकुल 24 प्रयोगशालाओं (आईआरएस मुंबई में 6 प्रयोगशालाएं और विशाखापट्टनम में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर) के साथ दो परिसर हैं। संस्थान में इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्नि और स्नातक छात्रों के परिसर में लगभग 50 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। संस्थान ने 15,000 में अधिक अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए हैं।

3.17 सागरमाला कार्यक्रम के तहत 6,540 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 37 फिशिंग हार्बर परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 3,478 करोड़ रुपए मूल्य की 25 फिशिंग हार्बर परियोजनाओं को आंशिक रूप से वित्तपोषित कर रहा है और 849 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 288 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वाली 25 परियोजनाओं में से 11 पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, कोच्चि, चेन्नै, विशाखापट्टणम, पारादीप और मैलेट बंदर जैसे महापत्तनों से सटे 5 फिशिंग हार्बर को आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है। 37 फिशिंग हार्बर परियोजनाओं में से 1,077 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 5,505 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कर्नाटक और केरल में फ्लोटिंग जेट्टी के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए 50 स्थानों की पहचान की गई है।

करंजा फिशिंग हार्बर, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय (एनएमएचसी), लोथल, गुजरात

3.18 भारत की समुद्री विरासत समृद्ध है और सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 4,500 वर्षों पुराने हैं। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू) ने हड़प्पा सभ्यता और उससे आगे तक फैली भारतीय समुद्री विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए लोथल, गुजरात में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास की परिकल्पना की है। परिसर स्थल लगभग 70 कि.मी., अहमदाबाद शहर से लोथल में खोदी गई हड़प्पा सभ्यता स्थल के निकट तक फैला है। एनएमएचसी, न केवल पूरे भारत के प्राचीनकाल से आधुनिक समय तक की विविध और समृद्ध कलाकृतियों को रक्षित करेगा, बल्कि जनता को हमारी शानदार समुद्री विरासत के बारे में प्रेरित और जागरूक भी करेगा। इस परिसर के लिए विज़न में संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने में योगदान करने के लिए विविध विषयों में एक साथ विशेषज्ञता लाने के लिए समकालीन और सक्रिय अनुसंधान केन्द्र की परिकल्पना की गई है। इस परिसर को वर्तमान समय में विश्व के प्रमुख समुद्री विरासत परिसर में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस करेगा जिसे समुद्री और व्यापार लिंकों के द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है।

3.19 इस परियोजना की आधारशिला मार्च 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। मंत्रिमंडल ने 9 अक्तूबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधित लागत पर एनएनएमएचसी परियोजना के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा ह। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लि. (आईपीआरसीएल), एमओपीएसडब्ल्यू का एक निकाय, परियोजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है। वर्तमान में 1238 करोड़ की लागत पर परिसर के पहले चरण का निर्माण कार्य चल रहा है तथा दो और चरणों में परियोजना पूरी हो जाएगी। एनएमएचसी में 14 दीर्घाओं का संग्रहालय है, जो विभिन्न विषयों जैसे: हड़प्पा संस्कृति, पोत निर्माण, नौसेना के विकास, समुद्र के रास्ते व्यापार आदि को समर्पित है। इसके अतिरिक्त एनएमएचसी में उत्तरोत्तर चरणों में थीम पार्क, म्यूज़ोटेल्स, अनुसंधान संस्थान, भारत के सबसे लंबे दीपस्तंभ को भी शामिल किया जाएगा।

3.20 एनएमएचसी परियोजना से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होगा और क्षेत्र के स्थानीय व्यवसायों को भी मदद मिलेगी गुजरात सरकार परियोजना के अपेक्षित बाह्य अवसंरचना का विकास कर रही है। 30 किलोमीटर की जलापूर्ति लाइन और 10 लाख लीटर के जल स्टोरेज टैंक सरगवाला गांव से एनएमएचसी परियोजना स्थल तक 1.58 किलोमीटर की नई 4 लेन की सड़क, 17 किलोमीटर की बिजली ट्रांसमिशन लाइनें संबंधी अवसंरचना कार्य तथा जीआईएस संस्थापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। एसएच1 से सरगवाला गांव तक सड़क को 4 लेन करना और सरगवाला गांव से अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर एक्सप्रेसवे तक सड़क संपर्क का काम प्रगति पर है। माननीय पीएसडब्ल्यू मंत्री ने माननीय युवा मामले और खेल मंत्री और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के साथ 28 दिसंबर 2024 को साइट पर प्रगति की समीक्षा की।

एनएमएचसी: साइट पर कार्यान्वयन

प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन – 2024

3.21 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 11-12 दिसंबर, 2024 को देश का पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन-2024 (आईएमएचसी-2024) आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत की उत्कृष्ट समुद्री विरासत और वैश्विक व्यापार, संस्कृति और नवाचार में इसके गहन योगदान का उत्सव मनाया गया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के मंत्री, विशेषज्ञ और गणमान्य व्यक्ति एक साथ आए, जो संवाद और सहयोग के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम कर रहे थे, जिन्होंने भारत की स्थायी समुद्री विरासत और वैश्विक समुद्री इतिहास को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ किया।

तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन

3.22 सागरमाला कार्यक्रम के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का उद्देश्य देश में शहरी जलमार्ग यात्री परिवहन (रोपैक्स/यात्री नौका सेवा) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। परिवहन के इस माध्यम से परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कई लाभ साबित हुए हैं जैसे कि बेहतर माल सुपुर्दगी और यात्री यात्रा समय को कम करना, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना, बेहतर परिचालन गति, कम लागत वाला परिवहन, कम ईंधन खपत, सड़कों और रेल पर कम भीड़भाड़, कम वायु, शोर और भूमि प्रदूषण, साथ ही यात्रियों और वाहनों को निर्बाध आवागमन प्रदान करना।

कृष्णापट्टनम पत्तन: कोयला आयात प्रबंधन अवसंरचना

3.23 सागरमाला के अंतर्गत 1,303 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 30 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 09 स्थानों पर 603 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 16 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इनमें से 4 प्रचालनात्मक स्थान है नामत: गुजरात राज्य में हाजीरा और मांडवा, कान्होजी आंग्रे द्वीप और महाराष्ट्र राज्य में बेलापुर हैं। महाराष्ट्र राज्य में प्रचालनात्मक टर्मिनलों से एलीफेंटा द्वीप, नवी मुंबई, जेएनपीए और डीसीटी मुंबई के लिए भी मार्ग सुगम हो गए हैं।

अलीबाग रो-रो फेरी सेवा, मुंबई

3.24 रो-पैक्स और यात्री फेरी सेवा ने मार्ग में यात्रा की समयावधि में कमी लाकर इसे मुंबई-मांडवा मार्ग पर 3 घंटे से 45 मिनट, बेलापुर-एलीफेंटा द्वीप मार्ग पर2.15 घंटे से 30 मिनट, बेलापुर- जेएनपीए पर45 मिनट से 30 मिनट, बेलापुर- मुंबई में 1.30 घंटे से 20 मिनट, बेलापुर- मांडवा पर 2 घंटे से 45 मिनट और हजीरा- घोघा पर 10 घंटे से 4 घंटे तक कम कर दिया है। इन सेवाओं से 30 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ है, 5 लाख से अधिक यात्री वाहनों और एक लाख से अधिक मालवाहक ट्रकों का परिवहन हुआ है, जिससे 2 करोड़ लीटर से अधिक ईंधन और लगभग 44 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं ने इस क्षेत्र में पक्षी दर्शन (फ्लेमिंगो) और जल क्रीड़ा जैसी गतिविधियों के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

3.25 इसके अतिरिक्त, 2,139 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 18 परियोजनाएं हैं, जो तटीय कार्गो हैंडलिंग के लिए अवसंरचना प्रदान करने पर केंद्रित हैं। 321 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 5 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, वर्तमान में 5 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा 8 अन्य परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद

बेनाउलिम, गोवा में 20वीं एमएसडीसी बैठक

3.26 माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल की अध्यक्षता में 12 और 13 सितंबर, 2024 को गोवा के बेनाउलिम में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्य सरकार के मंत्री और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 20वीं एमएसडीसी के दौरान, विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और कई नई और उभरती चुनौतियों का भी समाधान किया गया। मुद्दों में, संकट में पोतों के लिए शरण स्थल (पीओआर) की स्थापना, सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्तनों पर रेडियोधर्मी जांच उपकरण (आरडीई) अवसंरचना का विकास और नाविकों को प्रमुख आवश्यक श्रमिकों के रूप में मान्यता देकर उनकी सुविधा सुनिश्चित करना, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां सुनिश्चित करना और तटीय छुट्टी प्राप्त करना शामिल हैं। समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को और बेहतर बनाने के लिए, एमएसडीसी ने राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली प्लेफॉर्म पर राष्ट्रीय पत्तन सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन नियामक प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करेगा जिससे हितधारकों की दक्षता में सुधार होगी और लागत में कमी आएगी।

3.27 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (आईआईएमडीआरसी) ने अपनी शुरुआत के बाद एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है। यह विशेष मंच, समुद्री विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए योग्यता-आधारित और उद्योग-नियंत्रित समाधान प्रदान करेगा, जो समुद्री संव्यवहार की बहु-मोडल, बहु-अनुबंध, बहु-क्षेत्राधिकार और बहु-राष्ट्रीय प्रकृति का समाधान करेगा। आईआईएमडीआरसी भारत को मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जो "भारत में समाधान" पहल के साथ संरेखित है।

3.28 भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी), एक नीतिगत थिंक टैंक है जिसे वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे समुद्री हितधारकों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईएमसी नवाचार, ज्ञान साझाकरण और सामरिक योजना को बढ़ावा देगा, जिससे भारत के समुद्री क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

3.29 पीएम गति शक्ति के तहत, एमओपीएसडब्ल्यू ने 2025 तक कार्यान्वयन के लिए 65,000 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 101 परियोजनाओं की पहचान की है। इनमें से 14,211 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 36 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 37,225 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 27 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और 14,400 करोड़ रुपए के मूल्य वाली शेष 38 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। एमओपीएसडब्ल्यू की 101 गति शक्ति परियोजनाओं में से 52 महापत्तनों से हैं और 44 परियोजनाएं राज्यों से हैं और 5 परियोजनाएं अंतर्देशीय जलमार्गों से हैं। इन परियोजनाओं से कार्गो की तेज़ और कुशल आवाजाही में सहायता मिली है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में समग्र रूप से कमी आई है।

जेएनपीए पत्तन का दृश्य

द्वीप विकास

3.30 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रलय ने लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 5,433.32 करोड़ रुपए के मूल्य की 28 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन 28 परियोजनाओं में से 24.9 करोड़ रुपए के मूल्य की 1 परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और 5,408.42 करोड़ रुपए के मूल्य की शेष 27 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को कई सामाजिक-आर्थिक लाभ होंगे और आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, आजीविका में सुधार, संपर्कता बढ़ाने, सतत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में मदद मिलेगी। समग्र रूप से, द्वीप विकास पहलों में अधिक लचीले, समावेशी और समृद्ध समाज के सृजन की संभावनाएं है, जिससे निवासियों और आगंतुकों दोनों को समान रूप से लाभ मिलेगा।

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में द्वीप विकास पहल

गलाथिया खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी)

3.31 ग्रेट निकोबार द्वीप के गलाथिया खाड़ी में आईसीटीपी, नीति आयोग द्वारा समग्र विकास पहल का हिस्सा है, जिसमेंचार परियोजनाओं आईसीटीपी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसमें टर्मिनल की अनूठी विशेषता इसकी नैसर्गिक जल गहराई है, जो बिना गहन ड्रेजिंग के बड़े कंटेनर पोतों के लिए उपयुक्त है। मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित, आईसीटीपी का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के पत्तनों को और पड़ोसी देशों के साथ जोड़ते हुए एक क्षेत्रीय हब के रूप में सेवा प्रदान करना है। नवंबर 2022 में पर्यावरणीय मंज़ूरी दी गई थी, और एक उच्चस्तरीय समिति इसके कार्यान्वयन की निगरानी करती है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के तहत साउथ बे पोर्ट की सीमा को गैर- अधिसूचित कर दिया है और गलाथिया खाड़ी की महापत्तन के रूप में अधिसूचना 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित की गई है।

प्रस्तावित आईसीटीपी का मास्टर प्लान

3.32 आईसीटीपी को सीपीएसई के माध्यम से एक महापत्तन के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें भारत सरकार, महापत्तन और अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (एएनआईआईडीसीओ) शामिल हैं। 43,797 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 4 चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें चरण 1 का लक्ष्य 2029 तक 4 मिलियन ट्वेंटी फुट इक्विवेलेंट यूनिट (एमटीईयू) बनाना है। डीपीआर पहले ही तैयार हो चुका है और परियोजना का मूल्यांकन प्रक्रिया में है।

राज्य समुद्री एवं जलमार्ग परिवहन समितियां (एसएमडब्ल्यूटीसी)

3.33 एसएमडब्ल्यूटीसी संबंधित राज्यों में समुद्री/जलमार्ग क्षेत्र में विविध पहलों के कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए मुद्दों पर परस्पर संवाद करने विचार-विमर्श करने का एक मंच है।

3.34 समिति का उद्देश्य, पूरे भारत में समुद्री और जलमार्ग परिवहन का व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। राज्यों में समितियाँ राज्य-विशिष्ट समुद्री और जलमार्ग परिवहन मास्टर प्लान तैयार करने, समुद्री क्षेत्र की नीतियों का निर्माण, हरित पहल, जलमार्ग विकास, क्रूज पर्यटन, शहरी जल परिवहन और लाइटहाउस के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी। अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पुदुच्चेरी, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मेघालय, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और उत्तर प्रदेश) में 21 एसएमडब्ल्यूटीसी का गठन किया गया है।

पत्तन

प्रस्तावना

4.1 पत्तन, समुद्री परिवहन और भूमि आधारित परिवहन के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं। भारत में 12 सरकारी स्वामित्व वाले महापत्तन हैं जिनमें से 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर स्थित हैं।

भारत के 12 महापत्तन दर्शाते हुए मानचित्र

भारत के महापत्तन

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (कांडला)

4.2 वर्ष 1950 में, केंद्र सरकार ने कांडला के लघु पत्तन को औपचारिक रूप से भारत के एक महापत्तन के रूप में विकसित करने के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया। कांडला के नए महापत्तन की नींव भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी, 1952 को रखी थी। कांडला पत्तन को 8 अप्रैल, 1955 को तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत का महापत्तन घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 25 सितंबर, 2017 से इसका नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन कर दिया।

4.3 कांडला से सड़क मार्ग से लगभग 300 किलोमीटर और समुद्र से 50 समुद्री मील की दूरी पर देव भूमि द्वारका जिले में स्थित वाडीनार में अपतटीय तेल टर्मिनल के उल्लेख के बिना इस पत्तन का इतिहास अधूरा होगा।

4.4 दीनदयाल पत्तन बहु-कार्गो पत्तन है। इसमें सीधी रेखा में 3.718 (लगभग) किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 16 ड्राई कार्गो बर्थे हैं, पीओएल और रसायनों के संचालन के लिए 7 ऑयल जेट्टियां और 2 कंटेनर टर्मिनल हैं। वाडिनार में तीन सिंगल बोया मूरिंग हैं जो प्रति घंटे 10000 टन की अधिकतम पम्पिंग क्षमता वाले बहुत बड़े कच्चे तेल के जलयानों को संभाल सकते हैं। पत्तन ने 2023-24 के दौरान 132.374 एमएमटी और वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान 108.724 एमएमटी का यातायात संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (डीपीए) ने 14 मार्च 2024 को डीपी वर्ल्ड को ट्यूना-टेकरा, कांडला, गुजरात में 2.19 मिलियन टीईयू मेगा-कंटेनर टर्मिनल के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना की कनसेशन प्रदान की है। 30 वर्षों के लिए बिल्ड-

ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत $510 मिलियन की इस परियोजना में अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा होगा, जिसमें 1,100 मीटर का बर्थ शामिल है जिसे 1,375 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। 2027 तक पूरा होने वाली यह परियोजना मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगी।

- डीपीए ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक केंद्रीय ट्रांसमिशन सेवा और जल आपूर्ति के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की उन्नत योजनाओं के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए उद्योग भागीदारों को 3,400 एकड़ भूमि आवंटित की है। पत्तन आम उपयोगकर्ता बुनियादी ढाँचे और ग्रीन हाइड्रोजन और समुद्री ईंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी विकसित कर रहा है, जिससे गांधीधाम का स्थल वैश्विक स्थिरता केंद्र के रूप में मजबूत होगा।
- डीपीए ने ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड के साथ साझेदारी करके ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस सहयोग का उद्देश्य कांडला और गांधीधाम के बीच चुनिंदा मार्गों पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसें शुरू करना है। पहली ग्रीन एच2 बस को अगस्त 2025 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

हाइड्रोजन बस से भविष्य का वाहन संचालन

- 18 मई, 2024 को, डीपीए कांडला ने एम.वी. ओलिविया का गर्व से स्वागत किया, जो मोजाम्बिक के नकाला पत्तन के लिए रेलवे फ्रेट वैगन लोड करने वाला पहला जलयान है। बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित वैगनों का शिपमेंट 'मेक इन इंडिया' विजन की सफलता को दर्शाता है, जो भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं और वैश्विक व्यापार उपस्थिति को दर्शाता है।

डीपीए, कांडला 'मेक इन इंडिया' वैगन निर्यात के लिए एम.वी. ओलिविया का स्वागत करते हुए

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

मुंबई पत्तन

4.5 मुंबई पत्तन, भारत में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन महापत्तन है। यह पत्तन काफी लम्बे समय तक भारत का मुख्य प्रवेश द्वार रहा है। सामरिक अवस्थिति इसके पक्ष को विशेष बनाती है। यह भारत के पश्चिमी तट के साथ इसके मध्य में स्थित है और यहां प्रकृति के उपहार स्वरूप 400 वर्ग कि.मी. का एक प्राकृतिक गहरे जल वाला पत्तन है जो इसके पूर्व में कोंकण मुख्य भूमि तथा पश्चिम में मुंबई की मुख्य भूमि से संरक्षित है। बंदरगाह में गहरा जल पूरे वर्ष के दौरान नौवहन के लिए सुरक्षित एवं प्रचुर आश्रय प्रदान करता है।

4.6 मूल रूप से एक सामान्य कार्गो पत्तन, आज मुंबई पत्तन बहुउद्देश्यीय पत्तन है जो सभी प्रकार के कार्गो जैसे ब्रेक बल्क, ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क और कंटेनरों को संचालित करता है। पत्तन का उपयोग करने वाले पोतों की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्तन में व्यापक गीला और ड्राई डॉक स्थल है। पत्तन, पायलटेज से लेकर बर्थिंग, भंडारण से लेकर कार्गो की डिलीवरी तक और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) चलाने की सहायक सेवाएं, पत्तन रेलवे के साथ-साथ क्राफ्ट, उपकरण और भवन के रखरखाव की सेवाएं/ सुविधाएं प्रदान करता है।

4.7 पत्तन में 83.85 एमएमटीपीए की प्रभावी भारित क्षमता के साथ 32 बर्थ (ओसीटी सहित) हैं। पत्तन ने 2023-24 के दौरान 67.261 एमएमटी और 2024-25 के दौरान (दिसम्बर, 2024 तक) 51.406 एमएमटी का यातायात संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:

- मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2023-24 में 67.26 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) का अपना अब तक का सबसे अधिक यातायात संचालित किया, जो पिछले वित्त वर्ष के 63.61 एमएमटी संचालन की तुलना में 5.74% की वृद्धि दर्शाता है। चालू वर्ष 2024 के दौरान मुंबई पत्तन ने 68.52 मिलियन टन कार्गो संचालित किया, जो कि पत्तन द्वारा अपने इतिहास में अब तक का सबसे अधिक यातायात है।
- मुंबई पत्तन ने सितंबर 2024 में 2 एमटीपीए की वार्षिक क्षमता के साथ पीर पाऊ में तीसरा केमिकल बर्थ चालू किया।
- 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान मुंबई पत्तन ने 20 अंतर्राष्ट्रीय और 82 घरेलू क्रूज़ कॉल संचालित किए।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण

जेएनपीए

4.8 1980 के दशक के मध्य में निर्मित तथा दिनांक 26 मई 1989 से शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू पत्तन विश्व स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर संचालित करने वाला पत्तन बन गया है। यह एंलीफेंटा द्वीप से दूर मुम्बई पत्तन के पूर्वी छोर पर 18 56'43'' उत्तरी अक्षांश और 72 56'24'' पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह नई पहलों जैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी और ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस के माध्यम से भारत के पत्तन विकास में एक ट्रेंड स्थापित किया है। जेएनपीए भारत के महापत्तनों में से पहला 100% स्वामित्व वाला पत्तन है।

4.9 जेएनपीए 125.30 एमटीपीए की क्षमता के साथ 17 बर्थ वाला एक बारहमासी ज्वारीय पत्तन है। पत्तन ने 2023-24 के दौरान 85.818 एमएमटी और 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान 68.373 एमएमटी का यातायात संचालित किया। वर्तमान में जेएनपीए में 7.7 मिलियन टीईयू की कुल कंटेनर संचालन क्षमता के साथ 5 पूरी तरह से स्वचालित कंटेनर टर्मिनल प्रचालन में है। ये कंटेनर टर्मिनल प्रमुख वैश्विक टर्मिनल प्रचालकों, अर्थात् डीपी वर्ल्ड (2 टर्मिनल), एपी मोलर टर्मिनल (एपीएम टर्मिनल), और पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी (पीएसए) और मैसर्स जे एम बक्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स (एनएसएफटी) के साथ साझेदारी से पीपीपी मोड में काम कर रहे हैं। भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. (बीएमसीटीपीएल), सिंगापुर पत्तन के एसपीवी (पीएसए) द्वारा 60 एमएमटी (4.8 मिलियन टीईयू) की कुल परियोजना क्षमता के साथ 18 फरवरी 2018 को चरण-1 (2.4 मिलियन टीईयू) के तहत प्रचालन शुरू किया गया था। चरण-।। (2.4 मिलियन टीईयू) 2025 में शुरू होने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 85.818 मिलियन टन कार्गो का अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया।
- 5 सितंबर 2024 को, जेएनपीए को माला अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर - कंटेनराइज्ड कार्गो से सम्मानित किया गया। 12 सितंबर 2024 को, जेएनपीए ने पत्तनों में टियर 1 सुविधा संचालन में संधारणीयता उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2024 ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता। 1 जुलाई 2024 को जेएनपीए को 8वें वार्षिक इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट पत्तन ऑफ द ईयर (कंटेनराइज्ड) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 19 जून 2024 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में दहानू के पास वधावन में एक महापत्तन स्थापित करने को मंजूरी दी। परियोजना का निर्माण वधावन पत्तन प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) द्वारा गठित एक एसपीवी है, जिसमें क्रमशः 74% और 26% की हिस्सेदारी है।
- 8 मई 2024 को, जेएनपीए के अध्यक्ष, श्री उमेश शरद वाघ ने पीएसए इंडिया के सीईओ, श्री गोबू सेलियाया, पीएसए मुंबई के सीईओ, श्री एंडी लेन और पीएसए बीडीपी इंडिया सबकॉन्टिनेंट के प्रबंध निदेशक, श्री पवित्रन कल्लाडा के साथ आधिकारिक तौर पर 150 किलोमीटर के शून्य-उत्सर्जन परिवहन कॉरीडोर का उद्घाटन किया है। यह कॉरीडोर भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (बीएमसीटी) पीएसए मुंबई के लिए ईवी ट्रकों को समर्पित है, जो हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 15 जुलाई को जवाहरलाल नेहरु पत्तन केन्द्रीयकृत पार्किंग प्लाजा में 'बीएमसीटी आउट गेट' का उद्घाटन किया गया। इस नए आउट गेट से बीएमसीटी टर्मिनल में ट्रेलर को सीधे प्रवेश मिलता है, जिससे परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा में, जेएनपीए की 'विज़न एक्स' परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य उन्नत जियोफेंसिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और स्वचालित ट्रैफ़िक प्रबंधन समाधानों के माध्यम से कुशल और स्मार्ट परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

मुरगांव पत्तन

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

4.10 भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुरगांव पत्तन 135 वर्ष से अधिक पुराना पत्तन है। इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा है जो विभिन्न प्रकार के कार्गो को संचालित

करने में सक्षम है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है जो एक ब्रेकवाटर और मोल द्वारा संरक्षित है। इस पत्तन का 14.4 मीटर गहराई का एक अप्रोच चैनल है। मौजूदा रेल और सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों को निर्बाध लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रदान करता है। विश्वसनीय आधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक आधुनिक जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। मौजूदा वीटीएमएस प्रणाली को नई प्रणाली से बदला जा रहा है।

4.11 पत्तन में कार्गो को संचालित करने के लिए 2 नॉन कार्गो बर्थ और 7 कार्गो बर्थ और 3 मूरिंग डॉल्फिन हैं। पत्तन की प्रभावी भारित क्षमता 63.40 एमएमटीपीए है। क्रूज जलयानों के लिए और इसका उपयोग नौसेना और तटरक्षक बल के उपयोग के लिए ब्रेकवाटर के साथ-साथ 450 मीटर लंबाई की एक समर्पित क्रूज बर्थ है। पत्तन ने 2023-24 के दौरान 20.628 एमएमटी और 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान 12.572 एमएमटी का यातायात संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय घटनाएँ/उपलब्धियाँ

- सितंबर 2024 में ताज एक्सोटिका गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई। इसमें पत्तन आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, समुद्री पर्यटन, नौचालन परियोजनाओं और पत्तन सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक की अध्यक्षता माननीय पीएसएंडडब्ल्यू, केन्द्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल द्वारा की गई और इसमें माननीय पीएसडब्ल्यू राज्य मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर और श्री टी. के. रामचंद्र, सचिव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय उपस्थित थे। इस अवसर पर गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे।
- जर्मनी के संघीय गणराज्य के महामहिम चांसलर और ओलाफ स्कोल्ज़ का ब्रेकवाटर बर्थ पर एमजीपीए का दौरा। महामहिम का स्वागत आईपीओएस अध्यक्ष डॉ. एन. विनोद कुमार उपाध्यक्ष और विभागाध्यक्षों ने किया। इसके बाद जर्मन नौसेना पोत एफजीएस फ्रैंकफर्ट एएम मेन पर रवाना हुए।

भारत-जर्मनी समुद्री सहयोग का सुदृढीकरण

- मुरगांव पत्तन भारत का पहला पत्तन है जिसने शिपिंग में वायु उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप ईएसआई के माध्यम से ग्रीन शिप प्रोत्साहन शुरू किया है। अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए पत्तन के प्रोत्साहन कार्यक्रम, 'हरित श्रेय' में ईएसआई स्कोर के आधार पर पत्तन प्रभार पर छूट दी जाती है, जो पर्यावरणीय के अधिक अनुकूल पोतों को पुरस्कृत करता है। आईएपीएच के महासचिव ने अगस्त 2024 में ईएसआई कार्यक्रम के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण और क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुरगांव पत्तन की प्रशंसा की। यह सम्मान विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि मुरगांव पत्तन जापान और ओमान के साथ एशिया में तीन पत्तनों में से एक था जो इस तरह के प्रोत्साहन प्रदान करता है।

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

नव मंगलूर पत्तन

4.12 नव मंगलूर पत्तन को 4 मई 1974 को 9वें महापत्तन के रूप में घोषित किया गया था और 11 जनवरी 1975 को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। पत्तन में 16 बर्थ और 1 एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) है जिसकी भारित क्षमता 105 एमटीपीए है। पत्तन ने 2023-2024 के दौरान 45.707 एमएमटी और वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान 32.346 एमएमटी का यातायात संचालित किया। एनएमपीए ने सामान्य ब्रेक बल्क कार्गो और रो-रो कंसाइनमेंट को संचालित करने के लिए मौजूदा बर्थ नंबर 8 से सटे एक और गहरे ड्राफ्ट वाले बहुउद्देशीय सामान्य कार्गो बर्थ (बर्थ नंबर 17) के विकास के लिए परियोजना शुरू की है। कार्य के लिए प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। परियोजना के 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। 150 बिस्तरों वाले मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- सीएमएसीजीएम द्वारा नई बिगेक्स (बीआईजीईएक्स) -2 सेवा नव मंगलूर पत्तन पर शुरू की गई, जिससे फारस की खाड़ी और लाल सागर के साथ क्षेत्रीय व्यापार को मजबूती मिलने की उम्मीद है
- चालू वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर तक) के दौरान पत्तन ने 2908 यात्रियों के साथ 5 क्रूज जलयानों का संचालन किया है
- पत्तन 100% सौर ऊर्जा संचालित पत्तन बना हुआ है।

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

4.13 कोचिन पत्तन का विकास 1920-1940 के दौरान सर रार्बट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों से हुआ। यह पत्तन विलिंग्डन द्वीप पर 9'58'' के उत्तरी और 76'14'' पूर्वी अक्षांश पर भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है जो मुंबई से लगभग 930 किमी दक्षिण और कन्याकुमारी के 320 किमी उत्तर में है। भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर अपनी सामरिक अवस्थिति के साथ-साथ पूर्व-पश्चिम समुद्र व्यापार के चौराहे पर बहुत अनुकूल स्थिति में होने के कारण यह पत्तन दक्षिण-पश्चिम भारत के विशाल औद्योगिक और कृषि उत्पाद बाजारों का प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। पत्तन के भीतरी क्षेत्र में सम्पूर्ण केरल राज्य और तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के हिस्से शामिल हैं। कोचिन, यूरोप और सुदूर पूर्व तथा आस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग से अपनी नजदीकी के कारण अत्यधिक व्यासायिक अवसर देकर अनेक कंटेनर लाइनों को आकर्षित कर सकता है।

कोचिन पत्तन

4.14 कोचिन पत्तन में 80.50 एमएमटीपीए की प्रभावी भारित क्षमता के साथ 1 एसपीएम सहित 22 बर्थ हैं। पत्तन ने 2023-24 के दौरान 36.315 एमएमटी और 2024-25 (दिसम्बर, 2024) के दौरान 27.692 एमएमटी कार्गो यातायात संचालित किया। पत्तन द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्गो में पीओएल, कंटेनर, सीमेंट, उर्वरक, उर्वरक का कच्चा माल (शुष्क) और अन्य शामिल हैं।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- कोचीन पत्तन ने चालू वर्ष 2024 में 37.11 एमएमटी का उच्चतम कुल कारोबार दर्ज किया, जो वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 0.61% की वृद्धि दर्शाता है। चालू वर्ष 2024 में 8.40 लाख टीईयू के कंटेनर कारोबार ने वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 17.02% की वृद्धि दर्शाई।
- 17 जनवरी 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री, द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के 310 एम ड्राई डॉक और आईएसआरएफ तथा आईओसीएल के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन किया गया।
- 0.60 एमएमटी क्षमता के साथ प्रोपलीन और लिक्विड कार्गो के लिए रो-रो सुविधाएं प्रदान करना 30 जून 2024 को पूरा हुआ।

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन (वीओसीपी) प्राधिकरण

4.15 वी.ओ.सी पत्तन, भारत का 10वां महापत्तन सामरिक रूप से भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के करीब चेन्नै से 540 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। 15 बर्थों, 8.60 मीटर से लेकर 14.20 मीटर तक के डुबाव और 81.5 एमएमटीपीए क्षमता के साथ गेटवे पत्तन के रूप में यह पत्तन बल्क, कंटेनर, ड्राई, लिक्विड और ब्रेक बल्क कार्गो के व्यापक स्पेक्ट्रम को संचालित करने के लिए सुसज्जित है। पत्तन, तूफानों और चक्रवाती हवाओं के प्रकोप से अच्छी तरह से सुरक्षित है और वर्ष भर चौबीसों घंटे चालू रहता है।

वीओसी पत्तन

4.16 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, समर्पित टर्मिनल प्रचालकों, पत्तन उपयोगकर्ता समुदाय और कुशल मानव संसाधन की सहायता से, यह पत्तन दक्षिणी तमिलनाडु क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का अग्रदूत रहा है। यह पत्तन उत्कृष्ट रेल और सड़क संपर्क प्रदान करता है।

4.17 पत्तन ने वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान 41.402 एमएमटी कार्गो संचालित किया। पत्तन ने वित्त वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक 30.621 मिलियन टन कार्गो संचालित किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 30.30 मिलियन टन कार्गो संचालित किया गया था, जो 1.05% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक 5,81,557 टीईयू कंटेनर संचालित किए गए, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान संचालित किए गए 5,43,531 टीईयू की तुलना में 7.00% की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- 05 फरवरी 2024 को पत्तन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्तन के प्रशासनिक कार्यालय में 14 इलेक्ट्रिक वाहनों से युक्त ई-कारों के दूसरे बैच को हरी झंडी दिखाई।
- 28 फरवरी 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण, तूतीकोरिन में पत्तन के आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। उन्होंने कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनका उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

पीएम ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तथा उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया

- 2 जुलाई 2024 को पत्तन ने लिंक रोड (तटीय रोड) के किनारे नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें चालू कीं। 56,82,519 रुपये की लागत से कुल 41 स्ट्रीट लाइट पोल को मौजूदा पोल में नई लाइटें लगाकर बदला गया।
- 03 जुलाई 2024 को पत्तन को चेन्नई में 15वें साउथ ईस्ट सीईओ कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2024 कार्यक्रम में 'न्यूजमेकर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार मिला।

साउथ ईस्ट सीईओ कॉन्क्लेव 2024 में सीएसपीए ने 'न्यूज़मेकर ऑफ द ईयर' पुरस्कार प्राप्त किया

- 16 सितंबर 2024 को, केंद्रीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री, श्री सर्बानंद सोणोवाल ने श्री शांतनु ठाकुर, पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री के साथ तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल समर्पित किया। टर्मिनल को 434 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से विकसित किया गया है, जिसकी वार्षिक क्षमता 6 लाख टीईयू संचालित करने की है। टर्मिनल का ड्राफ्ट14.20 मीटर है जिसमें 10,000 टीईयू तक के कंटेनर जलयान आ सकते है।

तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का समर्पण

- 31 मार्च 2024 को, पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41.401 एमएमटी के अपने अब तक के अधिकतम कार्गो यातायात को संचालित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो पिछले वर्ष में संचालित किए गए 38.04 एमएमटी की तुलना में 8.84% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है।
- पत्तन ने मार्च 2024 के महीने के दौरान 39.59 लाख टन कार्गो का संचालन किया, जो कि पत्तन में अब तक महीने में संचालित किया गया सबसे अधिक टन भार है, जो अक्टूबर 2023 के महीने के दौरान संचालित किए गए 38.67 लाख टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।
- पत्तन ने 25 जून 2024 को गैर-मशीनीकृत बल्क कार्गो पर एक दिन में 24,760 टन कार्गो का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो 27 जनवरी 2015 को गैर-मशीनीकृत बल्क कार्गो बर्थ पर संचालित किए गए 23,317 टन के पिछले एक दिन के कार्गो संचालन रिकॉर्ड को पार कर गया। वीओसी पत्तन ने गैर-मशीनीकृत बर्थ पर एक – दिवसीय जलयान संचालन का रिकॉर्ड तीन बार हासिल किया।
- 15 अगस्त 2024 को, इस वित्तीय वर्ष का सबसे लंबा कंटेनर मेनलाइन जलयान, एमएससी रॉबर्टा वी, जिसकी लंबाई 294.5 मीटर है, पत्तन पर 3650 टीईयू कंटेनर संचालित करेगा।
- 13 सितंबर 2024 को, पत्तन ने 29 अगस्त 2024 को गहरे डुबाव वाले कार्गो बर्थ एनसीबी II पर संचालित किए गए 20,642 टन के पिछले एक- दिवसीय कार्गो संचालन रिकॉर्ड को पार करते हुए एक ही दिन में 23,532 मीट्रिक टन संचालित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। कैलेंडर वर्ष 2024 में, वीओसी पत्तन ने गहरे डुबाव वाले बर्थ पर एक- दिवसीय पोत संचालन का रिकॉर्ड सात बार हासिल किया।
- 29 अक्टूबर 2024 को, पत्तन ने 2,04,512 टन कार्गो संचालित करके दिन का सबसे अधिक कार्गो संचालित किया, जो 23 फरवरी 2024 को संचालित किए गए 2,04,051 टन के पिछली मात्रा को पार कर गया।
- 4250 टीईयू की क्षमता वाला पहला कंटेनर जलयान रियो ग्रांडे एक्सप्रेस, 260 मीटर का एलओए वीओसी पत्तन पर तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल पर खड़ा किया गया और इसे माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोणोवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

चेन्नई पत्तन प्राधिकरण

4.18 चेन्नई पत्तन एक बाहरी हार्बर और एक इनर हार्बर के साथ गीले डॉक और चौबीसों घंटे नौचालन सुविधाओं से साथ एक नाव बेसिन से युक्त सभी मौसम के लिए उपयुक्त कृत्रिम पत्तन है। 1875 में स्थापित यह पत्तन बंगाल की खाड़ी पर 130 06' उत्तरी अक्षांश और 80018' पूर्वी देशांतर पर स्थित है।

4.19 चेन्नई पत्तन ने 2023-2024 के दौरान 51.598 एमएमटी का कार्गो टन भार संचालित किया तथा वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान 40.502 एमएमटी का कार्गो टन भार संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- 24 जनवरी 2024 को ताज विवांता, चेन्नई में केपीएल के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य फोकस - पूर्वी समुद्री कॉरीडोर को प्रचालनरत करने पर था। रूसी प्रतिनिधियों का नेतृत्व सुदूर पूर्व और आर्कटिक विकास रशियन फेडरेशन के उप मंत्री, श्री ए. यू बोबराकोव ने किया।
- चेन्नई पत्तन ने 27 जनवरी 2024 को 3,40,583 टन के समग्र कार्गो संचालन का ऐतिहासिक कार्य निष्पादन दर्ज किया, जो 30 अप्रैल 2021 के 3,12,459 टन के पिछले रिकॉर्ड संचालन को पार कर गया।

- चेन्नई पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 5.4% की वृद्धि के साथ 51.60 एमएमटी संचालित किया।
- एपीएल बोस्टन, अब तक का सबसे अधिक क्षमता वाला सबसे गहरा कंटेनर जलयान, 10 मई 2024 को चेन्नई पत्तन पर उतारा जाएगा। सिंगापुर ध्वजांकित पंजीकृत और नौवहन करने वाला यह कंटेनर पोत, जिसका सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) 1,09,699 और डेडवेट (डीडब्ल्यूटी) 1,17,207 है, और जिसकी कुल लंबाई (एलओए) 328.2 मीटर, चौड़ाई 45.2 मीटर और अधिकतम ड्राफ्ट 14.9 मीटर है, इस पोत में 9326 टीईयू रखने की क्षमता है, जो पिछले पोत सीएमए सीजीएम मोजार्ट से अधिक है, 21 जनवरी 2017 को 14.8 मीटर के साथ आया था।
- बहामास ध्वज वाला क्रूज जलयान "एम.वी.एम्प्रेस" 12 जुलाई 2024 को 448 चालक दल और 1017 यात्रियों के साथ कोचीन से चेन्नई पत्तन पर उतरा और उसी दिन 1220 यात्रियों के साथ श्रीलंका के त्रिंकोमाली के लिए रवाना हुआ। 2024 क्रूज सीजन में पिछले वर्ष की सफलता के अनुरूप निष्पादन होने की आशा थी, जो नियमित हाई सीज़ यात्रा कार्यक्रम के अलावा श्रीलंका के विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ेगा। 12 जुलाई 2024 और 09 सितंबर 2024 के बीच, 17 कॉल्स के दौरान, 8 श्रीलंकाई गंतव्य और 9 हाई सीज़ यात्रा कार्यक्रम होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के चेन्नई पत्तन के विज़न के अनुरूप, रैंडस्टैड के स्वामित्व वाला नीदरलैंड-ध्वजांकित "स्टैड एम्स्टर्डम" 27 चालक दल के सदस्यों और 8 यात्रियों के साथ 21 नवंबर 2024 को पहुंचा।

- चेन्नई पत्तन ने इंडोनेशिया को 5,014 मीट्रिक टन चावल निर्यात करके 15 साल के अंतराल के बाद चावल का निर्यात सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया है। इंडोनेशिया को चावल के निर्यात के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। कार्गो को एम.वी.वान हे जलयान पर लोड किया गया, जो 08 दिसंबर 2024 को डब्ल्यूक्यू 3 बर्थ पर पहुंचा।
- चेन्नई पत्तन ने दिसंबर 2024 में 5.326 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) का मासिक यातायात संचालित किया है, जिसने 15 वर्षों में पहली बार इस कीर्तिमान तक पहुंचा है।
- चेन्नई पत्तन ने दिसंबर 2024 में 1,80,686 टीईयू (बीस फुट के बराबर यूनिट) को संचालित करके एक ऐतिहासिक अधिकतम निष्पादन हासिल किया है, जो अगस्त 2024 में निर्धारित 1,70,606 टीईयू के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है।

कामराजर पत्तन

कामराजर पत्तन लिमिटेड

4.20 12वें महापत्तन कामराजार पत्तन लिमिटेड (केपीएल) को 2001 में मुख्यतः एक कोयला पत्तन के रूप में शुरू किया गया था, जो तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) की

थर्मल कोयला जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित महापत्तनों में से केपीएल एकमात्र ऐसा महापत्तन है जो कि एक निगमित पत्तन है। यह पत्तन बीओटी या कैप्टिव मॉडलों के माध्यम से कार्गो संचालन के कार्यों के साथ स्वामित्व मॉडल पर कार्य कर रहा है। विनिवेश प्राक्रिया के भाग के रूप में, भारत सरकार की सभी हिस्सेदारियों को दिनांक 27.03.2020 को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया है। केपीएल चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का सहायक कार्यालय बन गया है।

4.21 पिछले कुछ वर्षों में, पत्तन एक मल्टी कार्गो पत्तन के रूप में विकसित हुआ है और अब इसमें कोयला, पीओएल, एलपीजी, एलएनजी, ऑटोमोबाइल यूनिट, कंटेनर, ब्रेक बल्क और सामान्य कार्गो की संचालन के लिए 57.44 एमएमटीपीए की क्षमता वाली 9 बर्थ हैं। पत्तन ने 2023-24 के दौरान 45.277 एमएमटी और 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक) के दौरान 35.332 एमएमटी का यातायात संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- 02 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनरल कार्गो बर्थ-II (ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट टर्मिनल-II और कैपिटल ड्रेजिंग फेज-V) का उद्घाटन किया गया। इस बर्थ विकास की परियोजना लागत 341 करोड़ रुपये थी।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 05 जनवरी 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केपीएल को वैध यात्रा दस्तावेजों वाले सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए भारत में प्रवेश/बाहर निकलने के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट घोषित किया है।
- केपीएल ने 01 मार्च 2024 को कंटेनर टर्मिनल पर 16,550 टीईयू की क्षमता वाले सबसे बड़े कंटेनर पोत एम.वी. एमएससी जीआईयूएसवाई को संचालित किया।
- केपीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 45.28 मिलियन टन का अधिकतम कार्गो कारोबार संचालित किया। इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,71,393 टीईयू की अधिकतम कंटेनर मात्रा को संचालित किया।
- केपीएल ने 02 अप्रैल 2024 को कोल बर्थ 1 और 2 पर आने वाले पोतों के लिए तटीय बिजली आपूर्ति स्थापित की।
- केपीएल ने अपने कैप्टिव उपयोग के लिए 1 एमएलडी समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए परियोजना का संविदा दिया। केपीएल ने 21.92 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 13 महीने की परियोजना अवधि के लिए मैसर्स ग्लोबल एनवायरो सिस्टम्स जेवी और मैसर्स हाइफ्लक्स न्यू स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड को काम सौंपा।
- विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 (सीपीपीआई 2023) द्वारा कंटेनर पत्तनों की वैश्विक रैंकिंग में केपीएल को 47वां स्थान मिला। केपीएल ने सबसे अधिक कंटेनर (प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टीईयू से कम का कारोबार) संचालित करने के मामले में छोटे पत्तनों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया और इस श्रेणी में भारत के अन्य कंटेनर पत्तनों में अग्रणी रहा।
- निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 29 जून 2024 को कामराजर पोर्ट से अपनी 11 लाख कार का निर्यात करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। निर्यात के लिए 11 लाख कार को केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ 2 से रवाना किया गया। निसान मोटर इंडिया 2010 के दौरान कामराजर पोर्ट से कारों का निर्यात शुरू करने वाली पहली ओईएम है। निसान मोटर इंडिया और कामराजर पोर्ट के बीच साझेदारी चेन्नई से ऑटोमोबाइल निर्यात की वृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है।
- एमएससी शिपिंग लाइन ने अपने पहले जलयान एम.वी. के साथ कामराजर पोर्ट से ओस्प्रे सेवा नामक एक नई साप्ताहिक सेवा शुरू की। एमएससी शाय 21 अगस्त 2024 को अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल पर पहुंचा। एशिया और दक्षिण-पूर्व भारत के बीच चलने वाली यह नई सेवा एक सीधा मार्ग प्रदान करेगी और 15 दिनों में निंगबो को एन्नोर (केपीएल) से जोड़कर पारगमन समय में भी सुधार करेगी।

- केपीएल ने बेसिन और चैनल के लिए 513.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ कैपिटल ड्रेजिंग फेज-VI परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई है ताकि विशेष रूप से बल्क कार्गो को संचालित के लिए ड्राफ्ट को 18 मीटर तक बढ़ाया जा सके, जिससे निकट भविष्य में केप आकार के जलयान के संचालन में सुविधा होगी और केपीएल को पूर्वी तट पर "केप अनुपालक पत्तन" बनाया जा सकेगा। यह कार्य 24 अक्टूबर 2024 को 440 करोड़ रुपये के मूल्य पर मैसर्स वैन ओर्ड ड्रेजिंग एंड मरीन कॉन्ट्रैक्टर्स बीवी, मुंबई को दिया गया।
- तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में पीओएल, एलपीजी उत्पादों और ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केपीएल और आईओसीएल ने 3 एमटीपीए क्षमता और 30 वर्ष की संविदा अवधि के साथ आईओसीएल कैप्टिव जेट्टी के निर्माण के लिए 09 जून 2016 को संविदा करार किया। आईओसीएल कैप्टिव जेट्टी के लिए अनुमानित परियोजना लागत 921 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य जुलाई 2022 से शुरू हुआ और जेटी का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ।

विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण

विशाखापट्टणम पत्तन

4.22 विशाखापट्टणम पत्तन भारत के पूर्वी तट पर 170 41' अक्षांश और 830 17' देशांतर पर कोलकाता और चेन्नै के लगभग बीच में स्थित है जिसे वाणिज्यिक नौवहन के लिये दिनांक 7 अक्तूबर 1933 में खोला गया था और तब से यह विस्तृत आन्तरिक भूमि के लिए कार्य कर रहा है। विशाखापट्टणम पत्तन की पुन: भारित क्षमता 136.39 एमएमटीपीए है। पत्तन द्वारा वर्ष 2023-24 में 81.090 एमएमटी और वर्ष 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक) में 60.476 एमएमटी यातायात का संचालन किया गया।

4.23 पत्तन में दो हार्बर हैं, अर्थात आंतरिक हार्बर जिसमें 21 बर्थ हैं और बाहरी हार्बर जिसमें 7 बर्थ हैं। बाहरी हार्बर में सिंगल पॉइंट मूरिंग (एसपीएम) पर कच्चे तेल के संचालन के लिए एक विशेष सुविधा भी है। आंतरिक हार्बर 14.5 मीटर तक ड्राफ्ट के साथ पूरी तरह से लदे पैनामैक्स जलयानों को स्थान दे सकता है और बाहरी हार्बर 18.10 मीटर तक के ड्राफ्ट के साथ 200,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयानों को स्थान दे सकता है और महापत्तनों में सबसे गहरा कंटेनर टर्मिनल है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- वीपीए ने 25 जनवरी 2024 को बड़े आयातित कच्चे तेल के टैंकर अर्थात मैसर्स देश विबोर को संचालित करके एक और रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई 333 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। वीपीए ने इस पोत के माध्यम से 2,81,142 टन कच्चे तेल का आयात किया, जिसकी मैसर्स एचपीसीएल को आपूर्ति की गई। इसने 2,80,800 टन आयातित कच्चे तेल के टैंकर अर्थात मैसर्स एलेंड्रा डेनाले का संचालित करने के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसकी लंबाई 329.99 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है।
- पत्तन के कार्गो संचालन के 90 वर्षों में, वीपीए ने जनवरी, 2024 के दौरान 73,43,936 मीट्रिक टन (184 जलयान) का अब तक का सबसे अधिक कैलेंडर माह कारोबार हासिल किया, जो अक्टूबर, 2023 में 72,24,782 मीट्रिक टन (192 जलयान) को संचालित करने के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कारोबार को पार कर गया।
- वीपीए ने कार्गो संचालन में नया रिकॉर्ड बनाया है। वीपीए ने 31 मार्च 2024 तक 81.09 एमएमटी कार्गो संचालित किया, जो पिछले रिकॉर्ड कार्गो कारोबार 73.75 एमएमटीपीए से कहीं आगे है।
- वीपीए ने 03 मई 2024 की सुबह 14,604 टीईयू की क्षमता के साथ पूर्वी तट पर किसी भी भारतीय पत्तन पर आने वाले सबसे बड़े जलयान "एमएससी टेरेसा" (एलओए 365.50 मीटर और चौड़ाई 51.2 मीटर) को संचालित करके इतिहास रच दिया। जलयान को

मैसर्स वीसीटीपीएल में रखा गया था।

- सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाली आवासीय मेगा नौका, "द वर्ल्ड" अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका सहित पांच महाद्वीपों की द वर्ल्ड 2024 की यात्रा के हिस्से के रूप में 28 अप्रैल 2024 को वाइजैग पहुंची और 29 अप्रैल 2024 को वाइजैग इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल से रवाना हुई।
- वीपीए एपी सामाजिक वानिकी विभाग के माध्यम से सब्बावरम में आईएमयू परिसर में चार एकड़ भूमि पर एवेन्यू प्लांटेशन के साथ एक ग्रीन बेल्ट विकसित कर रहा है। वीपीए कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला पत्तन होगा।
- एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, वीपीए ने 62.29 के सूचकांक बिंदु के साथ 20वां स्थान हासिल किया और वैश्विक रैंकिंग 2023 में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में 19वां रैंक हासिल किया। वीपीए 2022 में 122वें स्थान से बढ़कर 19वें स्थान पर पहुंच गया।
- वीपीए को 'समुद्री पर्यावरण सुरक्षा ट्रॉफी' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 05 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) मुख्यालय, नई दिल्ली में 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना और तैयारी बैठक के दौरान प्रदान किया गया।

वीपीए को 'समुद्री पर्यावरण सुरक्षा ट्रॉफी' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 05 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) मुख्यालय, नई दिल्ली में 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना एवं तैयारी बैठक के दौरान प्रदान किया गया।

पारादीप पत्तन प्राधिकरण

4.24 भारत सरकार ने 1 जून 1965 को राज्य सरकार से पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और 18 अप्रैल 1966 को पत्तन को भारत में आठवां महापत्तन घोषित कर दिया, जिससे यह स्वतंत्र भारत में स्थापित पूर्वी तट पर पहला महापत्तन बन गया। यह पत्तन कोलकाता के दक्षिण में 210 समुद्री मील और विशाखापट्टणम के उत्तर में 260 समुद्री मील अक्षांश 20 - 15'58.63 एन और देशांतर 86' - 40-27 ''34 ई पर स्थित है।

पारादीप पत्तन

4.25 पत्तन ने वर्ष 2023-24 में 145.379 एमएमटी यातायात और चालू वर्ष (दिसंबर 2024 तक) में 109.517 एमएमटी यातायात का संचालन किया। पत्तन में 289.55 एमएमटीपीए की भारित क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्गो को संचालित करने के लिए अठारह (18) बर्थ/जेट्टी, तीन (3) एसपीएम और एक (1) रो-रो जेट्टी है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो कारोबार में पीपीए भारतीय प्रमुख पत्तनों में नंबर एक बन गया। पीपीए ने वित्त वर्ष 2023-24 में अविश्वसनीय 145.38 एमएमटी कार्गो कारोबार दर्ज किया और प्रमुख पत्तनों में सबसे अधिक कार्गो संचालित करने वाला पत्तन बन गया।
- 08 मार्च, 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर लाइन अर्थात मैसर्स मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) ने एसई फीडर कॉरिडोर के तहत पारादीप शटल सेवा शुरू की। एमवी एमएससी टाइगर एफ ने पीआईसीटी टर्मिनल पर अपना पहला आगमन किया।
- पत्तन द्वारा प्रति पोत बर्थडे अर्थात 33,014 एमटी कारोबार हासिल किया गया, जो पिछले वर्ष 31,050 एमटी हासिल किए गए कारोबार की तुलना में सभी प्रमुख पत्तनों में सबसे अधिक है, जिसमें 6.33% की वृद्धि हुई है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण

4.26 एसएमपीके भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय पत्तन है जिसका अस्तित्व 154 वर्षों से है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के पड़ोसी देशों सहित पूरे पूर्वी भारत का एक विशाल भीतरी भाग है, जबकि नेपाल और भूटान भूमि से घिरे हुए हैं। पत्तन में दोहरी डॉक प्रणाली अर्थात पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक प्रणाली (केडीएस) और हुगली नदी के पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक परिसर (एचडीसी) है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता

4.27 एसएमपी, कोलकाता 2023-24 में एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जहां पत्तन ने 66.445 मिलियन टन (एमटी) कार्गो यातायात को संचालित किया, जबकि 2022-23 के दौरान 65.660 मीट्रिक टन का संचालन किया गया था, जो पत्तन के 153 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो पिछले वर्ष में ही हासिल किए गए पिछले अधिकतम से 1.19% अधिक है। पत्तन ने वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान 44.199 एमएमटी यातायात को संचालित किया।

4.28 एसएमपी, कोलकाता में 2023-24 के दौरान संचालित किए गए कंटेनरों की कुल संख्या 7,52,825 टीईयू थी, जबकि 2022-23 में यह संख्या 6,75,904 टीईयू थी अर्थात 76921 टीईयू (11.38%) की वृद्धि। पत्तन पर 2023-24 में 119,47,839 टन कंटेनरीकृत कार्गो संचालित किया गया, जबकि 2022-23 में यह 105,86,545 टन था, जो 13,61,294 टन (12.86%) की वृद्धि है।

उल्लेखनीय उपलब्धियाँ/विकास

- सैंडहेड्स में किए जा रहे शिप-टू-शिप (एसटीएस) संचालन ने विशेष रूप से ट्रांसशिपमेंट कार्गो की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया है। 2023-24 में इस मोड में 18 जलयानों (12 एलपीजी और 6 नेप्था) को संचालित किया गया। एसटीएस प्रचालन ने प्रति यात्रा लगभग 3 करोड़ रुपये की दर से व्यापार की लागत को काफी कम कर दिया।
- 13 अप्रैल 2024 को पुर्तगाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए कंटेनर पोत एम.वी. रिकार्डा II ने हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में रिकॉर्ड तोड़ 1972 टीईयू का आदान-प्रदान करके इतिहास रच दिया, जिसने 15 मार्च 2023 को स्थापित 1947 टीईयू के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और प्रति घंटे 36 टीईयू से अधिक की सकल बर्थ उत्पादकता हासिल की।
- 11 जुलाई 2024 को, एमटीटी समालाजू ने केडीएस में 1732 टीईयू (आयात: 720 टीईयू और निर्यात: 1012 टीईयू) को संचालित किया, जो केडीएस में किसी एक जलयान द्वारा किया गया अधिकतम निष्पादन था। उसे कोलकाता और सिंगापुर/पोर्ट केलांग (उत्तर/पश्चिम) के बीच सेवा में लगाया गया।
- 18 जुलाई, 2024 को, केडीएस ने चीन-कलकत्ता सेवा (सीसीएस) प्राप्त की, जिसमें एम.वी. कोटा राक्यत भारत की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचा।
- एमवीएएम उमंग 03 नवंबर 2024 को एचडीसी, एसएमपीके पहुंचा, जिसमें टाटा स्टील लिमिटेड के लिए 39,149 मीट्रिक टन फ्लक्स कार्गो (चूना पत्थर) का रिकॉर्ड ड्राई बल्क पार्सल लोड था, जो 04 सितंबर 2024 को हासिल किए गए 39,048 मीट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।
- केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय और एसएमपीके ने कंटेनर रेक सेवाओं पर सहयोग करने, एसएमपीके और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), कोलकाता, दोनों में दक्षता और क्षमता को बढ़ाने के लिए 21 दिसंबर, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महापत्तनों का कार्य-निष्पादन

(i) महापत्तनों में संचालित यातायात

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	पत्तन	वास्तविक 2023-24	2024-25* (दिसम्बर 2024 तक)
1	कोलकाता	16.909	11.276
2	हल्दिया	49.536	32.923
3	पारादीप	145.379	109.517
4	विशाखापट्टणम	81.090	60.476
5	चेन्नै	51.598	40.502
6	वी.ओ. चिदंबरनार	41.402	30.621
7	कोचिन	36.315	27.692
8	नव मंगलूर	45.707	32.346
9	मुरगांव	20.628	12.572
10	जवाहरलाल नेहरू	85.818	68.373
11	मुंबई	67.261	51.406
12	दीनदयाल (कांडला)	132.374	108.724
13	कामराजर (एन्नोर)	45.277	35.332
कुल		**819.294**	**621.760**

(ii) महापत्तनों में संचालित कार्गो

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	उत्पाद	वास्तविक 2023-24	2024-25* (दिसम्बर 2024 तक)
1	पीओएल	245.995	184.567
2	लौह अयस्क	61.046	36.437
3	उर्वरक एवं उर्वरक कच्चा माल	17.675	13.827
4	कोयला	191.982	138.113
5	कंटेनरयुक्त कार्गो	181.569	142.909
6	अन्य	121.027	105.907
कुल		**819.294**	**621.760**

(iii) महापत्तनों में क्षमता

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	वर्ष	पत्तन क्षमता	संचालित कार्गो
1	2001-02	343.95	287.58
2	2002-03	362.75	313.55
3	2003-04	389.50	344.80
4	2004-05	397.50	383.75
5	2005-06	456.20	423.41
6	2006-07	504.75	463.78
7	2007-08	532.07	519.31
8	2008-09	574.77	530.53
9	2009-10	616.73	561.09
10	2010-11	670.13	570.03
11	2011-12	689.83	560.14
12	2012-13	744.91	545.68
13	2013-14	800.52	555.50
14	2014-15	871.52	581.34
15	2015-16	965.36	606.47
16	2016-17	1065.83	648.40
	पुन: भारित क्षमता 2016-17	1359.00*	
17	2017-18	1451.19	679.37
18	2018-19	1514.09	699.10
19	2019-20	1534.91	704.93
20	2020-21	1560.61	672.68
21	2021-22	1597.59	720.05
22	2022-23	1617.39	784.31
23	2023-24	1629.86	819.29

(*) बर्थिंग नीति 2016 के अनुसार महापत्तनों की क्षमताओं को पुन: भारित किया गया है।

पत्तनों के महत्वपूर्ण कार्य- निष्पादन सूचक का विवरण निम्नानुसार है:

(iv) औसत टर्न अराउंड टाइम

क्र.सं.	पत्तन	औसत टर्न अराउंड टाइम /(घंटे)#
		2024-25* (दिसम्बर 2024 तक)
1	एसएमपी, कोलकाता	82.48
2	हल्दिया	47.51
3	पारादीप	48.08
4	विशाखापट्टणम	69.33
5	चेन्नै	49.77
6	वी.ओ. चिदंबरनार	55.44
7	कोचिन	32.31
8	नव मंगलूर	39.43
9	मुरगांव	70.85

10	जवाहरलाल नेहरू	26.67
11	मुंबई	68.35
12	दीनदयाल (कांडला)	60.07
13	कामराजर (एन्नोर)	47.35
	कुल (सभी पत्तन)	**50.41**

(*) अनंतिम (#) पायलट बोर्डिंग से डीबोर्डिंग तक की गणना

प्रमुख समुद्री पत्तनों के कंटेनर पोत के लिए औसत टर्नअराउंड समय 2023-24 में 30.12 घंटे और 2024-25 में 30.40 घंटे है।

(v) औसत कारोबार प्रति शिप बर्थ डे (Ship Berth Day)

(टन में)

क्र.सं.	**पत्तन**	**औसत कारोबार प्रति शिप बर्थ डे**	
		2023-24	**2024-25* (दिसम्बर 2024 तक)**
1	एसएमपी, कोलकाता	5365	4732
2	हल्दिया	13698	13145
3	पारादीप	33014	33982
4	विशाखापट्टणम	13687	13571
5	चेन्नै	18728	16485
6	वी.ओ. चिदंबरनार	15401	14171
7	कोचिन	25963	25397
8	नव मंगलूर	19218	20062
9	मुरगांव	17772	15517
10	जवाहरलाल नेहरू	28648	27321
11	मुंबई	11152	10155
12	दीनदयाल (कांडला)	18217	16352
13	कामराजर (एन्नोर)	27197	25723
	कुल (सभी पत्तन)	**18925**	**17967**

(*)अनंतिम

पोत परिवहन

प्रस्तावना

5.1 देश के आर्थिक विकास में, विशेष तौर पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पोत परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय पोत परिवहन उद्योग देश की ऊर्जा सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों का परिवहन मुख्यतः पोतों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, संकट की स्थिति में, भारतीय पोत परिवहन अनिवार्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में योगदान करता है और रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में काम करता है।

5.2 भारत की पोत परिवहन नीति की मुख्य विशेषताएं, देश के विदेशी व्यापार की वाहक व्यवस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन को बढ़ावा देना और एक्जिम व्यापार में हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वजपोत, कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पाद आयातों के परिवहन के लिए अनिवार्य साधन उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय पोत परिवहन देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता हैं।

5.3 भारत, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) का एक संस्थापक सदस्य देश है, जो मुख्यत: समुद्री सुरक्षा से संबंधित पोत परिवहन के तकनीकी पहलुओं, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा, प्रशिक्षण के मानकों और संबंधित विधिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के तहत गठित एक विशेषज्ञ एजेंसी है। भारत आईएमओ समितियों, उप-समितियों, परिषद और सभा की विभिन्न बैठकों में भाग लेता रहा है और इसने आईएमओ द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के समझौतों, प्रोटोकॉल, संहिता और दिशा-निर्देशों को तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान किया है।

5.4 भारतीय टनभार को बढ़ावा देने और कीमती विदेशी मुद्रा बचाने के लिए, मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 दिसंबर,1957 को यह निर्णय लिया था कि बड़ी संविदाओं, जिनमें केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों और उनके अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, द्वारा पोत परिवहन व्यवस्था करना शामिल है, के लिए सभी समझौतों में तत्कालीन परिवहन विभाग से अनिवार्य रूप से परामर्श

करना होगा और ऐसी सभी आयात संविदाओं को एफओबी/एफएएस (फ्री ऑन बोर्ड/फ्री एलांगसाइड शिप) आधार पर तथा निर्यात के लिए सीएण्डएफ/सीआईएफ (लागत और भाड़ा/लागत, बीमा और मालभाड़ा) आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा और ऐसा न करने पर, मामला-दर-मामला आधार पर, परिवहन विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

5.5 आर्थिक उदारीकरण के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता और निष्पादन सुधार पर नए सिरे से जोर दिए जाने के कारण सरकार ने 15 नवम्बर, 2001 को निर्णय लिया कि हालांकि एफओबी/एफएएस आधार पर आयात संविदा करने की मौजूदा नीति जारी रहेगी, लेकिन निर्यात के मामले में इस नीति को शिथिल किया गया। सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मंत्रालय से पूर्व-अनापत्ति प्राप्त किए बगैर एफओबी/एफएएस आधार पर निर्यात संविदाओं को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी।

5.6 विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उन्हें अपने स्वयं के पोत परिवहन प्रबंध करने की अनुमति देने, की बढ़ती मांग को देखते हुए ताकि वे अपने कार्गो आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला प्रचालनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में त्वरित निर्णय ले सकें, तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय ने सितंबर, 2015 में निर्णय लिया कि सभी आयातक सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी मांगों को पोत परिवहन मंत्रालय के माध्यम से भेजे बिना अपने स्वयं के पोत परिवहन का प्रबंध करेंगे, जो निम्नलिखित के अध्यधीन होगा:

- आयातक सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बल्क कार्गो, शुष्क और तरल, दोनों का आयात, एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) / एफएएस (फ्री अलोंग शिप) के आधार पर किया जाना जारी रहेगा और यह मौजूदा सरकारी नीति के अध्यधीन रहेगा और इस प्रक्रिया का पालन न करने की स्थिति में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की मंजूरी से अलग- अलग मामले के आधार पर तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय से पूर्व अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एफओबी पर पीएसयू (फ्री ऑन बोर्ड)/ एफएएस (फ्री अलोंगसाइड शिप) या सीएंडएफ (लागत और माल ढुलाई)/सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) के आधार पर सामान्य लाइनर कार्गो (प्रोजेक्ट कार्गो, हेवी लिफ्ट कंटेनर, ब्रेक बल्क कार्गो आदि) के आयात की भी अनुमति दी गई थी, जो मौजूदा सरकारी नीति के अध्यधीन था। सीएंडएफ/सीआईएफ आयात के मामले में पोत परिवहन मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5.7 व्यापार (निर्यात और आयात) बढ़ाने की संभावना वाले उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है और इन क्षेत्रों पर समुद्री मार्ग खोलने के तरीकों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं-अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) मार्ग, जो ईरानी पत्तनों से होते हुए भारत से स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) की दूरी को काफी हद तक कम करेगा, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए खोले गए समुद्री मार्गों (सरकार की एक्टएक्ट ईस्ट नीति के भाग के रूप में) की तरह थाईलैंड, वियतनाम इत्यादि जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जाने वाले मार्ग, जिन पर अभी भी विकास की गुंजाइश है।

5.8 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई रही निर्यात संवर्धन नीति के कारण भारत का विदेशी व्यापार, संरचना और दिशा, दोनों दृष्टियों से काफी अधिक बढ़ गया है। साथ ही, यातायात की आवाजाही को और अधिक कारगर तरीके से आसान बनाने हेतु व्यापार से संबंधित अवसंरचना, विशेषकर परिवहन, को मुहैया कराने और उसे बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक पोतों द्वारा विदेशक गंतव्यों तक यातायात के आवागमन का संबंध है, कन्सोर्टियम, लाइनर पोत परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले भारत और विदेशी, दोनों द्वारा ध्वजपोतें ब्रेक-बल्क अथवा कंटेनरीकृत रूप में सामान्य कार्गो के लिए प्रत्यक्ष अथवा यानांतरण व्यवस्था के जरिए सेवाएं मुहैया की जाती रही हैं। इसी प्रकार आयात अथवा निर्यात के रूप में बल्क कार्गो के आवागमन के लिए भारतीय और विदेशी, दोनों यानांतरण सेवाएं, जिन्हें आमतौर पर चार्टर आधार पर लिया जाता है, सभी गंतव्यों के लिए उपलब्ध हैं।

5.9 निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात से संबंधित अवसंरचना बेहतर करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, रेल, पत्तनों और विमान पत्तनों के जरिए निर्बाध परिवहन में खामियां निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना विकास में आने वाली बाधाएं हैं। तथापि, तथ्य यह है कि परिवहन क्षेत्र में, हमारे देश में अधिकांश वित्तपोषण रेलवे, सड़क तथा राजमार्ग क्षेत्रों के लिए होता है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सड़कों और रेलवे के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, सामुद्रिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किए जाने की और अधिक आवश्यकता है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके। इस प्रकार, जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा दिए जाने की नितांत आवश्यकता है।

पोतनिर्माण और पोत मरम्मत

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में नया बड़ा ड्राई-डॉक

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अंतर्राष्ट्रीय पत्तन मरम्मत सुविधा

5.10 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग के संवर्धन के लिए नीतिगत उपायों को तैयार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। देश में 53 शिपयार्ड हैं जिनमें से 7 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, 2 राज्य सरकारों के अधीन तथा 44 निजी क्षेत्र के अधीन हैं। सरकार के स्वामित्व वाले, नियंत्रणाधीन शिपयार्डों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

(क) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि
- हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), नजीरगंज - सीएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी
- उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल), मालपे - सीएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी
- हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता (बंद हो गया है)

(ख) रक्षा मंत्रालय

- मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई
- गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा
- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टणम

(ग) राज्य सरकार

- गुजरात सरकार के अधीन - एलकॉक ऐशडाउन कं. लि. (प्रचालन बंद)
- पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन - शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

5.11 वर्तमान में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए जाने वाले पोतों का अधिकतम आकार 1,10,000 डीडब्ल्यूटी है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बढ़ाकर 3,00,000 डीडब्ल्यूटी तक किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के शिपयार्ड केप आकार तक के पोतों का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी तुलना दुनिया के कुछ प्रमुख शिपयार्डों के स्तर की हैं। रिलायंस नेवल इंजी. लिमिटेड के पास 400,000 डीडब्ल्यूटी और एलएंडटी शिपबिल्डिंग-कट्टुपल्ली में 300,000 डीडब्ल्यूटी तक के पोतों के निर्माण की क्षमता है, जिनमें बड़े एलएनजी वाहक शामिल हैं। छोटे आकार के एलएनजी वाहक, ड्रेजर्स और अन्य विशेष पोतों का निर्माण निजी क्षेत्र के अन्य शिपयार्ड जैसे शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, विजय मरीन सर्विसेज, मंडोवी ड्राई डॉक्स लिमिटेड, एसी रॉय एंड कंपनी, डेम्पो शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि. आदि द्वारा किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण से भी रुचि बढ़ी है और इस प्रकार अधिक रुचि से भारतीय यार्डों में मांग में वृद्धि हुई है। लेकिन कई निजी शिपयार्डों के धराशायी होने के कारण देश में अवसंरचना की कमी के परिणामस्वरूप क्षमता का क्षरण हुआ और कोई उचित वित्तपोषण तंत्र न होना प्रमुख पोत मालिकों और बाजार के प्रतिस्पर्धियों का ध्यान आकर्षित करने में एक बड़ी बाधा बन गया।

भारतीय शिपयार्ड में पोतनिर्माण

पोत निर्माण में संभावनाएं

5.12 आज बाजार में मंदी के हालातों में, इस उद्योग की वृद्धि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ''आत्मनिर्भर भारत'' पहल के माध्यम से तेजी आने की संभावना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग द्वारा सभी महापत्तनों में सेवाओं के लिए स्थानीय रूप से निर्मित टगों को प्राथमिकता देने जैसी कई समर्थन पहलें की गई हैं। भारत में पोत निर्माण की मांग में वृद्धि तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल के लिए उपर्युक्त योजनाओं से होने की संभावना है। रुचि का दूसरा संभावित क्षेत्र रक्षा बाजार और गहरे समुद्र का

मस्त्यन क्षेत्र है। एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना की योजना का उद्देश्य नौसेना के बेड़े को मौजूदा 137 से बढ़ाकर वर्ष 2027 तक 200 तक करना है। हाल ही में परिचालित रक्षा उत्पादन नीति के अनुसार, भारत सरकार की संकल्पना, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ-साथ अन्य मित्र देशों की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ ''भारत को एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल करना'' है। रुचि का एक अन्य क्षेत्र शहरी परिवहन और शॉर्ट-शिपिंग परिवहन बाजार है, जहां पर्यावरण अनुकूल इलैक्ट्रिक मोबीलिटी प्रौद्योगिकी तेजी से बढ रही है और भारतीय पोत निर्माताओं के लिए नए अवसर दे रही है। इस क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाओं की परिकल्पना करते हुए, निजी शिपयार्ड हाइब्रिड पोतों के निर्माण के लिए अपनी क्षमताओं को उन्नत कर रहे हैं, ताकि वे भी सरकार की सहायता से ऐसे जलयानों के निर्माण हेतु विचार किए जाने के पात्र हो सकें।

5.13 पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग की वृद्धि के लिए समुद्री क्लस्टर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये इस उद्योग के लिए सहायक सेवाएं, सहायक उत्पादों का विनिर्माण, समुद्री सेवाएं एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के आधार पर, तमिलनाडु की सागरमाला कार्यक्रम के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भाग के रूप में समुद्री क्लस्टर के विकास हेतु पहचान की गयी है। एशिया और यूरोप के बीच मुख्य पोत परिवहन मार्गों की निकटता, आस-पास के क्षेत्रों में इस्पात उद्योग, शिपयार्ड और पत्तनों की उपस्थिति जैसे कारक, तमिलनाडु में समुद्री क्लस्टर के विकास के लिए अनुकूल हैं। गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) अहमदाबाद में समुद्री सेवा क्लस्टर के साथ-साथ भावनगर में एक समुद्री पोत निर्माण पार्क अथवा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) के विकास पर कार्य कर रहा है।

भारतीय पोतनिर्माण उद्योग के लक्ष्य

- भारत में नदी-समुद्री जलयानों, अंतर्देशीय जलयानों, बार्जों और मत्स्ययन जलयानों के निर्माण को सुकर बनाना।
- नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना, विशेषकर ऐसे पोतों के निर्माण में, जो वैकल्पिक इंधनों का इस्तेमाल करते हों।
- यह सुनिश्चित करना कि उन्नत उपस्कर के शीर्ष वैश्विक आपूर्तिकर्ता भारत में अपने उत्पाद का भंडारण और/या एकत्रीकरण करें।
- यह सुनिश्चित करना कि समस्त सरकारी स्वामित्व वाले /पीएसयू जलयानों का निर्माण भारत में किया जाए।

5.14 विजन 2030 में मात्रा के संबंध में प्रभावी सीमा (threshold) प्राप्त करके भारतीय पोतनिर्माण को 2025 तक प्रतिस्पर्धी बनाने, और फिर ''मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड'' स्तर तक पहुंचने और दुनिया के शीर्ष 10 पोत निर्माण देशों में शामिल होने के लिए उच्च मात्रा की ओर आगे बढ़ने की परिकल्पना की गई है। प्रमुख पहलों में, मांग में सुधार के लिए कार्गो को चैनलाइज करना, सहायक उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, उचित सरकारी उपायों के साथ बेहतर उत्पादकता के लिए मानकीकृत डिजाइन तैयार करना शामिल हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समान अवसर पैदा किए जा सकें।

5.15 मैरीटाइम इंडिया विजन दस्तावेज में भी समस्त समुद्री क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी और दीर्घकालिक वित्त जरूरतों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक समुद्री विकास निधि के निर्माण का समर्थन किया गया है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे अन्यथा भारतीय पोत मालिकों को अपनी क्षमता में सुधार करने और शिपयार्ड में अवसंरचना में सुधार करने में आसानी हो सकती है। हालांकि, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के रोड मैप, जिसे विजन दस्तावेज 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (एमआईवी 2030)'के अनुरूप तैयार और प्रकाशित किया गया है, के अनुसार भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के उद्देश्य में अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास का उल्लेख किया गया है। नीचे दी गई विभिन्न सरकारी नीतियों इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रही हैं और ये इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायक के रूप में कार्य करेंगी:

(क) पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016):

भारतीय शिपयार्डों में पोतनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए दस वर्ष की अवधि, अर्थात् वर्ष 2016-2026 के दौरान हस्ताक्षरित अनुबंधों के लिए नई पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति(एसबीएफएपी) को मंजूरी दी। एसबीएफएपी के लिए दिशा-निर्देश अक्तूबर 2017 में संशोधित किए गए और शिपयार्डों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों पर नौवहन महानिदेशालय (डीजी (एस) द्वारा ऑनलाइन कार्रवाई करने के उद्देश्य से इन्हें वेब पोर्टल को 2017 के दौरान अद्यतन किया गया। वर्ष 2016-17 से कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय शिपयार्डों को कम ''अनुबंध मूल्य''या ''उचित मूल्य''या उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक पोत के लिए किए गए वास्तविक भुगतान के 20% के बराबर वित्तीय सहायता दी जा रही है। 20% की इस दर को हर तीन वर्ष में 3% कम किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों को अप्रैल 2022 और अगस्त 2023 में संशोधित किया गया है। यह नीति इन दिशानिर्देशों में दर्शाई गई वित्तीय सहायता की दर के अनुसार मानक, विशेषीकृत और अन्य जलयानों को सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हरित पहल की घोषणाओं के साथ, भारत सरकार एसबीएफएपी के तहत हरित ईंधन वाले जलयानों के निर्माण की पहल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें उन पोतों के लिए 30% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जहां मुख्य प्रणोदन मेथनॉल/अमोनिया/हाइड्रोजन ईंधन सेल्स जैसे हरित ईंधन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और प्रणोदन के विद्युत साधनों वाले पोतों या हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित पोतों के लिए 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है:

वर्ष	जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि (करोड़ रु. में)	पोतों की संख्या
2018-19	29	12
2019-20	27	7
2020-21	58	15
2021-22	65	17
2022-23	58	32
2023-24	90	50
2024-2025	**84.6 (31.12.2024 तक)**	**19 (31.12.2024 तक)**

(ख) भारतीय शिपयार्डों को अस्वीकार करने का अधिकार (2016)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 09 दिसंबर 2015 को यह भी अनुमोदित किया कि सी.पी.एस.यू. सहित सभी सरकारी विभागों अथवा अभिकरणों को वर्ष 2025 तक भारतीय शिपयार्डों को सरकारी अथवा अपने उपयोग के लिए जलयानों की खरीद अथवा मरम्मत करते समय प्रथम अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) देना होगा और उसके बाद केवल भारतीय शिपयार्ड ही इन संगठनों के जलयानों का निर्माण और मरम्मत करेंगे। दिनांक 31मई 2016 को मंत्रालय की वेबसाइट पर दिशा-निर्देश अपलोड किए गए थे। उसके बाद, के लेंग्थ एवं नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सुविधाओं से संबंधित कुछ प्रावधान मंत्रालय द्वारा संशोधित किए गए हैं ताकि छोटे शिपयार्डों सहित अधिक से अधिक भारतीय शिपयार्ड इस नीति का लाभ उठा सकें। संशोधित दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

(ग) अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना (2016)

आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 13 अप्रैल 2016 को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की मिश्रित मास्टर सूची में स्टैण्ड अलोन 'शिपयार्डों' के का समावेशन अधिसूचित किया है। इस समावेशन से, शिपयार्ड दीर्घकालिक परियोजना ऋणों के लचीले निर्धारण, ब्याज की कम दरों पर

बुनियादी निधियों से दीर्घकालिक वित्तपोषण तथा उनकी परिसंपत्तियों के आर्थिक काल के समकक्ष दीर्घकालिक अवधि निधीयन, शिथिल ईसीबी मापदंड, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना बांड के निर्गमन का फायदा उठा पाएंगे। एक फ्लोटिंग या भू-आधारित सुविधा केन्द्र जिसके साथ वाटरफ्रंट, टर्निंग बेसिन, बर्थिंग और डॉकिंग सुविधा, स्लिपवे तथा/अथवा शिपलिफ्ट जैसी आवश्यक विशेषताएं हों, एवं जो पोतनिर्माण/मरम्मत/ब्रेकिंग गतिविधियों को चलाने में आत्मनिर्भर हो, को स्टेण्डलोन शिपयार्ड के रूप में परिभाषित किया गया है।

(घ) टगों को चार्टर करने/खरीद के लिए एसओपी (2020)

लघु और मध्यम शिपयार्डों को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय ने सितंबर, 2020 में महापत्तनों द्वारा पत्तन क्रॉफ्टों की खरीद/चार्टरिंग से संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। स्थायी विनिर्देशन समिति (एसएससी) द्वारा अंतिम रूप दिए गए टगों के 5 स्वरूप/प्रकार आईपीए को पास भेजे गए हैं।

(ङ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत डीप-सी फिशिंग वैसल्स (डीएसएफवी) की खरीद के लिए एसओपी (पीएमएमएसवाई)

मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य मत्स्यन विभागों की सहायता के लिए डीप-सी फिशिंग वैसल्स की खरीद हेतु वर्ष 2021 में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की थी। इस्पात और एफआरपी के लिए डीप-सी फिशिंग वैसल्स की खरीद के लिए समेकित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) दिनांक 31 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इसके अलावा, नोडल प्राधिकरण द्वारा फिशिंग जलयानों हेतु अनुमोदित मानकीकृत डीएसएफवी डिजाइन एवं विनिर्देश के तीन स्वरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु मत्स्यन विभाग को भेजे गए हैं।

(च) जलयानों की चार्टरिंग में प्रथम अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करना

भारत में भारतीय ध्वज और पोत निर्माण के अंतर्गत टनभार को बढ़ावा देने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जलयानों की चार्टरिंग हेतु पहले अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करने का मापदंड संशोधित किया गया है, ताकि टनभार और भारत में पोतनिर्माण के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आरओएफआर के लिए संशोधित वरीयता निम्नानुसार हैः

(1) भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले

(2) भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व वाले

(3) विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले

(4) विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व वाले

(5) भारत में निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व वाले

(छ) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017, वर्ष 2020 में संशोधित

डीपीआईआईटी द्वारा सितंबर, 2020 में जारी किए गए मेक इंडिया के संशोधित आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि 200 करोड़ रु. से कम की खरीद के अनुमानित मूल्य के साथ वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए, वैश्विक निविदा मांग जारी नहीं की जाएगी। इससे भारतीय शिपयार्डों को, और अधिक पोत मरम्मत संबंधी ऑर्डर मिलने में मदद मिलेगी।

पोत मरम्मत उद्योग

5.16 वर्तमान वैश्विक पोत मरम्मत बाजार 2030 तक $40 बिलियन से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। एशिया-प्रशांत (एपीएसी) का क्षेत्र

के भीतर समुद्री व्यापार गतिविधियों में वृद्धि के कारण पोत मरम्मत और रखरखाव सेवाओं के बाजार पर प्रभुत्व है। चीन, सिंगापुर, कोरिया और मध्य पूर्व में शिपयार्ड बड़े पैमाने पर कुशल श्रमिकों और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता के कारण पोत मरम्मत उद्योग में हमेशा सबसे आगे रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बाजारों में विकास द्वारा समर्थित पोत मरम्मत और रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में सुधार के कारण 2024 से 2029 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान यूरोप में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। हालाँकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 1% से भी कम है, देश तटरेखा के 300 एनएम के भीतर होने वाले वैश्विक व्यापार 7 से 9% के साथ प्रमुख व्यापार मार्गों/ नौवहन मार्गों के संबंध में अनुकूल स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, भारत रक्षा क्षेत्र में मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो भारतीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं दोनों के लिए पोत मरम्मत सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराएगा, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह संरक्षित किए जाने वाला महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

5.17 भारत का वार्षिक पोत मरम्मत बाजार अनुमानत: लगभग 2,000 करोड़ रुपये का है, जिसकी कुल अनुमानित क्षमता 6,000 करोड़ रुपये है। हालांकि, इस बाजार की पूर्ति के लिए 30% से अधिक वाणिज्यिक पोत मरम्मत भारत के बाहर की जाती है। फिर भी, अगले 10 वर्षों में, भारत में 14,000+ करोड़ रुपये का पोत मरम्मत बाजार बनाने की क्षमता है जो देश में पोत मरम्मत व्यवसाय को स्वदेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पास एक मजबूत कार्यबल है जो संभावित रूप से श्रम-गहन पोत मरम्मत उद्योग की पूर्ति कर सकता है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत बाजार में क्षमता का उपयोग न होने का कारण प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता की कमी है। लागत का लाभ न होने के अन्य कारणों में उच्च वित्तपोषण लागत, भारत में पोत पुर्जे आसानी से उपलब्ध न होना, अपर्याप्त सहायक सहायता और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं जो पोत मरम्मत निष्पादन चक्र समय को बढ़ाते हैं।

5.18 इन कमियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार, एमआईवी 2030 पहल के तहत, कई पहलों के माध्यम से उद्योग को सक्रिय रूप से सहायता दे रही है। इनमें 'आत्मनिर्भर भारत' नीति का लाभ उठाकर घरेलू मांगों को दिशा देना, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अवसंरचना का विकास करना और मुक्त व्यापार डिपो और समुद्री क्लस्टर बनाकर उद्योग में समग्र विकास और बढ़े हुए व्यवसाय के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना शामिल है।

भारतीय पोत मरम्मत क्षमता

5.19 भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का कारण प्रमुख व्यापार मार्गों पर सिंगापुर, मध्य पूर्व (दुबई, बहरीन) और कोलंबो में प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जलयानों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता की कमी कहा जा सकता है। इन कमियों के कारण, देश के कुल 53 शिपयार्डों में से केवल 5-6 शिपयार्ड ही कोई महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य करते हैं। पोत की मरम्मत में प्रमुख बाधाओं में से एक जीएसटी है, जो एक अतिरिक्त कर बोझ है और विदेशी पोत मरम्मतकर्ताओं की तुलना में भारतीय पोत मरम्मतकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी से बाहर कर देता है। लागत का लाभ न होने के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों के कारण बढ़ा हुआ पोत मरम्मत निष्पादन समय चक्र शामिल हैं।

5.20 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जिसके द्वारा यह व्यापार मार्ग में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले पोतों को, उनके पोत-मरम्मत कार्यों के लिए आकर्षित कर सकता है। यह पोत-मरम्मत व्यवसाय के लिए बढ़ती बाजार संभावना को दर्शाता है क्योंकि पोतस्वामी जहां तक संभव हो सके अपने व्यवसाय मार्ग को बदले बिना अपने पोतों की मरम्मत करवाना चाहते हैं। पोत मरम्मत सेवा, एक अनुपूरक सेवा है जो अधिकांश शिपयार्डों द्वारा प्रदान की जाती है, यह एक श्रम-गहन गतिविधि भी है जोकि मौजूदा पोत निर्माण अवसंरचना का उपयोग करती है ताकि निवेश की गई पूंजी पर अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा सके।

पोतों का पुनर्चक्रण

अलंग में पोतों का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग)

5.21 भारत मियाद समाप्त हो चुके पोतों के अन्य रूप में उपयोग पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। भारत में 98% पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) गुजरात के अलंग-सोसिया में होता है, जो अलंग-सोसिया गाँवों से सटे कैम्बे की खाड़ी के पश्चिमी तट पर 10 किमी लंबे समुद्र के सामने स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना अलंग में प्रति वर्ष लगभग 3.50 एमएमटी स्टील का उत्पादन किया जाता है, जिससे लगभग 100 पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) प्लॉटों ने हांगकांग कन्वेंशन का अनुपालन करने का दर्जा हासिल कर लिया है। किडरपोर डॉक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता और मुंबई पत्तन पर भी सीमित तरीके से पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) कया जाता है। केरल में स्टील इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड भी सीमित पैमाने पर छोटे पोतों का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) करता है।

5.22 पोतों का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के समय पोत मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा न करें हैं। यह अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है। इसे, हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी), जिसके आधार पर इसका अधिनियमन किया गया है, लागू होने के बाद प्रभावी किया जाएगा। पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 28 नवंबर, 2019 को भारत ने पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 2009 का अनुसमर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को विनियमित करने की दृष्टि से, भारत ने कन्वेंशन के आधार पर पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है। इसे 16 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) नियमावली, 2021 को भी 26 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया है, ताकि पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) यार्ड, हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) के लागू होने से पहले पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसंरचना से खुद को लैस कर सकें। वर्तमान में एचकेसी को 26 जून 2025 तक लागू होना है।

5.23 वर्तमान में देश में पोतों की पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) पोत भंजन कोड, (संशोधित), 2013 के तहत विनियमित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया यह कोड कुछ क्षेत्रों में एचकेसी कोड से भी अधिक कठोर है।

5.24 हरित पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और स्क्रैपिंग नीति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 सितंबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था, साथ ही 13 सितंबर 2022 को अलंग शिपयार्ड का दौरा भी किया गया था। प्रमुख यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों के राजदूतों को भी अलंग में स्थापित की गई हरित पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) अवसंरचना से अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। मौजूदा पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इसे एलडीटी के मौजूदा 4.50 एमएमटीपीए से बढ़ाकर वर्ष 2024 तक एलडीटी के 9.0 एमएमटीपीए तक करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अलंग में पोत भंजन

श्रमिक आवास कॉलोनी

सुधार

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024 और तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 द्वारा प्रतिस्थापन

5.25 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वाणिज्य पोत परिवहन उद्योग में हाल के वर्षों में कई बदलाव हुए हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (अधिनियम) अब समुद्री क्षेत्र की समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत विभिन्न अनिवार्य अपेक्षाओं को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दायित्वों को शामिल करने के लिए भी सुधारों की आवश्यकता थी। भारतीय पोत परिवहन के विकास को सुनिश्चित करने और तटीय पोत परिवहन और व्यापार को गति देने के लिए भारतीय समुद्री उद्योग द्वारा दी जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए, अधिनियम को दो अलग-अलग विधान लाने के लिए संशोधित किया गया है। तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024, जो घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नौवहन के

केवल वाणिज्यिक और व्यापारिक पहलुओं से संबंधित है और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत भारत के दायित्वों के कार्यान्वयन और समुद्री क्षेत्र के तकनीकी पहलुओं से संबंधित है, लोक सभा में क्रमशः 2 दिसंबर, 2024 और 10 दिसंबर, 2024 को प्रस्तुत किए गए हैं।

भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856 को प्रतिस्थापित करने के लिए वहन-पत्र विधेयक, 2024

5.26 भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856 (अधिनियम), स्वतंत्रता-पूर्व का एक कानून है, माल की ढुलाई के अनुबंध में निहित वाद और देनदारियों के अधिकारों के उन माल प्रेषितियों या प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरण से संबंधित है, जिन्हें कोई वहन-पत्र विधेयक हस्तांतरित किया गया है। चूंकि अधिनियम की विषय-वस्तु भारत के संदर्भ में प्रासंगिक है, इसलिए वहन-पत्र विधेयक, 2024 का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें कानून को समझना आसान बनाने के लिए इसके मूल/उद्देश्य में कोई बदलाव किए बिना अधिनियम के प्रावधानों को सरल बनाया गया है। उक्त विधेयक 9 अगस्त, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

भारतीय समुद्र माल वहन अधिनियम, 1925 का समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024 द्वारा प्रतिस्थापन

5.27 भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925, जो स्वतंत्रता-पूर्व का एक कानून है, लदान विधेयक समझौते (हेग-विस्बी नियम) से संबंधित कानून के कतिपय नियमों के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर आधारित है। चूंकि अधिनियम की विषय-वस्तु भारत के संदर्भ में प्रासंगिक है, इसलिए समुद्र माल वहन विधेयक, 2024 का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कानून को समझना आसान बनाने के लिए बिना किसी बदलाव के अधिनियम के मूल/ उद्देश्यों में सरल बनाया गया है। इसमें समुद्री मार्ग से माल परिवहन से संबंधित नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से किसी भी नए पहलू को अपनाने के लिए अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान भी शामिल है। उक्त विधेयक को 9 अगस्त, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।

क्रूज़ शिपिंग

5.28 भारत में क्रूज़ प्रचालन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पोतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुशल योजना और समन्वय शामिल है, जिससे भारतीय पत्तनों पर कुशल समुद्री और यात्री संचालन कार्य सुनिश्चित होता है।

घरेलू पोतें

5.29 इन पत्तनों को भारतीय पत्तनों पर उतारना होता है और घरेलू यात्रा कार्यक्रम के तहत काम करना होता है, जिसमें छोटे पत्तन, द्वीप और भारतीय भू-भाग के अंदर अन्य गंतव्य शामिल होते हैं। यदि कोई विदेशी पोत घरेलू यात्रा कार्यक्रम के तहत चलने का इरादा रखता है, तो उसे प्रचालन शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से तटीय मार्गों पर चलना होता है। सुचारू प्रचालन सुकर बनाने के लिए पत्तनों को अपने शिपिंग एजेंटों के माध्यम से अपने कार्यक्रम को पहले से ही घोषित करना होता है। इससे पत्तन अधिकारियों को वांछित क्रूज़ टर्मिनलों पर बर्थ की योजना बनाने और उन्हें आवंटित करने में मदद मिलती है। शिपिंग एजेंट जलयान को तट पर लगाने, गैंगवे की व्यवस्था करने, बंकर, ताज़ा पानी और सामान की आपूर्ति करने के लिए पत्तन अधिकारियों के साथ समन्वय करते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट चेक-इन स्टाफ़, बैगेज हैंडलिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं सहित यात्री सेवाओं का प्रबंधन करके इन प्रयासों में सहायता करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पोतें

5.30 अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रम के दौरान, ये पत्तन विभिन्न भारतीय पत्तनों पर रुकते हैं। घरेलू पत्तनों की तरह, उन्हें कुशल बर्थिंग और प्रचालन योजना सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यक्रम पहले से घोषित करने होते है।

अंतर्राष्ट्रीय पोतों के संबंध में, वे यात्रियों के लिए आव्रजन मंजूरी और सीमा शुल्क बैगेज स्क्रीनिंग जैसी अतिरिक्त नियामक प्रक्रियाओं

को पूरा करते हैं। जलयान एजेंट दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों को सुचारु बनाने करने के लिए आव्रजन, सीमा शुल्क, पत्तन स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और पत्तन अधिकारियों सहित कई अधिकारियों के साथ संपर्क करते हैं। इसके अलावा, जलयान एजेंट टूर ऑपरेटरों के साथ मिलकर तटीय भ्रमणों की व्यवस्था करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को देखने का अवसर मिलता है।

यह सुव्यवस्थिति प्रक्रिया निर्बाध क्रूज प्रचालन सुनिश्चित करता है, यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाता है और वैश्विक क्रूज नेटवर्क में एक प्रमुख गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

क्रूज़ टर्मिनल

5.31 वर्तमान में, छह प्रमुख पत्तनों पर क्रूज़ टर्मिनल हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टणम पत्तन, गोवा में मुरगांव पत्तन, कर्नाटक में नव मंगलूर पत्तन, केरल में कोचीन पत्तन, महाराष्ट्र में मुंबई पत्तन और तमिलनाडु में चेन्नै पत्तन। इसके अलावा, मुंबई और मुरगांव में क्रूज़ टर्मिनलों का उन्नयन किया जा रहा है।

विगत वर्षों में की गई पहलें

5.32 सरकार ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दशकों के दौरान अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह की कई पहलें की हैं। ये निम्नलिखित हैं:

- मालवाहक पोतों की तुलना में क्रूज पोतों के लिए गारंटीकृत बर्थ का प्रावधान।
- क्रूज़ को आकर्षित करने के लिए निष्कासन (आउस्टिंग) शुल्क हटा दिया गया है। (निष्कासन - क्रूज पोत को बर्थ करते समय, कभी-कभी काम कर रहे मालवाहक पोत को हटाकर प्राथमिकता के आधार पर क्रूज पोत को बर्थ करना होता है, जिसके लिए शुल्क देय होते हैं। क्रूज को आकर्षित करने के लिए इन शुल्कों को माफ कर दिया जाता है।)
- घरेलू क्रूज पत्तनों के लिए क्रूज टैरिफ में 20% तक की छूट बढ़ा दी गई है।
- ई-वीजा और आगमन पर वीजा सुविधाएं दी गई हैं।
- एकल ई-लैंडिंग कार्ड शुरू किया गया है, जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी पत्तनों के लिए वैध है। बायोमेट्रिक्स कैप्चर हो जाने और आप्रवासन निकासी मिल जाने के बाद, यात्री को सिंगल ई-लैंडिंग कार्ड के आधार पर विभिन्न भारतीय पत्तनों पर पोत में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है। यह पोत के पहले पत्तन पर आने से लेकर भारतीय पत्तन से रवाना होने तक वैध रहता है।
- विदेशी क्रूज जलयानों के लिए कैबोटेज में छूट दी गई है। इस छूट से विदेशी क्रूज पोतों को अपने घरेलू भ्रमण के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक ले जाने की अनुमति मिलती है।(भारत सरकार ने वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 407 के प्रावधान में छूट देने पर विचार किया है, तथा 6 फरवरी 2009 के आदेश के माध्यम से यात्रियों को ले जाने वाले विदेशी क्रूज पोतों/जलयानों को नौवहन महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना एक से अधिक भारतीय पत्तनों पर रुकने की अनुमति दी गई है।)
- यात्रियों को ले जाने वाले विदेशी ध्वजांकित जलयानों को नौवहन महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना फरवरी 2029 तक भारतीय पत्तनों पर आने की अनुमति दी गई।
- सीमा शुल्क, आप्रवासन, सीआईएसएफ, पत्तनों आदि के लिए एक समान एसओपी शुरू किए गए हैं।
- महापत्तनों पर 42% से 67% तक की छूट के साथ सभी महापत्तनों के लिए एक समान एकल दर निर्धारित की गई है।
- बर्थ पर रहने के पहले 12 घंटों के लिए एमओपीएसएंडडब्ल्यू द्वारा अगस्त 2020 में लागू किया गया 0.085 यूएसडी/जीआरटी का तर्कसंगत क्रूज प्रशुल्क वसूला जाता है। 6 यूएसडी का मामूली यात्री हेड टैक्स वसूला जाता है।

- क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर अग्रणी वैश्विक क्रूज लाइनों सहित अन्य बातों के साथ-साथ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
- सरकार ने 23 नवंबर 2015 को सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता और सचिव, पोत परिवहन की सह-अध्यक्षता में क्रूज पर्यटन पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसे अब सर्वोच्च कार्यकारी क्रूज समिति के रूप में क्रूज भारत मिशन का हिस्सा बना दिया गया है।

पहलें - 2024-25

कराधान

5.33 वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में एक नई धारा 44 बीबीसी को शामिल करके क्रूज पोतों के प्रचालन का व्यवसाय करने वाले प्रवासियों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे करदाता द्वारा प्राप्त या प्राप्य या अदा या देय कुल राशि का बीस प्रतिशत ऐसे व्यवसाय से लाभ और प्राप्ति माना गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (15ख) शामिल करके कर निर्धारण वर्ष 2030-31 तक लीज किराए से विदेशी कंपनी की आय में छूट प्रदान की गई है। यदि ऐसी विदेशी कंपनी और प्रवासी क्रूज पोत प्रचालन की होल्डिंग कंपनी एक ही है। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हैं।

क्रूज़ भारत मिशन

5.34 क्रूज़ भारत मिशन 30 सितंबर, 2024 को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों को शामिल करके क्रूज़ सेक्टर को विकसित करने के लिए सरकार का पूरा सहयोग प्रदान करना है। जैसाकि परिकल्पना की गई है, क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सभी विनियामक एजेंसियों – सीमा शुल्क, आप्रवासी, सीआईएसएफ, राज्य पर्यटन विभाग, राज्य समुद्री एजेंसियों जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस आदि की उत्तरदायी भागीदारी के जरिए क्रूज यात्रियों की संख्या 2029 तक 1 मिलियन तक दोगुनी करना है।

क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ

उपलब्धियां

5.35 आईपीए ने पर्यटन मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के तहत क्रूज पोतों को आकर्षित करने और क्रूज क्षेत्र में भारत की विशाल क्षमता को दर्शाने के लिए सभी भारतीय गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज कार्यक्रमों और मेलों में भागीदारी का समन्वय किया। भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) ने क्रूज लाइन्स इंटरनेशनल एसोसिएशन (सीएलआईए) के साथ गोल्ड लेवल की सदस्यता हासिल की है, जिससे वैश्विक दृश्यता बढ़ रही है, प्रमुख क्रूज ऑपरेटरों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है और भारत का एक प्रमुख वैश्विक क्रूज गंतव्य बनने का लक्ष्य आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, भारतीय पत्तन संघ और मलेशियाई पत्तन गठबंधन ने 16 दिसंबर, 2024 को एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके इंडो-पैसिफिक समुद्री सहयोग में एक निश्चित उपलब्धि हासिल की है। इस समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में, दोनों पक्षों ने क्रूज संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त व्यापार संवर्धन अभियान चलाए हैं।

पत्तन

- **नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए):** इमिग्रेशन काउंटर, कस्टम डेस्क और सांस्कृतिक सुविधाओं के साथ संवर्धित सेवाएँ। 27 दिसंबर 2024 को 650 यात्रियों के साथ आरामदायक सेवन सीज वोएजर की मेजबानी की।
- **चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (सीएचपीए):** एमएस द वर्ल्ड और स्टैड एम्स्टर्डम जैसे प्रसिद्ध पोतों के साथ 18 क्रूज जलयानों और 39,850 यात्रियों का प्रबंधन किया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल पत्तन का सम्मान प्राप्त हुआ।
- **कोचीन पत्तन (सीओपीए):** यात्रियों के लिए स्थिरता प्रक्रियाओं और पारंपरिक स्वागत के साथ, समुद्रिका और सागरिका जैसे आधुनिक टर्मिनलों का प्रचालन किया। एम.वी. एंथम ऑफ द सीज पर 4,200 यात्रियों की मेजबानी की।
- **विशाखापट्टणम पत्तन (वीपीए):** लक्जरी आवासीय क्रूज शिप एमवी 'द वर्ल्ड', जिसे सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाला आवासीय नौका माना जाता है, ने दिनांक 28.04.2024 को विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर डॉक किया। इसकी यात्रा वैश्विक क्रूज पर्यटन में भारतीय पत्तनों के बढ़ते महत्व को उजागर करती है, जो उनके विश्व स्तरीय जलयानों के ठहराने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है।

THE WORLD

सारांश

5.36 वर्ष 2024 में, जलयानों की संख्या में कमी के बावजूद, समुद्री क्षेत्र ने यात्री यातायात में काफी वृद्धि प्रदर्शित की। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 1.46% की वृद्धि हुई, जो स्थिर मांग को दर्शाता है, जबकि घरेलू यात्रियों की संख्या में 33.63% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है, जो क्षेत्रीय यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। ये रुझान बेहतर प्रचालन दक्षता और समुद्री पर्यटन में बढ़ती रुचि को उजागर करते हैं, जो इस क्षेत्र को और अधिक विस्तार और नवाचार के लिए तैयार करता है।

आंकड़ों कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए विभिन्न पत्तनों पर क्रूज शिपिंग में उपलब्धियां दर्शाते हैं। मुंबई ने 2024 में कुल 102 जलयानों और 268,830 यात्रियों का संचालन करते हुए अपना अग्रणी स्थान बनाए रखा, जो सतत घरेलू यात्रा वृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद, मुरगांव ने 50 जलयानों और 82,201 यात्रियों के साथ मजबूत निष्पादन का प्रदर्शन किया। कोचीन ने 39 जलयानों और 56,029

यात्रियों के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो क्रूज शिपिंग गंतव्य के रूप में इसके बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। चेन्नै ने 18 जलयानों और 39,850 यात्रियों का संचालन किया, जिससे क्षेत्रीय यात्रा में इसका महत्व और भी बढ़ गया। विजाग ने 2024 में एक जलयान और 80 यात्रियों के साथ एक नई उपलब्धि दर्ज की, जो विकास की संभावना को दर्शाता है। सामूहिक रूप से, पत्तनों ने 2024 में 218 जलयानों और 451,698 यात्रियों का संचालन किया, जो क्रूज अवसंरचना और सेवाओं में प्रगति को दर्शाता है।

वित्त वर्ष	पत्तन के नाम	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
		जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या	जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या	जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या
2023	मुंबई	32	31252	89	220356	121	251608
	मुरगांव	20	14186	34	54748	54	68934
	नव मंगलूर	8	3638	0	0	8	3638
	कोचीन	24	14530	17	31462	41	45992
	चेन्नै	15	21685	20	31445	35	53130
	वाइजाग	0	0	0	0	0	0
	कुल	**99**	**85291**	**160**	**338011**	**259**	**423302**
2024	मुंबई	20	24853	82	243977	102	268830
	मुरगांव	17	15985	33	66216	50	82201
	नव मंगलूर	8	4708	0	0	8	4708
	कोचीन	28	29327	11	26702	39	56029
	चेन्नै	8	11583	10	28267	18	39850
	वाइजाग	1	80	0	0	1	80
	कुल	**82**	**86536**	**136**	**365162**	**218**	**451698**

5.37 **भारतीय नौयात्रा में परिवर्तनकारी वृद्धि:**

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रभावशाली प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समुद्री नाविकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

2022-23 से 2023-24 (दिसंबर, 2024 तक) की अवधि के दौरान, नियोजित भारतीय नाविकों की संख्या 2.58 लाख से बढ़कर 3.08 लाख हो गई। यह वृद्धि 2014-15 से देखे गए व्यापक रुझान का हिस्सा है, जब नियोजित नाविकों की संख्या 1.17 लाख थी। 2024-25 तक, यह संख्या तेजी से बढ़कर 3.08 लाख हो गई, जो 263% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की पहलों से महिला नाविकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा मिला है, जिससे 2014 की तुलना में उनकी संख्या में दस गुना वृद्धि हुई है। यह प्रगति समुद्री उद्योग को और आगे बढ़ाने तथा क्षेत्र के भीतर महिलाओं के समावेशन को बढ़ावा देने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

संगठन

नौवहन महानिदेशालय

6.1 नौवहन महानिदेशालय (नौवहन महानिदेशालय), मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। यह समुद्री प्रशासन, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, नौवहन उद्योग के विकास और अन्य संबंधित विषयों से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है। नौवहन महानिदेशालय समुद्र में जीवन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री प्रदूषण को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा निर्धारित अनिवार्य नियमों को लागू करने के लिए नौवहन नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, नाविकों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना और प्रमाणन और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उनका पर्यवेक्षण करना शामिल है। नौवहन महानिदेशक की नियुक्ति वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 के तहत की जाती है।

6.2 नौवहन महानिदेशालय के प्रशासनिक सचिवालय में महानिदेशक, अपर महानिदेशक और नौवहन के उप महानिदेशक शामिल हैं। तकनीकी स्तर पर, महानिदेशक को नौसंचलन मुद्दों के लिए समुद्री सलाहकार, समुद्री इंजीनियरिंग मुद्दों के लिए मुख्य सर्वेक्षक और नौसेना वास्तुकला मुद्दों के लिए मुख्य पोत सर्वेक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नौवहन महानिदेशालय के क्षेत्रीय संरचना के प्रमुख प्रधान अधिकारी होते हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग, समुद्री और नौसेना वास्तुकला क्षेत्र के सर्वेक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा समर्थित संबद्ध कार्यालयों के प्रमुख भी विभिन्न सांविधिक कार्यों के समग्र निर्वहन में नौवहन महानिदेशक की सहायता करते हैं।

आईएमएसएएस लेखापरीक्षा

6.3 भारत की लेखापरीक्षा आईएमओ सदस्य देश लेखापरीक्षा योजना (आईएमएसएएस) के तहत 24 फरवरी, 2024 से 04 मार्च, 2024 के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा की गयी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा विभिन्न आईएमओ ऐसे दस्तावेजों के तहत कवर की गई सभी समुद्री गतिविधियों के दायरे के साथ गहन लेखापरीक्षा की गई थी जिनका भारत ने अनुसमर्थन किया है और भारत ने एक ध्वज देश, पत्तन राष्ट्र और तटीय राष्ट्र के रूप में आईएमओ दस्तावेजों के प्रति अपने संधि दायित्वों का पूर्ण अनुपालन सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। भारत में समुद्री प्रशासक के रूप में नौवहन महानिदेशक ने इन प्रयासों का नेतृत्व किया गया।

नौवहन महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यालयों के कार्य

6.4 मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट (एमएमडी) की स्थापना 1929 में की गई थी, जिसके मुख्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हैं। 2005 में, एमएमडी कोच्चि का जिला-स्तरीय कार्यालय में उन्नयन किया गया, और कांडला में एक नया जिला-स्तरीय कार्यालय खोला गया। शुरुआत में, ये विभाग सीधे मंत्रालय के अधीन थे, जब तक कि 1949 में मुंबई में नौवहन महानिदेशालय की स्थापना नहीं हुई थी। एमएमडी के प्राथमिक कार्यों में समुद्र में पोतों और जीवन की सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम, पोतों का पंजीकरण, टन भार को मापना, चालक दल के आवास को सुनिश्चित करना और लोड लाइनों और सुरक्षा निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने से संबंधित विभिन्न वाणिज्य नौवहन कानूनों और नियमों का संचालन करना शामिल है। वे नौवहन कार्य में हताहत व्यक्तियों और मलबे की जांच भी करते हैं, यात्री जलयानों और बोर्ड पर रेडियो उपकरणों का सर्वेक्षण करते हैं, और जीवन रक्षक और अग्निशमन उपकरणों, वायरलेस टेलीग्राफी, वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणालियों, नेविगेशनल सहायक उपकरणों और प्रदूषण रोकथाम उपकरणों के लिए सांविधिक उपकरणों का निरीक्षण और अनुमोदन करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये केंद्र सरकार के संगठनों की ओर से पोत की मरम्मत और निर्माण की निगरानी करते हैं, फ्लैग स्टेट के विनियमों को लागू करते हैं, पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण करते हैं, और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत संगत परीक्षा नियमों के अनुसार, योग्यता प्रमाणपत्रों के विभिन्न ग्रेडों की परीक्षा और प्रमाणन की देखरेख करते हैं।

6.5 नौवहन महानिदेशालय (नौवहन महानिदेशालय) को समय के साथ नए क़ानूनों जैसे कि मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़ गुड्स एक्ट, एडमिरल्टी एक्ट और नाविकों की भर्ती और नियुक्ति नियम के रूप में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। पोत सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम से संबंधित भारत द्वारा समर्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अपेक्षित कई सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संघ (आईएसीएस) की कतिपय वर्गीकरण समितियों को सौंपे गए हैं। ये समितियाँ सरकार के मान्यता प्राप्त संगठनों के रूप में कार्य करती हैं, जबकि नौवहन महा निदेशालय महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों के लिए एक चुनिंदा पर्यवेक्षी भूमिका अपने पास रखता है।

यात्री पोत सर्वेक्षण

6.6 सभी यात्री पोतों का निर्माण के दौरान और उसके बाद हर वर्ष हल, मशीनरी, उपकरण आदि का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण पूरा होने पर, यात्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र, अंतरिक्ष प्रमाणपत्र, विशेष व्यापार पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, छूट प्रमाणपत्र, ए प्रमाणपत्र और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जैसे प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। प्रशासन, निर्माण और उसके बाद आवधिक और वार्षिक सर्वेक्षण के तहत विभिन्न प्रकार के कार्गो पोतों का कार्गो पोत सुरक्षा निर्माण (सीएसएससी) सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। विदेशों में निर्माणाधीन/पुनर्निर्माण के तहत कार्गो पोतों के सर्वेक्षण और उसके बाद आवधिक/वार्षिक सर्वेक्षण और प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटियों को सौंपा गया है। 300 जी.टी. से अधिक के सभी समुद्री पोतों का सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है और समय-समय पर संशोधित एम.एस. (सीडीएसआरसी) रेडियो नियम, 1995 और सोलास 74 के अध्याय IV के अनुपालन में सुरक्षा रेडियो प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। सर्वेक्षण में जलयान पर संकट, सुरक्षा और सामान्य संचार के लिए रेडियो उपकरणों की जाँच शामिल है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आवश्यक प्रमाण पत्र, उपकरणों के प्रकार की स्वीकृति, सभी रेडियो संचार उपकरणों की प्रचालन स्थिति के दस्तावेजों की जाँच करना है। सुरक्षा रेडियो को अन्य सांविधिक प्रमाणपत्रों के साथ जोड़ा गया है।

नाविक की परीक्षा और प्रमाणन

6.7 नौवहन महानिदेशालय और एमएमडी कार्यालय यथा संशोधित एसटीसीडब्ल्यू 78 कोड और एम.एस. एसटीसीडब्ल्यू नियम (2014) के अनुसार विभिन्न ग्रेड की योग्यता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं। एसटीसीडब्ल्यू के तहत प्रदान किए जाने वाले

योग्यता प्रमाण पत्रों में नाविक के पद और जलयान पर जिम्मेदारियों के आधार पर प्रमाणन के विभिन्न स्तर शामिल हैं। कुछ प्रमुख प्रमाणपत्रों में योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी), प्रवीणता प्रमाण पत्र, निगरानी प्रमाण पत्र शामिल हैं।

- योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी): यह उन अधिकारियों को जारी किया जाने वाला उच्च-स्तरीय प्रमाण पत्र है, जिन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और विभिन्न अधिकारी रैंकों जैसे कि तृतीय इंजीनियर, द्वितीय इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर आदि में सेवा करने के लिए योग्यता का प्रदर्शन किया है।
- प्रवीणता प्रमाण पत्र: ये प्रमाण पत्र पुष्टि करते हैं कि नाविक ने विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विभिन्न सुरक्षा-संबंधी क्षेत्रों जैसे कि अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक और अन्य में दक्षता का प्रदर्शन किया है।
- निगरानी प्रमाणपत्र: ये प्रमाणपत्र नाविक की इंजन कक्ष में निगरानी रखने की क्षमता को प्रमाणित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके ड्यूटी समय के दौरान जलयान का उचित रखरखाव किया जा रहा है।

6.8 परीक्षाएं मासिक रूप से आयोजित की जाती हैं और मरीन इंजीनियर्स (एमईओ क्लास I, एमईओ क्लास II और एमईओ क्लास IV, एमईओ सीएल-III (एनसीवी-सीईओ), एमईओ सीएल-III (एनएससी-एसईओ), एमईओ सीएल-IV (एनसीवी) और इलेक्ट्रो तकनीकी अधिकारी), स्ट्रीम (मास्टर (एफजी), चीफ मेट (एफजी), सेकेंड मेट (एफजी), मास्टर (होम ट्रेड), मेट (होम ट्रेड), एनडब्ल्यूकेओ, आदि के लिए विभिन्न योग्यता स्तरों को कवर करती हैं। ये परीक्षाएं देश भर में मर्केंटाइल समुद्री विभाग में आयोजित की जाती हैं, जो मुंबई, कोलकाता, कोचीन, नोएडा, चेन्नै, कांडला व विशाखापट्टनम में अवस्थित है।

6.9 प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानकों (एसटीसीडब्ल्यू) संबंधी समझौतों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा शासित नाविक योग्यता प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग समुद्र में अपना कैरियर बनाते हैं, उनके पास पोतों का सुरक्षित और कुशलतापूर्वक संचलन करने, प्रचालन और उनका रख-रखाव करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएं हैं। प्रमाणन प्रक्रिया में विभिन्न समुद्री विषयों में नाविक की दक्षता का आकलन और विधिमान्यकरण करने के लिए कठोर प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और परीक्षाएं शामिल हैं। नौवहन महा निदेशालय नौवहन उद्योग में करियर बनाने के इच्छुक भारतीय नागरिकों और नाविकों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के लिए सहायता प्रदान करता है और एसटीसीडब्ल्यू 1978 समझौते (यथा संशोधित) और वाणिज्य पोत परिहवन अधिनियम, 1958 के तहत बनाए गए विकसित नियमों के अनुपालन में इंजीनियरिंग और समुद्री विषयों में नाविकों के लिए परीक्षाएं और प्रमाणन आयोजित करता है।

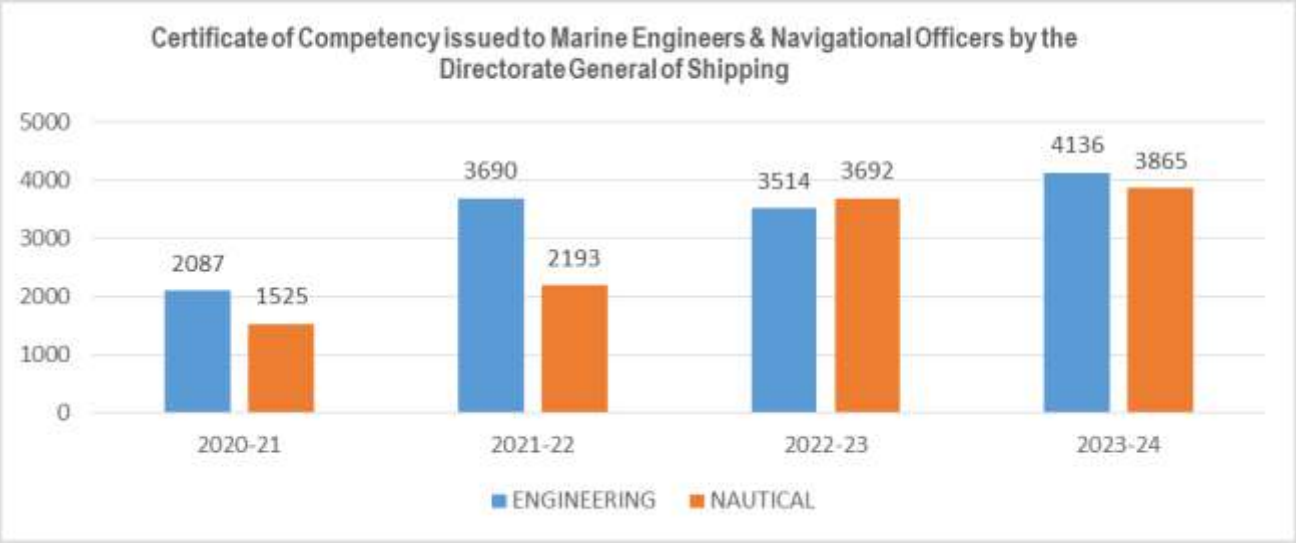

परीक्षा संबंधी सुधार

6.10 मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत 10 विषयों में 150 से अधिक पहलों की पहचान की गई है, जिनमें से दसवें विषय का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाना है। पहल 10.9 मूल्यांकन, आकलन और प्रमाणन प्रक्रिया के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण से संबंधित है, जिसे नौवहन महानिदेशालय ने परीक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत के साथ परिकल्पित किया है जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

एनसीवी डेक कैडेट योजना

6.11 नौवहन महानिदेशालय ने 2024 के एमएस नोटिस नंबर 15 में यथा उल्लिखित संशोधित एनसीवी डेक कैडेट योजना शुरू की है, जिसे विशेष रूप से जीपी रेटिंग उम्मीदवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जीपी रेटिंग को प्रमाणित नेविगेशनल वॉचकीपिंग अधिकारी बनने में सक्षम बनाकर तटीय नौवहन में कैरियर की उन्नति के लिए एक निश्चित व्यवस्था का सृजन करना है। इस योजना के माध्यम से, उम्मीदवार एक अनुमोदित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएसटीपी) के साथ 12 महीने की समुद्री सेवा पूरी करेंगे और एनडब्ल्यूकेओ (एनसीवी) योग्यता प्रमाणपत्र (सीओसी) के लिए लिखित और मौखिक, दोनों परीक्षाएँ उत्तीर्ण करेंगे।

यह योजना प्रमाणित कार्यबल की मांग को पूरा करते हुए भारत के तटीय पोत परिवहन क्षेत्र के लिए अधिकारियों के कौशल को बढ़ाएगी। तटीय पोत मालिकों और ऑपरेटरों को इस योजना के तहत जीपी रेटिंग को शामिल करने और एसएसटीपी अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अधिकारियों के एक कुशल कैडर के विकास और प्रमाणन में योगदान मिलता है। समुद्री ग्रेड योग्यता प्रमाणपत्र पर संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की गई।

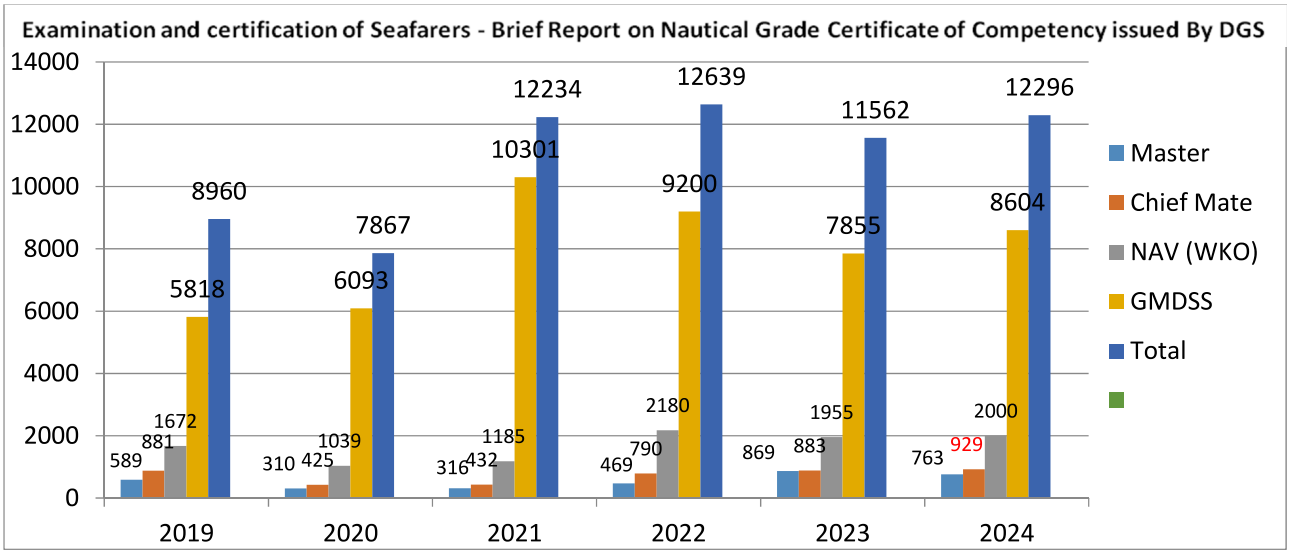

2024 की मुख्य उपलब्धियाँ:

- जारी कुल सीओसी: 12,200
- नेविगेशनल वॉच-कीपिंग ऑफिसर ग्रेड के लिए बचाए गए सबसे अधिक सीओसी -2,000 सी.ओ.सी.
- उच्च प्रमाणनों संख्या प्रदान किए गए मज़बूत और गहन समुद्री प्रशिक्षण को दर्शाती हैं।
- उच्च सीओसी जारी करना प्रमाणन और परीक्षा के लिए एक मज़बूत प्रशासनिक तंत्र को प्रदर्शित करता है।
- उपरोक्त ने भारतीय समुद्री प्रशासन को उद्योग की माँग को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाया है।

18 और 19 जनवरी 2024 को कोच्चि, केरल में आईओपीसी कार्यशाला

6.12 नौवहन महा निदेशालय ने 18 और 19 जनवरी 2024 को कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति (आईओपीसी) व्यवस्था पर एक अत्यंत सफल कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला नियो क्लासिक फ्लोटिंग बोट जेटी, मरीन ड्राइव, कोच्चि, केरल में

'क्लासिक इंपीरियल' जलयान पर आयोजित की गई और इसमें विभिन्न हितधारकों से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्त्ति व्यवस्था के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना था, जो जलयानों के कारण होने वाले तेल प्रदूषण के पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करती है।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री टी. के. रामचंद्रन, सचिव, एमओपीएसएंडडब्ल्यू ने पीएंडआई एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय टेंकर स्वामी प्रदूषण फेडरेशन (आइटीओपीएफ), जो व्यवस्था के प्रशासन और कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख संगठन है के सहयोग से किया। कार्यशाला में आईओपीसी व्यवस्था जैसे कानूनी अवसंरचना, दावा प्रकिया, आईओपीसी नीधियों की भूमिका, पीएंडआई क्लबों की भूमिका, आईटीओपीएफ की भूमिका तथा तेल प्रदूषण घटनाओं पर नियंत्रण करने संबंधी सर्वोत्तम पद्धति तथा चुनौतियों जैंसे विभिन्न विषयों को कवर किया गया है।

कार्यशाला में महापत्तनों, गैर-महापत्तनों, राज्य समुद्री बोर्डों, मत्स्य विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, तेल कंपनियों, वाणिज्यिक समुद्री विभागों (एमएमडी) और बीमा कंपनियों के अधिकारियों सहित विभिन्न प्रकार के हितधारकों ने भाग लिया, जिन्होंने कार्यशाला से बहुमूल्य ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया।

विश्व समुद्री विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का भारत का अध्ययन दौरा

6.13 नौवहन महानिदेशालय ने विश्व समुद्री विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधियों की मेजबानी की। क्षेत्र अध्ययन यात्रा का मुख्य उद्देश्य डब्ल्यूएमयू के छात्रों को भारत के विविध और गतिशील समुद्री क्षेत्र से परिचित कराना था, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे प्रभावशाली समुद्री देशों में से एक है। क्षेत्र अध्ययन यात्रा छात्रों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, चुनौतियों और अवसरों के बारे में जानने के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों, उद्योग संघों, पत्तनों प्राधिकरणों, नौवहन कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न समुद्री हितधारकों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाएगी।

क्षेत्र अध्ययन दौरे के दौरान छात्रों ने भारतीय तटरक्षक बल, एंग्लो-ईस्टर्न मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, फ्लीट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमएससी क्रूइंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय नौवहन निगम (एससीआई), बोस एंड मित्रा एंड

कंपनी, इंडियन रजिस्टर ऑफ नौवहन और नौवहन महानिदेशालय का दौरा किया।

क्षेत्र अध्ययन दौरे से डब्ल्यूएमयू और भारतीय समुद्री समुदाय के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है। इसके अलावा, इस पहल ने भारत को अपनी समुद्री क्षमताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ अपनी शांति और सहयोग के भाव (सॉफ्ट पावर) और वैश्विक छवि को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया।

इंटरटैंको के साथ सहभागिता

6.14 10 अप्रैल, 2024 को, नौवहन महानिदेशालय ने नौवहन महानिदेशालय कॉन्फ्रेंस हॉल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट टैंकर ओनर्स (इंटरटैंको) के साथ विस्तृत चर्चा की, जो 16:45 बजे शुरू हुई। यह बैठक समुद्री पेशेवरों और नियामक अधिकारियों के एक साथ मेलजोल का एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें नौवहन उद्योग के भीतर सुरक्षा मानकों, प्रशिक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

6.15 बैठक का मुख्य उद्देश्य नौवहन क्षेत्र में शून्य उत्सर्जन की स्थिति पैदा करने में चुनौतियों की पहचान करना और अवसरों को तलाशना, प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए मानक स्थापित करना और एक संयुक्त उद्यम की संभावना पर चर्चा करना था जो तेल रिपोर्टों पर उद्योग की भारी निर्भरता को कम करेगा।

6.16 सहभागियों में इंटरटैंको की प्रबंध निदेशक, सुश्री कैथरीना स्टैनज़ेल; इंटरटैंको में गैस प्रबंधक कैप्टन महयान जोखी; एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल और निदेशक, श्री के.एन. देबू; और कैप्टन अनीश जोसेफ, कैप्टन हरिंदर सिंह, एनए/मुख्य सर्वेक्षक और शितेश रंजन सहित नौवहन महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल थे।

6.17 सत्र में बैलस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन को लागू करने, नौवहन में डिजिटलीकरण और हितधारकों के बीच नियमित बातचीत के लिए स्वदेशी आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करने जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। आगे की चर्चाओं में नाविकों की भावी पीढ़ियों को सुसज्जित करने के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को स्थापित करने और डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए सहयोग की आवश्यकता और भारतीय शोधपत्रों को प्रकाशित करने और भारतीय नाविकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के शोधपत्रों पर सहयोग करने में इंटरटैंको के समर्थन पर चर्चा की गई। सभी नाविकों की समझ सुनिश्चित करने के लिए कई भाषाओं में घटनाओं की रिपोर्टिंग करने ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी नाविकों को रिपोर्टिंग समझ आ गई है, के महत्व और घटनाओं के मामले में संपर्क के पहले बिंदु के रूप में नौसेना की भूमिका पर चर्चा की गई। चक्रवात के समय त्वरित कार्रवाई करने से संबंधित नौवहन महानिदेशालय आदेशों और नियामक संचालन, सुरक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्य समूहों के गठन पर चर्चा की गई। वैकल्पिक ईंधन का आर्थिक प्रभाव और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का महत्व। पारंपरिक मानकों से आगे बढ़कर सॉफ्ट स्किल और व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण घटकों की आवश्यकता है। प्रशिक्षण संस्थानों में सिमुलेटर की स्थापना और लागत कौन वहन करेगा, इस प्रश्न पर भी चर्चा की गई।

6.18 बैठक में नौवहन महानिदेशालय और इंटरटैंको द्वारा एक सुरक्षित, अधिक कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से सतत् नौवहन उद्योग की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसमें प्रशिक्षण को मानकीकृत करने, नाविकों की थकान को रोकने के लिए डेटा के उपयोग को कम करने और समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी मानकीकरण के माध्यम से सुरक्षा संबंधी अनुभवों को अधिक प्रभावी ढंग से साझा करने के सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। सत्र का समापन एक दूरदर्शी कार्य योजना के साथ हुआ, जिससे समुद्री क्षेत्र में निरंतर सहयोग और सुधार के लिए मंच तैयार हुआ।

6.19 तेल कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मंच (ओसीआईएमएफ) और नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस महानिदेशालय) द्वारा नौवहन और अपतटीय क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा पर सहयोगात्मक कार्यशाला

6.20 26 जून को, ओसीआईएमएफ और नौवहन महा निदेशालय ने एंग्लो-ईस्टर्न मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर में नौवहन और ऑफशोर सेक्टर में सुरक्षा पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रगति पर चर्चा करने के लिए प्रमुख उद्योग हितधारकों एक मंच पर आए। कार्यशाला में नौवहन में सुरक्षा पर सत्र शामिल थे, जिसका नेतृत्व ओसीआईएमएफ में प्रकाशन और अधिवक्तृता (एडवोकेसी) निदेशक, कैप्टन सौरभ सचदेवा और नौवहन महा निदेशालय में समुद्री सर्वेक्षक कैप्टन हरिंदर सिंह ने किया। उन्होंने शिप इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रोग्राम (एसआईआरई) 2.0 की शुरूआत करने पर प्रकाश डाला, जो पोत निरीक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक उन्नत पहल है, जिससे उच्च सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यापक मूल्यांकन मिलता है। चर्चा में नेविगेशन, आपातकालीन तैयारी और जोखिमों को कम करने के लिए चालक दल के प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया, जिसमें नियामक अनुपालन और एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बनाए रखने में निरंतर सुधार पर जोर दिया गया।

6.21 दूसरे सत्र में अपतटीय सुरक्षा में विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें ओसीआईएमएफ में अपतटीय सलाहकार, श्री ग्राहम कोल्स और नौवहन महानिदेशालय में नौवहन विकास के उप महानिदेशक, श्री शितेश रंजन ने अपतटीय प्रचालन में सुरक्षा बढ़ाने वाली नवीनतम तकनीकों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपतटीय क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों, जैसे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों और जटिल प्रचालन गतिशीलता, सफल सुरक्षा पहलों और तकनीकी प्रगति के मामले के अध्ययन प्रस्तुत किए, कर्मियों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए नवाचार और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के महत्व पर प्रकाश डाला।

6.22 कार्यशाला में समुद्री सुरक्षा पर एक सत्र भी शामिल किया गया, जिसका नेतृत्व ओसीआईएमएफ में सुरक्षा सलाहकार श्री रसेल पेग और नौवहन महा निदेशालय में उप समुद्री सलाहकार, कैप्टन अनीश जोसेफ ने किया। उन्होंने समुद्री डकैती, आतंकवाद और साइबर हमलों सहित समुद्री क्षेत्र में उभरते सुरक्षा जोखिमों, पर चर्चा की और मजबूत सुरक्षा उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। सत्र का समापन हितधारकों के बीच सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के एकीकरण और वास्तविक समय की सूचना साझा करने पर चर्चा के साथ हुआ।

6.23 इसके बाद उद्योग हितधारकों के साथ परस्पर संवाद का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सभागियों ने समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में अपने दृष्टिकोण, चुनौतियों और सुझावों को साझा किया। इससे रचनात्मक संवाद सुगम हुआ, जिससे विचारों का आदान-प्रदान हुआ और संभावित समाधानों पर सहयोग संभव हुआ। इस कार्यक्रम ने नौवहन और अपतटीय क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा को मजबूत करने, निरंतर सुधार और सक्रिय जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने और भारतीय समुद्री प्रशासन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आगे के सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

समुद्री शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम: एईएमए - डीपीएस का दौरा

6.24 नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस महानिदेशालय) ने "समुद्री शैक्षिक जागरूकता" पहल शुरू की, जो छात्रों के बीच समुद्री शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है। यह पहल समुद्री उद्योग में कुशल कर्मियों की कमी को दूर करने और युवा पीढ़ी के बीच रुचि को बढ़ावा देने के व्यापक मिशन का हिस्सा थी। कार्यक्रम को नेविगेशन, इंजीनियरिंग, प्रचालन, प्रबंधन, सुरक्षा और संरक्षा सहित विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में व्यावहारिक सीख के अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

6.25 6 अप्रैल 2024 को, दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में राष्ट्रीय कैडेट कोर (नौसेना विंग) के छात्र, जो दसवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, को एंग्लो-ईस्टर्न मैरीटाइम ट्रेनिंग अकादमी (एईएमए) में इस अभिनव कार्यक्रम के लिए चुना गया था। उनके साथ डीपीएस के संकाय और नौवहन महानिदेशालय के एक या दो अधिकारी भी थे। छात्रों ने मुंबई पत्तन प्राधिकरण और मुंबई हार्बर जैसे प्रमुख समुद्री केन्द्रों और अकादमियों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने व्यस्त पत्तनों के प्रचालन और बुनियादी ढाँचे के बारे में जानकारी हासिल की। इस कार्यक्रम में शैक्षिक अनुभव, गहन गतिविधियों और परामर्श सत्रों के माध्यम से कैरियर की खोज, कार्यशालाओं में व्यावहारिक शिक्षा और भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और विरासत के बारे में जागरूकता पर प्रकाश डाला गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी पृष्ठभूमि और रुचियों के छात्रों तक पहुंचना, भारत में समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें समुद्री करियर पर विचार करने या इस गतिशील क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना था।

6.26 इस कार्यक्रम ने छात्रों को शैक्षणिक विवरण, करियर अन्वेषण, व्यावहारिक शिक्षा और भारत के समुद्री इतिहास और विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाई। व्यावहारिक ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देकर, कार्यक्रम ने छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सहयोग किया और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया। परिणामस्वरूप, छात्रों ने स्कूली छात्रों के बीच समुद्री उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाई, उन्हें समुद्री करियर पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, व्यावहारिक ज्ञान और कौशल बढ़ाया और भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा दिया। नौवहन महानिदेशालय और समुद्री प्रशिक्षण ट्रस्ट ने संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ समन्वय किया, जिससे कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित हुआ, जो समुद्री शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने में नौवहन महानिदेशालय और एमटीटी द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम था।

समुद्री सुरक्षा संबंधी अद्यतन जानकारी

6.27 नौवहन महानिदेशालय ने कई सूचियों के जवाब में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये घटनाएँ क्रमशः अदन की खाड़ी और अरब सागर में हुईं, और नौवहन महा निदेशालय ने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करते हुए पायरेसी रोधी और समुद्री सुरक्षा त्वरित कार्रवाई तंत्र में कुशलतापूर्वक योगदान दिया। नौवहन महानिदेशालय ने जलयानों और उसके चालक दल के सदस्यों को समय पर सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, पोत मालिकों, ऑपरेटरों, आरपीएस प्रबंधकों और पोत के कर्मचारियों के साथ संपर्क किया। नौवहन महा निदेशालय ने घटनाओं की रिपोर्टिंग के साथ-साथ संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अधिकारियों के साथ समन्वय की सुविधा भी प्रदान की। 970 करोड़ रुपए की लागत से सीएसएल ने कोचीन पोर्ट परिसर में पट्टे पर दिए गए क्षेत्र (प्रथम चरण) में ड्राई-डॉक और मौजूदा सुविधाओं का संचालन जारी रखा।

6.28 नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) का परिपत्र संख्या 2024 का 8, दिनांक 10 अप्रैल, 2024 समुद्री प्रचालनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अद्यतन जानकारी है, विशेष रूप से भारतीय नौसेना और इन्फोर्मेशन फ्यूजन सेन्टर हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) की भूमिकाओं के संबंध में, साथ ही यह एक नए रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल की शुरूआत भी है।

6.29 भारतीय नौसेना, समुद्री सुरक्षा, खासतौर पर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और बचाव अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेती है और समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हाल ही में मिसाइल हमलों और व्यापारी पोतों पर ड्रोन हमलों जैसे सुरक्षा खतरों के जवाब में, भारतीय नौसेना अंतरराष्ट्रीय नौवहन लेनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जो वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित आईएफसी-आईओआर, सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाता है। यह भागीदार देशों और एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने, सहयोग और विशेषज्ञता विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

6.30 नौवहन महानिदेशालय द्वारा पेश किए गए नए रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का उद्देश्य व्यापारिक पोतों और उनके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्री गतिविधियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिए तंत्र को सरल और बेहतर बनाना है। किसी भी समुद्री सुरक्षा खतरे पर कुशल निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए एक मजबूत डेटाबेस बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन शिप रिपोर्टिंग फॉर्म स्थापित किया गया है। निर्दिष्ट उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले पोतों को इस ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन अपना विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। समुद्री सुरक्षा से जुड़ी किसी घटना की स्थिति में, जलयानों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय नौसेना के जलयान, गठबंधन के युद्धपोत और डीजीकॉम सेंटर, आईएफसी-आईओआर और यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) जैसे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

6.31 यह परिपत्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नए प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। यह उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के सामने सतर्कता बनाए रखने और तैयार रहने के लिए भारतीय नौसेना और आईएफसी-आईओआर द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों को दर्शाता है।

भारतीय पी एंड आई क्लब, पोत लीज और वित्तपोषण की स्थापना के लिए परस्पर संयुक्त संवाद सत्र

6.32 नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस महानिदेशालय) ने भारतीय पी एंड आई क्लब, पोत लीज और वित्तपोषण की स्थापना के लिए परस्पर संयुक्त संवाद सत्र आयोजित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह कार्यक्रम 16 अप्रैल 2024 को 09:00 बजे से 17:00 बजे तक भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई), मुंबई के सभागार में आयोजित किया गया। नौवहन महा निदेशालय ने भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) के सहयोग से सत्र का समन्वय किया और विभिन्न हितधारकों के बीच चर्चा को सुगम बनाया।

6.33 यह प्रमुख वित्तीय और बीमा पहलुओं का समाधान करने के संबंध में भारत के समुद्री उद्योग को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम है। यह सत्र भारतीय संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) क्लब की स्थापना पर चर्चा करने के लिए एक मंच था, जो पोत मालिकों के लिए तीसरे पक्ष की देनदारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पोत पट्टे पर देने और वित्तपोषण से संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया। प्राथमिक उद्देश्य एक भारतीय पी एंड आई क्लब के निर्माण पर विचार-विमर्श करना था। ऐसे क्लब से जलयान मालिक को संसाधनों को एकत्र और जोखिमों को साझा कर सकेंगे, जिससे एक पारस्परिक बीमा तंत्र उपलब्ध होगा जो उद्योग के लिए आवश्यक है।

6.34 मुख्य सहभागियों में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), एससीआई, भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक संघ (आईएनएसए), भारतीय तटीय सम्मेलन नौवहन एसोसिएशन (आईसीएसएसए), बीमा कंपनियां, अंडरराइटर, ब्रोकिंग फर्म, परामर्श एजेंसियां, और अन्य सदस्य कुछ शामिल थे। इंटरैक्टिव सत्र ने हितधारकों को नौवहन क्षेत्र के भीतर बीमा और वित्त से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना और क्षेत्र की स्थिरता और विकास में योगदान करते हुए नए विकास के अवसरों की खोज करना था।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात सुगमता संबंधी समझौते (एफएएल कन्वेंशन) के तहत एमएसडब्ल्यू कार्यान्वयन

6.35 नौवहन महानिदेशालय ने एफएएल कन्वेंशन के तहत समुद्री सिंगल विंडो (एमएसडब्ल्यू) को लागू करने में सफलता प्राप्त की। एफएएल कन्वेंशन आईएमओ द्वारा अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में लगे जलयानों के आगमन, ठहरने और प्रस्थान से जुड़ी औपचारिकताओं, दस्तावेजी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को सरल और सुसंगत बनाकर समुद्री यातायात को सुगम बनाना है।

श्री सर्बानंद सोणोवाल, माननीय केंद्रीय मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सागरसेतु (एनएलपी-मरीन) में समुद्री सिंगल विंडो और एमएमडी मॉड्यूल का शुभारंभ करते हुए।

6.36 एमएसडब्ल्यू एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो पोतों और पत्तन अधिकारियों के बीच, साथ ही विभिन्न पत्तन प्राधिकरणों के बीच एकल प्रवेश बिंदु के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। एमएसडब्ल्यू से पोतों और पत्तन प्राधिकारियों के लिए प्रशासनिक भार और विलंब में कमी आती है और साथ ही सूचना की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ती है। एमएसडब्ल्यू 1 जनवरी 2024 को सागर सेतु प्लेटफॉर्म (राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल - मरीन) पर चालू हो गया, जो कि समुद्री क्षेत्र के लिए एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एमएसडब्ल्यू के कार्यान्वयन के महत्व को एमएस नोटिस संख्या 01/2024, दिनांक 8 जनवरी 2024 के माध्यम से दर्शाया गया, जिसमें एमएमडब्ल्यू के तहत सूचना प्रस्तुत करने व उसके आदान-प्रदान के लिए प्रक्रियाएं व अपेक्षाएं निरूपित की गई हैं। एमएसडब्ल्यू के तहत एकत्र किए गए संपूर्ण डेटा के विनियामक प्राधिकरण और संरक्षक के रूप में, नौवहन महानिदेशालय सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है और आवश्यकतानुसार संगत अधिकारियों के साथ प्रासंगिक डेटा साझा करने के लिए तैयार रहता है।

आकस्मिक दुर्घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट

6.37 समुद्री दुर्घटनाओं और घटनाओं की गहन जांच करने से उनके पीछे के कारणों की हमारी समझ बढ़ सकती है, और इसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार, यह आगे समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने में योगदान देता है।

6.38 नौवहन महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा स्थापित डीजी संचार केंद्र (डीजी कम्युनिकेशन सेंटर) ने घटना डेटा की रिपोर्टिंग और संग्रहण के लिए एक ऑनलाइन रिपोजिटरी विकसित की है। केंद्र दुनिया भर में रिपोर्ट की गई सभी प्रकार के समुद्री हताहतों और भारतीय जलयानों पर अन्य दुर्घटनाओं, भारतीय और गैर-भारतीय जलयानों पर भारतीय नाविकों और भारतीय जल क्षेत्र में नौकायन करने वाले अन्य गैर-भारतीय जलयानों के लिए एक ऑनलाइन दुर्घटना रिपोर्टिंग मॉड्यूल रखता है।

6.39 डीजी कॉम सेंटर दुनिया भर में भारतीय जलयानों पर सभी प्रकार की समुद्री दुर्घटनाओं और अन्य दुर्घटनाओं, भारतीय और गैर-भारतीय जलयानों पर भारतीय नाविकों और भारतीय जल क्षेत्र में नौकायन करने वाले अन्य गैर-भारतीय जलयानों के लिए एक ऑनलाइन दुर्घटना रिपोर्टिंग मॉड्यूल रखता है।

6.40 वार्षिक रिपोर्ट में निरंतर सुधार के लिए घटनाओं का विस्तृत विवरण, उनका सारांश और सीखे गए सबक दिए गए हैं। रिपोर्ट का उद्देश्य हितधारकों के लिए समुद्री घटनाओं को समझने, उनका समाधान करने और उन्हें रोकने के लिए एक मूल्यवान साधन के रूप में काम करना है, जिससे वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा मिलता है और इसे नौवहन महानिदेशालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

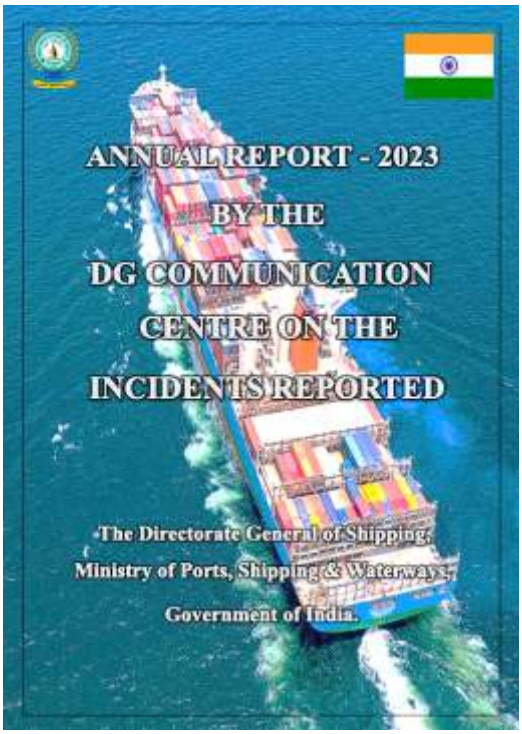

नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस महानिदेशालय), इन्फोर्मेशन फ्यूजन सेन्टर - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) और भारतीय नौसेना द्वारा 30 जुलाई, 2024 को मुंबई में आयोजित समुद्री सुरक्षा पर संक्षिप्त बैठक

उद्देश्य

6.41 30 जुलाई, 2024 को मुंबई में नौवहन महानिदेशालय (नौवहन महा निदेशालय), इन्फोर्मेशन फ्यूजन सेन्टर- हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) और भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित समुद्री सुरक्षा संबंधी संक्षिप्त बैठक में समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं को संबोधित गया। सत्रों में उभरते समुद्री खतरों, मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अनिवार्यता और अदन की खाड़ी जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नौसेना की परिसंपत्तियों की तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपस्थित सदस्यों में विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्य चर्चाएं समुद्री डकैती से निपटने, समुद्री जागरूकता बढ़ाने और समुद्री प्रचालन को प्रभावित करने वाली भू-राजनीतिक गतिशीलता पर कारवाई करने की रणनीतियों पर केन्द्रित रहा, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री सुरक्षा और प्रभाव सहनशीलता को मजबूत करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें की गई। 100 से अधिक सहभागियों ने हाइब्रिड मोड में भाग लिया, जिसमें समुद्री प्रशासन, भारतीय नौसेना, समुद्री विश्वविद्यालय, नाविक, नौवहन कंपनियां, पोत मालिक, पोत प्रबंधक और अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे।

सत्र I: समुद्री सुरक्षा और संरक्षा - आईएफसी-आईओआर का परिप्रेक्ष्य

6.42 सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (आईएमएसी) और आईएफसी-आईओआर के निदेशक कैप्टन सचिन कुमार सिंह ने आईएफसी-आईओआर के नजरिए से समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा पर सत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों और सहयोगात्मक समाधानों का अवलोकन प्रस्तुत किया। कैप्टन सिंह ने सूचना प्रणाली से कटे पोतों, (डार्क वेसेल) अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराध और समुद्री क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र प्रवर्तन की चुनौतियों के अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) के महत्व और प्रभावी समुद्री सुरक्षा के लिए एक सामान्य प्रचालन स्थिति (सीओपी) के विकास पर जोर दिया।

प्रस्तुति में इन चुनौतियों का समाधान करने में आईएमएसी और आईएफसी-आईओआर की भूमिका और प्रचालन का विस्तृत विवरण दिया गया। कैप्टन सिंह ने अंत में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सिफारिशें प्रस्तुत की।

सत्र II: मर्केंटाइल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर (एमएम-डीएसी) - "सागर मंथन"

6.43 कैप्टन हरिंदर सिंह, जो नौवहन महानिदेशालय में समुद्री सर्वेक्षक और उप महानिदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत हैं, ने एक व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने समुद्री व्यापारिक-संकट चेतावनी केंद्र (एमएम-डीएसी) के उद्घाटन और कार्यों की गहन समीक्षा की। इसके बाद कैप्टन सिंह ने लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग (एलआरआईटी) सिस्टम और डीजी कम्युनिकेशन सेंटर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थापना पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने समुद्री दुर्घटना प्रबंधन और चक्रवात के समय त्वरित कार्रवाई करने के उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। अंत में, कैप्टन सिंह ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम (एसएसएएस) के सिद्धांतों और महत्व के बारे में बताया।

सत्र III: आईएनएस कोलकाता की तैनाती

6.44 आईएनएस कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन शरद सिनसुनवाल ने अदन की खाड़ी में पोत की तैनाती का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यापारी पोतों की सहायता करने और समुद्री डकैती और मिसाइल हमलों सहित विभिन्न समुद्री खतरों का जवाब देने में आईएनएस कोलकाता की भूमिका के बारे में जानकारी दी।

कैप्टन सिंसुनवाल ने एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस को दी गई सहायता और एमवी रुएन के अपहरण पर त्वरित कार्रवाई जैसी विशिष्ट घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। अपने पूरे प्रस्तुतीकरण में, उन्होंने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में तैयारी और अंतर-एजेंसी सहयोग के गंभीर महत्व पर जोर दिया।

सत्र IV: पोत परिवहन वाणिज्य पर हमले: उभरते रुझान

6.45 नौवहन महानिदेशालय में उप समुद्री सलाहकार, कैप्टन अनीश जोसेफ ने क्षेत्र में उभरते समुद्री खतरों का अवलोकन प्रस्तत किया। उन्होंने विशेष रूप से भ्रमणशील युद्ध सामग्री और हौथी विद्रोहियों के हमलों से उत्पन्न उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

कैप्टन जोसेफ ने रणनीतिक समुद्री चोक पॉइंट्स में पोत यातायात पर इन खतरों के महत्वपूर्ण प्रभाव पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने इन उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और समुद्री प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई संबंधी रणनीतियों और नई पहलों पर विस्तार से बताया।

समुद्री सिंगल विंडो

6.46 समुद्री सिंगल विंडो (एमएसडब्ल्यू) विभिन्न हितधारकों के बीच समुद्री-संबंधित सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण, प्रसंस्करण और आदान-प्रदान को सक्षम करके समुद्री व्यापार और रसद को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का कार्य करती है। एफएएल समझौते, जिसमें भारत एक पक्षकार है, की अनिवार्य अपेक्षा के रूप में, एमएसडब्ल्यू को निर्धारित समय पर लॉन्च किया गया था। महापत्तनों के साथ-साथ एक्जिम कार्गो, सीमा शुल्क, आव्रजन, पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण और विभिन्न समुद्री क्षेत्र संघों का संचालन करने वाले गैर-प्रमुख पत्तन इसके कार्यान्वयन में शामिल हैं। कुल 81 पत्तनों को पहले ही इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।

6.47 सीमा शुल्क और आव्रजन का एकीकरण: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीमा शुल्क और आव्रजन को अभी एमएसडब्ल्यू प्रणाली में एकीकृत किया जाना है। एकीकरण की इस कमी से नौवहन एजेंट, जलयान और पत्तनों को एमएसडब्ल्यू प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं।

6.48 समुद्री सिंगल विंडो पहल के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के सामूहिक प्रयासों के हिस्से के रूप में, सीमा शुल्क और आव्रजन को इस प्रणाली जोड़ना जरूरी है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस)

6.49 2001 में 9/11 हमलों के बाद अपनाई गई आईएसपीएस संहिता का उद्देश्य आतंकवाद और समुद्री डकैती के जोखिमों को दूर करके समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। यह दुनिया भर में पोतों और पत्तनों के केन्द्रों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ। भारत में, आईएसपीएस संहिता के प्रावधानों को 2007 के वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से 1958 के वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (एमएसए) और 1908 के भारतीय पत्तन अधिनियम (आईपीए) में एकीकृत किया गया था।

आईएसपीएस संहिता के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में पत्तन केन्द्र एमएसए के अध्याय IX-बी और आईपीए की धारा 68डी का अनुपालन करें। यह उन पत्तन केन्द्रों पर लागू होता है जो अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री यात्राओं में लगे पोतों जैसे यात्री पोत, 500 जीटी

से अधिक कार्गो पोतों, तथा सचल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिटों का संचालन करते हैं। नौवहन महानिदेशक प्रवर्तन हेतु पदनामित प्राधिकारी के रूप में कार्य करते है।

20 वर्षों के अंतराल के बाद 19 जून, 2024 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा नियमों में, पोतों और पत्तन सुविधाओं के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। इन नियमों को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो सामान्य जिम्मेदारियों, पोत सुरक्षा, पत्तन सुविधा सुरक्षा, पोतों के प्रमाणीकरण और विविध प्रावधानों से संबंधित हैं।"

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन/एनएसएससी 2024

6.50 कैप्टन नितिन मुकेश, वरिष्ठ डीडीजी (टी) ने अन्य वक्ताओं के साथ गैर-महापत्तनों, एफएच और एफएलसी की सुरक्षा पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति का उद्देश्य गैर-महापत्तनों की सुरक्षा में खामियों पर चर्चा करना और संभावित समाधान प्रस्तावित करना था।

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

6.51 भारतीय मर्चेंट नेवी के नाविकों के लिए पहली सामाजिक सुरक्षा योजना, नाविक भविष्य निधि योजना, नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) के अधिनियमन द्वारा क़ानून के अंतर्गत लाई गई, जिसे 1 जुलाई, 1964 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था, ताकि नाविक सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को नाविकों के लिए वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में भविष्य निधि की स्थापना की जा सके। नाविक भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में निहित है और यह उसके द्वारा संचालित है, जिसमें अध्यक्ष और सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों, प्रत्येक से एक तीन प्रतिनिधि होते हैं। नौवहन महानिदेशक न्यासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा आयुक्त बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव होते हैं। अभी एस.पी.एफ.ओ. लगभग 1,10,329 भारतीय नाविकों के भविष्य निधि खाते का रख-रखाव कर रहा है।

नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

6.52 मर्चेंट नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 218 के अंतर्गत नाविकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को सरकार को सलाह देने के लिए माननीय केन्द्रीय पत्तन,पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड का गठन करने का अधिकार है। बोर्ड, का कार्य पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में होता है। नौवहन महानिदेशक, नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के पदेन सदस्य हैं।

नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (एसडब्ल्यूएफएस)

6.53 एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी की स्थापना भारतीय नाविकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में की गई थी। यह सोसाइटी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। यह सोसाइटी भारतीय नौवहन से जुड़े विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें भारतीय और विदेशी पोत मालिकों के प्रतिनिधि और अधिकारियों और नाविकों के लिए अलग-अलग नाविक संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। सोसाइटी के व्यवसाय और कार्यों का नियंत्रण प्रबंधन समिति के पास है, जिसके महानिदेशक नौवहन पदेन अध्यक्ष हैं। एसडब्ल्यूएफएस लगभग 80,000 भारतीय नाविकों की ग्रेच्युटी का प्रबंधन करता है। एसडब्ल्यूएफएस, भारत सरकार का केंद्रीय संगठन है जो समुद्री श्रम समझौता, 2006 के विनियम 4.5 का अनुपालन सुनिश्चित करता है। एसडब्ल्यूएफएस द्वारा नाविकों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके पहले से ही वही कदम उठाए गए हैं। एसडब्ल्यूएफएस द्वारा अब तक लागू की गई कल्याणकारी योजनाएं हैं (1) उत्तरजीविता लाभ योजना (ii) अशक्तता लाभ योजना (ii) मातृत्व लाभ योजना (केवल महिला नाविकों के लिए) (iv) वृद्धावस्था लाभ योजना और (v) पारिवारिक लाभ योजना।

सागर में योग

6.54 नौसेना के जीवन में योग को शामिल करते हुए, "सागर में योग" में तीन चरणों: समुद्र से पहले, समुद्र में और समुद्र के बाद, नौसेना कर्मियों के लिए समग्र कल्याण की परिकल्पना की गई है। यह पहल नौसेना कर्मियों के लिए शारीरिक स्वस्थता, मानसिक समुत्थान और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में योग पर जोर देती है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। मंत्रालय के नवीनतम प्रगति में नौसेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग को एकीकृत करने के लिए एक पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करना शामिल है। मसौदा संपादन योग्य एक्सेल प्रारूप में साझा किया गया है, जिसमें टास्क फोर्स से इनपुट आमंत्रित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, योग गुरुओं से व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है ताकि पाठ्यक्रम की समीक्षा की जा सके, गहन जानकारी प्रदान की जा सके और सुधार के सुझाव दिए जा सकें। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य नौसेना जीवन की अनूठी चुनौतियों के अनुरूप एक व्यापक और प्रभावी योग कार्यक्रम तैयार करना है।

सागर में सम्मान

6.55 "सागर में सम्मान" समुद्री क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली एक पहल है। यह पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्र में उनके योगदान और प्रगति का महत्व समझते हुए विभिन्न संगठनों के कप्तानों, इंजीनियरों, प्रबंधकों और नेताओं सहित महिला पेशेवरों की उपलब्धियों का सम्मान करता है। इन अग्रदूतों को सम्मानित करके, कार्यक्रम में लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है, अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है, और महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए बाधाओं को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्र के भीतर विकास, नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, परियोजना को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए एक समर्पित उप-समिति की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

6.56 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना, भारतीय नौवहन से संबंधित मामलों और एमएस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी, जिन्हें केंद्र सरकार सलाह के लिए इससे संपर्क कर सकती है।

दीपपोत और दीपस्तंभ महानिदेशालय

6.57 दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार का

संगठन है, जिसे मैरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट, 2021 के दायरे में नौवहन के लिए समुद्री सहायता के क्षेत्र में संप्रभु जिम्मेदारियां निभाने का काम सौंपा गया है। डीजीएलएल समुद्री संधियों के तहत भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करता है, जिससे भारतीय समुद्र में सुरक्षित और कुशल नौवहन सुनिश्चित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग- समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएएलए), जिसका मुख्यालय फ्रांस में है, एक अंतर-सरकारी संगठन है जो समुद्री नौवहन सहायता के प्रावधान और रखरखाव के लिए जिम्मेदार सदस्य देशों को एक मंच पर लाता है और समुद्री नौवहन सहायता के संबंध में मानक, सिफारिशें और दिशानिर्देश प्रकाशित करता है।

डीजीएलएल ने 1982 से आईएएलए के राष्ट्रीय सदस्य और परिषद सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। डीजीएलएल मानकों, दिशा-निर्देशों और मैनुअल के विकास में आईएएलए के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है और दुनिया भर में क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा में योगदान देते हुए नेविगेशन और पोत यातायात सेवाओं में सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल) एक आत्मनिर्भर संगठन है और अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के माध्यम से अपने व्यय को पूरा करता है। यह संगठन नेविगेशन के लिए मैरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट, 2021 के प्रावधानों के अनुसार भारत में किसी भी पत्तन पर आने या इससे जाने वाले सभी विदेशी पोतों पर नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता शुल्क लगाकर अपना राजस्व एकत्र करता है।

डीजीएलएल नेविगेशन और पोत यातायात सेवाओं में समुद्री सहायता पर प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय प्राधिकारी भी है। डीजीएलएल के तहत समुद्री नेविगेशन प्रशिक्षण संस्थान (एमएनटीआई), कोलकाता, नेविगेशन और पोत यातायात सेवाओं में समुद्री सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन है।

नौवहन वर्टिकल्स को सहायता का विवरण:

6.58 डीजीएलएल का कार्यकरण, नौवहन के लिए समुद्री सहायता अधिनियम, 2021 में किए गए प्रावधान के अनुसार है, जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित 7500 किलोमीटर से अधिक फैले भारत के तटीय जल में और उसके आसपास नौवहन के लिए समुद्री सहायता की ज़रूरतों को पूरा करता है। डीजीएलएल द्वारा नौवहन ढ़ांचे के लिए समुद्री सहायता की स्थापना और रखरखाव का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सख्या	नेविगेशन में सहायता	संख्या
1.	दीपस्तंभ	204
2.	दीपपोत	01
3.	डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस) स्टेशन	23
4.	रडार बीकन (रैकन्स)	64
5.	डीप सी लाइटेड बॉय	22
6.	87 फिजिकल शोर स्टेशन (पीएसएस) के साथ नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएआईएस) नेटवर्क	01
7.	कच्छ की खाड़ी में जलयान यातायात सेवा (9 रडार + 4 एआईएस बेस स्टेशन और 2 रेडियो दिशा खोजक)	01
8.	दीपस्तंभ निविदा पोत वेसल्स	02
9.	नेशनल नेवटेक्स चेन (7 Tx. स्टेशन, 7 मॉनिटरिंग स्टेशन और मुंबई और विजाग में नेवटेक्स कंट्रोल सेंटर)	01

डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस)

6.59 दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल) ने नाविकों के लिए जीपीएस पोजिशनिंग की सटीकता बढ़ाने के लिए 23 डीजीपीएस स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। 2023-24 में, इन स्टेशनों को अत्याधुनिक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस) स्टेशनों में उन्नत किया गया, जिससे जीपीएस, ग्लोनास और आईआरएनएसएस सहित कई उपग्रह नक्षत्रों के सुधारों का सम्प्रेषण संभव हो सका। यह उन्नत प्रणाली समुद्र तट से 100 समुद्री मील तक फैली 5 मीटर से बेहतर पोजिशनिंग सटीकता सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय नेवटेक्स नेटवर्क

6.60 डीजीएलएल ने वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली (जीएमडीएसएस) संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत के समुद्र तट के साथ एक राष्ट्रीय नेवटेक्स नेटवर्क स्थापित किया है। इस नेटवर्क में पश्चिमी तट, पूर्वी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करने वाले 07 संचरण स्टेशन शामिल हैं।

एनएवीटीईएक्स नेटवर्क समुद्री सुरक्षा सूचना (अर्थात मौसम पूर्वानुमान, मौसम चेतावनी, नेविगेशन चेतावनियाँ और एसएआर संदेश) प्रसारित करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएचओ), भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और मुंबई में नौवहन महानिदेशालय द्वारा नैवेटक्स केंद्र को डेटा प्रदान किया जाता है और इसे विभिन्न संचारण स्टेशनों के माध्यम से नाविकों तक पहुँचाया जाएगा।

राष्ट्रीय एआईएस नेटवर्क

6.61 स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस), समुद्री सुरक्षा और टकराव से बचने के लिए पोत से पोत और पोत से तट-आधारित डेटा प्रसारण प्रणाली है।

डीजीएलएल ने 87 भौतिक तटीय स्टेशनों (पीएसएस) के साथ एक राष्ट्रीय एआईएस नेटवर्क स्थापित किया है, जो 25 समुद्री मील की न्यूनतम दूरी तक निर्बाध कवरेज प्रदान करता है, जिससे एआईएस ट्रांसपोंडर से लैस पोतों को ट्रैक किया जा सकता है।

मुंबई और विशाखापत्तनम में दो तटीय नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेटवर्क में प्राप्त डेटा को मुंबई में राष्ट्रीय डेटा केंद्र में संग्रहीत और प्रबंधित किया जाता है। तटीय सुरक्षा और संरक्षा के लिए, नौवहन महानिदेशालय, संयुक्त प्रचालन केंद्र (जेओसी) मुंबई, संयुक्त प्रचालन केंद्र (जेओसी) विशाखापत्तनम, भारतीय नौसेना दिल्ली और भारतीय तटरक्षक दिल्ली में टर्मिनल भी प्रदान किए गए हैं।

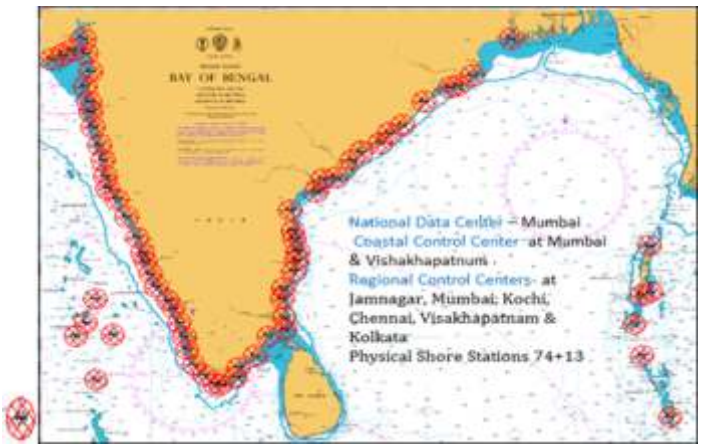

एनएआईएस भौतिक तट स्टेशनों का कवरेज

पोत यातायात सेवा (वीटीएस)

6.62 पोत यातायात सेवा, एक ऐसी सेवा है जिसमें पोत यातायात के साथ अंतक्रिया करने और वीटीएस क्षेत्र के भीतर विकसित हो रही स्थितियों पर त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता है ताकि नेविगेशन की सुरक्षा और दक्षता में सुधार हो सके। कच्छ की खाड़ी में वीटीएस (वीटीएस-जीओके), दुनिया के सबसे बड़े वीटीएस नेटवर्क में से एक है, जिसे डीजीएलएल द्वारा स्थापित किया गया है और इसका रख-रखाव किया गया है, और यह लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर के कवरेज क्षेत्र के साथ पूरे कच्छ की खाड़ी को कवर करता है। वीटीएस-जीओके में 09 एक्स-बैंड रडार शामिल हैं जो कोटेश्वर, जखाऊ, छाछी, मांडवी, नवीनल, कांडला, बालाचडी, चूड़ेश्वर और ओखा में संस्थापित हैं और 02 एस-बैंड रडार ओखा और जकाहू में संस्थापित हैं। 06 एआईएस स्टेशन, 11 वीएचएफ स्टेशन हैं जिनमें 27 वीएचएफ सेट और 06 मौसम संबंधी सेंसर स्टेशन शामिल हैं।

वीटीएस-गोके कच्छ की खाड़ी में 01 महापत्तन और 12 अन्य पत्तनों के लिए सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है।

समुद्री नेविगेशन प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता

6.63 दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल), डीजीएलएल नेविगेशन और पोत यातायात सेवाओं के लिए समुद्री सहायता पर प्रशिक्षण और प्रमाणन से संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय सक्षम प्राधिकारी है।

कोलकाता में एमएनटीआई निम्नलिखित प्रशिक्षण के लिए समुद्री शिक्षा के वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थापित किया गया है।

- एनआईओआर देशों/तटीय देशों के एटोएन कर्मियों को प्रशिक्षण।
- भारत के महा और अन्य पत्तनों के एटोएन और वीटीएस कर्मियों को प्रशिक्षण।
- पोत यातायात सेवा (वीटीएस) की आवश्यकता को पूरा करने और विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में।

वर्ष 2024 में प्रमुख परियोजनाएँ

75 दीपस्तंभों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास

6.64 सुरक्षित नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण दीपस्तंभ में पर्यटन की भी अपार संभावनाएँ हैं। 75वें "मन की बात" में माननीय प्रधानमंत्री ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए 75 स्थलों पर दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पर्यटन के अनुभव को बढ़ाने के लिए संग्रहालय, थिएटर, पार्क और कैफे जैसी सुविधाएँ विकसित कीं। 28 फरवरी, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इन विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

2023-24 में, इन स्थलों पर 16 लाख दर्शक आए, इस वर्ष संख्या में वृद्धि हुई है, जो इस पहल की सफलता को दर्शाता है।

यह पहल दीपस्तंभ प्रौद्योगिकी विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, समुद्री इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है, पर्यटन के लिए भूमि का अधिकतम उपयोग करती है, और स्थानीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करती है।

बच्चों का खेल क्षेत्र

एम्फीथिएटर

कलवान रीफ दीपस्तंभ

कलवान रीफ पर नए दीपस्तंभ की स्थापना

6.65 दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय (डीजीएलएल) ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी में रोज़ी द्वीप के पास एक रीफ़ पर स्थित नए कलवान दीपस्तंभ का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसकी कुल लागत 717 लाख रुपये है। नया दीपस्तंभ बेदी पोर्ट और रोज़ी एंकोरेज के आसपास चलने वाले जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन में एक महत्वपूर्ण सहायता के रूप में कार्य करता है। कलवान दीपस्तंभ, एक प्रतिष्ठित समुद्री स्थल है, जिसका उद्घाटन माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने 19 अक्टूबर 2024 को किया है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

एमएनटीआई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

लेवल-1 एटूएन प्रबंधक पाठ्यक्रम

6.66 डीजीएलएल ने 04 नवंबर, 2024 से 22 नवंबर, 2024 तक एमएनटीआई कोलकाता में "एड्स टू नेविगेशन मैनेजर लेवल-1 कोर्स" पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसमें मिस्र, म्यांमार, कुवैत, लीबिया और फिलीपींस के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अक्टूबर-24 में एमएनटीआई में वीटीएस ऑपरेटर सी0-103-1 पर प्रशिक्षण

नई दिल्ली के एआईएफएसीएस में दीपस्तंभ पर्यटन फोटो प्रदर्शनी

6.67 दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय ने 3 मार्च 2024 से 7 मार्च 2024 तक दीपस्तंभ फोटो प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। दीपस्तंभ फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देना रहा है। इस पहल का उद्देश्य इन शानदार संरचनाओं की समृद्ध संस्कृति, महत्व और आकर्षण को प्रदर्शित करना है, जिससे वे पर्यटन की संभावना को बढ़ावा दे सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि, 2023-24 में दीपस्तंभ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 16 लाख हो गई है, जो वर्ष 2013-14 में केवल 4.34 लाख थी।

भारतीय दीपस्तंभ महोत्सव 2.0

6.68 भारतीय दीपस्तंभ महोत्सव 2.0, जिसे भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा के पुरी में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के महत्व को दर्शाया गया।

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा दूसरे दीपस्तंभ महोत्सव का उद्घाटन

- **उद्घाटन:** ओडिशा में दो नए दीपस्तंभ और गुजरात में कलवान रीफ दीपस्तंभ की घोषणा की गई और उसका अनावरण किया गया।
- **सामुदायिक सशक्तिकरण:** तटीय समुदायों को दीपस्तंभ के संरक्षण और संवर्धन में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा; रेत कला, योग और संगीत संध्या जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।
- **स्वच्छता अभियान:** नीलाद्री समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान से कचरा हटाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली।
- **पर्यटन वृद्धि:** दीपस्तंभ पर्यटन में 400% की वृद्धि हुई, पर्यटनों की संख्या 2014 में 4 लाख से बढ़कर 2023-24 में 16 लाख तक पहुँच गयी; ₹60 करोड़ की लागत से 75 दीपस्तंभ को आधुनिक सुविधाओं के साथ उन्नत किया गया

माननीय एमओपीएसएंडडब्ल्यू, केंद्रीय मंत्री, पुरी समुद्र तट पर समुद्र तट की सफाई और योग के दौरान

05 जुलाई, 2024 को गोवा में 'भविष्य के पत्तन' पर सम्मेलन आयोजित किया गया

6.69 5 जुलाई, 2024 के गोवा, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में दीपस्तंभ और दीपपोत पोत निदेशालय (डीजीएलएल) और मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) द्वारा संयुक्त रूप से 'भविष्य के पत्तन पर सम्मेलन' एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मार्गदर्शन में नील अर्थ विजन कार्यान्वयन सेल (एनएवीआईसी) के सदस्य हैं।

सम्मेलन समारोह में भविष्य के पत्तन संबंधी सूचना पुस्तिका का विमोचन

विझिंजम दीपस्तंभ में हितधारकों की बैठक

6.70 माननीय एमओपीएसडब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने 11 जुलाई 2024 को विझिंजम दीपस्तंभ का दौरा किया। दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल के विझिंजम दीपस्तंभ में हितधारकों की बैठक आयोजित की गई थी।

हितधारकों की बैठक में दीपस्तंभ की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित किया गया, उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व पर जोर दिया गया। इसने स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभों पर प्रकाश डाला, सहयोग को बढ़ावा दिया और दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियों का समझा। अप्रैल से जून 2024 तक 500,000 से अधिक पर्यटकों ने दीपस्तंभ का दौरा किया, जिससे इस विज़न की पुष्टि हुई।

विझिंजम में माननीय एमओपीएसएंडडब्ल्यू, केंद्रीय मंत्री

विझिंजम दीपस्तंभ पर हितधारकों की बैठक

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

17 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोचीन शिपयार्ड में विश्व के पहले चरणबद्ध ड्राई-डॉक का उद्घाटन

6.71 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के 2330.46 करोड़ रुपये की तुलना में 3645.28 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के 334.49 करोड़ रुपये की तुलना में 813.10 करोड़ रुपये था। इसके बाद, कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए कारोबार 1,806.82 करोड़ रुपये का था, जबकि 30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के लिए 1,398.34 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया। 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए निवल लाभ पिछले वित्त वर्ष 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के लिए 300.41 करोड़ रुपये की तुलना में 373.92 करोड़ रुपये का था।

ऑर्डर बुक स्थिति

6.72 दिसंबर, 2024 को, सीएसएल के पास 43 जलयानों का ऑर्डर है, जिसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 1200 पैक्स सह 1000 टन के 2 कार्गो जलयान, भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी), भारतीय नौसेना के लिए 6 नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल जलयान (एनजीएमवी), कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल जलयान, 6 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

सीएसएल ने कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को बैटरी चालित यात्री फेरी प्रदान की

(आईडब्ल्यूएआई) के लिए 6 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन यात्री जलयान, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए 1 ड्रेजर, 7 के बहुउद्देशीय जलयान (एचएस इको फ्रेटर) के 8 पोत, 2 कमीशनिंग सेवा ऑपरेशन पोत, 2 जीरो एमिशन फीडर कंटेनर जलयान और विभिन्न यूरोपीय उपभोक्ताओं के लिए 2 सेवा ऑपरेशन जलयान शामिल हैं।

6.73 सीएसएल ने हरित जलयान निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ 23 हाइब्रिड बैटरी-चालित यात्री नौकाओं के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 17 दिसंबर 2024 तक वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सीएसएल आईडब्ल्यूएआई के लिए आठ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन यात्री जलयानों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से दो पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। कंपनी विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए दो कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान, दो जीरो-एमिशन फीडर कंटेनर जलयान और दो सर्विस ऑपरेशन जलयान भी बना रही है। उल्लेखनीय रूप से, सीएसएल ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामारन यात्री पोत (100 पैक्स) बनाया, जो एक प्रायोगिक प्रोजेक्ट है जिसे भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 28 फरवरी, 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

सीएसएल और डीसीआई ने माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में पहली बार ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी को हरी झंडी दिखाई

6.74 सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में, सीएसएल की पोत मरम्मत क्षमता सबसे अधिक 125,000 डीडब्ल्यूटी है। निजी क्षेत्र में, एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड की पोत मरम्मत क्षमता सबसे अधिक 300,000 डीडब्ल्यूटी है। सीएसएल ने 970 करोड़ रुपये की लागत से 6 वर्कस्टेशनों और संबद्ध सुविधाओं के साथ 130 मीटर x 25 मीटर x 6000 टी क्षमता की पोत लिफ्ट केन्द्र स्थापित करके कोचीन पत्तन के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) विकसित की है। सीएसएल ने कोचीन पत्तन परिसर में पट्टे पर दिए गए क्षेत्र (प्रथम चरण) में ड्राई-डॉक और मौजूदा सुविधाओं का संचालन जारी रखा।

6.75 सीएसएल ने कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर 310 x 75/60 x 13 मीटर माप वाले एक नए ड्राई डॉक का सिविल निर्माण भी पूरा कर लिया है। नया डॉक कंपनी की पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षमता को बढ़ाएगा, जो विशेषज्ञ और तकनीकी रूप से उन्नत पोतों जैसे एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता वाले विमान वाहक, जैक अप रिग्स, ड्रिल शिप, बड़े ड्रेजर और अपतटीय प्लेटफार्मों और बड़े पोतों की मरम्मत के निर्माण की बाजार क्षमता का दोहन करने के लिए आवश्यक है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का नया ड्राई-डॉक

6.75 (क) माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी, 2024 को ड्राई डॉक परियोजना का उद्घाटन इसके सिविल निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद किया। 600 टन की गैंट्री क्रेन का निर्माण पूरा हो चुका है। कैसन गेट और डॉक के परीक्षण के लिए डॉक की पहली फ्लडिंग सितंबर 2024 में की गई। जनवरी 2025 तक पोत निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए डॉक फ्लोर और ग्रैंड असेंबली क्षेत्र को सौंपने की उम्मीद है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा का उद्घाटन

6.75 (ख) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आईएसआरएफ परियोजना का उद्घाटन 17 जनवरी, 2024 को इसके सिविल निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद किया गया। आईएसआरएफ शिप लिफ्ट सिस्टम को चालू करने का कार्य 12 अगस्त, 2024 को किया गया था। एचएससी पराली, आईएसआरएफ में वाणिज्यिक पोत मरम्मत गतिविधियों को शुरु करने के लिए डॉक किया गया पहला पोत था।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)

6.76 हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की स्थापना शुरू में 23 अक्टूबर 2017 को सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसरण में, सीएसएल ने एचडीपीईएल के शेयरों का अधिग्रहण कर लिया और 1 नवंबर 2019 से एचसीएसएल, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

6.77 नजीरगंज में नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत केन्द्र के साथ यार्ड का निर्माण पूरा हो गया और 16 अगस्त, 2022 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल द्वारा इस केन्द्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस केन्द्र ने खुद को भारत के पूर्वी तट पर अंतर्देशीय और तटीय पोतों के लिए एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में स्थापित करने के इरादे के साथ इसे 175.20 करोड़ रुपये की लागत से हुगली में 15.76 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है। एचसीएसएल की सल्किया में 9.90 एकड़ जमीन पर एक अन्य इकाई भी है, जहां निकट भविष्य में विकास गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

6.78 एचसीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए 6 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामारन पोत के निर्माण के लिए 23 मार्च, 2024 को सीएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामारन क्षेत्र में प्रवेश किया। एचसीएसएल को इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 4, 40टी एएसडी बोलार्ड पुल टग के एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का सौभाभीग्य मिला। इसके अलावा, कंपनी जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1 एमपीवी (2200टी) का निर्माण कर रही है और पाण्डु, असम में नया पोत मरम्मत केन्द्र स्थापित करने के लिए आई आईडब्ल्यूएआई के साथ परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर रही है। यह यार्ड, सीएसएल से बॉक्स कैसन गेट के डिजाइन, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग के आदेश को पूरा करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिसे एसएमपी, कोलकाता में नेताजी सुभाष डॉक पर स्थापित और चालू किया जाएगा।

6.79 एचसीएसएल का इरादा खुद को गुणवत्तापूर्ण अंतर्देशीय और तटीय पोतों के निर्माण के लिए पूर्वी तट पर अग्रणी पोत निर्माण यार्डों में से एक के रूप में स्थापित करने का है। यार्ड, मुख्य रूप से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटे पोतों के क्षेत्र, विशेष रूप से अंतर्देशीय बार्जों और पोतों, यात्री नौकाओं, आरओ-आरओ/आरओ-पैक्स, पोत मरम्मत आदि में विशाल अवसर का लाभ उठाकर सीएसएल समूह की दीर्घकालिक रणनीति, क्रूज 2030 में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एचसीएसएल एक यार्ड है जिसकी भारत सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 तक पहुंच है, जिसका सबसे अच्छा उपयोग यथासंभव कम से कम संभव लागत पर छोटे पोतों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इससे कंपनी को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों में उच्च मात्रा और कम मार्जिन वाले छोटे पोतों के क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी।

माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री ने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) का उद्घाटन किया

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल)

6.80 उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यूसीएसएल सितंबर 2020 में आईबीसी प्रक्रिया के तहत सीएसएल द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से सीएसएल समूह का हिस्सा बन गया। यूसीएसएल के दो केन्द्र हैं; एक उडुपी, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में। उडुपी में यह केन्द्र तीन इकाइयों अर्थात्, मालपे हार्बर कॉम्प्लेक्स, हेंगरकट्टा और बाबूथोट्टा में फैला हुआ है, सीएसएल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, 22 अप्रैल 2022 को कंपनी का नाम टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड से बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) कर दिया गया।

6.81 यूसीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राहकों की संतुष्टि के साथ ही विभिन्न पोतों की डिलीवरी पूरी करके और निर्माणाधीन पोतों के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के साथ-साथ प्रमुख ऑर्डर करके अच्छा प्रदर्शन किया। 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अतिरिक्त आठ जहाजों के विकल्प के साथ विल्सन एएसए, नॉर्वे से 6 फ्यूचर प्रूफ 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो जलयानों के निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त किया। यूसीएसएल को उसी पोत के लिए पहले से प्राप्त मौजूदा ऑर्डर के अलावा केरल राज्य के लाभार्थियों के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के तहत टूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर फिशिंग बोट के लिए भी ऑर्डर मिले। 2023-24 के दौरान केरल राज्य के लाभार्थियों के लिए कम्पनी ने टूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर फिशिंग बोट्स, जीकेएस मरीन एक्सपोर्ट्स को एक पर्स सीनर डीप सी फिशिंग बोट, ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए निर्मित 62 टन के दो बोलार्ड पुल टग डिलीवर किए। 3 मार्च 2024 को, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यूसीएसएल में निर्मित अब तक के पहले एएसटीडीएस टग (ओशन ग्रेस) का उद्घाटन किया।

6.82 इसके अलावा, 2024-25 के दौरान, कंपनी ने पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए अनुबंधित 70 टन के दो बोलार्ड पुल टग वितरित किए। 2024-25 के दौरान, कंपनी को 70 टन के बारह बोलार्ड पुल टग (ओशन स्पार्कल लिमिटेड से ग्यारह और पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से एक) आदेश भी प्राप्त हुए। इसके अलावा, विल्सन एएसए, नॉर्वे ने 2024-25 के दौरान अतिरिक्त आठ 6300 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो पोतों के निर्माण के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया।

विल्सन एएसए, नॉर्वे के लिए बनाए जा रहे फ्यूचर प्रूफ 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो वेसल्स की छह जलयान श्रृंखला के पहले जलयान का शुभारंभ समारोह 16 दिसंबर, 2024 को यूसीएसएल में आयोजित किया गया

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई)

6.83 पिछले 63 वर्षों के दौरान, एससीआई देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करके महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहा है। 1961 में मात्र 0.19 मिलियन डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) की क्षमता वाले 19 पोतों के साथ एक लाइनर नौवहन कंपनी के रूप में शुरुआत करते हुए, 31 दिसंबर 2024 तक एससीआई के पास 5.245 मिलियन डीडब्ल्यूटी, 2.89 मिलियन जीटी के 57 पोत हैं और यह भारतीय टनेज का लगभग 25% (डीडब्ल्यूटी के संदर्भ में) है।

कच्चे तेल का परिवहन

6.84 भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में से एक है। ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देश के आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकताओं को देखते हुए, एससीआई ने धीरे-धीरे लाइनर व्यवसाय से ऊर्जा परिवहन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसकी शुरुआत 1964 में कच्चे तेल के परिवहन से हुई। एससीआई ने 1970 के दशक में और उसके बाद भारतीय तेल उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कच्चे और उत्पाद टैंकरों का ऑर्डर दिया।

वस्तु और उत्पाद परिवहन

6.85 एससीआई ने 1980 के दशक की शुरुआत में नौवहन उद्योग में मंदी का पूरा फायदा उठाया और देश के बढ़ते एक्सिम व्यापार को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर बेड़े का अधिग्रहण (टैंकर और साथ ही ड्राई बल्क पोत) किया। 1991 में, एससीआई ने क्रायोजेनिक में प्रचालन शुरू की दिया। आज की तारीख में, एससीआई के पास 13 कच्चे माल के वाहक, 5 वीएलसीसी, 11 उत्पाद वाहक, 1 गैस वाहक, 15 ड्राई बल्क वाहक, विभिन्न आकारों में 2 लाइनर पोतों का मिश्रित बेड़ा है और इसे टाइम चार्टर और यात्रा चार्टर के संयोजन में लगाया गया है और यह भारत को केन्द्र में रखने के साथ-साथ ही क्रॉस ट्रेड मार्केट में व्यापार कर रहा है। एससीआई के पास 10 अपतटीय आपूर्ति पोत भी हैं।

एससीआई के बल्क और टैंकर पोत वैश्विक स्तर पर चलते हैं। टैंकरों, में सभी प्रकार के आकारों शामिल हैं अर्थात एमआर (मीडियम रेंज टैंकर), एलआर-I (लॉन्ग रेंज 1 टैंकर), एलआर-II (लॉन्ग रेंज 2 टैंकर), अफ्रामैक्स, स्वेजमैक्स और वीएलसीसी जो औसतन पीओएल कार्गो का लगभग 30 एमएमटी प्रति वर्ष परिवहन करते हैं। साथ ही, कभी-कभी माल ढुलाई अनुबंध (सीओए) के तहत माल उठाने के संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए टन भार को इन-चार्टर्ड किया जाता है। एससीआई के उत्पाद टैंकर ज्यादातर तटीय आवाजाही और स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादों के क्रॉस ट्रेड में लगे हुए हैं। बल्क कैरियर अर्थात सुप्रामैक्स, पैनामैक्स और कामसारमैक्स, कोयला, लौह अयस्क, यूरिया, अनाज, खनिज अयस्क आदि जैसे ड्राई बल्क कार्गो का लगभग 10 एमएमटी प्रति वर्ष परिवहन करते हैं। उर्जा और उद्योग, राष्ट्र की आथिक बढ़ौतरी के महत्वपूर्ण घटक है और एससीआई, पीएसयू रिफाइनरियों को रसद सहायता देता है। पोतों को भारतीय तट के आसपास कच्चे तेल, स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादों, कोयला, लौह अयस्क, उर्वरक आदि के परिवहन में तैनात किया जाता है, जिससे स्वदेशी व्यवसायों को सहायता मिलती है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में प्रमुख चार्टरर्स के साथ काम करने में भी मदद मिलती है। एसटीएस/लाइटरेज ऑपरेशन और फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए कच्चे तेल के टैंकरों की तैनाती से लॉजिस्टिक प्रचालन में लचीलापन सुनिश्चित होता है।

प्रबंधित जलयान

6.86 अपने स्वामित्व वाले पोतों के प्रचालन के अलावा, पिछले कुछ वर्षों में एससीआई ने तेल उद्योग और विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों के लिए विशेषज्ञ पोत प्रचालन, प्रबंधन और प्रचालन में विशेषज्ञता हासिल की है और यह भारत में एक प्रमुख पोत प्रबंधन कंपनी के रूप में उभरा है और इसने वर्तमान में (31 दिसंबर 2024 तक) विभिन्न संगठनों के कुल 36 पोतों का प्रबंधन किया है। इसमें अंडमान

और निकोबार प्रशासन (एएंडएनए) के 27 पोत, खान मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 3 जलयान, ओएनजीसी के 02 जलयान, भारत एलएनजी परिवहन कंपनियों की ओर से 04 एलएनजी जलयान शामिल हैं। एससीआई विभिन्न संगठनों को उनके टन भार वृद्धि परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

भारत-मालदीव नौवहन सेवाएं (आईएमएसएस)

6.87 भारत और मालदीव के बीच भारत-मालदीव कार्गो नौवहन सेवा को 21 सितंबर, 2020 को एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, जिसने भारतीय महासागर क्षेत्र (आईओआर) में दोनों देशों द्वारा की गई कनेक्टिविटी पहलों में एक नया अध्याय जोड़ते हुए कोचीन और तूतीकोरिन के भारतीय पत्तनों को कुलहुदुफ्फुशी और माले से जोड़ा। अधिकांश शिपमेंट बल्क/ब्रेक-बल्क स्वरूप के हैं, जबकि, बेहतर लाभप्रदता के लिए पोतों को कंटेनरयुक्त कार्गो से भरने पर जोर दिया गया है। सितंबर 2022 में एम.वी. एमसीपी लिंज़ की पुनः डिलीवरी के बाद, अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से सेवा जारी रही। 05.05.2023 को, वीओ चिदंरनार पोर्ट से एम.वी. एमएसएस गैलेना को शामिल करके भारत और मालदीव के बीच सीधी नौवहन सेवा फिर से शुरू हुई। चार्टर अवधि समाप्त होने और एम.वी. एमएसएस गलेना की पुन: डिलीवरी पर तथा आईएमएस सेवा की निरंतरता बनाए रखने के लिए एससीआई ने जून 2024, से आईएमएस सेवा में 220 टीईयू (नाममात्र क्षमता) वाला पोत, अर्थात एम.वी. एमएसएस डोअरो लिया है।

माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया जहाज **"एम.वी. एमएसएस गैलेना"**

भारत-श्रीलंका यात्री फेरी सेवा

6.88 शिवगंगई (150 पैक्स) नामक पोत द्वारा नागपट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौका सेवा 16 अगस्त, 2024 को शुरू हुई।

एससीआई ने पोत के मालिक (इंडश्री फेरी सर्विसेज) को व्यापक सहायता प्रदान की और अंतर्राष्ट्रीय नौका सेवा के लिए प्रमाणन, योजना और विनियामक अनुपालन में सहायता की। नौका सेवा शुरू में सप्ताह में तीन बार चलाई गई। अक्टूबर 2024 में, इंडश्री फेरी सर्विसेज ने अधिक यात्रियों को इस सेवा में शामिल करने के लिए, समय अंतराल को सप्ताह में चार बार (मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार) तक कर दिया। अब तक, नौका ने कुल 5,811 यात्रियों को ले जाते हुए 37 चक्कर पूरे किए हैं। मौसमी जलवायु के कारण, 19 नवंबर, 2024 से सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, और मौसम की स्थिति के अधीन, इसके फरवरी, 2025 के मध्य में फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय यात्री फेरी सेवा (रामेश्वरम, भारत - तलाईमन्नार, श्रीलंका) के लिए ईओआई

6.89 एमओपीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) ने 20 फरवरी, 2024 को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की, ताकि भारत के रामेश्वरम को तलाईमन्नार, श्रीलंका से जोड़ने वाली यात्री नौका सेवा शुरू करने के लिए एक जलयान की पहचान की जा सके, जिसमें चयनित ऑपरेटर द्वारा श्रीलंका के भीतर अन्य पत्तनों तक सेवा का विस्तार करने की संभावना हो। पांच पक्षों ने रुचि व्यक्त की, जिनमें से दो का जांच के बाद चयन किया गया।

इसके अलावा, यह माना जाता है कि वर्तमान में, दोनों पक्षों अर्थात रामेश्वरम और तलाईमन्नार में बुनियादी सुविधाओं को नौका प्रचालन के लिए पर्याप्त उन्नयन की आवश्यकता है।

एससीआई ने टीएनएमबी से फ्लोटिंग जेटी की स्थिति और फ्लोटिंग जेटी पर रखे जा सकने वाले जलयान के आकार के बारे में विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया था। जवाब में, टीएनएमबी ने एससीआई को सूचित किया कि फ्लोटिंग जेटी के लिए निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुबंध प्रदान कर दिया गया है। जुलाई 2025 तक जेटी चालू होने की उम्मीद है और इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू शॉर्ट-सी यात्री फेरी सेवाओं के लिए है। टीएनएमबी ने संभावित सुरक्षा चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं के लिए इस फ्लोटिंग जेटी का उपयोग न करने की सलाह दी।

इसके समानांतर, वर्तमान में आईआईटी मद्रास (एनटीसीपीडब्ल्यूसी), अंतरराष्ट्रीय फेरी सेवाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक समर्पित पत्तन सुविधा के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

प्रगति की निगरानी के लिए, एससीआई ने 29 अगस्त, 2024, 26 सितंबर 2024, 24 अक्टूबर 2024 और 25 नवंबर 2024 को टीएनएमबी के साथ परियोजना पर अपडेट मांगने के लिए ईमेल संचार की एक श्रृंखला शुरू की। 28 नवंबर 2024 को लिखे गए एक पत्र में, टीएनएमबी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय फेरी सेवाओं को शुरु करने करने में तेजी लाने के लिए संभावित अंतरिम समाधान के रूप में रामेश्वरम पोर्ट कार्यालय के पास एक लकड़ी के जेटी के निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है।

एससीआई रामेश्वरम में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के स्थापित हो जाने के बाद नौका सेवाएं की शुरु करने को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एससीआई ने भूख को समाप्त करने, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और ग्रह पर जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कई पहलों को शुरू करके उनमें सहायता करके अपने सीएसआर कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल किया है।

भारतीय नौवहन निगम भूमि एवं परिसम्पत्ति लिमिटेड (एससीआईएलएएल)

6.90 एक 'श्रेणी सी' सीपीएसई, एससीआईएलएएल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है, जिसे 10 नवंबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया गया, जिसका पंजीकृत कार्यालय 'नौवहन हाउस', 245, मैडम कामा रोड, मुंबई-40002 में है। इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 22 फरवरी, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से स्वीकृत डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुसरण में निगमित किया गया है, जिसका उद्देश्य विनिवेश की कारवाई से अलग एस.सी.आई. की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों को अपने पास रखना और उनका निपटान करना है। शुरुआत में एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित, एससीआईएलएल ने 14 मार्च, 2023 से एक स्वतंत्र सीपीएसई के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। 19 मार्च 2024 को एससीआईएलएल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया है।

मुंबई के बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में एससीआईएलएएल का लिस्टिंग समारोह

प्रमुख स्थानों पर स्थित व्यापक रियल एस्टेट के साथ-साथ, एससीआईएलएल का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नाविकों की सेवा करने वाला एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रशिक्षण संस्थान भी है। अब समुद्री प्रशिक्षण संस्थान अपनी सुविधाओं को उन्नत करने की तैयारी कर रहा है।

भारत सरकार के एक उन्नत समुद्री राष्ट्र बनने की परिकल्पना के अनुरूप, समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, पवई ने 2024 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 232 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं:

- 80 डीएनएस (टीएनओसी), नेविगेटिंग अधिकारियों के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण;
- 39 जीएमई (टीएमई) समुद्री इंजीनियर अधिकारियों के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण;
- 80 ईटीओ, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रो-टेक्निकल अधिकारियों के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण;
- 39 जीपी रेटिंग कैडेट, नेविगेटिंग अधिकारियों (एनसीवी) के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण; और
- विभिन्न एसटीसीडब्ल्यू/मॉड्यूलर और उद्योग की जरूरत पर आधारित पाठ्यक्रमों पर 2675 नाविक।
- इसके अलावा, एमटीआई रियायती शुल्क और आयु में छूट देकर अपने पाठ्यक्रमों में महिला कैडेटों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है, जिसके माध्यम से 82 महिला कैडेटों को प्रशिक्षित किया गया है।

समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, पवई हवाई दृश्य

1988 में स्थापना के बाद से, एमटीआई, पवई ने लगभग 1,89,207 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

एससीआईएलएएल * की संपत्तियों के प्रमुख आँकड़े

विवरण	क्षेत्रफल वर्ग फुट में.
मुंबई में 159 फ्लैट	140748.08
कोलकाता में 15 फ्लैट*	21022.00
शिपिंग हाउस, मुंबई (बिल्डिंग)	141783.00
शिपिंग हाउस, कोलकाता (भूमि)*	11885.00
शिपिंग हाउस, कोलकाता (बिल्डिंग)*	86510.00
विवरण	**क्षेत्रफल वर्ग मीटर में.**
एमटीआई, पवई (भूमि)	178871.10
एमटीआई, पवई (फ्लैटों को छोड़कर सभी इमारतें)	16243.46

*उपर्युक्त संपत्तियों में से, कोलकाता स्थित संपत्तियों को 22 मार्च 2024 को एससीआई से एससीआईएलएल को कानूनी रूप से हस्तांतरित कर दिया गया है। अन्य संपत्तियों के लिए कानूनी हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। उपरोक्त के अलावा, आज की तारीख में एससीआईएलएएल के पास 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है।

एससीआई को हाल में प्राप्त पुरस्कार और सम्मान

- 17 जनवरी 2025 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित करने और संवर्धित करने की दिशा में अपने सीएसआर योगदान के लिए एससीआई का आभार व्यक्त किया गया।
- 30 नवंबर 2024 को पश्चिमी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में डब्ल्यूआईपीएस महिलाओं के फोरम में एससीआई को सर्वश्रेष्ठ गतिविधि रिपोर्ट (तृतीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।
- 21 नवंबर, 2024 को 11वें समुद्रमंथन पुरस्कार 2024 में एससीआई को प्रतिष्ठित 'शिपिंग कंपनी ऑफ द ईयर (भारतीय)' से सम्मानित किया गया।
- 20वें शिपटेक इंटरनेशनल मैरीटाइम अवार्ड्स, 2024, मुंबई में 'शिप ऑपरेटर ऑफ द ईयर' पुरस्कार।
- 22.09.2024 को दिल्ली में किशोरियों को सशक्त बनाने और महिलाओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अपने काम के लिए एसकेओसीएच सिल्वर अवार्ड।
- 61वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह, 2024 के अवसर पर मुंबई में नाविकों के उत्कृष्ट भारतीय नियोक्ताओं के लिए प्रथम रैंक के रूप में 'उत्कृष्ट सम्मान का प्रमाण पत्र'।
- 23 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में 10 पीएसयू अवार्ड्स में 'गवर्नेंस नाउ' में 'पर्यावरण और स्थिरता' पुरस्कार और 'सीएमडी नेतृत्व पुरस्कार'।
- फरवरी, 2024 में बेगलुरू में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम के तहत नवरत्न श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार।
- 17 फरवरी 2024 को 22वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 में 'सीईओ ऑफ द ईयर - पीएसयू' पुरस्कार।

6.91 भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू)

कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) -24

- विश्वविद्यालय ने समुद्री क्षेत्र और विशेष रूप से भारत में समुद्री शिक्षा क्षेत्र के बारे में जागरूकता अभियान का दायरा बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप, सीईटी 2024 के लिए छात्रों के पंजीकरण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 79% की वृद्धि हुई है।
- आईएमयू ने 08 जून 2024 को अपने यूजी (बीबीए कार्यक्रमों को छोड़कर)/पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) आयोजित किया और सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए 100% प्रवेश दिया। यूजी और पीजी के लिए संयुक्त रूप से शैक्षिक वर्ष 24-25 के लिए कुल प्रवेश 89.87% है।

उपलब्धियाँ:

9वां दीक्षांत समारोह

- आईएमयू का नौवां दीक्षांत समारोह 07 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री हर्षवर्धन श्रृंगला (आईएफएस सेवानिवृत्त) थे।
- कुल 1974 छात्रों ने दीक्षांत समारोह के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 259 छात्रों ने स्वयं डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किया। 10 छात्रों में से प्रत्येक को स्वर्ण और रजत पदकों से सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि श्री हर्षवर्धन श्रृंगला (आईएफएस सेवानिवृत्त) के साथ पदक विजेता

नए कार्यक्रम

- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से निम्नलिखित नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- आईएमयू और गति शक्ति विश्व विद्यालय द्वारा पत्तन और शिपिंग लॉजिस्टिक्स कार्यक्रम में संयुक्त रूप से एमबीए पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।
- एमबीए - समुद्री प्रबंधन (सीओसी धारकों के लिए ऑनलाइन मोड)
- एमटेक - पर्यावरण इंजीनियरिंग कार्यक्रम।

प्लेसमेंट

- प्लेसमेंट अभियान में आईएमयू कैंपस के 1096 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 823 छात्रों को प्लेसमेंट मिला, और 75% प्लेसमेंट हासिल हुआ।

प्रक्रिया में सुधार

- परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है (पूरक परीक्षाओं की शुरूआत, उत्तर पुस्तिकाओं का त्वरित मूल्यांकन, परीक्षा परिणामों की घोषणा में शून्य विलंब, आदि की व्यवस्था करके)

विविध

- विश्वविद्यालय ने मार्च/अप्रैल और सितंबर/अक्टूबर में पूरक परीक्षाएँ शुरू की हैं, ताकि छात्र अपनी शेष परीक्षाएँ अलग से दे सकें, जिससे मई/जून और दिसंबर/जनवरी में आयोजित होने वाली अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं की अवधि कम हो गई है। तदनुसार, छात्रों के पास इंटर्नशिप के लिए अधिक समय उपलब्ध है।
- विश्वविद्यालय ने गैर-डीजी (शिपिंग) कार्यक्रमों में ट्रांसजेंडर के प्रवेश के लिए सक्षम प्रावधानों को शामिल करके समावेशन सुनिश्चित किया है।
- अब विश्वविद्यालय के बी.टेक (एमई) और बी.टेक (एनएओई) के छात्र चुनिंदा विषय में माइनर डिग्री का अध्ययन कर सकते हैं और सभी यूजी/पीजी कार्यक्रमों के छात्र ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी पसंद के विषयों में डिग्रियों में एक साथ अध्ययन कर सकते हैं।

महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी)

6.92 महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी) का गठन अप्रैल 1997 में किया गया था, ताकि महापत्तन ट्रस्टों और वहां स्थित निजी ऑपरेटरों के संबंध में सभी टैरिफ, पोत संबंधी और कार्गो संबंधी टैरिफ, तथा संपत्तियों के पट्टे की दरों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का प्रावधान किया जा सके। महा पत्तन ट्रस्ट (एमपीटी) अधिनियम, 1963 को पत्तन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा संशोधित कर टीएएमपी का गठन किया गया।

सरकार द्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (एमपीए अधिनियम, 2021) अधिनियमित किया गया है और यह 3 नवंबर 2021 को लागू हुआ है तथा इसने पूर्ववर्ती एमपीटी अधिनियम, 1963 का स्थान लिया है। इस अधिनियम के तहत महापत्तनों को प्रदान की गई सेवाओं और पत्तन संपत्तियों के लिए टैरिफ तय करने का अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, नए अधिनियम के लागू होने के बाद, अनुबंधकर्ताओं को बाजार आधारित टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति है।

एमपीए अधिनियम, 2021 में महापत्तनों में वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन निपटान के लिए एक न्यायनिर्णयन बोर्ड के गठन को अनिवार्य बनाया गया है। टीएएमपी अंतरिम रूप से न्यायनिर्णयन बोर्ड के कार्यों का निष्पादन करेगा और न्यायनिर्णयन बोर्ड के गठन के तुरंत बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा।

अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स

6.93 अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (एएलएचडब्ल्यू), मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसकी स्थापना 1965 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की सर्विस के लिए की गई थी। एएलएचडब्ल्यू को अंडमान और

निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में पत्तन और बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय के कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अपनी स्थापना के समय से ही, एएलएचडब्ल्यू तीसरी पंचवर्षीय योजना से केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्कीमों के तहत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई निधियों से पत्तन विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

29 मई 2024 को, श्री टी.के. रामचंद्रन (आईएएस), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव, ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने एएलएचडब्ल्यू (अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स) सुविधाओं का दौरा किया। एएलएचडब्ल्यू के मुख्य अभियंता और प्रशासक (सीईएंडए) ने सचिव का गर्मजोशी से स्वागत किया और एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चल रही परियोजनाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया।

सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्वराज द्वीप में ड्राई डॉक साइट और सी पोर्ट टर्मिनल (एसपीटी) का भी दौरा किया। एएलएचडब्ल्यू के सीई एंड ए ने सचिव को एसपीटी के लेआउट के बारे में बताया। यात्रा के दौरान, सचिव ने परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए एएलएचडब्ल्यू टीम और ठेकेदारों के बीच घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर जोर दिया।

माननीय एमओपीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर ने 30 दिसंबर, 2024 को राज निवास में एडमिरल डी के जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त), माननीय उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी से भेंट की। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय मंत्री को अंडमान और निकोबार प्रशासन की विभिन्न मेगा इन्फ्रा और रणनीतिक परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया, जिन्हें द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से नौवहन और पत्तन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जैसे ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अटलांटा खाड़ी में डीप वॉटर पोर्ट, पोर्ट मीडोज में ड्राई कार्गो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इस भेंट के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को क्षेत्रीय पोत निर्माण / मरम्मत हब के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।

माननीय पीएस एंड डब्ल्यू राज्य मंत्री की माननीय उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ बैठक

इसके अलावा, माननीय पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री ने 30 दिसंबर, 2024 को अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्यों की समीक्षा की। एएलएचडब्ल्यू ने माननीय मंत्री को द्वीप में पत्तन अवसंरचना के विकास में अपने योगदान के बारे में जानकारी दी और चल रही परियोजनाओं की प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की। मंत्री ने गैलाथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) परियोजना के विकास के लिए पीपीपी मोड के माध्यम से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं सृजित करने, पोत मरम्मत केंद्र, फ्लोटिंग जेटी और सहायक अवसंरचना स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।

माननीय राज्य मंत्री, एमओपीएसएंडडब्ल्यू ने अपने दौरे के दौरान एएलएचडब्ल्यू की समीक्षा करते हुए

वर्ष 2024-25 के दौरान पूरी की गई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ:

क्र. संख्या	परियोजनाओं का नाम	पत्तन
1.	ग्रेट निकोबार में कैम्पबेल बे में बर्थिंग जेटी का विस्तार- 16.85 करोड़ रुपये।	ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, कैम्पबेल बे

ग्रेट निकोबार में कैम्पबेल बे में बर्थिंग जेटी का विस्तार

प्रगतिशील महत्वपूर्ण परियोजनाएँ: - एएलएचडब्ल्यू द्वारा पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाओं को कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

1. **पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान में मरीन डॉकयार्ड में नए ड्राई डॉक-II का विस्तार:** अतिरिक्त पोत मरम्मत सुविधा प्रदान करने और बड़े आकार के पोतों को समायोजित करने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 123.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिसका लगभग 92% कार्य पूरा हो चुका है और चुनौतियों को दूर करने के बाद इसके 31 मार्च, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

पोर्ट ब्लेयर में मरीन डॉकयार्ड में नए ड्राई डॉक-II का विस्तार

2. **पोर्ट ब्लेयर में मरीन डॉकयार्ड में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, निर्माण और कार्यात्मक बनाने का कार्य प्रगति पर है,** जिसके लिए 26.09 करोड़ रुपये से स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं, ताकि ड्राई डॉक-II में पोत मरम्मत की सुविधा प्रदान की जा सके, जिसमें 5 टन के 2 फोर्कलिफ्ट (09 अक्तूबर, 2024 को वितरित), 55 टन का 1 मोबाइल क्रेन (26 नवंबर 2024 को कार्य सौंपा गया) और 20 टन का 1 ईएलएल क्रेन (मूल्य बोली खोली गई है और इसकी जांच की जा रही है)

पोर्ट ब्लेयर में समुद्री डॉकयार्ड में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना और शुरूआत

3. **अंडमान और निकोबार द्वीप में स्वराज द्वीप पर समुद्री पत्तन टर्मिनल का विकास,** ताकि द्वीप पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसके लिए 24.98 करोड़ रुपये से स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं। मार्च 2025 के अंत तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना से द्वीप पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को उपयोगी सेवाओं, फूड कोर्ट और दुकानों आदि के साथ प्रतीक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएँ मिलेंगी।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के स्वराज द्वीप में समुद्री पत्तन टर्मिनल का विकास

4. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2024 को 47.13 करोड़ रुपये की राशि से लिए "अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कार निकोबार में म्यूस में समुद्री दीवार/तट संरक्षण कार्य का निर्माण" स्वीकृत (संशोधित) किया गया है। 150 मीटर एप्रोच के साथ 450 मीटर तट संरक्षण का कार्य पूरा होने पर हार्बर बेसिन में भूमि कटाव और संचयन रूक सकेगा। तट प्रोफ़ाइल में परिवर्तन के कारण एनटीसीपीडब्ल्यूसी के माध्यम से डिज़ाइन पुनर्मूल्यांकन प्रस्तावित है। एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा डिज़ाइन पुनर्मूल्यांकन के बाद, निविदा प्रक्रिया फरवरी, 2025 के मध्य तक शुरू की जाएगी।

ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई)

6.94 ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में चार महापत्तन अर्थात् विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू, पारादीप और दीनदयाल पत्तन हैं, डीसीआई भारत में ड्रेजिंग और संबद्ध कार्यों के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। ड्रेजिंग परियोजनाओं के निष्पादन के अलावा, डीसीआई पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों, जलाशयों, बांधों और बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री के लिए समाधान भी प्रदान करता है। डीसीआई पिछले 48 वर्षों से राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को सेवा प्रदान कर रहा है।

6.95 डीसीआई, महापत्तनों पर रखरखाव ड्रेजिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी ड्रेजिंग क्षमता को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित की जा रही 12,000 एम3 क्षमता के टीएसएचडी की खरीद की प्रक्रिया में है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौते पर 17 मार्च, 2022 को हस्ताक्षर किए गए और डीसीआई-सीएसएल-आईएचसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर 13 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए। ड्रेजर की कीमत 104.59 मिलियन यूरो है। 31 मार्च 2024 को, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को छह किस्तों का भुगतान किया गया और अनुबंध की प्रभावशीलता 34 महीने की डिलीवरी अवधि के साथ 14 नवंबर, 2022 से शुरू हुई। डीसीआई ड्रेज गोदावरी की कील कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 13 सितंबर, 2024 को रखी गई।

13 सितंबर 2024 को सीएसएल, कोच्चि में डीसीआई के नए ड्रेजर "गोदावरी" संस्थापित करने संबंधी समारोह

13 सितंबर 2024 को सीएसएल, कोच्चि में डीसीआई के नए ड्रेजर "गोदावरी" संस्थापित करने संबंधी समारोह

6.96 डीसीआई, ड्रेजिंग में अपने विशाल अनुभव, अत्यधिक कुशल पेशेवरों और 10 से अधिक ड्रेजरों के बेड़े के साथ नौवहन चैनलों और अन्य प्रचालन जल मोर्चों का रख-रखाव करने और देश के समुद्री/पत्तन क्षेत्र के विकास में योगदान देने का प्रयास करता है। डीसीआई टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की दिशा में काम करता है और तटीय संरक्षण और ड्रेज्ड सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों के लाभकारी उपयोग के लिए ड्रेजिंग में समाधान प्रदान करता है।

सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)

6.97 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2015 को सागरमाला कार्यक्रम, अवधारणा और कार्यान्वयन पर कैबिनेट नोट के अनुमोदन के बाद, 20 जुलाई 2016 को निम्नलिखित निर्णयों के साथ सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) के निगमन को मंजूरी दी:

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) का गठन और निगमन, तथा सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना और प्रबंध निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशकों, एक सरकारी निदेशक और दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के निदेशक मंडल का गठन करना।
- एसडीसीएल की वर्तमान बोर्ड संरचना इस प्रकार है:
  - एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष: (सचिव, एमओपीएसडब्ल्यू) (पदेन)
  - एक प्रबंध निदेशक
  - एक निदेशक (वित्त)
  - एक निदेशक (परियोजना): (रिक्त)
  - दो स्वतंत्र निदेशक: (रिक्त)
  - दो सरकारी नामित निदेशक
- अधिकृत शेयर पूंजी 1,000 करोड़ रुपये है, जिसे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाने का प्रावधान है।
- कंपनी की वर्तमान चुकता शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये है।
- 31 अगस्त 2016 को निगमित एसडीसीएल भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से परियोजना की आवश्यकता के अनुसार ऋण/इक्विटी (दीर्घकालिक पूंजी के रूप में) के रूप में निधि जुटाएगा। सागरमाला कार्यक्रम की स्वीकृत संरचना के अनुसार, एसडीसीएल परियोजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/राज्य समुद्री बोर्डों (एसएमबी)/पत्तनों आदि द्वारा स्थापित एसपीवी की सहायता करेगा। एसडीसीएल वित्तपोषण विंडो प्रदान करेगा और/या उन अवशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा जिन्हें किसी अन्य माध्यम/मोड द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है।

6.98 एसडीसीएल भारतीय समुद्री क्षेत्र के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए ढांचा और वित्तपोषण प्रदान करने का प्रयास करता है। इनमें ग्रीन फील्ड पोर्ट/ब्राउन फील्ड पोर्ट विकास, पत्तनों के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और सागरमाला कार्यक्रम के तहत अन्य संगत गतिविधियाँ शामिल हैं। एसडीसीएल इक्विटी निवेशक होने के साथ-साथ परियोजना विकास एजेंसी होने से, यह विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय में प्रभावी रूप से योगदान दे सकता है। एसडीसीएल व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर जैसे विकास पूर्व कार्यों सहित परियोजना विकास और संरचना गतिविधियों को शुरू कर सकता है और अपेक्षित अनुमोदन और अनापत्ति को भी सुगम बना सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एसडीसीएल ने एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

6.99 अब तक, एसडीसीएल ने छह परियोजना एसपीवी में इक्विटी निवेश के रूप में लगभग 541.829 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्र. संख्या	परियोजना एसपीवी	एसडीसीएल द्वारा इक्विटी निवेश (करोड़ रुपए में)	निवेश का वर्ष	परियोजना की स्थिति
1	कृष्णापट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड	125	2018-19	प्रचालनरत
2	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड	10	2018-19	प्रचालनरत
3	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	50	2019-20	प्रचालनरत
4	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड*	20	2019-20	प्रचालनरत
5	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	284.50	2019-20	प्रचालनरत
	-वही -	52.28	2020-21	प्रचालनरत
6	ब्रह्मपुत्र सागरमाला मंदिर दर्शनम एसपीवी प्रा. लिमिटेड	0.049	2024-25	अभी इसका प्रचालन शुरू होना है
एसडीसीएल द्वारा कुल इक्विटी निवेश		**541.829**		

6.99क एसडीसीएल ने विभिन्न एसपीवी से लाभांश प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) से 4.30 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में प्राप्त हुए हैं।

इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल)

6.100 महापत्तनों को कुशल रेल निकासी प्रणाली प्रदान करने और इस प्रकार उनकी संचालन क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कैबिनेट की मंजूरी से 10 जुलाई 2015 को इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया था, जिसमें 11 महापत्तनों और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा 100 करोड़ रुपये की अंशदान की शेयर पूंजी का योगदान दिया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है। बाद में कंपनी ने रोपवे में भी कार्य करना शुरू कर दिया है और तदनुसार इसका नाम बदलकर "इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड" कर दिया गया है।

आईपीआरसीएल के उद्देश्य

- पत्तनों की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बनाकर भारत में पत्तनों को कुशल और प्रतिस्पर्धी रेल निकासी प्रणाली प्रदान करना।
- पत्तनों पर रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण; आंतरिक पत्तन रेलवे प्रणाली का निर्माण और प्रबंधन।
- नई क्षमता का निर्माण और अंतर्निहित आंतरिक कनेक्टिविटी की क्षमता में वृद्धि।
- ऊपर वर्णित मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भूमि, भवन, लोकोमोटिव और रखरखाव सुविधाओं सहित महापत्तनों और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में रेलवे अवसंरचना का निर्माण करना।
- रोपवे और अन्य आधुनिक पारगमन प्रणालियों के विकास, प्रचालन और रखरखाव का व्यवसाय जारी रखना।

- रेलवे, मल्टीमॉडल परिवहन और पत्तन रेलवे साइडिंग, लोकोमोटिव, कन्वेयर बेल्ट, भूमि प्रबंधन आदि सहित पत्तन बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में डोमेन विशेषज्ञता से प्राप्त परामर्श और प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।
- भारत में या भारत के बाहर रेलवे, ट्रामवे, जलमार्ग, सड़क पुल, वेयरहाउस, फैक्टरियों, संग्रहालयों, पोतों और हर प्रकार की इमारतों सहित सभी प्रकार के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन, मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों के लिए भारत में या भारत के बाहर किसी भी अन्य कंपनी या व्यक्ति के साथ अकेले या संयुक्त रूप से अनुबंध (टर्नकी आधार पर या अन्यथा) करना ।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा डीपीए में एलसी-236 पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का उद्घाटन

आईपीआरसीएल प्रचालन

6.101 वित्त वर्ष 2023-24 में, आईपीआरसीएल 797.04 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक सकल राजस्व प्राप्त करने में सक्षम रहा है। कंपनी का सकल लाभ 61.76 करोड़ रुपये रहा, जिसमें अब तक का सबसे अधिक कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 57.27 करोड़ रुपये रहा, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में और आगे 60.27% की वृद्धि हुई, इस प्रकार नेटवर्थ पर 19.75% का लाभ प्राप्त हुआ। सभी चल रहे कार्यों के लिए संतोषजनक वित्तीय निष्पादान और भौतिक प्रगति प्राप्त करने के अलावा, आईपीआरसीएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान डीपीए के लिए कांडला में एलसी-236 आरओबी का निर्माण, केपीएल में ट्रैक का उन्नयन और संशोधन, केपीएल में दक्षिणी कनेक्टिविटी का दोहरीकरण और जेएनपीए/एनएचएलएमएल के लिए वर्धा ड्राई पोर्ट तक रेल कनेक्टिविटी का काम पूरा किया है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीपीए के एलसी-236 पर आरओबी और एसईसीएल के बरौद रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया। आईपीआरसीएल ने जेएनपीए-एनएचएलएमएल के सिंदी-वर्धा ड्राई पोर्ट और चेन्नई पोर्ट के सेंटर यार्ड और कॉनकॉर यार्ड में इंजन रोलिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यवसाय विकास प्रयासों ने 855.06 करोड़ रुपये के नए वर्क आर्डर प्राप्त करके ठोस परिणाम दिए, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का कुल व्यवसाय 01 अप्रैल, 2024 को 2805.98 करोड़ रूपए हो गया।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर- राष्ट्रीय महत्व की परियोजना

6.102 राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर परियोजना की दुनिया के सबसे बड़े समुद्री परिसरों में से एक होने की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय और अद्वितीय परिसर के रूप में विकसित किया जाना है। जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की समुद्री गतिविधियों, परस्पर संवाद और अनुभव से प्राप्त समग्र सीख के माध्यम से शिक्षा-मनोरंजन, लोथल की आदमकद वास्तुकला के चित्रण आदि का व्यापक एकीकरण हो एनएमएचसी के परियोजना घटकों में 14 दीर्घाओं वाला एनएमएचसी संग्रहालय, लोथल टाउन और ओपन एक्वेटिक गैलरी, दीपस्तंभ संग्रहालय, बगीचा परिसर, तटीय राज्य मंडप और लोथल शहर का पुन: सृजन, इको रिसॉर्ट और म्यूज़ियोटेल, थीम आधारित पार्क, समुद्री अनुसंधान संस्थान और छात्रावास आदि शामिल हैं। एनएमएचसी परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा करेगी और क्षेत्र के स्थानीय व्यवसायों को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगी। गुजरात सरकार 30 किलोमीटर की जलापूर्ति लाइन और 10 लाख लीटर के जल भंडारण टैंक, के लिए अवसंरचना, सरगवाला गांव से एनएमएचसी परियोजना स्थल तक 1.58 किलोमीटर की नई अपेक्षित बाह्य अवसंरचना विकसित कर रही है। 4 लेन सड़क, 17 किलोमीटर की बिजली पारेषण लाइनें बिछाने के लिए परियोजना अवसंरचना के लिए और जीआईएस सबस्टेशन की स्थापना पूरी हो चुकी है, एसएच1 से सरगवाला गांव तक सड़क को 4 लेन किया जा रहा है और सरगवाला गांव से अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर एक्सप्रेसवे तक सड़क संपर्क का काम प्रगति पर है। 09 अक्टूबर 2024 को हुई अपनी बैठक में कैबिनेट ने एनएमएचसी परियोजना के लिए संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के साथ 28 दिसंबर 2024 को साइट पर प्रगति की समीक्षा की।

इस परियोजना की आधारशिला मार्च, 2019 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पत्तन संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जबकि भारतीय पत्तन रेल निगम लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को परियोजना की निष्पादन एजेंसी नियुक्त किया गया है। परियोजना का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और चरण 1ए का निर्माण 09 मार्च 2022 को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है।

पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन - 2024

6.103 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आईपीआरसीएल के माध्यम से 11-12 दिसंबर, 2024 को देश का पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन-2024 (आईएमएचसी-2024) आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत की प्रतिष्ठित समुद्री विरासत और वैश्विक व्यापार, संस्कृति, और नवाचार को अपना गहन योगदान को स्वीकार किया गया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के मंत्री, विशेषज्ञ और गणमान्य व्यक्ति एक साथ आए, जो संवाद और सहयोग के लिए एक जीवंत मंच सिद्ध हुआ जिससे भारत की स्थायी समुद्री विरासत और वैश्विक समुद्री वातावरण को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि हुई।

माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट-2024 में एनएमएचसी स्टॉल का दौरा करते हुए

6.104 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत और विदेशों में पत्तनों और इसके संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आईपीआरसीएल और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता-ज्ञापन के तहत, दोनों पक्षों द्वारा परियोजनाओं की पहचान की जाएगी; आईपीआरसीएल पत्तनों के सभी बुनियादी ढांचे और रसद संबंधी कार्यों से संबंधित परियोजना विकास के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, जबकि आईपीजीएल प्रौद्योगिकी सहित कार्यात्मक मानदंडों की योजना बनाने और निर्धारित करने में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा और बाद में पत्तनों के प्रचालन और रखरखाव के काम को शुरू करेगा या सलाह देगा।

इसी तरह, आईपीआरसीएल ने विभिन्न एनएमडीसी संयंत्रों के लिए रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रोपवे और पीआरटी, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को एक समझौता-ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। आईपीआरसीएल को डीएफसीसीआईएल नेटवर्क पर प्राइवेट साइडिंग्स और प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों के सर्वेक्षण, निर्माण और रख-रखाव के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पैनलबद्ध किया गया है।

6.105 वित्त वर्ष 2023-24 में रोपवे सेगमेंट में, एनएचएलएमएल से बंडल 3 और बंडल 4 में त्रिपुरा और कोहिमा राज्यों में 5 रोपवे परियोजनाओं के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन किला और जानापाव रोपवे परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बोली प्रक्रिया प्रबंधन, मध्य प्रदेश राज्य में चौसठ योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बोली प्रक्रिया प्रबंधन आईपीआरसीएल को सौंपे गए।

हाल के वर्षों में, आईपीआरसीएल ने अपने परिचालन पोर्टफोलियो में काफी विविधता की है, मशीनीकरण, रोपवे, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी), भवनों और संग्रहालयों के निर्माण, कार्गो सह यात्री जेटी/टर्मिनलों के विकास और रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया है। इस कार्यनीतिक वैविध्यपूर्ण स्थिति से आईपीआरसीएल भारत में तेजी से बढ़ते अवसंरचना क्षेत्र का लाभ उठाने की अनुकूल स्थिति में है।

इंडियन पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (आईपीजीएल)

6.106 अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक विश्वसनीय समुद्री/भूमि पहुंच मार्ग प्राप्त करने के रणनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए, विदेश मंत्रालय ने 5 सितंबर, 2014 को एक कैबिनेट नोट पेश किया। उक्त नोट के पैरा 12 के अनुसार, चाबहार पत्तन के चरण 1 के विकास में भाग लेने के लिए ईरान के पत्तन और समुद्री संगठन (पीएंडएमओ) के साथ अनुबंध करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला) पोर्ट से मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2014 को चाबहार पत्तन विकास में भारतीय भागीदारी को मंजूरी दे दी। तदनुसार, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (आईपीजीपीएल) को 22 जनवरी 2015 को निगमित किया गया। आईपीजीएल की अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी 10 करोड़ रुपये है। दो प्रमोटर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट के पास इक्विटी क्रमशः 60:40 के अनुपात में है।

6.107 भारत द्वारा चाबहार पत्तन के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच तेहरान में 6 मई 2015 को भारतीय पक्ष के तत्कालीन मंत्री और ईरानी पक्ष के मंत्री द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद 23 मई, 2016 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा के दौरान तेहरान (ईरान) में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। शाहिद बेहेश्टी - चाबहार पत्तन के पहले विकास चरण में दो टर्मिनलों को सुसज्जित करने और प्रचालित करने के लिए ईरान की आरिया बानादर ईरानी पोर्ट एंड मरीन सर्विसेज कंपनी (एबीआई) और भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (पीएमओ) और तत्कालीन नौवहन मंत्रालय, भारत सरकार अनुबंध की पुष्टि करने वाले पक्षकार थे।

6.108 चूंकि मुख्य अनुबंध को सक्रिय करने में चुनौतियां थीं, इसलिए फरवरी, 2018 में इस्लामी गणराज्य ईरान के महामहिम राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान एक अल्पावधि अनुबंध की नींव रखी गई थी। परिणामस्वरूप, 6 मई 2018 को दोनों पक्षों के बीच एक औपचारिक अल्पावधि पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके कार्यान्वयन के लिए, आईपीजीएल की 98% शेयरधारिता और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट प्रत्येक की 1% शेयरधारिता के साथ एक एसपीवी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) ईरान में निगमित किया गया था। संयुक्त व्यापक कार्य योजना से अमेरिका के हटने के बाद संयुक्त राज्य के प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव से जेएनपीटी और डीपीटी को बचाने के लिए, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) (मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक कंपनी) द्वारा आईपीजीएल में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट के 100% इक्विटी शेयर खरीदे गए। वर्तमान में आईपीजीसीएफजेड के 100% शेयर आईपीजीएल के पास हैं।

6.109 चाबहार पत्तन ने 2023-2024 के दौरान 60,000 टीईयू कंटेनर कार्गो और 1.9 मिलियन मीट्रिक टन बल्क/जनरल कार्गो का संचालन किया है, जो पोत यातायात में 43% की वृद्धि और कंटेनर यातायात में 34% की वृद्धि को दर्शाता है। अक्टूबर 2024 तक, पत्तन ने 1,34,086 टीईयू और 8.79 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का प्रबंधन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, जर्मनी, रूस और संयुक्त अरब अमीरात से ट्रांस-शिपमेंट शामिल थे।

6.110 आईपीजीएल ने म्यांमार के कलादान नदी पर स्थित सित्तवे पत्तन का संचालन भी अपने हाथ में ले लिया है। अप्रैल 2024 से आईपीजीएल द्वारा संचालन शुरू किया गया, जिससे सित्तवे पत्तन, चाबहार में ईरान के शाहिद बेहेश्टी पत्तन के बाद आईपीजीएल द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पत्तन बन गया।

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल)

6.111 सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है, जिसकी स्थापना, वर्ष 2004 में कंपनी अधिनियम के तहत कैबिनेट की मंजूरी से सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना (एसएससीपी) को कार्यान्वित करने और पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाले भारत के भू-भागीय जल के साथ एक नौवहन चैनल बनाने के लिए की गई थी। एसएससीपी के विरूद्ध विभिन्न मुकदमों के कारण, अगस्त 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा काम रोक दिया गया है और जुलाई 2009 से परियोजना स्थल पर सभी गतिविधियाँ रोक दी गई हैं।

राष्ट्रीय पत्तन, जलमार्ग और तट है प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी)

6.112 राष्ट्रीय पत्तन, जलमार्ग और तट है प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) की परिकल्पना, पत्तन और समुद्री क्षेत्र के लिए तकनीकी नवाचारों और नए विचारों और महत्वपूर्ण सफलताओं के विकास के केंद्र के रूप में की गई है। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा के रूप में काम करता है जो पत्तनों, आईडब्ल्यूएआई और अन्य संस्थानों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह केंद्र वैज्ञानिक सहायता के माध्यम से उद्योग में सामने आ रही समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रभावी समाधान देता है और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर समुद्री परिवहन में मूल्यवान शिक्षा, व्यावहारिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी प्रदान करता है। इस केंद्र की स्थापना 2018 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम), चेन्नई में एक इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में की गई थी और इसने थाईयूर, केलमबक्कम, चेन्नई में अनुसंधान और विकास, दोनों के एक नए परिसर के रूप में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। एनटीसीपीडब्ल्यूसी ने अब तक 120 से अधिक अनुसंधान और तकनीकी रिपोर्ट परियोजनाएं शुरू की हैं।

समुद्री और पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस)

6.113 मुंबई और विजाग में कुल 24 प्रयोगशालाओं के साथ 2 परिसरों में समुद्री और पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र शिप डिटेल्ड डिज़ाइन, एमआरओ और उन्नत डिजिटल विनिर्माण अवधारणाओं में रोजगार योग्य इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल प्रदान करता है। अब तक, सीईएमएस विजाग और मुंबई में लगभग 15000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

समुद्री अर्थव्यवस्था और संपर्कता केंद्र (सीएमईसी)

6.114 19 जनवरी, 2023 को मंत्रालय में माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री की उपस्थिति में समुद्री अर्थव्यवस्था और संपर्कता केंद्र (सीएमईसी) की स्थापना के लिए भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) और विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ने आरआईएस में सीएमईसी के शुभारंभ को चिह्नित किया - भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं और विभिन्न संबंधित आयामों को आकार देने के लिए एक थिंक टैंक।

इस पहल का उद्देश्य कार्रवाई योग्य विचारों को पकड़ना है जिन्हें एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लागू किया जा सकता है। सीएमईसी का प्राथमिक उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र के व्यवस्थित विकास और विविधीकरण के लिए एक व्यापक और एकीकृत ढांचा विकसित करना है। इसका उद्देश्य नियामक अवसंरचना की स्थापना में योगदान करना भी है जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच समन्वय एवं सहयोग के लिए सामान्य अवसंरचना विकसित करने सहित क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है। सभी अनुसंधान और नीति संस्थानों के साथ गहन सहयोग को बढ़ावा देकर, सीएमईसी समुद्री क्षेत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था तथा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

सीएमईसी को सौंपे गए कामकाज और कार्यों की समीक्षा करने के लिए सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) की अध्यक्षता में एक अनुसंधान और सलाहकार बोर्ड (आरएबी) का गठन किया गया है। बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं, और आरएबी की अंतिम बैठक 18 दिसंबर, 2024 को आरआईएस में आयोजित की गई थी।

तीसरी अनुसंधान सलाहकार बोर्ड बैठक - सीएमईसी (आरआईएस)

अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीएमटी)

6.115 आईआईटी खड़गपुर में 69.20 करोड़ रुपये की लागत से सीआईसीएमटी की स्थापना की जा रही है, जो मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा के रूप में कार्य करेगा तथा मंत्रालय, इसके अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और महापत्तनों को प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान, परीक्षण और प्रयोग सुविधा प्रदान करेगा। यह तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए पोत डिजाइन, पोत निर्माण प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक डिजाइन, परिवहन प्रणालियों और लॉजिस्टिक, क्रायोजेनिक कार्गो हैंडलिंग, तटीय और अंतर्देशीय जल से हरित/नवीकरणीय ऊर्जा संचयन और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र को सुविधा प्रदान करेगा। उथले पानी में पोत मॉडल परीक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक गहरे और उथले पानी की सीकीपिंग और मैन्युवरिंग बेसिन (डीएसडब्ल्यू-एसएमबी) की स्थापना की जा रही है। एलएनजी टैंकों में स्लोशिंग के मापन के लिए वेव फ़्लूम और उपकरण भी स्थापित किए जाएंगे।

हरित पत्तन और पोत परिवहन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस)

6.116 राष्ट्रीय हरित पत्तन और पोत परिवहन उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू), भारत सरकार और ऊर्जा और संसाधन संस्थान के बीच एक अनूठी साझेदारी है, जिसका गठन नवंबर 2023 में किया गया था। केंद्र को भारत के महापत्तनों द्वारा समर्थन प्राप्त है जिनमें (i) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (ii) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (iii) पारादीप पत्तन प्राधिकरण (iv) वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण शामिल हैं। केंद्र हरित पत्तनों, हरित पोत परिवहन और ब्लू इकॉनोमी, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों और डीपीआर का समर्थन करने वाली नीति और विनियमन के आसपास विभिन्न अनुसंधान करता है जो भारत में शिपिंग क्षेत्र में कार्बन तटस्थता और परिपत्र अर्थव्यवस्था (सीई) को बढ़ावा देगा।

एनसीओईजीपीएस द्वारा की जाने वाली गतिविधियां राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्णयकर्ताओं को कार्बन तटस्थता उपायों को लागू करने के लिए कार्यप्रणाली और रूपरेखा प्रदान करेंगी, ताकि विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन और हरित बुनियादी ढांचे के माध्यम से पेरिस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा किया जा सके (और उससे अधिक किया जा सके)।

अंतर्देशीय जल परिवहन

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, दिसंबर, 2024 में टग त्रिसूल के साथ जलयानों डीबी अजय और डीबी दिखू को हरी झंडी दिखाकर 'जलवाहक' योजना का शुभारंभ करते हुए

प्रस्तावना

7.1 अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) मोड को विशेष रूप से भारी मात्रा में माल, ओवर-डायमेंशनल कार्गो और खतरनाक सामानों के लिए ईंधन दक्षता, पर्यावरण के अनुकूल और किफायती होने के कारण व्यापक रूप से जाना जाता है। इस मोड को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, आईडब्ल्यूटी अवसंरचना (फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन सहायता) को विकसित करना और निजी क्षेत्र के बेड़े के विस्तार के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना आवश्यक है।

आईडब्ल्यूएआई की स्थापना और भूमिका

7.2 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत शिपिंग और नौचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने के लिए 27 अक्तूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) की स्थापना की गई थी। आईडब्ल्यूएआई अत्यधिक यातायात वाली सड़क और रेल संपर्कता में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य रा.ज. विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित नहीं किए गए जलमार्गों का विकास और विनियमन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रहता है।

विधायी ढांचा

7.3 संसद ने 2 अगस्त 2021 को एक सदी से भी ज़्यादा पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 पारित किया। 12 अगस्त 2021 को अधिसूचित नए अधिनियम ने 'एक राष्ट्र एक पंजीकरण' की शुरुआत की। अंतर्देशीय जलयान पंजीकरण, प्रमाणन और विनिर्देशों को देश भर में एकरूप करने के लिए ग्यारह नियमों को अधिसूचित किया गया। 28 जून 2023 को गठित सलाहकार समिति ने नौ नियमों में संशोधन को अंतिम रूप दिया और नवंबर और दिसंबर 2024 में पाँच नियमों को अंतिम रूप देने से पहले इन्हें सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित कर दिया गया।

कार्गो आवाजाही

7.4 2024 के दौरान रा.ज. पर कार्गो संचलन 133.03 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तक पहुँच गया, जो पिछले वित्त वर्ष से 5.45% की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए, कुल यातायात 107.56 एमएमटी तक पहुंच गया, जो 2023 में इसी अवधि के दौरान 100.51 एमएमटी की तुलना में 7% की वृद्धि दर्शाता है। दशकीय कार्गो वृद्धि निम्नलिखित है:

वर्ष	संचालित कार्गो (एमएमटी)	वर्ष	संचालित कार्गो (एमएमटी)
2014-15	6.59	2015-16	8.14
2016-17	55.47	2017-18	55.03
2018-19	72.31	2019-20	73.64
2020-21	83.61	2021-22	108.79
2022-23	126.15	2023-24	133.03
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	107.56		

प्रमुख उद्घाटन और विकास

7.5 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन जलयान: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2024 में एमवी गुह और एमवी निषादराज तथा सामुदायिक जेट्टी और शीघ्र खुलने वाले पोंटून तंत्र का उद्घाटन किया गया।

फरवरी 2024 में (आईबीपी) मार्ग 5 और 6 पर मैया रिवराइन टर्मिनल का उद्घाटन

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर मैया रिवराइन टर्मिनल को मैया (भारत) और सुल्तानगंज (बांग्लादेश) के बीच तीन ट्रायल रन के साथ चालू किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री द्वारा किया गया।

आईडब्ल्यूडीसी की बैठक: 9 से 10 जनवरी 2025 में काजीरंगा, असम में दूसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक में अगले पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) पर शीर्ष कार्गो मूवर्स के योगदान की भी सराहना की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने की और इसमें असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर और कई राज्यों के मंत्रियों के साथ-साथ आईडब्ल्यूटी हितधारक की उपस्थिति थे।

9-10 जनवरी 2025 को काजीरंगा में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक

इंटरमॉडल टर्मिनल: कालूघाट में आईडब्ल्यूटी इंटरमॉडल टर्मिनल का उद्घाटन और गंडक नदी में तैरते सामुदायिक जेट्टी का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया गया।

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने "सोनमुरा में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का निर्माण और विकास", "बोगीबील में कार्गो टर्मिनल का जेट्टी भाग" और "बदरपुर और करीमगंज में मौजूदा तट सुविधा केन्द्र का नवीनीकरण" का उद्घाटन किया।

20 फरवरी 2024 को बोगीबील, सोनापुर, करीमगंज और बदरपुर टर्मिनल का उद्घाटन

पहलें और योजनाएँ

7.6 माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री की उपस्थिति में रा.ज. 1 (नदी गंगा) के साथ-साथ रा.ज.-2 (नदी ब्रह्मपुत्र) और रा.ज.-16 (आईबीपी मार्ग होते हुए, बराक नदी)। आईबीपी मार्ग होते हुए रा.ज.-1 पर कोलकाता-पटना और कोलकाता- वाराणसी के बीच तथा रा.ज.-2 पर कोलकाता- पांडु के बीच निर्धारित सेवाएं भी शुरू की गई।

हितधारक सम्मेलन

7.7 नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च-अप्रैल, 2024 के दौरान कोलकाता व कोच्चि तथा 03 मई 2024 को दिल्ली में हितधारक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में नदी क्रूज प्रचालक, पर्यटन मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकारी और पर्यटन महानिदेशक एक मंच पर एकत्र हुए।

रिवर क्रूज़ पर्यटन पर हितधारकों का सम्मेलन, दिल्ली, मई 2024

सितंबर 2024 में, आईडब्ल्यूटी के माध्यम से माल ले जाने में प्रमुख कार्गो स्वामियों और प्रचालकों को पेश आ रही प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों को समझने के लिए आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय में एक हितधारक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रगति

7.8 23 जनवरी 2024 में अयोध्या और वाराणसी में दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन को तट पर चार्जिंग सुविधाओं के साथ चालू किया गया। सीएसएल द्वारा विकसित और एमओपीएसएंडडब्यू द्वारा वित्तपोषित हाइड्रोजन-ईंधन वाले कैटामारन जलयान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2024 में तमिलनाडु के वीओसी पत्तन पर किया गया। जलयान जुलाई 2024 में वाराणसी पहूंचा और वर्तमान में प्रायोगिक परीक्षण किया जा रहा है।

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन जलयान एमवी निषादराज 23 जनवरी 2024 को चालू किया गया

माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में अयोध्या में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन वेसल्स एमवी गुह और वाराणसी में

एमवी निषादराज और चार सामुदायिक जेट्टी का उद्घाटन किया, त्वरित पोंटून खोलने की व्यवस्था की घोषणा की और वाराणसी में तेरह सामुदायिक जेट्टी की आधारशिला रखी।

डिजिटल परिवर्तन

7.9 IV अधिनियम 2021 द्वारा अनिवार्य बनाए गए एंड-टू-एंड सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में एक केंद्रीय डेटाबेस एप्लिकेशन विकसित किया गया था। आईडब्ल्यूएआई द्वारा दिसंबर 2024 में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, समुद्री बोर्डों और हितधारकों को पोर्टल का प्रदर्शन दिखाने करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ओवर डायमेंशनल कार्गो परिवहन

7.10 राजकोषीय वर्ष 2023-24 में और अप्रैल से दिसंबर 2024 तक, कुल चौदह और आठ ओवर डायमेंशनल कार्गो खेपों को विभिन्न रा.ज. (रा.ज.-1, रा.ज.-2, रा.ज.-5, रा.ज.-64, रा.ज.-31, रा.ज.-86, रा.ज.-97, और आईबीपी मार्ग) पर ले जाया गया। इन भारी-भरकम कार्गो की आवाजाही परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से काफी चुनौतीपूर्ण होती।

राष्ट्रीय जलमार्ग- 1, 2, 3, 4 और 5

7.11 रा.ज. -1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली, इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किमी), रा.ज. -2 (धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी) और रा.ज. -3 (कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तट नहर, जिसमें उद्योगमंडल और चंपकरा नहरें शामिल हैं) को फेयरवे, नौचालन सहायता, जेट्टी और कार्गो हैंडलिंग के लिए सुसज्जित टर्मिनलों के साथ विकसित किया गया है। ये जलमार्ग चालू हैं।

चरण-I के अंतर्गत कृष्णा नदी (रा.ज. -4 का हिस्सा) के विजयवाड़ा-मुक्त्याला खंड में फेयरवे विकास और चार फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण पूरा हो चुका है। रा.ज. -5 का विकास पंकपाल-धामरा पोर्ट-मंगलगाडी-पारादीप पोर्ट खंडों में मासिक लॉगीट्यूडिनल थलवेग सर्वेक्षण और ईआईए-ईएमपी सहित अध्ययनों के लिए परामर्शदात्री कार्य के साथ शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1

7.12 गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किमी) को 1986 में रा.ज.-1 घोषित किया गया था। तब से, आईडब्ल्यूएआई ने आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 में यथानिर्धारित नौवहन क्षमता में सुधार करने और अवसंरचना को बनाए रखने के लिए विभिन्न विकास कार्य किए हैं।

रा.ज.-1 के लिए महत्वपूर्ण परिवर्धन लागू किए गए हैं, जिसमें टर्मिनलों, सामुदायिक जेट्टी और एक नौचालन लॉक का तेजी से निर्माण शामिल है। नौगम्य गहराई सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव ड्रेजिंग और बैंडलिंग जैसे नदी संरक्षण कार्य भी किए गए। कार्गो और यात्री आवागमन के लिए मल्टीमॉडल संपर्कता बढ़ाने के प्रयास किए गए।

7.13 जल मार्ग विकास परियोजना

➢ आईडब्ल्यूएआई, विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ रा.ज.-1 (हल्दिया से वाराणसी, 1390 किमी) की क्षमता सवंर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना को 3 जनवरी 2018 को सीसीईए

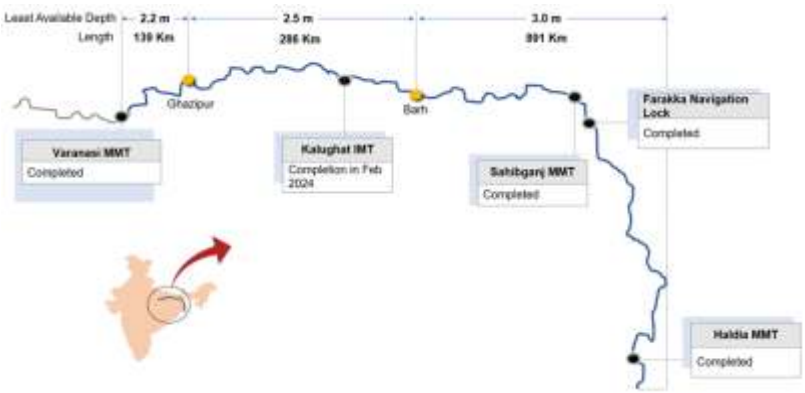

जेएमवीपी के अंतर्गत मल्टी मॉडल टर्मिनलों का उदाहरणात्मक मानचित्र

द्वारा 5369.18 करोड़ रुपए (800 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की लागत से मंजूरी दी गई थी, जिसे बाद में संशोधित कर 5061.15 करोड़ रुपए कर दिया गया। परियोजना की अवधि को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जेएमवपी के कुछ प्रमुख उपलब्धियों नामत: एमएमटी वाराणसी (12 नवंबर 2018), एमएमटी साहिबगंज (12 सितंबर 2019), एमएमटी हल्दिया (13 जनवरी 2023) तथा फरक्का में नए नौचालन लॉक (17 अक्तूबर 2023) का उद्घाटन शामिल है। आईएमटी कालूघाट का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा किया गया।
- जनवरी 2023 में, माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को लॉन्च किया, जो देश के आगे बढ़ते नदी क्रूज पर्यटन को दर्शाता है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की 3,200 किलोमीटर की यह अरामदेह यात्रा पाँच भारतीय राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुज़री। इस उल्लेखनीय अभियान ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया और प्रतिष्ठित 'लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स' में स्थान प्राप्त किया।

माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई

वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.13क माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 नवंबर 2018 को वाराणसी के रामनगर में 1.26 एमएमटीपीए क्षमता वाले चरण-I मल्टीमॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। यह रा.रा.-7 और रा.ज.-2 के साथ दो लेन वाली सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसकी 2027 तक पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ज्योनाथपुर रेलवे स्टेशन से रेल संपर्कता की योजना है। मैसर्स आईपीआरसीएल रेल संपर्कता के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार है। टर्मिनल को प्रचालन और रखरखाव के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता में स्थानांतरित किया जा रहा है।

वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल का दृश्य

साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.13ख माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 सितंबर 2019 को 3.03 एमटीपीए क्षमता वाले साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। यह रा.रा.-80 से जुड़ा हुआ है, और सकरीगली रेलवे स्टेशन से प्रस्तावित रेल संपर्क 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। मैसर्स आईपीआरसीएल रेल संपर्कता के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार है। टर्मिनल को प्रचालन और रखरखाव के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता में स्थानांतरित किया जा रहा है।

झारखंड के साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का रात्रि दृश्य

हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.13ग माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 जनवरी 2023 को प्रतिवर्ष 3.08 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाले हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। यह रा.रा.-41 से जुड़ा है, प्रस्तावित रेल संपर्कता 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। मैसर्स आईपीआरसीएल रेल संपर्कता के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार है। एमएमटी हल्दिया के प्रचालन और रखरखाव के लिए इक्विप, ऑपरेट और ट्रांसफर (ईओटी) मॉडल पर एक संविदाकर्ता को नियुक्त किया गया है।

हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल का दृश्य

फरक्का में नौचालन लॉक

7.13घ फरक्का में नया नौचालन लॉक 2 मार्च 2016 को फरक्का बैराज परियोजना द्वारा हस्तांतरित 14.86 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया था। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 अक्तूबर 2023 को किया गया था।

नया नेविगेशनल लॉक गेट, फरक्का, पश्चिम बंगाल

कंटेनर पोत आरएन टैगोर फरक्का लॉक गेट पार करता हुआ

कालूघाट में इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी)

7.13ङ बिहार के सारन जिले के कालूघाट में 13.17 एकड़ में बना इंटरमॉडल टर्मिनल मुख्य रूप से नेपाल जाने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। यह रा.रा.-19 से जुड़ा हुआ है और इसका उद्घाटन माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा 15 फरवरी 2024 को किया था।

कालूघाट, सारण, बिहार में इंटरमॉडल टर्मिनल का दृश्य

फेयरवे विकास/रखरखाव

7.13च पूर्ण फेयरवे विकास (हल्दिया से बार्ह-3 मी., बार्ह से गाजीपुर-2.5 मी. और गाजीपुर से वाराणसी – 2.2 मी.) सुनिश्चित करने के लिए, रा.ज.-1 को 11 खंडों में विभाजित किया गया है। 9 खंडों के लिए अनुबंध दिए गए हैं, जिनमें रखरखाव गतिविधियाँ जारी हैं। हल्दिया एक्सेस चैनल के लिए ड्रेजिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता (एसएमपीके) और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के बीच एक अनुबंध के अंतर्गत की जाएगी। शेष खंड (गाजीपुर-वाराणसी) के लिए अनुबंध जनवरी 2025 में दिए जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, चैनल मार्किंग, दिन/रात सहायता और नदी सूचना प्रणाली जैसी नौचालन सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

7.14 जल मार्ग विकास परियोजना - II (अर्थ गंगा)

माननीय प्रधानमंत्री ने 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान गंगा नदी के आसपास सतत आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'नमामि गंगे' से 'अर्थ गंगा' की ओर बदलाव का आग्रह किया।

- जेएमवीपी का उद्देश्य गंगा नदी को वाणिज्यिक रूप से संधारणीय और सुरक्षित नौचालन मार्ग के रूप में विकसित करना है। जेएमवीपी-II के अंतर्गत विकसित अर्थ गंगा, सतत विकास और नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। गंगा बेसिन में आर्थिक विकास को बनाए रखने और इसे तेज करने के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रणाली जरूरी हैं। जेएमवीपी-II से अर्थ गंगा कार्यक्रम के अनुरूप इन गतिविधियों को बढ़ाने की उम्मीद है।
- यह परियोजना छोटे डेयरी किसानों और अन्य स्थानीय उत्पादकों को भी लाभान्वित करती है, जिससे जलमार्ग एक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प बन जाता है। गेंदा, सब्जियाँ, केला, पान और फल जैसे उत्पाद आस-पास के शहरों में प्रचुर मात्रा में पहुँचाए जाते हैं। इस परियोजना में सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नदी के किनारे छोटे-छोटे घाट बनाना शामिल है। आईडब्ल्यूएआई, राज्य मिशनों और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के साथ समन्वय करके गंगा के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है।

जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा) के इच्छित लाभ	
1.	गंगा क्षेत्र के आसपास रहने वाले किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को आर्थिक लाभ
2.	लघु उद्योगों का विकास
3.	रोजगार के अवसर
4.	कार्गो का आसान, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन
5.	छोटे जेट्टी के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स
6.	कार्गो की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स मोड का व्यापक विकल्प

अर्थ गंगा जेएमवीपी (अर्थ गंगा) की अनुमानित लागत 607.71 करोड़ रुपए है।

अर्थ गंगा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की प्रगति का सारांश नीचे उप-खंडों अनुभागों में दिया गया है।

7.14क नदी संरक्षण कार्य रा.ज.-1 (कोलकाता - फरक्का, कहलगांव - सुल्तानगंज, बाढ़ - दीघा, दीघा - मझौआ, मझौआ - गाजीपुर और गाजीपुर - वाराणसी) के साथ कई स्थानों को कवर करते हैं। आईआईटी खड़गपुर में अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीएमटी) दो प्रायोगिक स्थानों पर प्रारंभिक निर्माण के साथ पारगमन समय को कम करने के लिए एक पोंटून के त्वरित खुलने का तंत्र (क्यूपीओएम) विकसित कर रहा है।

सामुदायिक जेट्टी का विकास और आधुनिकीकरण

7.14 ख इस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के किनारे लगभग 60 सामुदायिक जेट्टी का विकास और आधुनिकीकरण शामिल है। इसमें शामिल हैं:

- अपतटीय फ्लोटिंग जेट्टी: सुरक्षित यात्री आवागमन के लिए फ्लोटिंग पोंटून और गैंगवे के साथ नदी के किनारे लंगर डाले गए। पूर्ण: उत्तर प्रदेश में 11, बिहार और झारखंड में 23, पश्चिम बंगाल में 15 चल रहे: उत्तर प्रदेश में 4, पश्चिम बंगाल में 7।
- अपतटीय टर्मिनल सुविधाएँ: प्रतीक्षा क्षेत्र, टिकटिंग रूम, सुरक्षा कार्यालय, प्रशासनिक स्थान, पेंट्री और भंडारण स्थान, सार्वजनिक शौचालय और पार्किंग वाले टर्मिनल। सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल निपटान प्रणालियों द्वारा सुलभ। चल रहे: उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 8।

  इन प्रयासों का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और गंगा के किनारे यात्रियों और स्थानीय उत्पादकों के लिए सुविधाओं में सुधार करना है।

रा.ज.-1 पर चैनल स्थिरीकरण कार्य

7.14ग मुख्य चैनल को गहरा करने और नदी के किनारों को मजबूत करने के लिए बांस की डूबी हुई पंखुड़ियों, बल्ली स्क्रीन और वेटिवर घास का उपयोग करके नौगम्य चैनल को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के अनुकूल चैनल स्थिरीकरण कार्य किए जाएंगे। ये कार्य दो चरणों में किए जाएंगे:

- चरण I: सात स्थानों (मथरा डी/एस ज़मानिया, छतरपुर, रघुनाथपुर, गाजीपुर-खलिशपुर, अर्जुनपुर, श्रीरामपुर और हल्दी) पर निष्पादन जून 2022 में शुरू किया गया और आईआईटी रुड़की की देखरेख में अगस्त 2022 में पूरा किया गया।
- चरण II: आईआईटी रुड़की द्वारा 15 स्थानों की पहचान और डिजाइन पूरा किया गया, जिसमें नौ स्थानों के लिए काम दिया गया और शेष छह स्थानों के लिए निविदाएँ प्रकाशित की गईं।

रो-पैक्स टर्मिनल

7.14घ अर्थ गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत, लॉजिस्टिक्स में सुधार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के बीच रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रा.ज.-1 पर रो-पैक्स टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

7.14ङ इस परियोजना में सात आरआईएस स्टेशनों का प्रचालन और रखरखाव और 30 पोत स्टेशनों का व्यापक वार्षिक रखरखाव शामिल है। रा.ज.-1 के फरक्का-पटना खंड के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव निविदा (सीएएमसी) भी प्रगति पर है।

7.14च इस घटक में जल स्तर रिसाव और निगरानी स्टेशन, एफआरपी और निरीक्षण (वीआईपी) नौकाओं, सर्वेक्षण उपकरण, एआईएस उपकरण की खरीद, और बैंक-टू-बैंक सर्वेक्षण शामिल हैं। अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं, एआईएस उपकरण का काम प्रगति पर है।

7.14छ फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक के आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है, तथा ईपीसी कार्य सौंपे जा चुके हैं।

7.14ज विभिन्न स्थानों पर दस क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिकल क्यूपीओएम की योजना बनाई गई है। दो स्थानों (एक उत्तर प्रदेश में तथा एक बिहार में) पर पायलट परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, तथा शेष आठ स्थानों के लिए निविदाएं प्रगति पर हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहन तथा लॉजिस्टिक्स में सुधार करना, नदी के किनारे आर्थिक विकास तथा स्थिरता को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2

7.15 रा.ज.-2 में असम में धुबरी से सदिया (891 किमी) तक ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। डीसीआई को तीन वर्षों में 135.28 करोड़ रुपए की लागत से धुबरी-पांडु खंड (255 किमी) में 2.5 मीटर की सुनिश्चित गहराई तथा 32 मीटर की चौड़ाई बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यह पांडु-नेमाटी खंड (374 किमी) में 2.5 मीटर, नेमाटी-डिब्रूगढ़ खंड में 2.0 मीटर और डिब्रूगढ़-सादिया खंड में 1.5 मीटर की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) प्रदान करता है। धुबरी बांग्लादेश सीमा और सिलघाट (440 किमी) के बीच रात्रि नौचालन की सुविधा उपलब्ध है।

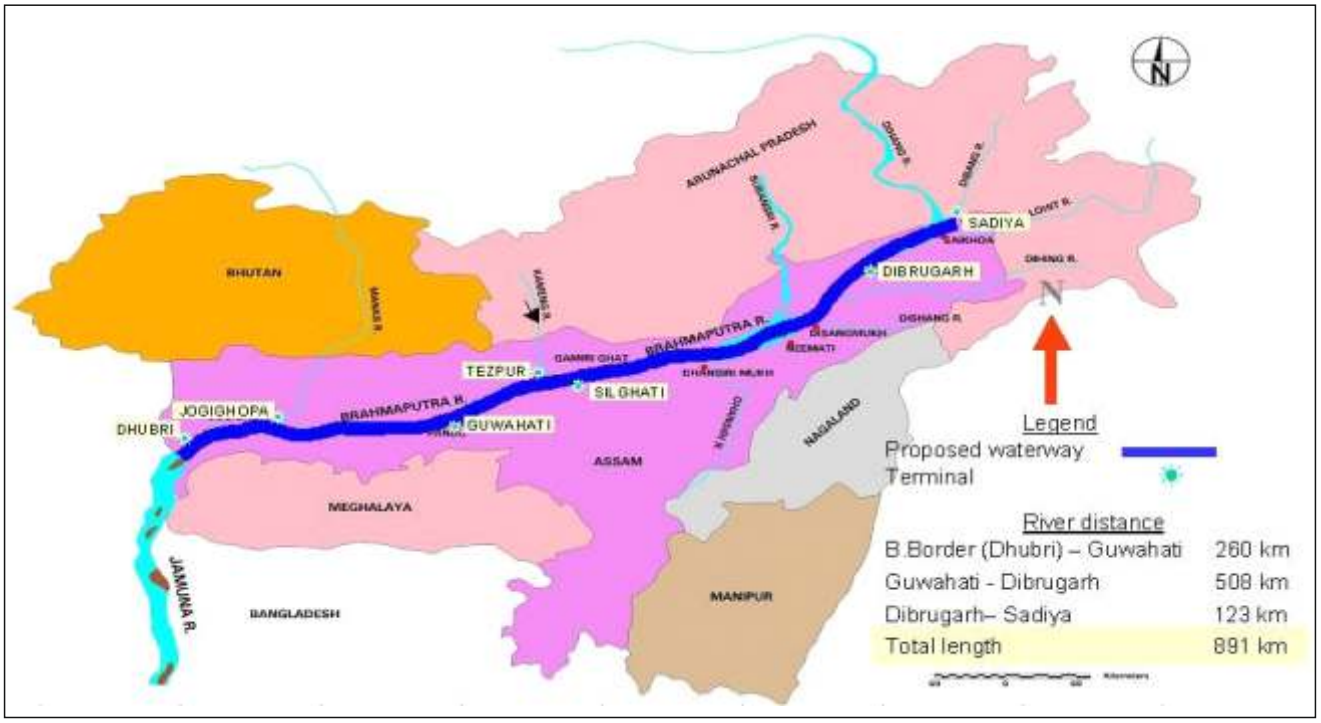

राष्ट्रीय जलमार्गों का मानचित्र – 2

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूटी अवसंरचना विकसित करने के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी है:

- रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र): ₹474 करोड़
- रा.ज. -16 (बराक) और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग: ₹148 करोड़
- पोत मरम्मत सुविधा: ₹298 करोड़
- मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) पांडु के लिए एलिवेटेड कनेक्टिंग रोड: ₹180 करोड़

रा.ज.-2 औरर रा.ज. -16 में रो-पैक्स सेवाएँ और जलयान तैनाती

7.16 माननीय प्रधानमंत्री ने चार जलयानों (प्रत्येक की कीमत ₹10.40 करोड़) के साथ ब्रह्मपुत्र (रा.ज.-2) पर विभिन्न मार्गों में रो-पैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया।

- धुबरी-हाटसिंगीमारी: एमवी बॉब खाथिंग
- दक्षिण गुवाहाटी-उत्तरी गुवाहाटी: एमवी जेएफआर जैकब
- नेमाटी-कमलाबरी: एमवी रानी गाइदिन्ल्यू और एमवी सचिन देव बर्मन

आईडब्ल्यूएआई ने रा.ज.-2 में चार विभागीय ड्रेजर और पांच सर्वेक्षण लॉन्च तथा रा.ज.-16 (बराक) में एक सर्वेक्षण जलयान तैनात किया है।

एम.वी. रानी गाइदिन्ल्यू राष्ट्रीय जलमार्ग पर चलती हुई

- पांडु और धुबरी में आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों के प्रचालन और प्रबंधन का कार्य पांच वर्षों के लिए निजी प्रचालकों को आउटसोर्स किया गया है, जिससे रखरखाव लागत में बचत होगी और कार्गो परिवहन में वृद्धि होगी।

7.17 **पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही परियोजनाएँ**

- पांडु पत्तन (रा.ज. -2) के लिए वैकल्पिक सड़क: स्वीकृत लागत ₹153.05 करोड़, भौतिक प्रगति 76%, वित्तीय प्रगति 83.33%।
- पांडु (रा.ज. -2) में पोत मरम्मत सुविधा: स्वीकृत लागत ₹145.49 करोड़, भौतिक प्रगति 65%, वित्तीय प्रगति 61.3%।
- एमएमएलपी जोगीघोपा (रा.ज. -2) में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल: स्वीकृत लागत 63.9 करोड़, वित्तीय प्रगति 95.05%।
- बोगीबील (रा.ज. -2) में कार्गो टर्मिनल: स्वीकृत लागत ₹56 करोड़, वित्तीय प्रगति 98.42%।
- बोगीबील और पांडु (रा.ज. -2) में फ्लोटिंग जेट्टी: स्वीकृत लागत ₹8.26 करोड़, बोगीबील जेट्टी पूरी हो गई, पांडु जेट्टी प्रगति 85% पर है ।

अतिरिक्त परियोजनाएँ

- सीमा शुल्क, आव्रजन और गेस्ट हाउस के लिए बोगीबील और धुबरी में कार्यालय परिसरों का निर्माण।
- बोगीबील आईडब्ल्यूटी पर्यटक-सह-कार्गो टर्मिनल पर जेट्टी का विस्तार।
- आईपीआरसीएल ने सिलघाट, बिश्वनाथ, नेमाटी और गुइजान में पर्यटक/कार्गो टर्मिनलों के लिए डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा।
- रा.ज.-16 (बराक नदी) पर विकास कार्य

7.18 **रा.ज.-16 (बराक नदी) पर विकास कार्य**

148 करोड़ रुपए की लागत से रा.ज.-16 और आईबीपी मार्ग का व्यापक विकास चल रहा है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना में फेयरवे विकास, बदरपुर और करीमगंज में टर्मिनल अपग्रेड और सोनामुरा में एक स्थायी टर्मिनल का निर्माण शामिल है। डीसीआई भांगा-बदरपुर जलखंड में ड्रेजिंग के लिए जिम्मेदार है (तीन वर्षों में 39.53 करोड़ रुपए)।

7.19 **केरल राष्ट्रीय जलमार्ग:**

केरल राज्य ने 5 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं। पश्चिमी तट नहर या रा.ज.- 3 केरल, भारत में स्थित 205 किमी (127 मील) लंबा अंतर्देशीय नौचालन मार्ग है, जो कोल्लम से कोट्टापुरम तक चलता है। इसे 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कोट्टापुरम से कोझिकोड तक विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 4 और राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए।

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	नदी/नहर	लंबाई (किमी में)
1.	रा.ज.-3	कोट्टापुरम - कोल्लम खंड जिसमें चंपाक्करा और उद्योगमंडल नहरें शामिल हैं - 205 किमी.	375
	रा.ज.-3 (विस्तार)	कोट्टापुरम से कोझिकोड तक – 170 किमी.	
2.	रा.ज.-8	अलपुझा - चंगनास्सेरी नहर	28
3.	रा.ज.-9	अलपुझा- कोट्टायम - अथिरमपुझा नहर	38
4	रा.ज.-13	एवीएम नहर	11
5	रा.ज.-59	वैक्कम – कोट्टायम नहर	28

आज तक रा.ज.-3 पर निम्नलिखित अवसंरचना बनाया गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-3 कोट्टापुरम-कोल्लम खंड पर चालू है। कार्गो की आवाजाही और संबद्ध अवसंरचरना का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (नवम्बर, 24 तक)
कार्गो ले जाया गया (एमएमटी में)	0.55	0.73	1.7	3.23	3.29	2.26

टर्मिनलों का विवरण- मौजूदा टर्मिनलों का विवरण इस प्रकार है। नौ टर्मिनल हैं जहाँ आईडब्ल्यूएआई ने जेट्टी स्थापित की है, इसके अलावा चार शेष टर्मिनलों के लिए (दो सीपीटी के माध्यम से पट्टे पर ली गई भूमि पर काम कर रहे हैं)।

क्र. सं.	टर्मिनल स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जेट्टी की लंबाई और प्रकार	भंडारण सुविधाएं
1	कोट्टापुरम	0.5823	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण।
2	अलुवा	1.331	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण
3	मारादू	2.0268	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण
4	वायाकॉम	0.5184	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण
5	तन्नीरमुक्कम	0.917	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण
6	अलपुझा	2.2277*	-	-
7	थ्रीक्कुन्नापुझा	0.5057	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण।
8	कायमकुलम	1.6304	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण
9	कोल्लम (क्विलोन)**	1.6208	30 मीटर (आरसीसी जेट्टी)	200 वर्ग मीटर का ढका हुआ गोदाम और 400 वर्ग मीटर का खुला भंडारण
10	सीईपीजेड (कक्कानाड)	1.2234	कोई निर्माण नहीं	भूमि अधिग्रहित की गई और कोच्चि वाटर मेट्रो को पट्टे पर दी गई
11	चावरा	0.8061	कोई निर्माण नहीं	भूमि अधिग्रहित की गई। कोई जेट्टी नहीं बनाई गई।
12	बागत्ती	0.8000	रो-रो/लो-लो सेवा	सीपीटी कंटेनर टर्मिनल से पट्टे पर ली गई
13	विलिंगडन द्वीप	0.5000	रो-रो/लो-लो सेवा	सीपीटी कंटेनर टर्मिनल से पट्टे पर ली गई

उपलब्ध अन्य अवसंरचना

- टर्मिनलों पर कुल आठ क्रेन और फोर्कलिफ्ट कार्गो हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध हैं।
- एक कटर सक्शन ड्रेजर (सीएसडी), एक बहुउद्देशीय एम्फिबियन ड्रेजर और एक सर्वेक्षण लॉन्च।

अन्य सुविधाएँ

- रा.ज.-3 में चौबीसों घंटे नौचालन के लिए 24 घंटे नौचालन सहायता (312) प्रदान की जाती है। इसके अलावा, रा.ज.-3 में रोशनी के साथ स्थायी बीकन पोस्ट (17) भी प्रदान किए गए हैं।
- रा.ज.-3 में 32 मीटर / 38 मीटर बॉटम चैनल चौड़ाई के साथ 2.00 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) सुनिश्चित है, सिवाय 3 स्थानों पर फैले 1.50 किमी सेक्शन के, जहाँ सिंगल लेन चैनल के लिए 2 मीटर की एलएडी हासिल की गई है।

चल रहे कार्य

- एडापल्लीकोट्टा-कोल्लम खंड (हार्ड-स्ट्रेटा सहित) के लिए ड्रेजिंग कार्य, जिसके पूरा करने की अवधि 24 महीने है।
- वर्ष 2017 में थ्रीकुन्नापुझा में नौचालन लॉक का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग, केरल सरकार को सौंपा गया (38 करोड़ रुपए)। भौतिक प्रगति केवल 66% है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है।
- वर्ष 2017 में कोविलथोट्टम में सिंगल लेन पुल का निर्माण कार्य हार्बर इंजीनियर विभाग (एचईडी), केरल सरकार को सौंपा गया, जिसकी लागत 7.84 करोड़ रुपए है (आईडब्ल्यूएआई और केएमएमएल के बीच 50:50 लागत साझा करने पर)। पाइलिंग का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य मार्च 2025 तक किया जाना है।
- रो-रो/लो-लो सेवाओं के माध्यम से आईसीटीटी वल्लारपदम तक कंटेनर यातायात के लिए बोलगट्टी और विलिंगडन द्वीप पर दो रो-रो आईडब्ल्यूटी स्थायी टर्मिनल बनाए गए। मैसर्स केरल शिपिंग एंड इनलैंड नौचालन कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि के माध्यम से रो-रो संचालन के लिए दो रो-रो जलयान तैनात किए गए हैं। रो-रो सेवा कोच्चि शहर की भीड़भाड़ को कम करती है और सड़क की दूरी को 35 किलोमीटर कम करती है। (अर्थात्, आईडब्ल्यूटी पर 3.50 किमी बनाम सड़क पर 35 किमी)।
- 24 अप्रैल 2024 को कोच्चि में हितधारकों की बैठक बुलाई गई।

राष्ट्रीय जलमार्ग - 8 और 9:

- रा.ज.-8 और रा.ज.-9 अलापुझा में रा.ज.-3 से जुड़े हुए हैं और पर्यटन और यात्री आवागमन के लिए आंशिक रूप से चालू हैं।
- चौबीसों घंटे नौचालन सहायता संस्थापित किए गए हैं - रा.ज.-8 में 15 और रा.ज.-9 में 25 - चौबीसों घंटे पर्यटन और यात्री यातायात की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए।
- नौचालन सुरक्षा और दक्षता बनाए रखने के लिए मासिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए जाते हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग – 13- एवीएम नहर

- 26 पुल जिनकी क्षैतिज निकासी 1.1 मीटर से 21.8 मीटर और ऊर्ध्वाधर निकासी 0.5 मीटर से 3.6 मीटर तक है।
- कोई आईडब्ल्यूटी प्रचालन नहीं। छोटी नावों द्वारा स्थानीय नौका सेवा और पर्यटन नौकाओं का प्रचालन।
- कोई प्रमुख उद्योग नहीं। नहर के समीप छोटे पैमाने पर नारियल भूसी प्रसंस्करण उद्योग।

राष्ट्रीय जलमार्ग – 59- वैकोम-कोट्टायम

- राष्ट्रीय जलमार्ग-59 (रा.ज.-59) वेम्बनाड झील के पास वेचूर से शुरू होता है और कोट्टायम तालुका में अथिरमपुझा तक जाता हुआ है।
- वेम्बनाड झील रा.ज.-3 (कोल्लम से कोट्टापुरम) के लिए मार्ग के रूप में कार्य करती है। रा.ज.-59 अथिरमपुझा को वेचूर में रा.ज.-3 से जोड़ता है और आगे वेम्बनाड झील के माध्यम से चेरथला, अलाप्पुझा जिले से जुड़ता है।
- रा.ज.-59 मनियापरम्बु में रा.ज.-9 से भी जुड़ा हुआ है।
- रा.ज.-59 के प्राथमिक जलग्रहण क्षेत्र में कोट्टायम, अलाप्पुझा और दक्षिण एर्नाकुलम जिले शामिल हैं, जो सभी जलमार्ग के 25 किमी के दायरे में हैं।

- उत्तरी एर्नाकुलम और पथानामथिट्टा जिले गौण जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं क्योंकि वे रा.ज.-59 से 25 किमी से अधिक दूर हैं।
- कुमारकोम में कई रिसॉर्ट्स की निकटता को देखते हुए, रा.ज.- 59 का उपयोग पर्यटन उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव है।

आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग:

7.20 आंध्र प्रदेश राज्य में 3 रा.ज. हैं:

क्र. सं.	रा.ज.	नदी	लंबाई (किमी में)	राज्य
1.	रा.ज.-4	काकीनाडा-पुदुच्चेरी नहर जलखंड को गोदावरी नदी के भद्राचलम-राजमुंदरी जलखंड और कृष्णा नदी के वजीराबाद-विजयवाड़ा जलखंड (1,078 किमी) के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, कृष्णा नदी को वजीराबाद से गलागली (628 किमी) तक और गोदावरी नदी को भद्राचलम से नासिक (1184 किमी) तक विस्तारित किया गया।	2,916	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और महाराष्ट्र
2.	रा.ज.-79	पेन्ना नदी	29	आंध्र प्रदेश
3.	रा.ज.-104	तुंगभद्रा नदी	232	कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश

- राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (रा.ज.-4) कोरोमंडल तट के साथ काकीनाडा नहर, एलुरु नहर, कोमामुरू नहर और बकिंघम नहर के माध्यम से और कृष्णा और गोदावरी नदियों के हिस्से से होकर गुजरता है। इसे शुरू में 24 नवंबर 2008 को निम्नलिखित सीमाओं के साथ कुल 1078 किलोमीटर की लंबाई के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।

अलग-अलग जलखंडों की लंबाई (रा.ज.-4) - 2008 में घोषित किया गया।

जलखंड लंबाई	(कि.मी. में)
काकीनाडा नहर	50
एलुरु नहर	139
कृष्णा नदी (प्रकाशम बैराज-वजीराबाद)	157
गोदावरी नदी खंड (राजमुंदरी-भद्राचलम)	171
कोमानूर नहर	113
उत्तरी बकिंघम नहर	316
दक्षिण बकिंघम नहर	110
मरक्कनम-पांडिचेरी खंड	22
कुल	1,078

विस्तार और संपर्क:

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (रा.ज.-4) का विस्तार किया गया। कृष्णा नदी की घोषित पहुंच को वजीराबाद से गलागली, कर्नाटक तक बढ़ाया गया, जिससे 636.20 किलोमीटर की अतिरिक्त लंबाई जोड़ी गई। गोदावरी नदी की सीमा को भद्राचलम से नासिक, महाराष्ट्र तक बढ़ाया गया, जिससे 1201.60 किलोमीटर की अतिरिक्त लंबाई जोड़ी गई। अब रा.ज.-4 की कुल घोषित लंबाई 2916 किलोमीटर है, जबकि 2008 में यह 1078 किलोमीटर घोषित की गई थी।

रा.ज.-4 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र पुडुच्चेरी से होकर गुजरता है। यह अडानी कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट (काकीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधित) और एन्नोर के महापत्तन से जुड़ता है।

वर्गीकरण:

श्रेणी-III रा.ज.: 500 टन डीडब्ल्यूटी तक की वहन क्षमता वाले स्व-चालित जलयानों के लिए या 1000 टन डीडब्ल्यूटी के एक टग और दो बार्ज संयोजन के लिए।

श्रेणी-I रा.ज.: 100 टन डीडब्ल्यूटी तक की वहन क्षमता वाले स्व-चालित जलयानों के लिए या 200 टन डेड वेट के एक टग और दो बार्ज संयोजन के लिए।

क्र. सं.	रा.ज.	नदी/ नहर खण्ड	राज्य	वर्गीकरण
1.	रा.ज.-4	काकीनाडा नहर	आंध्र प्रदेश	श्रेणी-III
		गोदावरी नदी (भद्राचलम से राजमुंदरी)	आंध्र प्रदेश	श्रेणी-III
		एलुरु नहर	आंध्र प्रदेश	श्रेणी-III
		कृष्णा नदी (वजीराबाद से विजयवाड़ा)	आंध्र प्रदेश	श्रेणी-III
		कोमामुरु नहर	आंध्र प्रदेश	श्रेणी-I
		उत्तरी बकिंघम नहर (पेद्दागंजम से सेंट्रल स्टेशन चेन्नै)	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	श्रेणी-I
		दक्षिण बकिंघम नहर (चेन्नै का सेंट्रल स्टेशन से मरक्कनम तक)	तमिलनाडु	श्रेणी-I
		कलुवेल्ली टैंक के माध्यम से मरक्कनम से पुदुच्चेरी तक	तमिलनाडु और पुदुच्चेरी	श्रेणी-I
		गोदावरी नदी (भद्राचलम - नासिक)	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र	श्रेणी-I
		कृष्णा नदी (वजीराबाद से गलागली)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक	श्रेणी-I

घोषणा और योजना:

रा.ज.-4 की घोषणा 2008 में की गई थी, और आईडब्ल्यूएआई ने 2010 में डब्ल्यूएपीसीओएस के माध्यम से इसके विकास के लिए डीपीआर तैयार की, जिसमें 2,523 करोड़ रुपए (2009 की दरों पर) के निवेश का सुझाव दिया गया था। वर्तमान में, डीपीआर का अद्यतन किया जा रहा है, और निविदा जारी की गई है।

घोषणा के बाद से की गई कार्रवाई:

- डीपीआर तैयार करना: डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा 2009 की डीपीआर में दो चरणों में लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश की सिफारिश की गई थी।
- ड्रेजिंग: मुक्तयाला और हरीश चंद्र पुरम (मुक्तयाला-चमरू और चमारू-हरिश्चंद्रपुरम) के बीच दो खण्डों में ड्रेजिंग की गई। हरीश चंद्र पुरम-चमरू खंड में ड्रेजिंग पूरी हो गई, लेकिन मुक्तयाला-चमरू खंड को चट्टानों के उभरने के कारण समय पूर्व बंद कर दिया गया।
- स्टील पोंटून: कृष्णा नदी पर रिवर क्रूज़ पर्यटन के लिए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम को चार स्टील पोंटून सौंपे गए। तीन पोंटून प्रकाशम बैराज के पास भवानी सागर द्वीप पर और एक इब्राहिमपट्टनम में रखा गया।
- भूमि अधिग्रहण: मुक्तयाला और हरीश चंद्र पुरम में भूमि का अधिग्रहण किया गया, जबकि इब्राहिमपट्टनम में अधिग्रहण का कार्य राज्य सरकार के पास लंबित है।
- मासिक लॉगिटियूडिनयल सर्वेक्षण: मुक्तयाला-प्रकाशम बैराज खंड (कृष्णा नदी) और पोलावरम-पोचावरम खंड (गोदावरी नदी) में सर्वेक्षण किए गए हैं।
- व्यवहार्यता अध्ययन: पेने नदी (माइलावरम जलाशय तक) के लिए व्यवहार्यता कार्य को मंजूरी दे दी गई है।
- कार्गो आवाजाही: पिछले पांच वर्षों से रा.ज.-4 में कार्गो आवाजाही ने महत्वपूर्ण गतिविधि दिखाई है, जिससे परिवहन और व्यापार के लिए जलमार्ग की उपयोगिता में योगदान मिला है।
- ये प्रयास और कार्य राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के निरंतर विकास और सुधार का हिस्सा हैं, जो भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन संपर्कता में इसकी भूमिका को बढ़ाएगा।

कार्गो आवाजाही	वित्त वर्ष 19-20	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	वित्त वर्ष 24-25 (दिस.24 तक)
(एमएमटी)	0.08	6.83	11.23	8.42	4.30	4.90

चल रहे/किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्य

क) गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम को छह (06) स्टील पोंटून प्रदान किए जा रहे हैं। निविदा आमंत्रित की गई है।

ख) कृष्णा नदी पर तेलंगाना पर्यटन विकास निगम को तीन (03) स्टील पोंटून प्रदान किए जा रहे हैं। निविदा आमंत्रित की गई है।

ग) रा.ज.-4 के लिए डीपीआर का अद्यतन करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

घ) हरिश्चंद्रपुरम की चारदीवारी के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।

	कृष्णा (सभी तेलंगाना में)	गोदावरी (सभी आंध्र प्रदेश में)
प्रस्तावित पोंटूनों के स्थान	नागार्जुन सागर बांध	गांधीपोचम्मा मंदिर
	नागार्जुन कोंडा	पोचावरम
	श्रीशैलम बांध के अंतर्गत	पेरेंटापल्ली गांव

परियोजना पाइपलाइन में प्रस्तावित कार्य

- सुरक्षित नौचालन सुनिश्चित करने के लिए नौचालन एडसन रो-रो मार्गों और अन्य क्षेत्रों की स्थापना।
- आवश्यकतानुसार रो-रो मार्गों पर रखरखाव ड्रेजिंग।
- चरण-I में तैनाती के लिए 2 रो-रो जलयानों की खरीद; टग और एंकर पोंटून के साथ 500 क्यूबिक मीटर का 1 कटर सक्शन ड्रेजर (सीएसडी)।

निर्माण परियोजनाएँ:

- मुक्तयाला में रो-रो गतिविधियों के लिए पहुंच मार्ग और रैंप।
- गोदावरी नदी (महाराष्ट्र भाग) के लिए छह पोंटून।
- कृष्णा नदी (कर्नाटक भाग) के लिए चार पोंटून।
- कृष्णा नदी (आंध्र प्रदेश भाग) के लिए चार पोंटून।
- गोदावरी नदी (तेलंगाना भाग) के लिए एक पोंटून।
- हरिश्चंद्रपुरम में रो-रो गतिविधियों के लिए पहुंच मार्ग और रैंप।

इन प्रस्तावित कार्यों का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों के अवसंरचना और नौचालन क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे सुरक्षित और अधिक कुशल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

मुद्दे और की गई कार्रवाई

क) अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई ने 22 मई 2024 को विजयवाड़ा में हितधारकों के साथ बातचीत की।

ख) बकिंघम नहर पर कुछ कार्यकर्ताओं की अवधारणा तैयार की जा रही है।

ग) मुक्तयाला-इब्राहिमपट्टनम के बीच प्रायोगिक आवाजाही की योजना बनाई गई है क्योंकि विजयवाड़ा में लगभग 1 एमएमटी सीमेंट की खपत होती है।

घ) 05 दिसंबर, 2024 को एपी मैरीटाइम बोर्ड के साथ बैठक हुई। उनसे सिंगरेनी कोल फील्ड (गोदावरी नदी में स्थित) के माध्यम से कोयले की आवाजाही के ओडी पेयर और भद्राचलम में आईटीसी पेपर मिल के लिए ओडी पेयर पर काम करने का अनुरोध किया गया है। उनके इनपुट के आधार पर, प्रस्ताव की अवधारणा तैयार की जाएगी।

रा.ज.-4 के विकास में चुनौतियाँ

रा.ज.-4 के विकास के लिए मुख्य चुनौतियाँ हैं कम वर्टिक्ल/हॉरीजेन्टल क्लियरेंस वाले पुल, कम अवधि में नौचालन लॉक के बिना बांधों के निर्माण के कारण कम रिसाव (जैसे, वीयर - 3बैराज - 21 बांध -5. चेक डैम - गोदावरी नदी पर कुल 1201.60 किलोमीटर की दूरी में 14 और बांध: 7, वीयर 3, और बैराज: कृष्णा नदी पर कुल 636.2 किलोमीटर की दूरी में 3)।

इसके अलावा बकिंघम नहर और काकीनाडा नहर (रा.ज.-4 का एक घटक) के लिए, नहर पर कुछ स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है।

पेन्ना नदी को पेन्ना बैराज, पोथिरेड्डीपालेम से कुडिथिपालेम के पास बंगाल की खाड़ी के साथ संगम तक कुल 29 किलोमीटर की दूरी के लिए रा.ज.-79 के रूप में घोषित किया गया है। इसका पूरा भाग आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। मायलावरम बैराज तक इसके विस्तार की व्यवहार्यता पर काम चल रहा है।

तुंगभद्रा नदी (रा.ज.-104) – यह कर्नाटक, एपी और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती है। तेलंगाना-एपी सीमा पर सनकेसुला बैराज में एक नदी क्रूज सुविधा केन्द्र प्रस्तावित है।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय जलमार्ग

7.21 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत महाराष्ट्र में 15 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 3089 किलोमीटर है।

क्र. सं.	रा.ज.	नदी	लंबाई (कि.मी. में)
1.	रा.ज.10	अम्बा नदी	45
2.	रा.ज.28	दाभोल क्रीक-वशिष्ठी नदी	45
3.	रा.ज.53	कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी	145
4.	रा.ज.72	नाग नदी	60
5.	रा.ज.83	राजपुरी नाला	31
6.	रा.ज.85	रेवदंडा क्रीक और कुंडलिका नदी	31
7.	रा.ज.89	सावित्री नदी और बैंकोट नदी	46
8.	रा.ज.91	शास्त्री नदी-जयगढ़ किला क्रीक	52
9.	रा.ज.100	तापी नदी (गुजरात एवं महाराष्ट्र)	436
10.	रा.ज.70	मंजारा नदी	242
11.	रा.ज.78	पैनगंगा नदी-वर्धा नदी	265
12.	रा.ज.109	वैनगंगा नदी-प्राणहिता नदी	164
13.	रा.ज. 73	नर्मदा (गुजरात एवं महाराष्ट्र)	226
14.	रा.ज. 4 (भाग)	गोदावरी (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना)	1202
15.	रा.ज. 11	अरुणावती - अरन नदी प्रणाली	99

महाराष्ट्र में कुल छह (06) राष्ट्रीय जलमार्ग चालू हैं, जिनकी कुल लंबाई 530 किलोमीटर है।

चालू राष्ट्रीय जलमार्ग हैं नदी अंबा (रा.ज.-10), रा.ज.-53 (कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी), रा.ज.-85 (राजपुरी क्रीक), रा.ज.-85 (रेवदंडा क्रीक और कुंडलिका नदी), रा.ज.-91 (शास्त्री नदी-जयगढ़ किला क्रीक), और रा.ज.-73 (नर्मदा नदी)।

महाराष्ट्र के चालू राष्ट्रीय जलमार्गों में कुल कार्गो आवाजाही इस प्रकार है।

क्र. सं.	नदी	2023-24 (एमएमटी में)	2024-25 (अकतूबर तक) (एमएमटी में)
1.	अंबा नदी (रा.ज.-10)	30.17	16.98
2.	कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी (रा.ज.-53)	-	1.58
3.	राजपुरी क्रीक (रा.ज.-83)	0.45	0.18
4.	रेवदंडा क्रीक और कुंडलिका नदी (रा.ज.-85)	0.99	0.33
5.	शास्त्री नदी-जयगढ़ किला क्रीक (रा.ज.-91)	37.05	19.39
	कुल	**68.66**	**38.46**

लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट महाराष्ट्र के जलमार्गों से परिवहन की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं।

आईडब्ल्यूएआई ने महाराष्ट्र में सभी राष्ट्रीय जलमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा, अंबा नदी (रा.ज.-10) और कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी (रा.ज.-53) जलमार्ग के लिए, इन रा.ज. में प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए ईआईए-ईएमपी अध्ययन शुरू किए गए हैं, जिसके लिए आईडब्ल्यूएआई ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 22.14 करोड़ रुपए की निधि के आवंटन का प्रस्ताव दिया है।

नवंबर 2024 में आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष का अंबा नदी का दौरा

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 24-25 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 25-26 (करोड़ रुपए)	कुल (करोड़ रुपए)
(क)	सहायक अवसंरचना (ड्रेजिंग/चैनल मार्किंग/बैंडलिंग/नौचालन सहायता और आरआईएस-V)	1.34	14.76	16.10
(ख)	टर्मिनल विकास, भूमि अधिग्रहण/लीजिंग और प्रथम छोर, अंतिम छोर संपर्कता	0.00	0.00	0.00
(ग)	हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण	0.34	0.22	
(घ)	कार्गो संवर्धन	0.00	0.20	0.20
(ङ)	विविध व्यय (प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कार्यालय स्थापना, आवधिक मूल्यांकन, संकट प्रबंधन योजना, आकस्मिकताएँ पीएमयू आदि।	1.70	4.14	5.84
	महा राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए स्वीकृत कुल राशि:	**3.38**	**19.32**	**22.14**

आईडब्ल्यूएआई दाभोल क्रीक-वशिष्ठी नदी (रा.ज.-28) को विकसित करने और रा.ज.-53 (कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी) और रा.ज.-91 (शास्त्री नदी-जयगढ़ किला क्रीक) पर सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करने का इरादा रखता है।

अंबा नदी (रा.ज.-10), राजपुरी क्रीक (रा.ज.-83), रेवदंडा क्रीक-कुंडालिका (रा.ज.-85) और शास्त्री-जयगढ़ क्रीक (रा.ज.-91) पहले से ही चालू हैं। आईडब्ल्यूएआई महाराष्ट्र पर्यटन के सहयोग से गोदावरी नदी (रा.ज.-4 का एक घटक), सावित्री नदी (रा.ज.-89) के कुछ हिस्सों को चालू करने की प्रक्रिया में है।

क) गोदावरी नदी- कोपरगांव (शिरडी के पास), नाथसागर बांध, नांदेड़ में तीन तैरती हुई जेट्टी।

ख) राजपुरी क्रीक (रा.ज.-83)- अगरदंडा किले में एक तैरती हुई जेट्टी।

ग) सावित्री नदी-बनकोट क्रीक (रा.ज.-89) - हरिहरेश्वर में एक तैरती हुई जेट्टी।

मुद्दे, चुनौतियाँ और प्रगति

बार्ज क्षमता और पाइपलाइन मुद्दे:

- वर्तमान में, 2000 डीडब्ल्यूटी और 8000 डीडब्ल्यूटी बार्ज का उपयोग रा.ज.-10 के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है।

- नदी की गहराई चार्ट डेटाम (सीडी) से 3.5 मीटर नीचे और रा.ज.-10 में गेल और आरआईएल गैस पाइपलाइनों की मौजूदगी के कारण 8000 डीडब्ल्यूटी बार्ज 55-65% क्षमता पर काम करते हैं।
- पाइपलाइनों को शुरू में सीडी से 2.8 मीटर नीचे की गहराई पर बताया गया था, जिससे करंजा क्रीक में एक समान ड्रेजिंग को रोका जा सका।
- एमओपीएसएंडडब्यू द्वारा गठित एक समिति ने वास्तविक पाइपलाइन की गहराई सीडी से 4.5 मीटर नीचे निर्धारित की। ऑपरेटर अब अपने खर्च पर चैनल की खुदाई करने के लिए तैयार हैं, और समिति की रिपोर्ट एमओपीएसएंडडब्ल्यू को सौंप दी गई है।

घाट शुल्क/जलमार्ग रॉयल्टी शुल्क:

- हितधारकों ने महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) द्वारा घाट शुल्क/जलमार्ग रॉयल्टी शुल्क वसूलने के बारे में चिंता जताई है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कई नदियों को रा.ज. के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अनुसार, केवल आईडब्ल्यूएआई ही केंद्र सरकार की मंजूरी से ऐसे शुल्क लगा सकता है।
- आईडब्ल्यूएआई ने एमओपीएसएंडडब्ल्यू से महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के साथ इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया। जीओएम ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र रा.ज. में विकास कार्यों को आईडब्ल्यूएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शुरू किया जाना चाहिए, और प्रभारों पर बातचीत की जा सकती है।

इन प्रयासों का उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना तथा रा.ज.-10 की प्रचालन दक्षता को बढ़ाना है, जिससे बेहतर परिवहन और व्यापार सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें।

प्रस्तावित/शुरू किए गए कार्य

क) रा.ज.-10 और रा.ज.-53 के लिए ईआईए-ईएमपी अध्ययन - कार्य चल रहा है

ख) रा.ज.-28 में ईआईए-ईएमपी अध्ययन के लिए निविदा तथा रा.ज.-28 में ड्रेजिंग प्रक्रियाधीन।

7.22 ओडिशा में रा.ज. तथा कार्यों की स्थिति

जलमार्ग	जलखंड
रा.ज.-5	ब्राह्मणी-खरसुआ-तांतीघाई-पंडुआ नाला-दुधेई नाला-कानी धामरा-नदी प्रणाली का तालचेर-धामरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, मताई नदी का चरबतिया-धामरा खंड और महानदी डेल्टा नदियाँ
बैतरनी नदी (रा.ज. -14)	दत्तपुर गाँव से लक्ष्मीप्रसाद दीया के पास धामरा नदी के संगम तक
बिरुपा बड़ी गेंगुटी ब्राह्मणी नदी प्रणाली (रा.ज.-22)	चौद्वार में बिरूपा बैराज से उपरकाई पाड़ा गाँव के पास बिरूपा और ब्राह्मणी नदियों के संगम तक, जिसमें उपेरकई पाड़ा गांव के निकट बिरूपा और ब्राह्मणी नदियों के संबं से कटना में ब्राह्मणी नदी तक समसपुर गांव से खड़गपुर गांव ब्राह्मणी के निकट तक वैकल्पिक मार्ग शामिल है।
बूढ़ा बलंगा नदी (रा.ज. -23)	बैराज (पाटलीपुरा गाँव से लगभग 300 मीटर) से चांदीपुर मछली पकड़ने के पत्तन पर बंगाल की खाड़ी के साथ बुद्ध बलंगा नदी के संगम तक
महानदी नदी (रा.ज. -64)	संबलपुर बैराज से पारादीप पत्तन तक
सुर्बणरेखा (रा.ज.-96)	चांडिल बांध का बंगाल की खाड़ी में संगम

रा.ज.-5 - ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के साथ पूर्वी तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के रूप में विकसित किया गया है जिसकी कुल लंबाई 588 किमी है। जलमार्ग के विभिन्न उपखंड इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	जलखंड	दूरी (किलोमीटर में)
1.	तालचेर-ब्राह्मणी नदी का धामरा जलखंड	265
2.	महानदी डेल्टा का मंगलगाडी-पारादीप जलखंड	67
3.	मताई नदी का चरबतिया-धामरा जलखंड	39
4.	पूर्वी तट नहर का जियोखली-चारबतिया जलखंड	217

रा.ज.-5 अंगुल, सुकिंदा और ढेंकनाल के औद्योगिक और आंतरिक खनिज क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, और इन्हें पारादीप और धामरा पत्तनों से भी जोड़ता है। यह नदी खंड में तालचेर, पारादीप, धामरा जैसे प्रमुख शहरों और नहर खंड में भद्रक, बालासोर, जलेश्वर और हल्दिया से होकर गुजरता है। जलमार्ग के नदी खंड के पास के क्षेत्र खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क और फेरोक्रोम, स्टील मिश्र धातु आदि जैसे औद्योगिक उत्पादों से समृद्ध हैं। रा.ज.-5 का संरेखण नीचे दिखाया गया है।

ओडिशा जलमार्ग का संक्षिप्त विवरण

जलमार्ग में नहर खंड और नदी खंड शामिल हैं। नहर खंड" पुरानी हिजली ज्वारीय नहर और ओडिशा तट नहर का संयोजन है, जिसे संयुक्त रूप से पूर्वी तट नहर (ईसीसी) कहा जाता है। ईसीसी हुगली नदी के दाहिने किनारे पर जियोनखली से (कोलकाता पत्तन से लगभग 34 समुद्री मील या 68 किमी नीचे की ओर) चारबतिया लॉक तक जाती है, जहाँ यह नहर मताई नदी से मिलती है और उसके बाद नदी खंड के माध्यम से धामरा पत्तन तक जाती है।

नहर और नदी खंडों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: -

- **ब्राह्मणी-खरसुआ-महानदी नदी प्रणाली:** ब्राह्मणी, खरसुआ और महानदी नदी प्रणाली में मुख्य रूप से प्रस्तावित जलमार्ग के लिए विकसित किए जाने वाले नदी खण्ड आते है और नीचे दिए गए जिन्हें विभिन्न उप-खंडों में वर्णित किया गया है:
- **तालचेर से जोकाडिया नदी,** तालचेर से जोकाडिया तक ब्राह्मणी की लंबाई 131 किलोमीटर है और औसत ढलान 35 सेमी/किमी है, जिसमें अधिकतम प्रवाह 9701 एम3/एस है। चौड़ाई 137.5 से 2050 मीटर तक भिन्न-भिन्न है। यह एक उष्णकटिबंधीय जलोढ़ नदी है जिसमें ब्रेडिंग और मेन्डरिंग विशेषताएं और नदी तट और किनारे का कटाव है। लीन सीज़न की गहराई 0.20 मीटर से 0.6 मीटर तक अलग-अलग होती है।
- **जोकाडिया से सिंहपुर –** प्रवाह खरसुआ नदी के साथ जोकाडिया में वीयर के माध्यम से डी/एस बहता है। इसकी चौड़ाई 90 मीटर से 880 मीटर तक भिन्न-भिन्न है। जोकाडिया से सिंहपुर तक 60 किलोमीटर तक औसत ढलान 16 सेमी/किमी है। यह जलखंड ज्वारीय प्रभाव से प्रभावित नहीं है और वर्तमान गहराई जोकाडिया वियर से प्रवाह पर निर्भर है। लीन सीजन की गहराई 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होती है।

- **सिंहपुर से मंगलागड़ी -** सिंहपुर से मंगलागड़ी तक 44 किमी तक का जलमार्ग एक मिश्रित क्षेत्र है जो नदी के प्रवाह और ज्वार दोनों से प्रभावित होता है। चौड़ाई 100 मीटर से 800 मीटर तक और गहराई 1.6 मीटर से 10 मीटर तक होती है।
- **मंगलगाड़ी से धामरा -** मंगलगाड़ी से धामरा तक 28 किमी तक का जलमार्ग पर ब्राह्मणी धामरा नदी बहती है और यह ज्वारीय प्रभाव से प्रभावित होता है। वर्तमान गहराई 2 मीटर से 12 मीटर और चौड़ाई 350 मीटर से 1500 मीटर तक होती है।
- **मंगलगाड़ी से पारादीप -** मंगलगाड़ी से पारादीप तक 67 किमी का मार्ग हंसुआ नदी, बाबर क्रीक, नूना नदी, गोबरी नदी, रामचंडी गलिया नदी, खरनासी नदी और महानदी नदी से होकर गुजरता है और पूरा मार्ग ज्वार-भाटा वाला है। बाबर क्रीक में जलमार्ग की चौड़ाई 16 मीटर से 20 मीटर और रामचंडी गलिया नदी में 10 मीटर से 25 मीटर तक होती है, जबकि अन्य नदियों और नालों में औसत चौड़ाई 45 मीटर से अधिक होती है।
- **नहर खंड-** पूर्वी तट नहर (ईसीसी) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के गियोन्खाली में एक लॉक के माध्यम से रूपनारायण नदी को उड़ीसा के भद्रक जिले के चरबतिया में एक लॉक के माध्यम से मताई नदी से जोड़ती है। गियोन्खाली से चरबतिया तक की कुल दूरी 217 किमी है, जिसमें से 91 किमी पश्चिम बंगाल राज्य में और शेष उड़ीसा में है। नहर का झुकाव मोटे तौर पर उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर है और यह पूर्वी तट से लगभग 5 किमी की दूरी पर समानांतर चलती है।

औद्योगिक परिदृश्य

- ओडिशा में प्रमुख उद्योग राउरकेला, कलिंगनगर, झारसुगुड़ा, अंगुल, ढेंकनाल, सुंदरगढ़, केंदुझार, खोरदा, पारादीप, बालासोर और कोरापुट के समूहों में केंद्रित हैं। इन औद्योगिक समूहों में से, जलमार्ग के साथ प्रासंगिक समूहों अर्थात् अंगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, बालासोर और हल्दिया (रा.ज. -5 के भीतरी इलाकों में पश्चिम बंगाल का एकमात्र प्रमुख औद्योगिक समूह) के लिए एक यातायात अध्ययन किया गया है। यह माना जाता है कि जलमार्ग के साथ चलने वाले इन समूहों से यातायात जलमार्ग पर अंतरित होने की संभावना है। यहां इन समूहों को जिले की सीमाओं के अनुसार चित्रित किया गया है।
- अंगुल समूह की विशेषता कोयला, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, मैंगनीज, अभ्रक, ग्रेनाइट, लेटराइट और क्वार्ट्ज आदि सहित विभिन्न प्रकार के आर्थिक खनिज भंडार हैं। क्षेत्र कई बड़े और मध्याम स्केल उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) पर ध्यान केंद्रित करता है। अंगुल में कुल 1,155 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें से 10 पंजीकृत मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयाँ हैं और इनमें नाल्को, एनटीपीसी, एमसीएल, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड आदि शामिल हैं।
- ढेंकनाल जिले में क्रोमाइट, फायर क्ले और क्वार्टजाइट के विशाल भंडार हैं जिनका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जाता है। वर्तमान में 15 बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों सहित 1,294 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इसके अलावा 13 बड़ी आगामी परियोजनाएँ हैं। इनमें नवभारत फेरो अलॉयज, भूषण स्टील लिमिटेड, बीआरजी स्टील, स्कॉ इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं।
- जजपुर जिला ओडिशा के पूर्वी भाग में है और लौह अयस्क, क्रोमाइट और क्वार्टजाइट भंडार से समृद्ध है। इस क्षेत्र में 2 सार्वजनिक क्षेत्र की खदानें और 8 निजी क्षेत्र की खदानें चल रही हैं। इन खानों का ध्यान सुकिन्दा क्षेत्र पर है। सुकिंदा में क्रोमाइट और लौह अयस्क का बड़ा भंडार में खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रचुर संभावनाएं करता है। 14 पंजीकृत मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयों सहित 2,069 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ओडिशा सरकार द्वारा जिले के कलिंग नगर को प्रमुख विकास केंद्रों में से एक के रूप में पहचान की गई है।
- 14 पंजीकृत मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयों सहित 2,069 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ओडिशा सरकार द्वारा जिले के कलिंगनगर को प्रमुख विकास केंद्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है।

- जजपुर में प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में आईडीसीओएल, टीआईएससीओ, नीलांचल इस्पात, वीजा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, मैथन इस्पात आदि शामिल हैं।

संपर्कता

- अंगुल, ढेंकनाल और जजपुर जिले के उद्योग, कोयला और लौह अयस्क खदानों और पारादीप और धामरा पत्तनों से रेल और सड़क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इन प्रासंगिक समूहों को एक-दूसरे से और पत्तनों और खनिज भंडारों से जोड़ने वाले सड़क और रेल के मौजूदा संपर्कता को नीचे दिए गए चित्र में प्रस्तुत किया गया है।

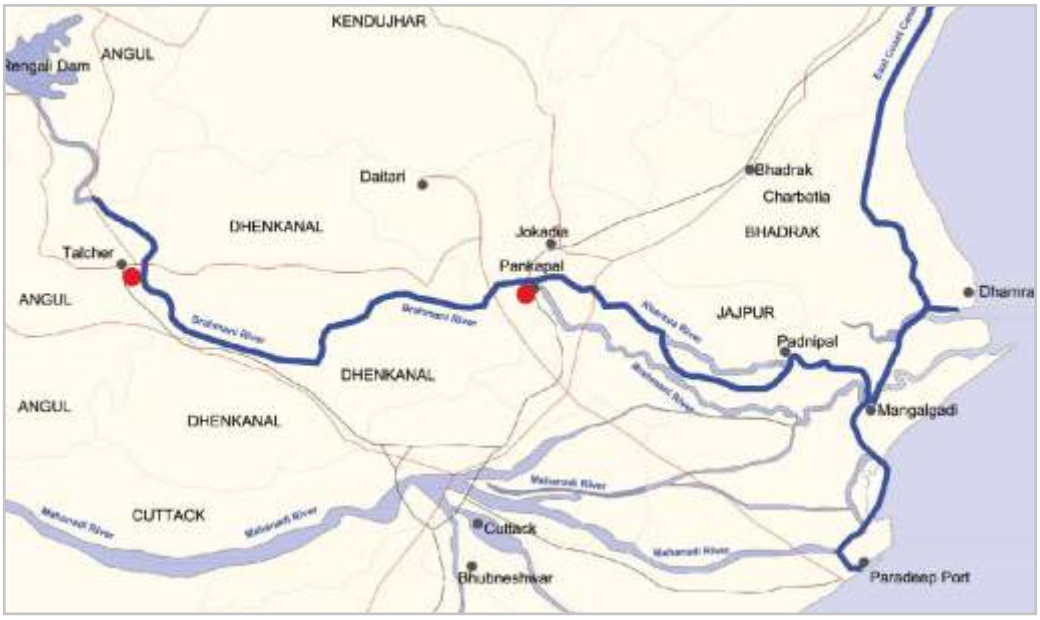

- **रेल संपर्कता:** तालचेर ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन का हिस्सा है और यह बंगरुसिन के ज़रिए ओडिशा के विभिन्न शहरों जैसे पुरी और भुवनेश्वर से जुड़ा हुआ है। पारादीप पोर्ट कटक के साथ एक डबल, विद्युतीकृत लाइन सेक्शन से जुड़ा हुआ है जो हावड़ा चेन्नै ट्रंक लाइन से जुड़ता है। 155 किलोमीटर लंबी दैतारी- बांसपानी रेल लाइन मार्च 2024 में चालू हो गई है। पोर्ट से लौह अयस्क खानों और स्टील प्लांट तक एक समर्पित कॉरीडोर प्रदान करने के लिए 78 किलोमीटर लंबी हरिदासपुर-पारादीप रेल लिंक 2020 में चालू की गई है। धामरा पोर्ट में दो रेल ट्रैक और एक चार लेन की सड़क है, साथ ही सर्विस लाइन जैसे ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन भी हैं।

- **सड़क संपर्कता:** तालचेर बनारपाल में रा.रा. 23 के माध्यम से रा.रा. 55 से जुड़ा हुआ है और भुवनेश्वर से 160 किमी की दूरी पर है, यह स्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन है जो भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, तालचेर, संबलपुर, सुंदरगढ़, राउरकेला, रायपुर, दुर्गापुर और राज्य और बहन राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से नियमित बस सेवाओं से जुड़ा हुआ है। पारादीप पत्तन चंडीकोल तक 2-लेन सड़क के माध्यम से रा.रा. -5 से जुड़ा हुआ है और सड़क का 4-लेन का काम प्रक्रिया में है। पारादीप पत्तन से कटक तक दो-लेन एसएच -12 पत्तन और खदानों के बीच संपर्कता प्रदान करता है। धामरा पत्तन रा.रा. 5 के माध्यम से भद्रक से जुड़ा हुआ है।

➢ मौजूदा संपर्कता परिदृश्य इस प्रकार है।

यातायात

➢ प्रस्तावित जलमार्ग नदी खंड में तालचेर, पारादीप, धामरा जैसे प्रमुख शहरों और नहर खंड में भद्रक, बालासोर, जलेश्वर और हल्दिया से होकर गुजरता है। जलमार्ग का नदी खंड मूल रूप से खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क और औद्योगिक उत्पादों जैसे फेरोक्रोम, स्टील मिश्र धातु, टायर, ग्रेनाइट और वन उत्पादों से समृद्ध है। जलमार्ग का नहर खंड मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प, वस्त्र आदि का परिवहन करता है। इसके अलावा, जलमार्ग इन कार्गो को समुद्र तट के किनारे स्थित उपभोक्ता केंद्रों और उत्तर/पूर्वोत्तर में रा.ज.-1 / रा.ज.-2 के माध्यम से ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है।

प्रस्तावित आईडब्ल्यूटी मोड का उपयोग करने वाली संभावित वस्तुओं को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है:

- खनिज: कोयला, लौह अयस्क
- कृषि उत्पाद: धान, चावल, पुआल, पशु चारा, जूट, नारियल और खाद, उपभोग्य वस्तुएं, मछली उत्पाद।
- तैयार माल/निर्मित उत्पाद: उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, निर्माण सामग्री (रेत, ईंटें, धातु, टाइलें, एस्बेस्टस शीट और गढ़ी हुए स्टील वस्तुएं), कपड़ा आदि।

अनुमानित कार्गो वॉल्यूम हैं:

क्र.सं.	मूल - गंतव्य	प्रमुख वस्तु	यातायात (एमएमटीपीए)
आउटबाउंड			
1	तालचेर से पारादीप	थर्मल कोयला	10 एमएमटीपीए
2	तालचेर से पंकापाल	थर्मल कोयला	6 एमएमटीपीए
3	तालचेर से धामरा	थर्मल कोयला	4 एमएमटीपीए
4	पंकापाल से धामरा	स्टील	4 एमएमटीपीए

क्र.सं.	मूल - गंतव्य	प्रमुख वस्तु	यातायात (एमएमटीपीए)
इनबाउंड			
1	पारादीप से तालचर	कोकिंग कोल	1.5 एमएमटीपीए
2	पारादीप से पंकपाल	कोकिंग कोल	1.5 एमएमटीपीए
3	धामरा से पंकपाल	कोकिंग कोल	1.5 एमएमटीपीए
4	धामरा से तालचेर	कोकिंग कोल	1.5 एमएमटीपीए
कुल			**30 एमएमटीपीए**

रा.ज.-5 के लिए किए गए अध्ययन/कार्य

2008 में रा.ज.-5 की घोषणा के बाद से, निम्नलिखित अध्ययन किए गए हैं:

- **पूर्वी तट नहर (ईसीसी) और ब्राह्मणी-खरसुआ नदी प्रणाली के साथ-साथ आईडब्ल्यूटी के विकास के लिए डीपीआर तैयार करना-** वर्ष 2009 में तैयार डीपीआर में नौचालन लॉक के साथ 5 बैराजों के निर्माण, पुलों के संशोधन आदि का सुझाव दिया गया था। विकास लागत (चरण-1 और चरण-2) 2009 की दरों के अनुसार 2228.04 करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी।
- **ईसीसी और ब्राह्मणी-खरसुआ नदी प्रणाली के साथ-साथ आईडब्ल्यूटी के विकास के लिए डीपीआर को अद्यतन करना-** अद्यतन डीपीआर ने उन्हीं सिफारिशों के साथ संशोधित लागत का प्रस्ताव रखा और परियोजना के चरण-1 (पारादीप/धामरा और पंकपाल- 212 किमी) को शुरू में चालू करने पर जोर दिया। चरण-1 के लिए विकास की अनुमानित लागत 1462 करोड़ रुपए (2016 की दरें) आंकी गई थी।
- **चरण-1 के लिए ब्राह्मणी डेल्टा संपर्कता के लिए गणितीय मॉडलिंग अध्ययन 2016** में आईआईटी गुवाहाटी के माध्यम से पहले की 2 डीपीआर की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। बैथिमेट्री और स्थलाकृतिक विश्लेषण के आधार पर, रिपोर्ट में नौचालन लॉक और 2 चेक डैम के साथ 5 बैराजों के निर्माण का सुझाव दिया गया और बैराज और चेक डैम के स्थानों और ऊंचाई की पहचान की गई।
- **मैसर्स ट्रैक्टबेल द्वारा 04 वीयर सह बैराज, 04 नौचालन लॉक के साथ एक रबर डैम और 02 चेक डैम के निर्माण के लिए डीपीआर -** रिपोर्ट आईआईटी गुवाहाटी की गणितीय मॉडलिंग रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर तैयार की गई थी। 2019 में प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्य सरकार के परामर्श से विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग दी गई थी। इसके बाद रिपोर्ट अगस्त 2020 में सीडब्ल्यूसी को जांच के लिए भेजी गई थी और चूंकि जांच पर कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए काम सीडब्ल्यूसी से वापस ले लिया गया और अगस्त 2023 में एनटीसीपीडब्ल्यूसी को आवंटित किया गया, जिसे मार्च 2024 में एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा विधिवत जांचा गया है।
- मैसर्स एसएम कंसल्टेंट्स के माध्यम से विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट (डीईआर) जिसमें विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग (डीईडी एंड डी) शामिल है- विस्तृत इंजीनियरिंग और डिजाइन पहले की 2 डीपीआर में सिफारिश के अनुसार और क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे। 9 पुलों की पहचान की गई जो आईडब्ल्यूएआई द्वारा प्रकाशित नौवहन मानकों के अनुरूप नहीं हैं। तदनुसार, इस रिपोर्ट में धामरा/पारादीप से पंकापल अर्थात् चरण-1 के बीच मौजूदा 9 ब्रिजों के लिए आवश्यक डिजाइन और ड्राइंग दिया गया है।
- रा.ज.-5 के दूसरे चरण के विकास के लिए टीईएफआर तैयार करने का काम एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आईआईटी मद्रास को सौंपा गया था और एजेंसी द्वारा मसौदा डीपीआर प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में 3.0 मीटर की आवश्यक एलएडी बनाए रखने के लिए नौचालन लॉक के साथ अतिरिक्त 6 वीयर/बैराज के निर्माण का सुझाव दिया गया है।

कार्य - आज तक निम्नलिखित कार्य किए गए हैं।

- **एचटी/एलटी लाइनों का संशोधन-** चरण-1 में ऐसी 2 एचटी/एलटी लाइनों की पहचान की गई जो आईडब्ल्यूएआई द्वारा निर्धारित नौचालन विनियमन के अनुरूप नहीं हैं और तदनुसार, 2 एचटी/एलटी लाइनों के संशोधन से संबंधित कार्य ओपीटीसीएल के माध्यम से शुरू किया गया है। 98% काम पूरा हो चुका है। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जा रहा है।
- **रा.ज.-5 में ड्रेजिंग-** रा.ज.-5 की तांतीघाई-कानी नदी प्रणाली में ड्रेजिंग कार्यों का कार्य, जिसमें एराडा-पदानीपाल के बीच का खण्ड शामिल है, मैसर्स रीच ड्रेजिंग लिमिटेड को सौंपा गया था। हालाँकि, आज की स्थिति के अनुसार तारीख में मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है।

अन्य विकास

- **पूर्व में 20 जुलाई, 2014 को किया गया समझौता ज्ञापन-** आईडब्ल्यूएआई ने उड़ीसा सरकार और पारादीप तथा धामरा पत्तनों के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के लगभग 332 किलोमीटर के व्यवहार्य खंडों के दो चरणों में विकास और रखरखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य कलिंगनगर, व्यास नगर औद्योगिक केंद्र में औद्योगिक बेल्ट को जोड़ना और तालचेर क्षेत्र से पारादीप और धामरा पत्तनों तक कोयला, लौह अयस्क और अन्य औद्योगिक उत्पादों की लागत प्रभावी निकासी करना था।

  इस समझौता ज्ञापन के बाद 2016 में ओडिशा लिमिटेड के अंतर्देशीय जलमार्ग कंसोर्टियम नामक एक एसपीवी का गठन किया गया था, लेकिन आईडब्ल्यूएआई इसका हिस्सा नहीं बना।
- सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक- 21 जून, 2023 को आयोजित सचिवों की समिति की बैठक के दौरान तालचेर कोयला खदानों के माध्यम से कोयला निकालने के लिए रा.ज.-5 को चालू करने के लिए प्रारंभिक कार्य करने के लिए आईडब्ल्यूएआई को निर्देश जारी किए गए थे।

  सीओएस के निर्देशों के आधार पर आईडब्ल्यूएआई द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ पूरी की गई हैं

  क) एनटीसीपीडब्ल्यूसी के माध्यम से रा.ज.-5 के चरण-1 के लिए वियर/बैराज की जाँच।

  ख) रा.ज.-5 के चरण-2 के लिए टीईएफआर तैयार करना

  ग) केपीएमजी-एचएसए के माध्यम से रा.ज.-5 के लिए वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट

  घ) उचित सावधानी बरतने के बाद विधिवत पुनर्जीवित एक मौजूदा एसपीवी की पहचान, ओडिशा सरकार और पारादीप पोर्ट वालों एसपीवी को मई 2024 में आईडब्ल्यूएआई द्वारा शामिल किया गया है।
- **आगामी कार्य**
  - रा.ज.-5 के लिए डीपीआर को अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है
  - हितधारकों से कार्गो/वित्तीय प्रतिबद्धता के लिए समझौता ज्ञापन
  - सीसीईए की स्वीकृति

7.23 गुजरात रा.ज.

गुजरात राज्य में 2 श्रेणी-ए राष्ट्रीय जलमार्ग हैं अर्थात रा.ज.-73 (नर्मदा नदी) और रा.ज.-100 (तापी नदी)।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कुल 108.79 एमएमटी कार्गो की आवाजाही दर्ज की गई, जिसमें से गुजरात राज्य के माध्यम से कार्गो की आवाजाही लगभग 29.36 एमएमटी थी, जो देश भर में कुल कार्गो आवाजाही का 27% है।

- आईडब्ल्यूएआई द्वारा नर्मदा नदी (रा.ज.-73) पर क्रूज पर्यटन के लिए दो जेट्टी प्रदान की गई कार्य - नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा।

- तापी नदी (रा.ज.-100) चालू है - क्रूज टर्मिनलों के लिए 2 टर्मिनलों की योजना बनाई गई है।
- मध्य प्रदेश (एमपी) के नर्मदा हिस्से में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त दो जेट्टी प्रदान की गई हैं क्योंकि नर्मदा नदी के एमपी हिस्से को रा.ज. घोषित नहीं किया गया है।
- 19 अप्रैल, 2024 को नदी क्रूज पर्यटन के लिए आईडब्ल्यूएआई, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- गुजरात पर्यटन के परामर्श से सिंधरोट बांध (रा.ज. -66) और धोलावीरा (रा.ज. -48) पर क्रूज पर्यटन जेट्टी की योजना बनाई जा रही है।

7.24 कर्नाटक रा.ज.

कर्नाटक राज्य से होकर गुजरने वाले या राज्य में कुल 13 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।

क्र. संख्या	आईडब्ल्यूएआई	नदी	दूरी किलोमीटर में)
1.	रा.ज.-4 (विस्तार)	कृष्णा नदी	636.20
2.	रा.ज.21	भीमा नदी	139
3.	रा.ज.41	घटप्रभा नदी	112
4.	रा.ज.43	गुरुपुरा नदी	10
5.	रा.ज.51	काबिनी नदी	23
6.	रा.ज.52	काली नदी	54
7.	रा.ज.67	मालाप्रभा नदी	94
8.	रा.ज.74	नेत्रावती नदी	78
9.	रा.ज.76	पंचगंगवल्ली नदी	23
10.	रा.ज.90	शरावती नदी	29
11.	रा.ज.104	तुंगभद्रा नदी	230
12.	रा.ज.105	उदयवारा नदी	16

इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर कोई कार्गो आवाजाही नहीं होती है।

31 मई, 2024 को बेंगलुरु में आईडब्ल्यूएआईके अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधिवत रूप से हितधारकों की एक बैठक आयोजित की गई। कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए।

क) काबिनी नदी (रा.ज.-51) - इस राष्ट्रीय जलमार्ग पर क्रूज पर्यटन के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है। आईडब्ल्यूएआईके अध्यक्ष ने 01 जून, 2024 को साइट का दौरा किया।

ख) शरावती नदी (रा.ज.-90) - कर्नाटक सरकार द्वारा रात में चलने वाले क्रूज के लिए एक प्रस्ताव था सुझाव गया है और प्राप्त इनपुट के आधार पर इसे लागू किया जाएगा।

ग) तीन फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टी के लिए निविदा जारी की गई है, अर्थात् काबिनी (रा.ज.-51) में एक और शरावती (रा.ज.-90) में दो, जिसकी अंतिम तिथि 18 जनवरी 2025 है।

7.25 गोवा राष्ट्रीय जलमार्ग

1. अप्रैल 2016 में घोषित 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) में से, गोवा राज्य के छह अंतर्देशीय जलमार्गों को रा.ज. घोषित किया गया है। इन जलमार्गों को रा.ज. घोषित किए जाने से पहले गोवा राज्य के कुछ जलमार्ग पहले से ही देश में नौवहन और माल तथा यात्री यातायात, दोनों के लिए शिपिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जलमार्गों में से थे। रा.ज. का मुख्य विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	नदी	सीमाएँ	दूरी (किलोमीटर में)	टिप्पणी
1	रा.ज.-25	चपोरा नदी	मोरजिम में अरब सागर से एसएच 124 पर पुल तक (मनेरी गाँव से 1 किमी)	33	28.70 किलोमीटर की शुरुआती पहुंच में ज्वारीय
2	रा.ज.-27	कंबरजुआ नहर	कोर्टालिम फ़ेरी टर्मिनल के पास कंबरजुआ और जुआरी नदियों के संगम से साओ मार्टियस विधान परिषद के पास कंबरजुआ और मंडोवी नदियों के संगम तक	17	पूरी तरह से ज्वारीय
3	रा.ज.-68	मंडोवी	रीस मैगोस में अरब सागर के साथ संगम से उसगाँव में पुल तक	41	गंजम तक ज्वार
4	रा.ज.-71	मापुसा-मोइदे	पोरवोरिम में मापुसा और मंडोवी नदियों के संगम बिंदु से मापुसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर पुल तक	26.64	पूरी तरह से ज्वारीय
5	रा.ज.-88	नमक	मोबोर में अरब सागर से ओरलिमदेउसा पुल तक	14	पूरी तरह से ज्वारीय
6	रा.ज.-111	जुआरी	मुरगांव बंदरगाह से संवोर्देम में पुल तक	50	पूरी तरह से ज्वारीय
कुल (किलोमीटर में)				**181.64**	

2. कैप्टन ऑफ पोर्ट्स (सीओपी) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे आईडब्ल्यूएआई बोर्ड के समक्ष दिनांक 02.06.2017 की इसकी 164वीं बैठक में रखा गया और बोर्ड ने 22.67 करोड़ रुपए (जेट्टी के लिए 15.83 करोड़ रुपए और नए नौचालन सहायता के उन्नयन/प्रेरण के लिए 6.84 करोड़ रुपए) की विकासात्मक गतिविधियों को करने के लिए एजेंडा आइटम 164.17 को मंजूरी दी।

3. इसके अलावा, मंडोवी नदी (रा.ज.-68) पर निम्नलिखित स्थानों पर तीन जेट्टी प्रदान की गई हैं।

स्थान	टिप्पणी
कैप्टन ऑफ पोर्ट्स जेट्टी (रा.ज.-68)	छह पोंटून (12 मीटर x 3 मीटर) से 1 जेट्टी बनाई गई
ओल्ड गोवा जेट्टी (रा.ज.-68)	छह पोंटून (12 मीटर x 3 मीटर) से 1 जेट्टी बनाई गई
पंजिम फेरी रैंप (रा.ज.-68)	बारह पोंटून (12 मीटर x 3 मीटर) से 1 जेट्टी बनाई गई। जेट्टी को एक ऐसी जेट्टी में संवर्धित किया गया था जिसमें छह पोंटून वाली एक जेट्टी थी और इसे नदी (रा.ज.-25) में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन स्थानीय प्रतिरोध के कारण योजना को छोड़ दिया गया, जेट्टी को पंजिम फेरी रैंप में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि मौजूदा बेतिम-पंजिम फेरी में प्रतिदिन लगभग 1200 यात्री आते हैं।

4. निम्नलिखित स्थानों पर 10 सामुदायिक जेट्टी (प्रत्येक 12 मीटर x 3 मीटर आकार के 2 पोंटूनों से युक्त) प्रदान की जा रही हैं।

क्र. संख्या	नदी	स्थान
1.	रा.ज.-27 (कंबरजुआ नहर)	बनस्तारिम
2.	रा.ज.-27 (कंबरजुआ नहर)	कंबरजुआ फेरी पॉइंट
3.	रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	उसगांव पेल
4.	रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	दिवर द्वीप
5.	रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	सिंकरिम
6.	रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	वेरेम
7.	रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	चाराओ द्वीप
8.	रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	मैरीटाइम स्कूल जेट्टी
9.	रा.ज.-111 (जुआरी नदी)	कॉर्टालिम फिशिंग जेट्टी
10.	रा.ज.-111 (जुआरी नदी)	शिरोदा फेरी रैंप
कुल		**10 जेट्टी जिनमें से प्रत्येक में 2 फ्लोटिंग पोंटून हैं**

5. इसके अलावा, पत्तनों के कप्तान द्वारा यथा निर्धारित नौवहन सहायता को डीआईबी प्रावधानों के अंतर्गत निविदा के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

6. कैंपल (मंडोवी नदी-रा.ज.-68 में) में लगभग 14.5 करोड़ रुपए की लागत से दीपस्तंभ के पुनर्निर्माण का मुद्दा एमएसडीसी के दौरान उठाया गया था, जिसे बाद में डीजीएलएल को भेजा दिया गया था।

7. वीटीएमएस निविदा तैयार की जा रही है।

8. एगुआडा खाड़ी (मंडोवी नदी-रा.ज.-68 पर) का गणितीय मॉडलिंग एनटीसीपीडब्ल्यूसी के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

9. रा.ज.-71, रा.ज.-27 और रा.ज.-68 के लिए ड्रेजिंग निविदा प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, दो रा.ज. अर्थात् रा.ज.-25 और रा.ज.-88 को प्रचालन के लिए प्रस्तावित किया गया है।

7.26 पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (एनआईएनआई)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से फरवरी, 2004 में पटना, बिहार में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (एनआईएनआई) की स्थापना की गई थी। इस संस्थान का प्रबंधन मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा किया जा रहा है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:

(i) निम्नलिखित प्रशिक्षण गतिविधियाँ की गईं:

- इंडक्शन ट्रेनिंग जीपी रेटिंग कोर्स (39वां बैच)
- जीपी रेटिंग (अंतर्देशीय जलयान) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पोत एचएसडी सोन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
- एमएसडीसी गुवाहाटी, असम में नागालैंड सरकार के कर्मियों के लिए पोत प्रचालन और सुरक्षा पाठ्यक्रम आयोजित करना
- सीआरपीएफ कर्मियों के लिए 12 सप्ताह का जल विंग पाठ्यक्रम।

(ii) अंतर्देशीय जलयानों के लिए बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम

- अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी

- अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक
- अंतर्देशीय जलयान के लिए अग्नि निवारण और अग्निशमन
- अंतर्देशीय जलयान के लिए प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा
- अंतर्देशीय जलयान के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण

(iii) अंतर्देशीय जलयान क्षमता प्रमाण पत्र के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम।

- सेरांग
- मास्टर क्लास II
- मास्टर क्लास I
- द्वितीय श्रेणी इंजन चालक
- प्रथम श्रेणी इंजन चालक
- आईवीएमएस कोर्स

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.27क **अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटीटी)**

अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (पीआईडब्ल्यूटीटी) पर प्रोटोकॉल भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद है, जो दोनों देशों को अपने-अपने कानूनों और नियमों के अनुसार कार्गो ले जाने के लिए एक-दूसरे के जलमार्गों का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह प्रोटोकॉल जून 2025 तक वैध है। यह दोनों देशों के अंतर्देशीय पोतों को निर्दिष्ट प्रोटोकॉल मार्गों पर चलने और माल उतारने और चढ़ाने के लिए अधिसूचित पत्तनों पर डॉक करने की अनुमति देता है।

प्रोटोकॉल मार्ग पर कार्गो जलयानों की संगठित आवाजाही में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे भारत के उत्तर-पूर्व (एनई) क्षेत्र में पारगमन कार्गो और बांग्लादेश को निर्यात कार्गो दोनों की सुविधा मिली है। भारतीय पारगमन कार्गो में मुख्य रूप से फ्लाई-ऐश, कोयला, खाद्य पदार्थ और एनई क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के लिए ओडीसी शामिल हैं, जबकि भेजे जा रहा अन्य कार्गो में गेहूं, चावल, स्पंज आयरन, मक्का और स्टोन चिप्स शामिल हैं।

मालवाहक जलयान एमवी बेकी और एएआई भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर आगे बढ़ते हुए

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईबीपी मार्ग पर लगभग 4.68 मिलियन टन यातायात की आवाजाही हुई, जिसमें अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 3.37 मिलियन टन दर्ज किया गया।

7.27ख **भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर सिराजगंज से दाइकोवा और आशुगंज से जकीगंज तक फेयरवे का विकास**

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर सिराजगंज से दाइकोवा और आशुगंज से जकीगंज तक फेयरवे का विकास सिराजगंज से दाइकोवा (175 किमी) और आशुगंज से जकीगंज (295 किमी) तक फेयरवे विकसित करने के लिए भारत और बांग्लादेश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में सात वर्षों तक 2.5 मीटर की गहराई और 30 मीटर की चौड़ाई वाले फेयरवे

की ड्रेजिंग और रखरखाव शामिल है। ड्रेजिंग की लागत भारत और बांग्लादेश के बीच 80:20 के अनुपात में साझा की जाएगी, जिसमें भारत अनुमानित 305.84 करोड़ रुपए की परियोजना लागत में से 244.67 करोड़ रुपए वहन करेगा। प्रारंभिक ड्रेजिंग पूरी हो चुकी है, तथा रखरखाव ड्रेजिंग मार्च/अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी।

7.27ग **भूटान से बांग्लादेश तक ट्रांजिट कार्गो का परिवहन**

11 जुलाई 2019 को रा.ज.-2 तथा आईबीपी मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश में भूटानी बल्क कार्गो, विशेष रूप से स्टोन एग्रीगेट्स का ट्रांजिट परिवहन शुरू हुआ। स्टोन एग्रीगेट्स ले जाने वाले आईडब्ल्यूएआई जलयान "एएआई" को तत्कालीन माननीय शिपिंग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा रा.ज.-2 पर धुबरी से डिजिटल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह मार्ग भूटान और बांग्लादेश के बीच एक लोकप्रिय व्यापार विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण संभावना रखता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दिसंबर तक, धुबरी (भारत) और चिलमारी (बांग्लादेश) के बीच 908 जलयानों ने कुल 1.92 लाख मीट्रिक टन कार्गो का परिवहन किया। वित्त वर्ष 2023-24 में, 1109 जलयानों ने उसी मार्ग पर 2.3 लाख मीट्रिक टन कार्गो का परिवहन किया।

7.27घ **म्यांमार**

कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से मिजोरम से हल्दिया/कोलकाता पत्तनों तक एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस परियोजना में मिजोरम से पलेतवा (म्यांमार) तक सड़क परिवहन, पलेतवा से सित्तवे (म्यांमार) तक अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) और सित्तवे से हल्दिया/भारतीय पत्तनों तक समुद्री शिपिंग शामिल है। विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और संचालित, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को पत्तन और आईडब्ल्यूटी घटकों के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया गया था। इन घटकों का चरण-I कार्य पूरा हो चुका है, जिसका संचालन और रखरखाव 1 फरवरी 2020 से शुरू हो रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित सितवे पत्तन, म्यांमार सरकार द्वारा 29 नवंबर, 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल के रूप में नामित किया गया। इस पत्तन का उद्घाटन 9 मई 2023 को भारत सरकार के माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और म्यांमार सरकार के माननीय उप प्रधान मंत्री और केंद्रीय परिवहन और संचार मंत्री द्वारा किया गया।

हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण गतिविधियाँ-नदी सूचना प्रणाली

7.28 अंतर्देशीय नौचालनन जलयान की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए नदी सूचना सेवा (आरआईएस) हल्दिया से वाराणसी तक 3 चरणों में स्थापित की गई है। यह पोत पर नौचालन, तट-आधारित यातायात निगरानी और आपदा निवारण जैसे अन्य कार्यों में सहायता करता है।

तीन चरणों अर्थात हल्दिया-फरक्का, फरक्का-पटना और पटना-वाराणसी का विवरण इस प्रकार है:

	चरण 1	**चरण II**	**चरण -III**
	हल्दिया-फरक्का	फरक्का-पटना	पटना-वाराणसी
कवरेज	545 कि.मी	410 कि.मी	353 कि.मी
नियंत्रण स्टेशन	बीआईएसएन जेट्टी (कोलकाता)	पटना	रामनगर
बेस स्टेशन	1. हल्दिया	1. मनिहारी 2. भागलपुर 3. मुंगेर 4. हातिदाह 5. बाढ़	1. मौजमपुर 2. गोबिंदपुर खास (बलिया) 3. ज़मानिया

ई-नौचालन सॉफ्टवेयर (आईडब्ल्यूएआई वेसल ट्रैकर और पानी पोर्टल):

7.29 आईडब्ल्यूएआई जलयान ट्रैकर और पानी पोर्टल एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है जिसे आईडब्ल्यूएआई ने एनटीसीपीडब्ल्यूसी के माध्यम से यात्री और रो-रो पोतों के स्वामियों को अधिक आसानी से नेविगेट करने में सहायता के लिए विकसित किया है। जबकि नदी सूचना प्रणाली पहले से ही स्थापित है, किसी भी जलयान को ट्रैक करने के लिए एआईएस की बुनियादी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। हालांकि, एआईएस की खरीद और वार्षिक लाइसेंस शुल्क, छोटे प्रचालकों के लिए बहुत महंगा था। इससे निपटने करने के लिए, आईडब्ल्यूएआई ने समान सुविधाएँ प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर विकसित किया जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के व्यापक उपयोग में सहायता करता है। शुरू में इस रा.ज.-1 पर लागू किया गया और धीरे-धीरे अन्य जलमार्गों में विस्तारित किया गया, सॉफ्टवेयर के सफल क्षेत्र परीक्षण हुए है और अब इसका व्यापक रूप से आईडब्ल्यूटी वाहकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इससे मास्टर्स ऑफ पैसेंजर और रो-रो जलयानों के लिए नौचालन सुविधा को अधिक आसान बना दिया है। जिससे उन्नत नौचालन माध्यम तक पहुंच अधिक है तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर प्रचालन अधिक सुरक्षित और अधिक सक्षम हो गए है।

अंतिम उपयोगकर्ताओं को दर्शाने वाली जलयान ट्रैक लॉग तालिका

ई-नेविगेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला एक जलयान

परिवहन अनुसंधान स्कंध एवं विकास स्कंध

8.1 परिवहन अनुसंधान स्कंध (टीआरडब्ल्यू) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को योजना और नीति निर्माण के लिए आंकड़े, विश्लेषणात्मक और अनुसंधान सहायता प्रदान करता है। टीआरडब्ल्यू राष्ट्रीय स्तर पर पत्तनों, पोत परिवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) पर आंकड़े एकत्र करने, संकलन और प्रसार के लिए नोडल स्कंध है। यह महापत्तनों, गैर-महापत्तनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, राज्य समुद्री बोर्डों और पत्तन निदेशालयों (राज्य सरकारों) आदि से आंकड़े एकत्र करता है। यह संगतता और तुलनीयता के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की जांच और पुष्टि करता है और मंत्रालय के लिए आंकड़े संग्राहक के रूप में काम करता है। यह मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों को आवश्यकतानुसार और अन्य एजेंसियों/कार्यालयों को आवश्यकता या अन्यथा एक मानक प्रक्रिया के रूप में आंकड़े प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त टीआरडब्ल्यू, मंत्रालय की पत्तन, पोत परिवहन एवं आईडब्ल्यूटी क्षेत्र से संबंधित नीति के निर्माण/ संशोधन प्रक्रिया से भी जुड़ा है।

8.2 टीआरडब्ल्यू नियमित रूप से वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) जैसी भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों/कार्यालयों/मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अन्य एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है।

8.3 टीआरडब्ल्यू निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक, अर्धवार्षिक और मासिक प्रकाशन निकालता है और कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए हैं: -

- भारत के बुनियादी पत्तन सांख्यिकी 2022-23
- भारतीय नौवहन सांख्यिकी 2023
- भारत के पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग के सांख्यिकी 2022-23
- अंतर्देशीय जल परिवहन सांख्यिकी 2022-23
- 30 सितंबर 2023 और 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारतीय पत्तन क्षेत्र पर अर्ध-वार्षिक अपडेट
- महापत्तनों पर हैंडल किए गए मासिक कार्गो यातायात
- गैर-महापत्तनों पर हैंडल किए गए मासिक कार्गो यातायात

8.4 आंकड़े और प्रकाशन इस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.shipmin.gov.in पर 'परिवहन अनुसंधान स्कंध' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

8.5 इसके अलावा, टीआरडब्ल्यू मंत्रालय के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ओसीएमएस (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली) पर जानकारी अपडेट करता है। इसके अलावा, टीआरडब्ल्यू पत्तन क्षेत्र के लिए सेवा मूल्य सूचकांक भी संकलित करता है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को लाइनर शिपिंग कनेक्टिविटी सूचकांक जैसे वैश्विक सूचकांकों के संकलन के लिए आंकड़े प्रदान करता है।

विकास स्कंध

8.6 विकास स्कंध, मंत्रालय का शीर्ष तकनीकी संगठन है, जिसके अध्यक्ष विकास सलाहकार (पत्तन) है। यह स्कंध पत्तन विकास के विषय से संबंधित है और महापत्तन परियोजनाओं, अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर संकर्म (एएलएचडब्ल्यू), ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) आदि के विकास से संबंधित मामलों पर तकनीकी सलाह देता है। यह स्कंध गैर-महापत्तनों के संबंध में फिशिंग हार्बर और समुद्री राज्य सरकारों के मामले में अन्य मंत्रालयों को तकनीकी सलाह भी देता है और आवश्यकता पड़ने पर पत्तनों और संविदा फर्मों के बीच तकनीकी-वाणिज्यिक विवाद पर सलाह देता है। यह स्कंध पत्तन और हार्बर इंजीनियरिंग और उपकरणों और फ्लोटिंग क्राफ्ट पर भारतीय मानकों के निर्माण/उन्नयन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से जुड़ा हुआ है।

8.7 विकास स्कंध भारतीय राष्ट्रीय विषय – नौचालन कांग्रेस हेतु स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएनए- पीआईएएनसी) से संबंधित मामलों के प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार पीआईएएनसी का सदस्य देश है। विकास स्कंध महापत्तनों पर "राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना" के कार्यान्वयन के लिए भारतीय तटरक्षक बल की सहायता कर रहा है। यह स्कंध मंत्रालय के पत्तन क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान समिति के कार्यों का समन्वय भी करता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच - सागरमंथन: महान महासागर संवाद

सागरमंथन : महान महासागर संवाद

9.1 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू) ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से 18-19 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में "सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग" का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। 3 सितंबर, 2024 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री द्वारा कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ दी डॉयलाग आयोजित किया गया था। इस आयोजन की पहल ने वैश्विक नीति निर्माताओं, समुद्री विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और विद्वानों को संधारणीय और नवीन समुद्री प्रथाओं को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया है। दो दिवसीय फोरम के एजेंडे में समुद्री संपर्क, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और वैश्विक समुद्री शासन पर सत्र शामिल थे। माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री के नेतृत्व में युवाओं के साथ एक अलग सत्र भी आयोजित किया गया।

9.2 मंत्रालय ने पत्तन डिजिटलीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डीकार्बोनाइज्ड शिपिंग में भारत की प्रगति को भी प्रदर्शित किया, जो वैश्विक समुद्री केंद्र बनने की ओर राष्ट्र के विज़न को दर्शाता है। इस संवाद में विश्व भर के 60 देशों के 1700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें मंत्री, राज्य और सरकार के पूर्व अध्यक्ष, पत्रकार और विशेषज्ञ शामिल थे। यह वार्ता वैश्विक व्यापार में भारत की सामरिक भूमिका को रेखांकित करती है, जिसमें विशाल समुद्र तट और सामरिक द्वीप शामिल हैं जो इसकी समुद्री क्षमता को बढ़ाते हैं। यह आयोजन हरित सागर दिशानिर्देश और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी हरित पहलों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डालता है। इस आयोजन के अवसर पर, ग्रीस, नॉर्वे और केन्या के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी क्रमशः माननीय मंत्री (पीएसएंडडब्ल्यू), सचिव (पीएस एंड डब्ल्यू) और अपर सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

द्विपक्षीय बैठक के बाद भारतीय और ग्रीस प्रतिनिधिमंडल

बहुपक्षीय संगठनों के साथ सहयोग

9.3 भारत 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) का सदस्य बन गया, जो पोत परिवहन की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय निष्पादन के लिए वैश्विक मानक निर्धारण प्राधिकरण है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मानक निष्पक्ष और प्रभावी हों तथा सार्वभौमिक रूप से अपनाए और कार्यान्वित किए जाएं। भारत आईएमओ में सक्रिय भागीदार रहा है। वास्तव में, आईएमओ के कामकाज में भारत की भागीदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के समक्ष अपनी विकास संबंधी चिंताओं को व्यक्त करने में मदद मिली है। भारत आईएमओ परिषद का सदस्य रहा है।

9.4 भारत को श्रेणी 'बी' के तहत द्विवार्षिक 2024-25 के लिए आईएमओ परिषद के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है, जो 01 दिसंबर, 2023 को आईएमओ मुख्यालय, लंदन में आईएमओ की सभा के 33वें नियमित सत्र के दौरान आयोजित आईएमओ परिषद चुनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि रखने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, भारत द्विवार्षिक 2026-27 के लिए श्रेणी बी के तहत आईएमओ परिषद की सदस्यता के लिए पुनः चुनाव की मांग कर रहा है, जिसके लिए चुनाव 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आईएमओ महासभा के 34वें नियमित सत्र के दौरान 1 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाना निर्धारित है।

9.5 आईएमओ सम्मेलनों/प्रोटोकॉल के रूप में विभिन्न संधियों को अपनाता और क्रियान्वित करता है। समय-समय पर, हमारे राष्ट्रीय हितों और आईएमओ द्वारा अपनी संधियों के माध्यम से विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए, भारत आईएमओ द्वारा अपनाई गई संधियों का पक्षकार बनता रहा है। आज तक, आईएमओ ने 59 संधियों को अपनाया है, जिनमें देश पक्षकार बन सकते हैं। इन 59 संधियों में से भारत 35 संधियों (सम्मेलन/प्रोटोकॉल) का पक्षकार है, जिन्हें भारतीय घरेलू कानून में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है, अर्थात् वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और नियम आदि। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के दो कन्वेंशनों का भी पक्षकार है।

9.6 भारत ने ऐतिहासिक पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 पारित कर दिया है। नया अधिनियम हांगकांग कन्वेंशन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करता है। इसमें कन्वेंशन के ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो शिप ब्रेकिंग कोड (संशोधित), 2013 में शामिल नहीं हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, जून 2025 जब कन्वेंशन और अधिनियम लागू हो जाएंगे, जहाज़ों के पुनर्चक्रण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है । इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत जहाजों के पुनर्चक्रण नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है। नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।

9.7 भारत ने नवंबर, 2019 में पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही पुनर्चक्रण के लिए आईएमओ के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया है। आईएमओ के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने से भारत में घरेलू पोत रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जो दुनिया के पांच प्रमुख पोत रीसाइक्लिंग देशों में से एक है। 2023 में, भारत ने आईएमओ की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (एमईपीसी) में विभिन्न मुद्दों पर 17 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं (एमईपीसी के 79वें सत्र में 8 और एमईपीसी के 80वें सत्र में 9 दस्तावेज)।

9.8 भारत नाविकों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के दो महत्वपूर्ण कन्वेंशनों का भी पक्षकार है, अर्थात् समुद्री श्रम सम्मेलन और नाविक पहचान दस्तावेज़ कन्वेंशन । भारत शिपिंग उद्योग में कुल कार्यबल का लगभग 12 प्रतिशत योगदान देता है। फिलीपींस के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में नाविक रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने समुद्री उद्योग के लिए भी मानक अनिवार्य कर दिए हैं। समुद्री श्रम कन्वेंशन एक एकल, सुसंगत तंत्र है जो 1920 से अपनाए गए 37 अलग-अलग आईएलओ समुद्री श्रम कन्वेंशन को प्रतिस्थापित और समेकित करता है।

9.9 आईएमओ के अलावा, भारत अन्य बहुपक्षीय संगठनों/समझौतों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जैसे कि आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन); बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक); भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए); क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम-एसोसिएशन (आईओआरए); अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरीडोर (आईएनएसटीसी), हिंद प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरीडोर (आईएमईसी) आदि।

समुद्री क्षेत्र पर द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग समझौते/समझौता ज्ञापन

9.10 भारतीय समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए एमओपीएसएंडडब्ल्यू ने समझौतों या समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से निम्नलिखित 34 देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग तंत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं: -

ऑस्ट्रिया	जर्मनी	नीदरलैंड	स्पेन
बांग्लादेश	ग्रीस	ओमान	श्रीलंका
बेल्जियम	ईरान	पाकिस्तान	टर्की
बुल्गारिया	जॉर्डन	पोलैंड	संयुक्त अरब अमीरात
चीन	मालदीव	पुर्तगाल	यूक्रेन
साइप्रस	माल्टा	कोरिया गणराज्य	यूएसए
डेनमार्क	मोरक्को	रूस	वियतनाम
मिस्र	म्यांमार	सिंगापुर	
फिनलैंड	नेपाल	दक्षिण अफ़्रीका	

नाविकों के प्रमाणपत्रों की मान्यता पर पारस्परिक और एकपक्षीय समझौते

9.11 भारत ने फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया के साथ नाविकों के सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भारत ने 34 देशों के साथ एकपक्षीय मान्यता के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि यह एक बड़ी जनसंख्या/नाविकों वाला जनसाधन आपूर्ति करनेवाला राष्ट्र है, इसलिए इस प्रकार के एकपक्षीय समझौते भारतीय नाविकों के रोजगार को बढ़ाने के लिए लाभदायक हैं। निम्नलिखित 34 देश भारतीय प्रमाणपत्र को मान्यता देते हैं:-

क्र.सं.	देश	क्र.सं	देश
1	एंटीगुआ	18	जमैका
2	ऑस्ट्रेलिया	19	जापान
3	बांग्लादेश	20	कुवैत
4	बारबाडोस	21	लातविया
5	बेलीज़	22	लाइबेरिया
6	बहामास	23	लक्जमबर्ग
7	कुक आइलैंड	24	मलेशिया
8	साइप्रस	25	माल्टा
9	डेनमार्क	26	मार्शल द्वीप
10	डोमिनिका	27	मॉरीशस
11	फ्रांस	28	नीदरलैंड
12	घाना	29	पनामा
13	जॉर्जिया	30	कतर
14	हेलेनिक गणराज्य	31	सिंगापुर
15	हांगकांग	32	वानुअतु
16	आयरलैंड	33	वियतनाम
17	आइल ऑफ मैन	34	विंसेंट

वर्ष 2024 के दौरान आयोजित संयुक्त बैठकें

श्रीलंका के साथ संयुक्त कार्य दल की बैठक

9.12 भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांकेसंथुराई के बीच यात्री फेरी पोत सेवा को फिर से शुरू करने की समीक्षा के लिए 30 जनवरी, 2024 और 21 मार्च, 2024 को श्रीलंका के साथ दो संयुक्त कार्यदलों की बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने यात्री पोत सेवा पुनः शुरू करने के उपायों पर चर्चा की।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान माननीय पीएस एंड डब्ल्यू मंत्री, भारत सरकार और माननीय उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामले मंत्री, डेनमार्क

डेनमार्क के साथ संयुक्त कार्य दल की बैठक

9.13 भारत और डेनमार्क के बीच शिपिंग पर संयुक्त कार्य दल की 5वीं बैठक 6 मई, 2024 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव तथा डेनिश समुद्री प्राधिकरण के महानिदेशक ने की। दोनों पक्षों ने डेनिश कार्य योजना, डेनिश समुद्री पहल, ग्रीन शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र आदि पर चर्चा की।

9.14 भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा किंगडम ऑफ डेनमार्क के उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। समझौता ज्ञापन विस्तार पर 17 सितंबर, 2024 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री, भारत सरकार और माननीय उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्री, डेनमार्क सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

9.15 देशों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार और संयुक्त कार्य दल की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार, समुद्री क्षेत्र में हरित और डिजिटल पहलों के लिए विभिन्न विषयों/पहलों पर कार्य योजना संचालन समूह द्वारा तैयार की गई है, जिसमें नौवहन महानिदेशालय और डेनिश समुद्री प्राधिकरण के सदस्य शामिल हैं।

नॉर्वे के साथ संयुक्त कार्य दल की बैठक

9.16 9वीं भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) समुद्री बैठक 13 मई, 2024 को ओस्लो, नॉर्वे में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव और व्यापार, उद्योग और मत्स्य पालन मंत्रालय (एमओटीआईएफ) के समुद्री और तटीय विकास विभाग के महानिदेशक की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने हरित पोत परिवहन, पोत पुनर्चक्रण, समुद्री प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

भारत और रूस के बीच उत्तरी समुद्री मार्ग पर पहली संयुक्त कार्य दल की बैठक

9.17 भारत और रूस के बीच उत्तरी समुद्री मार्ग पर पहली संयुक्त कार्य दल बैठक 10 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की अध्यक्षता अपर सचिव (पीएस एंड डब्ल्यू) ने किया तथा रूसी पक्ष की अध्यक्षता आर्कटिक विकास राज्य निगम "रोसाटोम" के विशेष प्रतिनिधि ने किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा उत्तरी समुद्री मार्ग पर मिलकर काम करने पर चर्चा की और सहमति व्यक्त की।

माल्टा के साथ परिवहन पर संयुक्त समिति की बैठक

9.18 परिवहन पर संयुक्त समिति की पहली बैठक 26 नवंबर 2024 को माल्टा के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। बैठक का आयोजन भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के अपर सचिव की सह-अध्यक्षता और माल्टा सरकार के परिवहन, बुनियादी ढांचे और लोक निर्माण मंत्रालय के प्रधान सचिव की सह-अध्यक्षता में किया गया था। समझौता ज्ञापन के तहत गठित संयुक्त समिति ने ग्रीन शिपिंग, क्रूज शिपिंग, पत्तन अवसंरचना, आईएमओ के तहत पहल, शिपिंग रजिस्ट्री में सूचना और सर्वोत्तम प्रैक्टस को साझा करने के क्षेत्र में संभावित सहयोग पर चर्चा की।

भारत – श्रीलंका यात्री फेरी सेवा

9.19 माननीय विदेश मंत्री और माननीय पीएस एंड डब्ल्यू मंत्री ने 14 अक्टूबर, 2023 को भारत में नागपट्टिनम से श्रीलंका में

कांकेसंथुराई के बीच यात्री फेरी सेवा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इस महत्वपूर्ण अवसर ने भारत और श्रीलंका के बीच संपर्क और आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत की। भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंध रहे हैं। फेरी सेवाएं पारंपरिक रूप से दोनों देशों के बीच संपर्क का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं, जिससे सदियों से लोगों, व्यापार और वस्तुओं की आवाजाही में सुविधा हुई है।

9.20 जुलाई, 2023 में श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त विज़न दस्तावेज़ के हिस्से के रूप में तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा शुरू करने के निर्णय को रेखांकित किया गया था। समुद्री परिस्थितियों के आधार पर, तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांकेसंतुराई के बीच की दूरी लगभग 3-4 घंटे में तय की जाएगी।

9.21 नागपट्टिनम पत्तन के उन्नयन के लिए तमिलनाडु समुद्री बोर्ड (टीएनएमबी) को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में 8 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। टीएनएमबी ने नागपट्टिनम पत्तन पर चैनल ड्रेजिंग का काम किया है, सुविधाओं को उन्नत किया है और यात्री टर्मिनल, बर्थ और सड़क का नवीनीकरण किया है। यात्री फेरी सेवा की शुरुआत दिन में चलने वाले जलयान "चेरियापानी" से की गई है।

9.22 चूंकि एचएससी चेरियापानी की तैनाती एक अस्थायी उपाय था, इसलिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) ने अक्टूबर 2023 में नागपट्टिनम-कांकेसंथुराई मार्ग के लिए उपयुक्त जलयान की पहचान करने के लिए एक साथ रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की। प्रतिक्रियाओं के गहन मूल्यांकन के बाद, एससीआई ने सेवा संचालित करने के लिए मेसर्स इंडश्री फेरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया।

9.23 तदनुसार, इंडश्री फेरी सर्विसेज ने 150 यात्री क्षमता वाले जलयान "शिवगंगई" का अधिग्रहण किया और इसे पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया। आवश्यक ड्राई डॉक मरम्मत, सर्वेक्षण और प्रमाणन और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, जलयान "शिवगंगई" ने 16 अगस्त 2024 को नागपट्टिनम से कांकेसंथुराई तक सेवा शुरू की।

भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा चलाने के लिए एमवी शिवगंगा का अधिग्रहण किया गया

भारत-मालदीव कार्गो पोत सेवा

9.24 शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ सितंबर, 2020 से भारत मालदीव कार्गो शिपिंग सेवा शुरू की। इस सेवा को चलाने के लिए, विदेश मंत्रालय ने भारत-मालदीव कार्गो सेवा को मई 2024 के मध्य से आगे भी जारी रखने पर सहमति जताई है, जब तक कि वर्तमान चार्टर पार्टी या वित्तीय वर्ष 2024-25 को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। एससीआई ने सेवा को लाभदायक/आत्मनिर्भर बनाने के लिए मालदीव में भारतीय उच्चायोग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है।

उच्च स्तरीय बैठकें

9.25 माननीय परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री के नेतृत्व में इजराइली प्रतिनिधिमंडल ने 4 सितंबर, 2024 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री से मुलाकात करने के लिए भारत का दौरा किया, ताकि भारत और इजराइल के बीच समुद्री सहयोग और संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जा सके।

9.26 माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने 30 नवंबर, 2024 को दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के प्रयास में इटली सरकार के उद्यम मंत्री से मुलाकात की। यह बैठक मुम्बई पत्तन के इंदिरा डॉक्स पर इतालवी नौसेना स्कूल पोत, अमेरिगो वेस्पुची के डॉकिंग के अवसर पर हुई।

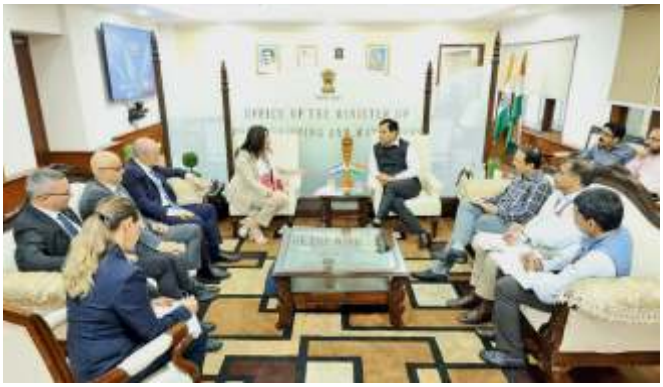

भारतीय और इजराइल प्रतिनिधिमंडल के बीच
परिवहन भवन, नई दिल्ली में चर्चा

माननीय पीएस एंड डब्ल्यू मंत्री, भारत सरकार और
माननीय उद्यम मंत्री, इटली सरकार

मुंबई पत्तन के इंदिरा डॉक पर इतालवी जहाज
"अमेरिगो वेस्पुची"

प्रशासन और वित्त

मंत्रालय में दिनांक 29 सितंबर, 2024 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में
कार्यरत सभी सफाई मित्रों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

प्रशासन

10.1 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासन स्कंध के प्रमुख, संयुक्त सचिव(प्रशासन-I) और संयुक्त सचिव (प्रशासन- II) हैं, जिनकी सहायता के लिए उप सचिव (प्रशासन), अवर सचिव (प्रशासन) हैं, जो स्थापना अनुभाग, सामान्य अनुभाग और रोकड़ अनुभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। स्थापना अनुभाग को इस मंत्रालय के 276 नियमित कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) (स्वीकृत पदसंख्या) के सेवा और प्रशासनिक मामलों का कार्य सौंपा गया है। इसमें मंत्रालय की मुख्य सचिवालय तथा विभिन्न संवर्ग जैसे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस), केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) और विकास स्कंध में केन्द्रीय कार्मिक योजना के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की सेवा का प्रबंधन शामिल हैं। स्थापना अनुभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि द्वारा जारी किए गए सभी प्रशासनिक आदेशों को क्रियान्वित करता है।

10.2 मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने में अ.ज./ अ.ज.जा/ अन्य पिछड़े वर्गों/ पीडब्ल्यूडी के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयास किए जाते रहे हैं। मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित सूचना, सचिवालयीन तथा गैर सचिवालयीन कर्मचारियों की अलग-अलग (समूहवार) तथा मंत्रालय मेंअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं ।

कल्याण

10.3 मंत्रालय के महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए गए। मंत्रालय में यौन/लिंग आधारित उत्पीड़न के संबंध में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति है तथा शी-बॉक्स पोर्टल भी प्रचालनरत है। इसके अलावा, मंत्रालय में कर्मचारियों के कल्याणकारी उपाय के रूप में, कर्मचारियों को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देने की नई पहल शुरू की गई है, ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और वे प्रेरित हों।

10.4 मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों/ भवनों में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालय परिसर में औचक जांच के लिए एक समिति गठित की है। मंत्रालय ने स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (एसपीएआरआरओडब्ल्यू) के माध्यम से मंत्रालय के सभी अधिकारियों के ऑनलाइन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। मंत्रालय में नियमित तथा साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बायोमिट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) भी कार्यान्वित की गई है जिसकी मॉनीटरिंग नियमित रूप से की जा रही है।

दिनांक 21 सितंबर, 2024 को आयोजित हिन्दी पखवाड़ा 'टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता'

10.5 राष्ट्रीय महत्व वाले महत्वपूर्ण दिवसों अर्थात् आतंकवाद विरोध दिवस, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस, स्वच्छता दिवस, संविधान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सतर्कता जागरुकता सप्ताह, रेड क्रास दिवस, रेड क्रास रेफल ड्रा आदि आयोजित किए गए और मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा ''शपथ'' ली गई। ''झंडा दिवस'' के मौके पर सहयोग राशि एकत्र और संग्रहित की गई। इन आयोजनों को मनाते हुए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन आयोजनों में भाग लेने वाले सहभागियों को पुरस्कृत किया गया।

ई-ऑफिस

10.6 मंत्रालय में सभी अधिकारियों तथा उनके सहायक स्टाफ के लिए ई-आफिस प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी गई है। इस मंत्रालय में 01 जनवरी, 2017 से ई-फाइल प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई है तथा यह उन मंत्रालयों में से एक है, जो पूरी तरह ई-फाइलिंग प्रणाली पर स्विच ओवर हो गये हैं। सभी मौजूदा भौतिक फाइलों/रिकार्डों को डिजिटल कर दिया गया है। दैनिक दिनचर्या के कागजों/प्राप्तियों/डाक आदि की स्कैनिंग के लिए सभी अनुभागों/अधिकारियों को स्कैनर उपलब्ध करवाये गये हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

- सूचना का अधिकार अधिनियम (मैनुअलों का प्रकाशन) की धारा 4 में सूचीबद्ध किए गए दायित्वों से संबंधित विस्तृत जानकारी को संबंधित संगठनों की वेबसाइटों पर अपलोड/ उपलब्ध कर दिया गया है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय ने व्यक्तिगत रूप से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए स्वागत कक्ष में अनन्य रूप से एक प्रकोष्ठ और एक सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आईएफसी) का निर्माण किया है।
- मंत्रालय ने अवर सचिव तथा उप सचिव/ निदेशक एवं समकक्ष अधिकारियों को क्रमश: प्रभागों के आधार पर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओएस) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को नियुक्त/ पदनामित किया गया है, विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिनियम के अंतर्गत सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति को इंगित करने वाली अधिसूचनाओं/आदेशों को प्रकाशित किया गया है, और मंत्रालय की वेबसाईट अर्थात www.shipmin.gov.in पर अपलोड/ उपलब्ध कराया गया है।
- जब कभी जनता/नागरिक से सीपीआईओ/आईएफसी द्वारा कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो उसे आरटीआई सेल को भेज दिया जाता है, जहां आवेदन शुल्क जमा सुनिश्चित करने के बाद इसको पंजीकृत किया जाता है। तत्पश्चात्,प्रथम अपील के निपटान

हेतुइस अनुरोध को संबंधित सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारियों के पास आवेदनकर्ता(ओं) को मांगी गई सूचना उपलब्ध करानेहेतु भेजा जाता है। इस संबंध में एक मासिक विवरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) को भेजा जाता है।

- सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रतियों और सूचना के अधिकार से संबंधित डीओपीएंडटी से प्राप्त परिपत्रों को सभी संगठनों को अनुपालन हेतु शीघ्रता से परिचालित किया जाता है।
- सभी सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को उपयोगी मार्गदर्शी सामग्री/अनुदेश परिचालित किए जाते हैं।
- सभी उपयोगी रिकॉर्डों का उचित रख-रखाव किया जाता है।
- 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक की अवधि के दौरान इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त और निपटान किए गए आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपीलों का त्रैमासिक विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	अवधि	प्राप्त और निपटान किए गए आरटीआई आवेदन	प्राप्त और निपटान की गई आरटीआई अपील
1	जनवरी – मार्च	114	13
2	अप्रैल – जून	141	4
3	जुलाई – सितंबर	119	13
4	अक्तूबर – दिसंबर	107	10
	कुल	**481**	**40**

एकीकृत वित्त स्कंध (आईएफडब्ल्यू)

10.7 सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मंत्रालय के प्रमुख लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) तथा प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) आंतरिक वित्त स्कंध के प्रमुख है जिनकी सहायता के लिए उप सचिव (वित्त), अवर सचिव (वित्त), अनुभाग अधिकारी (वित्त) और अन्य सहायक अधिकारी है। आईएफडब्ल्यू मंत्रालय की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों/ स्कंधों की परियोजनाओं/ स्कीमों को सहमति प्रदान करने के साथ ही वित्तीय सलाह भी प्रदान करते हैं।

लेखा और बजट

10.8 सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के प्रधान लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए) के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

10.9 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान किए जाने, मासिक और वार्षिक लेखों का संकलन करने, निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन सभी एककों की आंतरिक लेखा-परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सीसीए कार्यालय को वित्तीय और लेखा संबंधी मामलों, नकदी प्रबंधन में मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करते समय बजट, केन्द्रीय लेन-देन (एससीटी), वित्तीय लेखा तथा विनियोजन लेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। प्रधान सीसीए का कार्यालय महालेखा नियंत्रक (सीजीए), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

10.10 प्रधान सीसीए के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 6 वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) हैं।

1. पीएओ नियंत्रण, नई दिल्ली
2. पीएओ, सचिवालय, नई दिल्ली
3. पीएओ, एलएचएलएस, नोएडा (दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय)
4. पीएओ, मुंबई
5. पीएओ, कोलकाता
6. पीएओ, एएलएचडब्ल्यू, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म)

प्रमुख सुधार

ई-लेखा

10.11 ई-लेखा लेखांकन सूचना की दैनिक/मासिक एमआईएस/व्यय जेनरेट करने संबंधी एक वेब आधारित अनुप्रयोग/एप्लीकेशन है। सभी पीएओ को लेखांकन पोर्टल ई-लेखा के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। इस पोर्टल में उन्हें अपने दैनिक लेन-देन को अपलोड करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यय और प्राप्ति के आंकड़ें दैनिक आधार पर उपलब्ध हो सके। इससे व्यय और प्राप्ति संबंधी वास्तविक समय आंकडों की उपलब्धता सुनिश्चिता होगी, जो व्यय/प्राप्तियों और बजटीय नियंत्रणों के प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्ट, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण हैं तथा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

10.12 प्रारंभ में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए निधियों को जारी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब पीएफएमएस के दायरे को बढ़ाया गया है जिससे कि सभी प्रकार के व्यय जैसे कार्य अनुदान, वेतन आदि की स्वीकृतियों बिलों और भुगतानों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) और पीएओ द्वारा उपयोग की जा रही विभिन्न मौजूदा स्टैंडअलोन प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए इस्तेमाल हो।

सीजीए ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों ने पीएफएमएस को लागू किया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी 6 पीएओ और सभी डीडीओ में पीएफएमएस लागू किया गया है।

2024 में पीएफएमएस के माध्यम से पारित बिलों की संख्या।

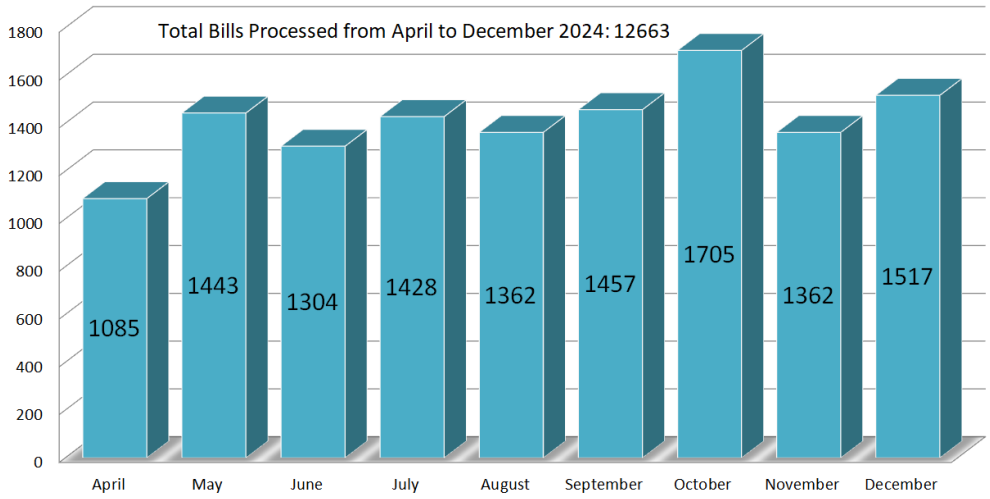

राजकोषीय एकल खाता (टीएसए)

10.13 टीएसए एक बैंक खाता या फिर संबंधित लेखाओं का सेट है जिसके माध्यम से सरकार अपने सभी प्राप्तियों और भुगतानों का लेन-देन करते हैं। एकता का सिद्धांत (प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी) सभी नगद की विनिमयशीलता (फजिबिलिटी) चाहे उसका अंतिम उपयोग कोई भी हो, से निकलता है। स्वायत्त निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसियों (एबी/ आईए) के लिए टीएसए प्रणाली का आश्य 'समय पर' स्वायत्त निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सरकारी अनुदान जारी करने को सुविधाजनक बनाना है तथा पीएसबी में निधि को पार्क करने या स्वायत्त निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग न किए गए अनुदान के संचयन से बचना है।

यह एबी/ आईए को नगद के एकमुश्त हस्तांतरण से रोकता है तथा यथा अपेक्षित सरकारी खाते से आहरण को सुविधाजनक बनाता है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सागरमाला योजना को, योजना की केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 'सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड' (एसडीसीएल) के साथ टीएसए मॉड्यूल के तहत सफलतापूर्वक परिनियोजित किया गया है।

ई-बिल

10.14 केन्द्रीय बजट 2021-22 में दावों की शुरू से अंत तक डिजीटल प्रक्रिया तथा उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ई-बिल प्रणाली की घोषणा की गई। इस प्रणाली को पीएफएमएस, सीजीए कार्यालय, व्यय विभाग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया तथा 2 मार्च, 2022 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया। यह ई-बिल प्रणाली वेंडर/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकारों को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना अपने बिलों/ दावों को प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रत्येक चरण में लेखा परीक्षा ट्रेल्स के साथ बिल की प्रक्रिया को शुरू से अंत तक त्वरित और कागज रहित करता है। पहलों को सहायता करने के लिए प्रधान सीसीए कार्यालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ई-बिल प्रणाली से फील्ड अधिकारियों को सहज करने तथा ई-बिल प्रक्रिया में स्मूथ ट्रांजीशन को समर्थ करने के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा

10.15 पत्तन, पोत परिवहन मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन के आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के काम-काज में प्रणालीगत गलतियों एवं चूकों की व्यवस्थित रूप से पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए संबंधित विभाग को परामर्श देने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। प्रधान सीसीए का कार्यालय पीएसडब्ल्यू मंत्रालय के फील्ड यूनिट सहित मंत्रालय के सभी स्कंधों तथा प्रधान सीसीए कार्यालय के तहत पीएओ की लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा/ जांच करता है।

10.16 आंतरिक लेखा परीक्षा विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रतिदिन के कामकाज में निष्पक्षता और वित्तीय औचित्य तथा अधिक संवेदनशीलता लाने के संबंध में प्रभावी प्रबंधन साधन साबित हुआ है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी कार्यालयों में लेखों/ अभिलेखों के रख-रखाव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

	वित्त वर्ष 2024-25 के आरंभ में बकाया पैरा की सं.	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निपटाए गए पैरा की सं.	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उठाए गए पैरा की सं.	बकाया पैरा की सं. (31दिसंबर 2024 के अनुसार)
आंतरिक लेखा परीक्षा	467	64	51	454
सीएजी पैरा	3	1	5	7*
पीएसी पैरा	40	16	0	24**

*05 सीएजी पैरा के सबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) प्रस्तुत किए गए हैं जो लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण हेतु लंबित है।

**19 पीएसी पैरा के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्टें (एटीआर) पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

10.17 हाल ही की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार अनुबंध-IV पर संलग्न है।

अनुदान सं. 78 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

10.18 वर्ष 2024-25 के ऊपर उल्लिखित अनुदान-सं.78 के संबंध में बचत/ अधिशेष की स्थिति और वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक) के वास्तविक व्यय की स्थिति अनुबंध-V में दर्शाई गई है। पिछले तीन वर्षों के केन्द्रीय लेन-देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार, प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा, अनुबंध-VI पर है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक) के व्यय का शीर्षवार विवरण अनुबंध-VII पर है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक) तक के लिए अन्य मंत्रालयों की ओर से पत्तन, पोत परिवहन द्वारा खर्च किए गए व्यय का शीर्ष- वार विवरण अनुबंध- VIII पर है। दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, देश में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए अपेक्षित कतिपय सेवाएं प्रदान करने के लिए दो निधियों अर्थात् मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा सामान्य आरक्षित निधि का रख-रखाव कर रहा है। विवरण अनुबंध-IX पर है।

सतर्कता

10.19 मंत्रालय का सतर्कता स्कन्ध, मंत्रालय में और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है। इस स्कन्ध की अध्यक्षता अपर सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से की जाती है।

10.20 मंत्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन में या तो अंशकालिक या फिर पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके/ उसकी सहमति से संबंधित संगठनों के अधिकारियों में से की जाती है । सी वी ओ के पूर्णकालिक पदों पर भर्ती, जहां कहीं इस प्रकार के पद हैं, का. एवं प्र. विभाग के माध्यम से संगठित सेवाओं के अधिकारियों में से की जाती है।

10.21 तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं ई-प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग करने सहित पारदर्शिता सुनिश्चित करने के द्वारा निवारक सतर्कता की भूमिका पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के विभिन्न संगठनों, विशेष तौर पर पत्तन न्यासों में सतर्कता तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जहां भी आवश्यक हुआ, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है।

10.22 सतर्कता जागरूकता सप्ताह में मंत्रालय के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को शपथ दिलायी गयी। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों में सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

10.23 10.23 मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा आवधिक रूप से उनके रिपोर्टों/ विवरणियों के माध्यम से तथा आवधिक बैठकों के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारियों/विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों से विचार-विमर्श करके भी की जा रही है।

राजभाषा हिंदी का प्रयोग

सचिव (पीएसडब्ल्यू) द्वारा स्मारिका "नवांकुर" का विमोचन

11.1 हिंदी अनुभाग मंत्रालय में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। मंत्रालय में राजभाषा (हिंदी) नीति के कार्यान्वयन के अलावा, हिंदी अनुभाग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहायता करता है। यह न केवल मंत्रालय में, बल्कि इस मंत्रालय के अधीन अन्य कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करता है। हिंदी अनुभाग वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है और प्रभाग में पाँच (05) स्वीकृत पद हैं, जिनमें एक (01) संयुक्त निदेशक (राजभाषा), एक (01) सहायक निदेशक (राजभाषा), दो (02) वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और एक (01) कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी शामिल हैं। संयुक्त निदेशक के स्थान पर उप निदेशक (राजभाषा) की तैनाती की गई है।

11.2 गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा संघ का सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, मंत्रालय हर वर्ष संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का प्रयास करता है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का अनुपालन

11.3 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनिवार्यता: मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

11.4 मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। यह समिति प्रत्येक तिमाही में आयोजित अपनी बैठक में मंत्रालय में तिमाही आधार पर हिंदी में किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकों में मंत्रालय के शासकीय कामकाज में राजभाषा "हिंदी" के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जाते है और उपायों की सिफारिश करती है। 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 के बीच की अवधि में 31 जनवरी, 2023,

31 मार्च 2024, 30 जून 2024 और 30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाहियों में समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गईं।

अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का आकलन करने के लिए निरीक्षण

11.5 सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का आकलन करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 के बीच की अवधि में नौ (09) अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

संसदीय समिति द्वारा मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण

11.6 संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में हिंदी अनुभाग संबंधित कार्यालय की निरीक्षण प्रश्नावली की समीक्षा करता है तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई कार्यालय का 18 जनवरी 2024 और मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई कार्यालय का (19 जनवरी 2024) निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा (पखवाड़ा)

11.7 मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहित करने और हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए 14 से 29 सितंबर 2024 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस वर्ष कुल 96 अधिकारियों और कर्मचारियों ने 7 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रतिभागियों ने कुल 49 पुरस्कार जीते। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रचित मूल कविताओं को "नवांकुर" नामक स्मारिका में संकलित किया गया और हिंदी पखवाड़े के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में सचिव (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग) द्वारा इसका विमोचन किया गया।

हिंदी कार्यशालाएँ

11.8 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान 26 जून, 2024 को "कंठस्थ 2.0" पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मंत्रालय के कई अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया और कार्यशाला का लाभ उठाया। इसके अलावा, इसे ई-ऑफिस में इंटीग्रेट किया गया है।

राजभाषा शील्ड योजना

11.9 मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक आधार पर राजभाषा शील्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें विजेता कार्यालयों को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में क्षेत्रवार शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

हिंदी में सरकारी काम के लिए प्रोत्साहन योजना

11.10 मंत्रालय अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी काम करने में प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग की नकद प्रोत्साहन योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल दस पुरस्कार (नकद पुरस्कार) दिए जाते हैं, अर्थात् 5000/- रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 3000/- रुपये के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000/- रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार। कोई भी अधिकारी, जो अपने आधिकारिक कार्य एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 20,000 या अधिक हिंदी शब्द लिखता है, इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के लिए पात्र है। गैर-हिंदी भाषी अधिकारियों के लिए शब्द सीमा प्रति वर्ष न्यूनतम 10,000 शब्द है और उन्हें शब्दों की संख्या के संबंध में 20% वेटेज दिया जाता है। इस मंत्रालय के कुल 03 अधिकारियों ने इस योजना के तहत भाग लिया और रिपोर्टिंग अवधि (01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024) के दौरान पुरस्कार जीते।

हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए त्रैमासिक पुरस्कार योजना

11.11 मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20 जुलाई 2021 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में तथा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय में हिंदी में शासकीय कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, हिंदी में अपने शासकीय कार्य की मात्रा के आधार पर मंत्रालय के शीर्ष तीन अनुभागों/प्रभागों को त्रैमासिक आधार पर क्रमशः 5000/- रुपये, 3000/- रुपये और 2000/- रुपये के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। योजना के लिए पात्र अनुभागों/प्रभागों को रिपोर्टिंग अवधि (01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024) के दौरान नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मंत्रालय में लघु पुस्तकालय

11.12 वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और हिंदी प्रभाग के अथक प्रयासों से मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में एक लघु पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। हिंदी अनुभाग के कर्मचारी हिंदी अनुभाग के नियमित कार्य के अतिरिक्त, इस लघु पुस्तकालय का भी संचालन करते हैं। इस पुस्तकालय में प्रसिद्ध लेखकों की हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी इसका लाभ उठाते हैं। रिपोर्टिंग अवधि (1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024) के दौरान इस पुस्तकालय में प्रसिद्ध हिंदी लेखकों की 45 और पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

अनुबंध सूची

अनुबंध-I
(पैरा 1.5 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

I. निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 के अन्तर्गत आते हैं:-

1. समुद्री पोत परिवहन और नौचालन; शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान, वाणिज्यिक नौ सैनिकों के लिए प्रशिक्षण
2. दीपस्तंभ और दीपपोत
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 01) तथा पत्तन जिन्हें महापत्तनों के रुप में घोषित किया गया है, का प्रशासन
4. जहां तक यांत्रिक रुप से चालित जलयानों का संबंध है संसद द्वारा विधि के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों को ले जाने और माल की ढुलाई सहित पोत परिवहन और नौवहन, ऐसे जलमार्गों पर सडक का नियम।
5. पोत निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग
6. मत्स्यन जलयान उद्योग
7. फ्लोटिंग क्राफ्ट उद्योग

II. संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में:

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात

III. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में:

9. मुख्य भूमि, द्वीपों और अंतर-द्वीप की नौवहन सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव

IV. अन्य विषय जो पूर्ववर्ती भागों में शामिल नहीं किए गए हैं:

10. यांत्रिक रुप से चालित जलयानों के संबंध में अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौचालन और अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों को ले जाने और माल की ढुलाई के संबंध में विधान
11. लघु और महापत्तनों के विकास से संबंधित विधान और समन्वय
12. डॉक कार्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 1961 के अलावा डॉक कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा तहत बनाई गई योजनाओं का संचालन
13. एफओबी /एफएएस के आधार पर कार्गो के आयात और सीएंडएफ/सीआईएफ के आधार पर कार्गो के निर्यात के संदर्भ में भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन संबंधी प्रबंध करना
14. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति का प्रतिपादन

15. अंतर्देशीय जल परिवहन की योजना बनाना।
16. पत्तन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण नीति का प्रतिपादन।
17. गांधीधाम के टाउनशिप का विकास।
18. प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम: 1

(क) पत्तन क्षेत्रों सहित, पोतों, समुद्र में पोतों के अवशेष और परित्यक्त जलयानों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम;

(ख) पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और प्रतिरोध से संबंधित कानून की अधिनियमन और संचालन: और

(ग) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण की निगरानी और प्रतिरोध करना।

V. अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित)

- भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15)
- भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925 (1925 का 26)
- डॉक कार्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948
- वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
- नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4)
- हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 55)
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82)
- माल बहु-विध परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28)
- डॉक कर्मकार (नियोजन और विनियमन) (महापत्तनों पर लागू न होना), 1997 (1997 का 31)
- समुद्री नौवहन की सुरक्षा के विरूद्ध गैर कानूनी कृत्यों का दमन और महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थिर प्लेटफार्मों अधिनियम, 2002 (2002 का 69)
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22)
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17)
- नावधिकरण (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 (2017 का 22)
- पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49)
- महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1)
- नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक, 2021
- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021
- भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1826
- तटीय जलयान अधिनियम, 1838

अनुबंध-II

(पैरा 1.12 देखें)

संगठन चार्ट: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

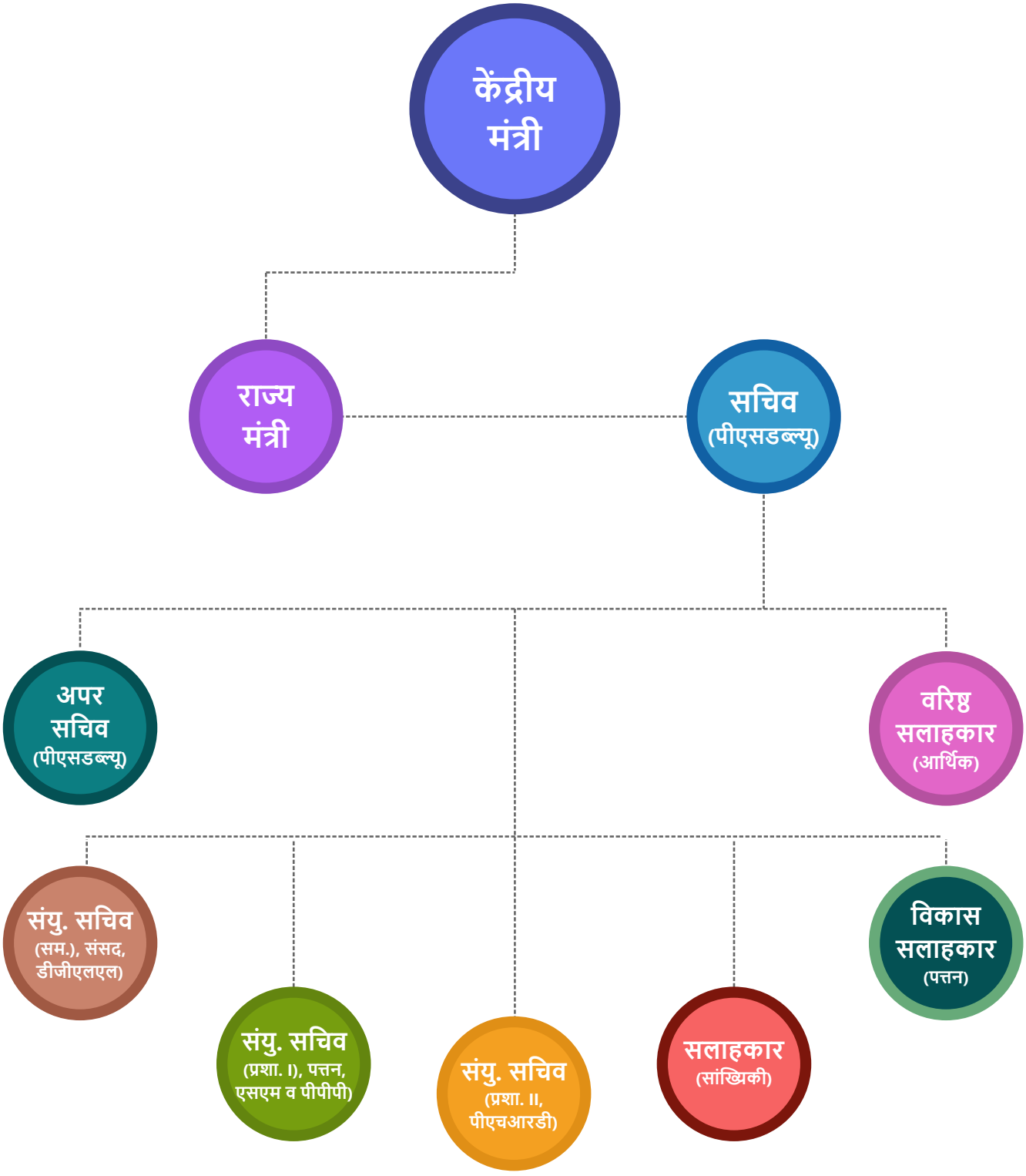

अनुबंध-III

(पैरा 10.2 देखें)

01 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2024 में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रतिनिधित्व (01.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. वर्ग	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
क	57	10	3	9	-	22
ख	87	26	9	24	-	59
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	40	7	4	9	1	21
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-
कुल	**184**	**43**	**16**	**42**	**1**	**102**

कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

सीधी भर्ती द्वारा					
समूह	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि. वर्ग**	**ई.डब्ल्यू.एस.**	**कुल**
क	-	-	-	-	-
ख	5	4	-	-	9
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	1	-	-	-	1
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-
कुल	**6**	**4**	**-**	**-**	**10**

पदोन्नति द्वारा				
समूह	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि. वर्ग**	**कुल**
क	2	2	1	5
ख	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-
कुल	**2**	**2**	**1**	**5**

प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	**वीएच**	**एचएच**	**ओएच**	**कुल**
क	-	-	-	-
ख	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुबंध-IV

(पैरा 10.7 देखें)

(आंतरिक लेखा-परीक्षा पैरा की संक्षिप्त रिपोर्ट)

(योजनाओं/बैंकों/पीएसयू/अनुदानप्राप्तकर्ता संस्थानों सहित)

क्र.सं.	**अनियमितताओं का स्वरूप**	**पैराओं की सं.**	**कुल राशि सहित (लाख रु. में)**
1.	केन्द्र सरकार के विभागों/ राज्य सरकार/ निजी पक्षकारों से सरकारी देयताओं की वसूली न होना	1	105.75
2.	अधिक भुगतान		
3.	अग्रिमों का समायोजन न होना आकस्मिकता अग्रिम - यात्रा भत्ता अग्रिम एल.टी.सी अग्रिम दीर्घ अवधि के अग्रिम	 2 2 3	 2.01 0.14 1.39
4.	सरकारी धन की ब्लाकिंग	-	-
5.	मंहगे भंडारों/सरकारी धन का लेखांकन न होना	-	-
6.	विशेष स्वरुप की मदें	-	-
	कुल	**8**	**109.29**

अनुबंध-V

(पैरा 10.18 देखें)

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का अनुदान (निवल आधार)

(करोड़ रु. में)

अनुदान सं. और नाम		बजट अनुमान	अनुपूरक	संशोधित अनुमान	31.12.2024 तक वास्तविक व्यय
अनुदान सं. 78	राजस्व लेखा	1299.56	216.59	1516.15	890.14
	पूंजीगत लेखा	1077.93	264.46	1342.39	831.12
कुल		**2377.49**	**481.05**	**2858.54**	**1721.26**

स्रोतः विस्तृत अनुदान मांग, ई-लेखा तथा अनुपूरक अनुदान मांग

अनुबंध-VI

(पैरा 10.18 देखें)

विगत 3 वर्षों के लिए केन्द्रीय लेन-देन के विवरण (एससीटी) के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (31.12.2024 तक)**
1.	0021- आय पर निगम कर को छोड़कर अन्य कर	24.47	25.03	19.38
2.	0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.00	0.00	0.00
3.	0049- ब्याज प्राप्तियां	5.67	10.17	14.06
4.	0050-लाभांश और लाभ	179.98	185.58	149.04
5.	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
6.	0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	13.10	13.12	13.46
7.	0075 विविध सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00
8.	0210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0.39	0.42	0.36
9.	0216-आवास	0.73	0.30	0.49
10.	1051-पत्तन तथा दीपस्तंभ	401.19	441.84	297.83
11.	1052-पोत परिवहन	98.31	107.92	81.94
12.	1054-सड़क और सेतु	0.00	0.00	0.00
13.	1056-अंतर्देशीय जल परिवहन	11.82	13.97	19.88
14.	1401- परमाणु उर्जा अनुसंधान	0.00	0.00	0.00
15.	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	0.02	0.02
क	**राजस्व प्रप्तियां***	**735.66**	**798.37**	**596.46**

पूंजीगत प्राप्तियां

क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (31.12.2024 तक)**
1.	4000 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
2.	6858-अभियांत्रिकी उद्योग के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
3.	7051-पत्तन और दीपस्तंभ के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
4.	7056-अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
5.	7601-राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00	0.00
6.	7610- सरकारी कर्मचारियो को ऋण	0.39	0.28	0.19
	पूंजीगत प्राप्तियां	**0.39**	**0.28**	**0.19**

अनुबंध-VII

(पैरा 10.18 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

विगत 3 वर्षों अर्थात् 2022-23 से 2024-25 (31/12/2024 तक) के लिए व्यय का शीर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25 (31.12.2024 तक)
राजस्व खण्ड			
2852-उद्योग (पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास, ई गवर्नेंस में सहायता	59.21	99.12	89.47
3051 पोत और दीपस्तंभ			
3051-.01 महापत्तन (सागरमाला)	563.70	637.65	483.18
3051 02 लघु पत्तन (एएलएचडब्लू)	63.52	68.76	46.59
3051-.03 दीपस्तंभ और दीपपोत (डीजीएलएल)	372.20	373.43	270.54
3051-.80 सामान्य (आरएंडबी)	9.75	9.71	8.11
3052-पोत परिवहन (डीजी पोत परिवहन)	189.96	214.01	151.38
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	76.33	76.50	63.11
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	50.33	61.15	49.57
3601-राज्य सरकार को अनुदान सहायता	4.91	0.00	0.00
कुल राजस्व व्यय (सकल)	**1389.91**	**1540.33**	**1161.95**
घटाएं वसूली	**-0.73**	**-32.36**	**-1.30**
डीजीएलएल प्राप्तियों से पूरा किया गया व्यय	**-372.20**	**-373.43**	**-270.54**
कुल राजस्व व्यय (निवल)	**1016.98**	**1134.54**	**890.11**
पूंजीगत खण्ड			
5051- पत्तनों और दीपस्तंभ पर पूंजीगत व्यय			
5051-.01 महा पत्तन (सागरमाला)	124.21	123.02	16.77
5051-.02-लघु पत्तन (एएलएचडब्लू)	0.00	0.00	0.00
5051-.03 दीपस्तंभ और दीपपोत (डीजीएलएल)	61.98	99.89	52.80
5052- पोत परिवहन पर पूंजीगत व्यय	9.95	13.19	2.43
5056-अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत व्यय	544.31	1010.50	757.50
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	0.00	2.84	1.62
7051-पत्तनों और लाइट हाउस के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
कुल पूंजीगत व्यय (सकल)	**740.45**	**1249.44**	**831.12**
वसूली घटाएँ	**-62.04**	**-100.81**	**0.00**
कुल पूंजीगत व्यय (निवल)	**678.41**	**1148.63**	**831.12**
राजस्व +पूंजी का कुल योग (निवल)	**1695.39**	**2283.17**	**1721.23**

स्रोत: अनुदान संव्यवहार का विवरण (एसजीटी)

अनुबंध-VIII

(पैरा 10.18 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के पक्ष में किया गया व्यय

विगत 3 वर्षों अर्थात् 2022-23 से 2024-25 (31/12/2024 तक) के लिए

(करोड़ रु. में)

मुख्य शीर्ष, अनुदान सहित	2022-23	2023-24	2024-25 (31.12.2024 तक)
राजस्व खण्ड			
2049-ब्याज भुगतान (अनुदान सं. 39)	10.22	10.58	0.26
2071-पेंशन भुगतान (अनुदान सं. 41)	37.22	35.33	34.85
2235-सामाजिक, सुरक्षा और कल्याण (अनुदान सं. 41)	0.04	0.04	0.04
3051-पत्तन और दीपस्तंभ अंडमान और निकोबार प्रशासन (अनुदान सं. 52)	4.87	3.68	2.93
3051- लक्षद्वीप (अनुदान सं. 56)	0.65	-0.01	0.00
3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (अनुदान सं. 29)	100.00	100.00	0.00
कुल (राजस्व व्यय)	**153.00**	**149.62**	**38.08**
पूंजीगत खण्ड			
4405- मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं. 52)	0.98	0.18	0.09
5051- पत्तन और दीपस्तंभ पर पूंजीगत परिव्यय, अंडमान और निकोबार प्रशासन लक्षद्वीप (अनुदान सं. 52)	1.35	3.45	1.98
5052-पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय अंडमान और निकोबार प्रशासन (अनुदान सं. 52)	0.34	0.00	0.00
लक्षद्वीप (अनुदान सं. 56)	0.01	0.00	0.00
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, अंडमान और निकोबार प्रशासन (अनुदान सं. 52)	0.99	0.00	0.00
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण (अनुदान सं. 30)	0.39	0.09	0.12
योग (पूंजीगत व्यय)	**4.06**	**3.72**	**2.19**
कुल योग (राजस्व + पूंजीगत)	**157.06**	**153.34**	**40.27**

स्रोत: समेकित वर्गीकृत संक्षेप

अनुबंध-IX

(पैरा 10.18 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मूल्यह्रास आरक्षित निधि (8115)	**(करोड़ रु)**
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	339.18
अप्रैल से दिसम्बर, 2024 के दौरान प्राप्तियां	30.00
अप्रैल से दिसम्बर, 2024 के दौरान भुगतान	0.00
31 दिसम्बर, 2024 को अंतिम शेष	360.18
सामान्य आरक्षित निधि (8121)	
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	1200.07
अप्रैल से दिसम्बर, 2024 के दौरान प्राप्तियां	90.00
अप्रैल से दिसम्बर, 2024 के दौरान भुगतान	0.00
31 दिसम्बर, 2024 को अंतिम शेष	1290.07

स्रोत: वर्गीकृत समेकित संक्षिप्त विवरण

जवाहरलाल नेहरू पत्तन

सत्यमेव जयते

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार

1, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

www.shipmin.gov.in

ShipminIndia Shipmin_India Shipmin_India Sagarmala Project Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in

Design & layout by MoPSW Media Hub